ISBN :978-93-341-2387-6

महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन



- डॉ. राजीव अग्रवाल
- अनिल कुमार
- रोशनी मिश्रा

महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन

डॉ राजीव अग्रवाल

एसोसिएट प्रोफेसर- शिक्षक शिक्षा विभाग

अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ,अतर्रा (बाँदा)

(उत्तर प्रदेश)

अनिल कुमार

एम्० ए (राजनीतिक शास्त्र), एम्० एड

रोशनी मिश्रा

बी० एस- सी० (जीवविज्ञान), बी० एड

महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन

डॉ राजीव अग्रवाल

अनिल कुमार

रोशनी मिश्रा

E-book संस्करण: 2024

मूल्य (₹) 99

ISBN: 978-93-341-2387-6

प्रकाशक-

रोशनी मिश्रा

बजरंग नगर अतर्रा, बाँदा

पिन- 210201

मो -6386066645

ई -मेल: Satyendra.tiwari691@gmail.com

प्राक्कथन

कहा गया है कि जब जन समूह की रुचि राजनीति में होने लगती है तो राजनीतिक सन्दर्भ में राजनीतिक जागरूकता कहा जाता है। इसलिए जन-सहभागिता या राजनीतिक जागरूकता को एक दूसरे का पर्याय माना जा सकता है। समाज की व्यवस्था एवं राजनीति का संचालन अच्छा रहे इसके लिए राजनीतिक जागरूकता अति आवश्यक प्रतीत होता है। प्रजातन्त्र में राजनीतिक जागरूकता एक महत्त्वपूर्ण संकल्पना है। इसलिए आज समाज का प्रत्येक नागरिक राजनीति को समझने में रुचि ले रहा है। 'जागरूकता' का अर्थ है कि किसी भी काम को समझना उसमें भाग लेना या भागीदार होना है। विश्व में आज कोई ऐसा समाज नहीं है जहां राजनीति न हो क्योंकि आज बिना राजनीति के विचार की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अरस्तू ने राजनीतिक सहभागिता को ही आधार मानकर शासन तन्त्र का वर्गीकरण प्रस्तुत किया है अर्थात जनता द्वारा प्रत्यक्ष राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने से संबन्धित प्रत्येक व्यवहार राजनीतिक जागरूकता है।

प्रस्तुत पुस्तक शोध पर आधारित है जिसका शीर्षक है "महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन"। इस पुस्तक को पाँच अध्यायों में विभाजित किया गया है—

प्रथम अध्याय में महाविद्यालयी शिक्षा एवं राजनीतिक जागरूकता का अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता एवं महत्व आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। महाविद्यालयी स्तर पर शिक्षा के विकास को विभिन्न क्रमों में दर्शाया गया है- प्राचीन काल में उच्च शिक्षा मध्य काल में उच्च शिक्षा, आधुनिक काल में उच्च शिक्षा के रूपों का वर्गीकरण किया गया है।

द्वितीय अध्याय में महाविद्यालयों में राजनीतिक जागरूकता से संबन्धित विभिन्न साहित्य का सर्वेक्षण एवं अध्ययन से संबन्धित लेख, समाचार पत्र आदि की विवेचना की गई है।

तृतीय अध्याय में शोध विधि, शोध अध्ययन की प्रक्रिया, अध्ययन समष्टि, प्रतिदर्श चयन का महाविद्यालयी सूचना प्रपत्र, महाविद्यालयी राजनीतिक जागरूकता अध्ययन अनुसूची का निर्माण तथा उसके मुख्य तथ्यों का वर्णन है।

चतुर्थ अध्याय में प्रदत्तों का विश्लेषण एवं निर्वचन महाविद्यालयी राजनीतिक जागरूकता अवलोकन अनुसूची तथा इस अनुसूची में दिये गए प्रश्नों का प्रत्रशः विश्लेषण किया गया है।

पंचम अध्याय में शोध से सम्बन्धित निष्कर्ष शैक्षिक निहितार्थ, शिक्षकों के लिए सुझाव, प्रबन्धतन्त्र हेतु सुझाव, नीति निर्धारकों के लिए सुझाव, भावी शोध हेतु सुझाव आदि बिन्दुओं का उल्लेख है।

अन्त में शोध से सम्बन्धित सुझावों की प्रासंगिकता प्रस्तुत की गई है।

प्रत्येक शोध कार्य उद्देश्यपरक होता है और यह उद्देश्य तभी सार्थक हो सकता है जब शोध कार्य के परिणामों का उचित क्रियान्वयन किया जाये। इस कार्य के लिए शोध कार्य को जनमानस के लिए सुलभ बनाने की नितांत आवश्यकता होती है। एक पुस्तक के रूप में शोध कार्य को प्रकाशित करने से यह कार्य सुगमता से पूर्ण हो सकता है। शोध कार्य के पुस्तक के रूप में प्रकाशन से वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि होती है तथा अन्य बुद्धिजीवियों को अनेक क्षेत्रों में नवीन अनुसन्धान करने की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। प्रस्तुत पुस्तक इसी दिशा में किया गया एक प्रयास है। यह पुस्तक विद्यार्थियों में निश्चित रूप से राजनीतिक जागरूकता विकसित करने के दिशा में योगदान देगी।

आशा है कि विद्वतजन एवं मेधावीगण इस शोध आधारित पुस्तक की परिहार्य एवं अपरिहार्य त्रुटियों को क्षमा करते हुए इस पुस्तक का सम्यक मूल्यांकन करेंगे।

डॉ० राजीव अग्रवाल

अनिल कुमार

रोशनी मिश्रा

विषय – सूची

तालिका सूची

आरेख सूची

प्रथम अध्याय – अध्ययन परिचय

1.प्रस्तावना

"गुरु ज्ञान से निकला प्रकाश पुंज जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण और व्यक्तित्व के विकास की राह को रोशन करता है।"

डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन का उपरोक्त कथन मानव जाति के विकास का मुख्य आधार है। मानव समस्त प्राणियों में बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ है, उसमें ज्ञान प्राप्त करने और ज्ञान की सुधा तृप्त करने की असीम अभिलाषा व क्षमता रहती है। वह विभिन्न विषयों का अध्ययन , उनकी मीमांसा, अन्वेषण, विश्लेषण करने में असीम आनन्द का अनुभव प्राप्त करता है। ज्ञान द्वारा वह अपने लोक-परलोक के ऐहिक , लौकिक व धार्मिक जीवन तथा अपने व्यक्तित्व को सुधारने की आकांक्षा रखता है। आज का सामाजिक परिवेश द्रुत गति से परिवर्तित हो रहा है जिसके कारण सामाजिक समरसता के मुद्दे एवं मानव मूल्यों व कार्यकुशलता के निर्माण की समस्या जटिलता बनती जा रही है। इस बिन्दु को अपेक्षित गम्भीरता के साथ आलोचनात्मक चिन्तन के घेरे में लाना है, जिससे मानव समाज को एक नए शैक्षिक आयाम की प्राप्ति हो सके।

मानव की उत्पत्ति के समय से ही यह प्रमाण मिले हैं कि जितनी भी उन्नति प्रगति मानव जाति ने की है, वह उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण ही सम्भव हो सकी है। मानव संसार के समस्त प्राणियों में उत्कृष्ट माना गया है। भाषा, चिन्तन, सृजनात्मकता, सहयोग, सामाजिक एवं व्यावसायिक लालसा जैसी मूल प्रवृत्तियों से अलंकृत मानव नि:संदेह रूप से सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य की इन्हीं सब मूल प्रवृत्तियों एवं अन्तर्निहित क्षमताओं के विकास की प्रक्रिया को हम शिक्षा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर शिक्षा का तात्पर्य सीखने-सिखाने एवं बालक या मनुष्य की अन्तर्निहित शक्तियों गुणों एवं क्षमताओं को बाहर निकालने तथा बाह्य शक्तियों के विकास की सकारात्मक प्रक्रिया से है।

परिवर्तन प्रकृति का एक शाश्वत सत्य है। मानव स्वभावतःएक गतिशील प्राणी है अतः मानव समाज में सदैव परिवर्तन होता रहता है। किसी भी व्यवस्था या किसी भी समाज में समय सापेक्ष परिवर्तन आवश्यक है। समय

के साथ हो रहे हर परिवर्तन के प्रति जागरूक ना रहने वाला समाज भविष्य में अपना अस्तित्व खो देता है। समाज परिवर्तन सापेक्ष बनाने का सबसे प्रमुख साधन है शिक्षा , क्योंकि शिक्षा ही समाज को प्रत्येक परिवर्तन में समायोजित होने योग्य बनाती है। इसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार , चरित्र , आचरण , मनोवृत्ति , भावनावों आदि में जो परिवर्तन होते हैं , उनके कारण व्यक्ति सुसंस्कृत एवं सभ्य जीवन व्यतीत करने की क्षमता के विकास के साथ-साथ अग्रोन्मुखी तथा परिवर्तनाकूल समाज का निर्माण भी करता है। शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है जिससे मनुष्य अपने को परिवर्तनशील वातावरण में समायोजित करने में सक्षम होता है। परिवर्तनोन्मुख वर्तमान समाज में शिक्षा व्यवस्था के प्रमुख स्तम्भ 'शिक्षक' की भूमिका निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षक ही वह बिन्दु है जो अपने प्रयासों से किसी भी शिक्षा व्यवस्था एवं उसके उद्देश्यों को परिपूर्ण करता है। वह समाज का नवसृजन करता होता है। विद्यार्थियों के विचारों , मूल्यों , अभिवृत्तियों और संस्कारों को परिवर्तन एवं समय सापेक्ष बनाने का दायित्व शिक्षकों के कंधों पर होता है।

1.1.1 शिक्षा : विकास की प्रक्रिया

शिक्षा ही मानव विकास का मूल आधार है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य अपनी शारीरिक , मानसिक, संवेगात्मक एवं आध्यात्मिक शक्तियों को अनुशासित करता है। इस प्रकार मनुष्य के स्वानुशासन के विकास में 'शिक्षा' का महत्वपूर्ण स्थान है। जब से बालक इस संसार में जन्म लेता है , तभी से वह वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करना प्रारम्भ कर देता है। वातावरण एवं पर्यावरण के साथ अनुकूलन स्थापित करने में शिक्षा की महती भूमिका होती है प्रारम्भिक अवस्था में बालक की सीखने की गति प्रायः कम होती है। धीरे-धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो वह वातावरण से कुछ नए अनुभव अर्जित करता है और उसके फलस्वरूप उसका व्यवहार परिवार एवं समाज तथा समुदाय के अनुकूल हो जाता है। बालक के अनुभव का यह क्रम दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है जिसके परिणाम स्वरूप उसका व्यवहार संयमित होने लगता है शिक्षा के द्वारा ही एक असभ्य, अविकसित, अपरिपक्व मानव, सुसभ्य एवं सुविकसित इंसान के रूप में परिवर्तित हो जाता है।

शिक्षा केवल मानव जाति के व्यवहार में परिवर्तन लाने तक ही सीमित नहीं है अपितु उनका चारित्रिक विकास भी करती है। संसार के अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य पर शिक्षा का प्रभाव अपेक्षाकृत

अधिक होता है क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील एवं बुद्धिमान प्राणी है। शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य के पशुवत व्यवहार में परिवर्तन करके उसे एक सामाजिक प्राणी बनाया जाता है। सामाजिक प्राणी बनाने की प्रक्रिया में परिवार, विद्यालय समाज तथा समुदाय बालक की सहायता करते हैं। बालक की शिक्षा के विकास में प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर अलग अलग कार्यक्रम निर्धारित किए जाते हैं जिससे बालक के- सर्वांगीण विकास के उद्देश्य की प्राप्ति आसानी से की जा सके। बालक की शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। प्राथमिक शिक्षा स्तर पर ही बालक की शैक्षिक , व्यावसायिक एवं सामाजिक परिपक्वता की प्राप्ति होती है जो उसके आगे आने वाले भविष्य की दिशा निर्धारित करती है।

समाज की आर्थिक व्यवस्था चार प्रकार की श्रेणियों में विभक्त रही है। ब्राह्मण वर्ग से अपेक्षा की जाती थी कि वह समुदाय को पुरोहित , चिन्तक, लेखक, विधायक , धार्मिक नेता तथा पथ प्रदर्शक देंगे। क्षत्रिय वर्ण समाज को योद्धा, शासक प्रशासक, वैश्य समाज को उत्पादक, कृषक, शिल्पकार, व्यापारी देते थे। शूद्र वर्ण छोटे छोटे कार्यों के लिए-भृत्यों या नौकरी की आपूर्ति करते थे। इस प्रकार की प्रणाली में धर्म चिन्तन तथा विद्या को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया। सामाजिक व्यवस्था जन्म के आधार पर नहीं , अपितु व्यक्ति क्षमता व आन्तरिक व्यवस्था के आधार पर निर्धारित की गई। वर्णों के आधार पर तदनुरूपी चार पुरुषार्थ स्थापित किए गए जो उस समय की दार्शनिक सोच के द्योतक है -ब्राह्मण मोक्ष -,क्षत्रिय-काम, वैश्यअर्थ-, शूद्र-धर्म। कालान्तर में यही वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में परिणित हुई तथा जातीय संघर्ष का जन्म हुआ। जो आज की सूचना तकनीकी युग में भी यह संघर्ष उच्च स्तर पर विद्यमान है , चाहे वह राजनीति में हो, शिक्षा में हो, या शासन में हो , यह राष्ट्र निर्माण में बाधा स्वरूप है। सामाजिक विघटन को दूर करने के लिए समाज में ऐसी शिक्षा का होना नितान्त आवश्यक है जो हमें संकीर्ण सोच से ऊपर उठाकर वैश्विक स्तर तक पहुँचा सके , और इस सूचना एवं सम्प्रेषण तकनीकी युग में एक सकारात्मक सोच का विकास कर सके। वर्तमान समय में उच्च शिक्षा की जो स्थिति है उसमें कुशल शिक्षक के साथ वर्तमान तकनीकी भी महत्वपूर्ण भूमिका में होती है , क्योंकि प्राथमिक शिक्षा के सन्दर्भ में भारत की स्थिति अभी निराशाजनक है।

1.1.2उच्च शिक्षा विकास का आधार

शिक्षा, विज्ञान, चिकित्सा तथा सूचना तकनीकी के विकास एवं संवर्द्धन के साथ ना केवल ज्ञान का विस्तार हुआ है बल्कि आधुनिक जगत के भौतिक यात्रा के उच्च कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। इस तीव्र प्रौद्योगिकीय प्रगति से मानवीय जीवन भी प्रभावित हुआ है। मानव की जीवन शैली में बदलाव के साथ साथ- उनकी सोचने समझने की शक्ति में भी बदलाव आयाहै। आज वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी उन्नति के साथ साथ- र्तित हुई है। शिक्षा की अवधारणा भी परिव वर्तमान समय में प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हमारे राष्ट्र की प्रगति मन्द है हमारी शिक्षा में आज भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इस सन्दर्भ में स्वामी विवेकानन्द ने सभी प्रकार की शिक्षाओं में निपुणता हासिल करने पर बल दिया है। जिसके परिणाम स्वरूप ही मानव का सर्वांगीण विकास सम्भव है। जो मनुष्य की इच्छा शक्ति को प्रबल बनाकर उसके जीवन को संयमित रूप प्रदान करें। स्वतंत्रता प्राप्ति के छह दशक बाद भी प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में कोई गुणात्मक सुधार नहीं हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त शिक्षा पर गठित सभी आयोगों ने गम्भीरता पूर्वक विचार किया और भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट किया।

सन् 1964 में भारत की केन्द्रीय सरकार ने डॉ दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नयी दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। इसे **कोठारी आयोग** के नाम से जाना जाता है। डॉ कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। आयोग ने भारतीय स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की जो भारत के शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। **कोठारी आयोग** (1964-66) या **राष्ट्रीय शिक्षा आयोग** , भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने अपनी रिपार्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए।

- समान पाठयक्रम के जरिए बालक-बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाय। दरअसल , समान पाठयक्रम की अनुशंसा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करती है।
- 25 प्रतिशत माध्यमिक स्कूलों को 'व्यावसायिक स्कूल' में परिवर्तित कर दिया जाय।
- सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाय। माध्यमिक स्तर (सेकेण्डरी लेवेल) पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया जाय।
- पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद ही हो।
- विषय विभाजन कक्षा नौ के बदले कक्षा 10 के बाद हो।
- उच्च शिक्षा में 3 या उससे अधिक वर्ष का स्नातक पाठ्यक्रम हो और उसके बाद विविध अवधि के पाठ्यक्रम हों।
- माध्यमिक विद्यालय दो प्रकार के होंगे, उच्च विद्यालय और उच्चतर विद्यालय।
- कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए तथा स्नातकोत्तर तक की शिक्षा मातृभाषा में दी जाए।
- शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक व व्ययसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की।
- सन 1980 में लार्ड रिपन को भारत का गवर्नर-जनरल मनोनीत किया गया था। उस समय उन्होने भारतीय शिक्षा के विषय में (1982 में) एक कमीशन गठित किया जिसे **"भारतीय शिक्षा आयोग"** कहा गया । सर विलियम हण्टर इसी कमीशन के सदस्य थे और इन्ही के नाम से इसे **हण्टर कमीशन** कहा गया।

इस कमीशन की प्रमुख बातें निम्न है-

- उच्च शिक्षा व्यवहारिक हो।
- उच्च शिक्षा देशी भाषाओं में हो।
- शैक्षिक रूप से पिछड़े इलाकों में शिक्षा विभाग स्थापित हो।
- धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिया जाए।
- बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था हो।

- ❖ अनुदान सहायता छात्र-शिक्षक की संख्या व आवश्यकता के अनुपात में दिया जाए।
- ❖ देशी शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन न करके पूर्ववत चलने दिया जाए।
- ❖ 'हण्टर *का मत था - देशी पाठशालायें राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकती हैं* ।

  हण्टर आयोग के सुझाव-(1) प्राथमिक शिक्षा (2) माध्यमिक शिक्षा (3) उच्च शिक्षा (4) सहायता अनुदान व्यवस्था (4) स्त्री शिक्षा (5) मुस्लिम शिक्षा (6) आदिवासी व पर्वतीय जातियो की शिक्षा (लोक भाषा मे शिक्षा) (7) धार्मिक शिक्षा राजकीय विद्यालयो मे नहीं (8) देशी पाठशालाये पन्डितों और मौलवियों के विद्यालयों को मान्यता तथा अनुदान।

सन 1968 में जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी सहमति जताई कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करना होना चाहिए। इसी प्रकार 19 को सियासी में जारी शिक्षा नीति में भी कहा गया कि शिक्षा व्यक्ति के भौतिक विकास के लिए आवश्यक तत्व है। 21वीं शताब्दी की पीढ़ी के लिए हमें ऐसी शिक्षा नीति का निर्माण करना है जो एक प्रगतिशील , जागरूक और एक सूत्रबद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकें परन्तु यह तभी सम्भव है जब पूरी शिक्षा एक योजनाबद्ध तरीके से दी जाए। इसके लिए राष्ट्र की भावनात्मक एकता स्थापित करने के साथ साथ राष्ट्र को प्रौद्योगिकी एवं व्यावसायिक उन्नति जिला में-हमें प्रयास करना होगा। भारतीय चिन्तकों एवं छात्र /छात्राओं और भविष्य दृष्टाओं की मान्यताओं के विपरीत आज शिक्षा प्राप्त करने का एकमात्र लक्ष्य व्यवसाय की प्राप्ति है। आत्मचिन्तन का विषय है कि आज की शिक्षा हमारी युवा पीढ़ी एवं समाज को किस दिशा की ओर ले जा रही है।

वर्तमान शिक्षा को अगर प्रणाली उपागम की दृष्टि से देखें और इस प्रणाली सूत्र का विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि जितना अदा हमने लगाया उसके अनुपात में प्रदा हमको नहीं मिल रहा है। इस अदा में समस्त भौतिक संसाधन, शिक्षक शिक्षार्थी सहित अन्य भारतीय संसाधन सम्मिलित हैं। भारतीय मानदण्ड के अनुरूप उपलब्धि के रूप में विद्यार्थियों में जो अपेक्षित व्यक्तित्व परिष्कार दिखना चाहिए वह दिखाई दे रहा है ऐसी परिस्थिति में सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली के सम्मुख एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि आखिर इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है किस दिशा में आज शिक्षा व्यवस्था के प्रत्येक पहलू पर गम्भीरता पूर्वक

विचार करने की आवश्यकता है। इसके लिए शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण से लेकर शिक्षण प्रक्रिया के व्यावहारिक परिवर्तन हेतु विभिन्न उपागम शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतः क्रिया रचनात्मक एवं सृजनात्मक चिन्तन को विकसित करने वाले प्रेरक तथा शिक्षक के व्यक्तित्व के विभिन्न पदों पर उन्हें ढंग से विचार करना होगा।

1.1.3 भारतीय उच्च शिक्षा का विकास

भारतीय शिक्षा के इतिहास को अध्ययन की क्षमता की दृष्टि से तीन भागों में बाँटा जा सकता है - प्राचीनकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल प्राचीन काल। में वैदिक कालीन शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा की नींव माना जाता है। प्राथमिक शिक्षा का विकास काल यही से प्रारम्भ माना जाता है। वैदिक काल से आधुनिक काल तक प्राथमिक शिक्षा में कई उतार चढ़ाव आ-ये जिससे प्राथमिक शिक्षा में समय समय पर- कई बदलाव देखने को मिले।

1.1.3.1 प्राचीन काल में उच्च शिक्षा

प्राचीन काल में जिस शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ उसे वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं। पूरे वैदिक काल में शिक्षा का प्रशासन एवं संगठन को सामान्यत एक सा रहा : परन्तु समय की परिस्थितियों और ज्ञान एवं कला कौशल के क्षेत्र में विकास के साथ साथ उसकी पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों में विकास होता- रहा। वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुलों में होती थी।

भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति में हमें अनौपचारिक तथा औपचारिक दोनों प्रकार के शैक्षणिक केन्द्रों का उल्लेख प्राप्त होता है। औपचारिक शिक्षा मन्दिर , आश्रमों और गुरुकुलों के माध्यम से दी जाती थी। ये ही उच्च शिक्षा के केन्द्र भी थे। जबकि परिवार , पुरोहित, पण्डित, सन्यासी और त्यौहार प्रसंग आदि के माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त होती थी। विभिन्न धर्मसूत्रों में इस बात का उल्लेख है कि माता ही बच्चे की श्रेष्ठ गुरुहै। कुछ विद्वानों ने पिता को बच्चे के शिक्षक के रुप में स्वीकार किया है। जैसे-जैसे सामाजिक विकास हुआ वैसे-वैसे शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित होने लगी। वैदिक काल में परिषद , शाखा और चरण जैसे

संघों का स्थापन हो गया था , लेकिन व्यवस्थित शिक्षण संस्थाएं सार्वजनिक स्तर पर बौद्धों द्वारा प्रारम्भ की गई थी। गुरुकुलों की स्थापना प्रायः वनों, उपवनों तथा ग्रामों या नगरों में की जाती थी। वनों में गुरुकुल बहुत कम होते थे। अधिकतर दार्शनिक आचार्य निर्जन वनों में निवास , अध्ययन तथा चिन्तन पसन्द करते थे। वाल्मीकि, सन्दीपनि, कण्व आदि ऋषियों के आश्रम वनों में ही स्थित थे और इनके यहाँ दर्शन शास्त्रों के साथ-साथ व्याकरण, ज्योतिष तथा नागरिक शास्त्र भी पढ़ाये जाते थे। अधिकांश गुरुकुल गाँवों या नगरों के समीप किसी वाग अथवा वाटिका में बनाये जाते थे। जिससे उन्हें एकान्त एवं पवित्र वातावरण प्राप्त हो सके। इससे दो लाभ थे ; एक तो गृहस्थ आचार्यों को सामग्री एकत्रित करने में सुविधा थी , दूसरे ब्रह्मचारियों को भिक्षाटन में अधिक भटकना नहीं पड़ता था। मनु के अनुसार `ब्रह्मचारों को गुरु के कुल में, अपनी जाति वालों में तथा कुल बान्धवों के यहाँ से भिक्षा याचना नहीं करनी चाहिए , यदि भिक्षा योग्य दूसरा घर नहीं मिले , तो पूर्व-गृहों का त्याग करके भिक्षा याचना करनी चाहिये। इससे स्पष्ट होता है कि गुरुकुल गाँवों के सन्निकट ही होते थे। स्वजातियों से भिक्षा याचना करने में उनके पक्षपात तथा ब्रह्मचारी के गृह की ओर आकर्षण का भय भी रहता था अतएव स्वजातियों से भिक्षा-याचना का पूर्ण निषेध कर दिया गया था। बहुधा राजा तथा सामन्तों का प्रोत्साहन पाकर विद्वान् पण्डित उनकी सभाओं की ओर आकर्षित होते थे और अधिकतर उनकी राजधानी में ही बस जाते थे , जिससे वे नगर शिक्षा के केन्द्र बन जाते थे।

इनमें तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कान्यकुब्ज, मिथिला, धारा, तंजोर आदि प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार तीर्थ स्थानों की ओर भी विद्वान् आकृष्ट होते थे फलतः काशी, कर्नाटक, नासिक आदि शिक्षा के प्रसिद्ध केन्द्र बन गये। कभी-कभी राजा भी अनेक विद्वानों को आमंत्रित करके दान में भूमि आदि देकर तथा जीविका निश्चित करके उन्हें बसा लेते थे। उनके बसने से वहाँ एक नया गाँव बन जाता था। इन गाँवों को अग्रहार' कहते थे। इसके अतिरिक्त विभिन्न हिन्दू सम्प्रदायों एवं मठों के आचार्यों के प्रभाव से ईसा की दूसरी शताब्दी के लगभग मठ शिक्षा के महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गये। इनमें शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आदि के मठ प्रसिद्ध हैं। सार्वजनिक शिक्षण संस्थाएँ सर्वप्रथम बौद्ध विहारों में स्थापित हुई थीं। भगवान बुद्ध ने उपासकों की शिक्षा-दीक्षा पर अत्यधिक बल दिया। इस संस्थाओं में धार्मिक ग्रन्थों का अध्यापन एवं आध्यात्मिक अभ्यास कराया जाता था। अशोक (300 ई० पू०) ने बौद्ध विहारों की विशेष उन्नति करायी। कुछ समय पश्चात् ये

विद्या के महान केन्द्र बन गये। ये वस्तुत: गुरुकुलों के ही समान थे। किन्तु इनमें गुरु किसी एक कुल का प्रतिनिधि न होकर सारे विहार का ही प्रधान होता था। ये धर्म प्रचार की दृष्टि से जनसाधारण के लिए भी सुलभ थे। इनमें नालन्दा विश्वविद्यालय (450 ई०) , वल्लभी (700 ई.) , विक्रमशिला (800 ई०) प्रमुख शिक्षण संस्थाएँ थीं। इन संस्थाओं का अनुसरण करके हिन्दुओं ने भी मन्दिरों में विद्यालय खोले जो आगे चल कर मठों के रूप में परिवर्तित हो गये।

1.1.3.2 मध्यकाल में उच्च शिक्षा

मध्यकाल में मुस्लिम काल के शिक्षाविदों , धार्मिक व्यक्तियों, चिन्तकों व विचारकों का ध्यान शिक्षा की ओर गया क्योंकि बिना अरबी भाषा के ज्ञान को प्राप्त किए आम मुसलमान ना तो 'कुरान' को पढ़ या कंठस्थ कर सकता था, न शासन के नियमों को समझ सकता था और ना ही मुहम्मद साहब द्वारा दिखाए गए मार्ग पर विधिवत चल सकता था। उसके जीवन में शिक्षा का बड़ा महत्व था। एस काल में इस्लामी शिक्षा का सर्वांगीण विकास हुआ। शिक्षा का मुख्य आधार धर्म था।

भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना के उपरान्त मुसलमानों ने शिक्षा के प्रसार हेतु अनेक प्रकार की संस्थाओं जैसे कि मकतब , मदरसे , खानकाहों की स्थापना की । मुसलमान परिवारों में शिशु की शिक्षा विस्मिल्लाह खानी या मकतब संस्कार से प्रारम्भ होती थी।

शिशु की आयु जब 4 वर्ष 4 माह 4 दिन की हो जाती थी तो उसके माता-पिता को धूमधाम से बिस्मिल्लाह खानी के अक्षर बोध का संस्कार मौलवी या काजी द्वारा सम्पन्न करवाते थे। इस अवसर पर शिशु से वर्णमाला का प्रथम अक्षर आलिफ तख्ती पर लिखवाया जाता था । इसके बाद सम्पन्न परिवारों में शिशु को प्रारम्भिक शिक्षा देने के लिए शिक्षक नियुक्त किए जाते थे । इन शिशुओं का ज्ञान वर्णमाला कुरान के पाठ सुलेख व्याकरण आदि विषयों तक ही सीमित रहता था । इसके पश्चात कुछ बड़े होने पर उन्हें साहित्य इतिहास तथा नीतिशास्त्र इत्यादि विषयों का अध्ययन करना पड़ता था । वे पदनामा, आमदनामा, गुलिस्ता, बोस्ता, हार-ए दानिश तथा सिकन्दर नामा का अध्ययन करते थे। जो विद्यार्थियों उसके उपरांत शिक्षा नहीं ग्रहण करते थे उन्हें मुंशी तथा जो उच्च शिक्षा ग्रहण करते थे , उन्हें मौलाना , मौलवी या फाजिल की पदवियाँ दी जाती थी जो

विद्यार्थियों केवल अरबी की शिक्षा प्राप्त करते थे उन्हें कुरान के अतिरिक्त मुहम्मद साहब की जीवनी से सम्बन्धित ग्रन्थ कुरान की टीकाएँ तसउफ्फ दर्शन तथा अन्य विषयों का अध्ययन करना पड़ता था। इस काल में शिक्षा प्रणाली में शिक्षा संस्थाओं का महत्वपूर्ण स्थान था। सम्पन्न परिवारों के घरों की बैठकों में परिवार व आसपास के शिशु प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे । इस वैठक को 'मकतब' कहते थे। इस मकतब के शिक्षक के भरण पोषण का उत्तर दायित्व उस परिवार पर ही रहता था जिस परिवार के बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे । वे भी इसकी आर्थिक सहायता करते थे । शिक्षा का दूसरा केन्द्र मदरसा था। राज्य द्वारा स्थापित मदरसों को राज्य की ओर से वित्तीय सहायता मिलती थी ताजुल मआसिर के रचयिता **हसन निजामी** के अनुसार मुहम्मद गौरी ने अजमेर में अनेक मदरसों की स्थापना की । भारत में यह मदरसे अपने ही ढंग के थे लखनौती में मुहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने अपने मदरसों की स्थापना की इल्तुतमिश ने मुहम्मद गौरी के नाम पर दिल्ली में मुइज्जी मदरसे की स्थापना की । इसी नाम का एक मदरसा बदायूं में स्थापित हुआ। रजिया ने नासिरिया मदरसे की स्थापना दिल्ली में की। वामिनहाज को उसका आचार नियुक्त किया। कड़ाके कवि मुतहर ने अपनी दीवान में लिखा है कि फिरोज शाह ने अनेक मदरसों की स्थापना की उसने स्वयं दिल्ली के हौज-ए-खास के पास फिरोजशाही मदरसा देख कर उसका वर्णन किया। जलालुद्दीन रूमी इस मदरसे के प्राचार्य थे वह कुरान को 7 नियमों में पढ़ सकते थे तथा 14 विधान जानते थे। हदीस के पांच प्रसिद्ध संग्रहों का उन्हें ज्ञान था । यहाँ के विद्यार्थियों को तफसीह , फिकह व हदीस पढ़ाया करते थे । सिकन्दर लोदी ने मथुरा व नरवल में मदरसो की स्थापना की । इसी काल में उसने सम्भल में मदरसा स्थापित किया तथा वहाँ शेख अब्दुल्ला को प्राचार्य नियुक्त किया। इसी प्रकार देश के विभिन्न भागों में मुसलमानों ने अनेक मदरसों की स्थापना की। सुबह-उल्ल-असह के लेखक के अनुसार केवल दिल्ली में हजारों मदरसे थे । जिनमें से एक हजार मदरसे शफियों तथा हनफियों के थे।

शिक्षा का तृतीय महत्वपूर्ण केन्द्र सूफी सन्तों की खानकाह थी। अजमेर में शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की खानकाह दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह सीदी मौला की खानकाह शिक्षा के सुप्रसिद्ध केन्द्र थे। दिल्ली व उसके समीप लगभग 2,000 खानकाह सूफी सन्तों की थी। जहाँ देश-विदेश से विद्यार्थियों सूफी मत व आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते थे। इस काल में प्रत्येक शहर में उपरोक्त तीन प्रकार

की शिक्षा संस्थाएं थी। इस काल में विद्यार्थियों को राज्य की ओर से वित्तीय सहायता तथा वजीफे दिए जाते थे। उनके पाठ्यक्रम में कुरान , हदीस, तसुउफ्फ, तफसीर, ज्योतिशास्त्र, दर्शन, गणित, फिकह, न्याय-शास्त्र, काव्य-शास्त्र, व्याकरण, प्राकृतिक दर्शन, धर्मशास्त्र सुलेख आदि अनेक विषय हुआ करते थे । विद्यार्थियों को शिक्षा देने के लिए देश-विदेश से दार्शनिक व शिक्षक आते रहते थे । शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ इस काल में साहित्य के विभिन्न विषयों का भी अत्यधिक विकास हुआ । 1206 ई० के उपरान्त मंगोल आक्रमणों के कारण फारस मध्य एशिया से अनेक दार्शनिको , विद्वानों, साहित्यकारों, न्यायविदों तथा कवियों ने दिल्ली में ही नहीं वरन उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में शरण ली । दिल्ली के सुल्तानों ने समय-समय पर उन्हें प्रश्रय दिया। इस काल में फारसी साहित्य का विशेष रूप से विकास हुआ । फारसी राज्य भाषा थी । इस काल के महान कवियों में अमीर खुसरो का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । पद्य साहित्य उनकी विशेष देन है। फिरस्ता के अनुसार उन्होंने गद्य और पद्य में 12 पुस्तकें लिखी है किंतु उनमें से अनेक नष्ट हो गई । 12 वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में तुर्क आक्रमणकारियों ने हिन्दू मंदिरों , बौद्ध विहारों तथा विश्वविद्यालयों पर आक्रमण कर शिक्षा के इन महान केंद्रों को विध्वंस कर दिया । तुर्की आक्रमणकारियों का झंझावात निकल जाने के उपरान्त एक बार पुनः मठों , मंदिरों, पाठशालाओं, टोली में 'हिन्दू शिक्षा' दी जाने लगी। प्रारम्भिक तथा उच्च शिक्षा टोला में दी जाती थी। यहाँ विद्यार्थियों 8 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक अध्ययन किया करते थे। हिन्दू परिवारों में बालक की शिक्षा 5 या 6 वर्ष की आयु में प्रारम्भ होती थी । उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में संस्कृत, साहित्य, भाषा काव्य, व्याकरण, न्याय, दर्शन, वेद, चिकित्सा शास्त्र, इतिहास, भूगोल, संगीतशास्त्र, संगीत, भक्तियोग, अलंकार, ओसतंत्र, सूत्र आदि विषय होते हैं । इस काल में हिन्दू शिक्षा के महान केन्द्र बनारस, मिथिला , नदिया , कश्मीर , विक्रमशिला , गुजरात आदि थे । बनारस वेदान्त संस्कृत साहित्य व व्याकरण की शिक्षा का महान केन्द्र था । इस काल में शिक्षा का महत्व केवल उच्च वर्ग व मध्यम वर्ग में ही था। इस काल में शिक्षा एवं साहित्य की अत्यधिक प्रगति हुई । दिल्ली के सुल्तानों में लगभग सभी पढ़े-लिखे थे। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से किसी न किसी प्रकार से शिक्षा को प्रोत्साहन देते रहे । दास वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने निशा में प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त की । वहाँ उसने अरबी व फारसी का अध्ययन किया । उसने तुर्किस्तान में फखरुद्दीन कूफी से कुरान पढ़ना-लिखना सीखा । इल्तुतमिश महान विद्वान व शिक्षाविद था ।

उसने अपने जेष्ठ पुत्र महमूद को उपयुक्त शिक्षा प्रदान करने हेतु राजधानी दिल्ली के निकट लोनी गाँव में रखा । बलवन ने अपने पुत्रों की शिक्षा के पूर्ण प्रबन्ध किये और उसने उन्हें सिर्फ नई की शिक्षा दिलवाई । उसने उन्हें इतिहास भी पढ़ावाया। बलवन के पुत्रों में शाहजादा मुहम्मद की शिक्षा एवं साहित्य में अत्यधिक रुचि थी । उसने प्रख्यात कवियों की कृतियों से कविताओं का एक संकलन तैयार किया वह साहित्यिक गोष्ठियों का आयोजन किया करता था । जिस में मुख्यतः कवि भाग लिया करते थे । उसने राज दरबार में कवियों तथा साहित्यकारों का जमघट लगा रहता था। उसके सेवक कुशलता पूर्वक शाहनामा दिवान-ए-शनाई , दीवान-ए-खाकानी एवं खम्सा पढ़ सकते थे । उसकी उपस्थिति में इन कृतियों पर बाद-विवाद किया करते थे । उसने अमीर हसन व अमीर खुसरो को प्रश्रय दे रखा था। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं पढ़ा लिखा नहीं था किन्तु उसने अपने पुत्रों को परम्परागत इस्लामी शिक्षा दिलवाई थी । मुहम्मद तुगलक अपनी विद्वता तथा विभिन्न विषयों के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था । वह स्वयं एक महान लेखक व कवि था अपनी लेखन शैली के लिए वह अपने युग के साहित्यकारों व कवियों से कहीं आगे था। वह सुलेख, भौतिकशास्त्र, तर्कशास्त्र, ज्योतिषशास्त्र, गणित, चिकित्साशास्त्र, दर्शन, कुरान, हदीस फिक तथा अनेक विधाओं का प्रकाण्ड पण्डित था। उसके उत्तराधिकारी फिरोजशाह की कृति फुतूहाते फिरोजशाही से ज्ञात होता है कि वह महान साहित्यकार एवं विद्वान था । वह विद्यार्थियों व शिक्षकों को वेतन , अनुदान, पेंशन दिया करता था । उसने मदरसा-ए-फिरोजशाही की स्थापना की। उसमें देश-विदेश के शिक्षक नियुक्त किए । उन्होंने शिक्षा को प्रोत्साहन दिया । लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी ने इस्लामी कानून का गहन अध्ययन किया था उसका पुत्र सिकन्दर लोदी गुलरूख के नाम से कविताएं लिखता था वह कवियों के साथ वाद-विवाद किया करता था । उसने सूफी शेख समाउद्दीन देहलवी से अरबी व्याकरण पर निजाम सर्फ नामक ग्रन्थ का अध्ययन किया । वह अपनी कविताओं की रचना करके शेख जमाली को भेजा करता था। उसने 8000-9000 कविताओं का एक दीवान लिखा। जहाँ तक स्त्रियों की शिक्षा का प्रश्न है, उन्हें शिक्षा देने का चलन नहीं था। पर्दा प्रथा के कारण उन्हें घर में ही थोड़ी बहुत शिक्षा दी जाती थी। समाज के उच्च वर्गों में ही शिक्षा का प्रचलन था किन्तु इस काल में राज्य की भाषा फारसी होने के कारण समाज के अन्य वर्गों को इस भाषा को सीखकर राज्य में विभिन्न पदों पर कार्य करना प्रारम्भ किया । मुगलकाल में भी मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आत्मा की शुद्धि , संतुलित आचरण , उत्तम व्यवहार व

मानव के सभी गुणों का विकास करना था । मुगल काल के शिक्षाविदों के विचार में इन उद्देश्यों की प्राप्ति केवल धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा प्रदान करके ही की जा सकती थी । मुगल साम्राट स्वयं शिक्षित थे अतः उन्होंने शिक्षा के प्रसार की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया । अकबर महान प्रथम मुगल सम्राट था जिसने शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार के परिवर्तन किए कि धार्मिक एवं धर्म निरपेक्ष शिक्षा दोनों ही साथ -साथ दी जा सके।

पूर्वकाल की भाँति मुगल काल में प्राथमिक शिक्षा मस्जिदों से संलग्न मकतबों में या निजी व्यक्तियों के घरों में स्थापित मकतबों में दी जाती थी । तत्पश्चात उच्च शिक्षा, विशेष कर इस्लामी विधि तथा धर्मशास्त्र की शिक्षा सूफी सन्तों के खानकाहों में मिलती थी । इन खानकाहों में परिपक्व अवस्था में मुसलमानों को माध्यमिक व उच्च शिक्षा प्राप्त होती थी। इसके अतिरिक्त सम्पन्न मुसलमानों की सहायता से मस्जिदों से संलग्न मकतब व मदरसे भी स्थापित किए जाते थे। यहाँ मुहल्ले के लड़के और लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त किया करते थे। इन संस्थाओं में माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी। यदा कदा अमीर और शासक भी- खानकाहों की स्थापना कर उनको अनुदान दिया करते थे ताकि यहाँ मुसलमानों को शिक्षा मिल सके । साम्राज्य के विभिन्न भागों में अनेक आनुवांशिक शिक्षित परिवार थे , सदस्य निःशुल्क अपने घरों में शिक्षा दिया करते थे। उनके व्यक्तिगत निवास स्थान पर धीरे धीरे शिक्षा के-न्द्र बन जाया करते थे। इस काल में शिक्षा प्रदान करने का कार्य प्रशासन का न होकर व्यक्तिगत संस्थाओं का था । हालांकि प्रशासन इस कार्य के लिए विद्वानों, शिक्षाविदों, अध्यापकों आदि को वजीफे, पेंशन ,अनुदान देने में कभी पीछे नहीं रहता था।

1.1.3.3 आधुनिक काल में उच्च शिक्षा

भारत में आधुनिक शिक्षा की नींव यूरोपीय ईसाई धर्म प्रचारक तथा व्यापारियों के हाथों से डाली गई। उन्होंने कई विद्यालय स्थापित किए। प्रारम्भ में मद्रास ही उनका कार्यक्षेत्र रहा। धीरे धीरे कार्यक्षेत्र का विस्तार बंगाल में भी होने लगा। इन विद्यालयों में ईसाई धर्म की शिक्षा के साथ साथ इतिहास , भूगोल, व्याकरण, गणित, साहित्य आदि विषय भी पढ़ाए जाते थे। रविवार को विद्यालय बन्द रहता था। अनेक शिक्षक छात्रों की पढ़ाई अनेक श्रेणियों में कराते थे। अध्यापन का समय नियत था। साल भर में छोटी बड़ी

अनेक छुट्टियाँ हुआ करती थीं। प्राय: 150 वर्षों के बीतते बीतते व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी राज्य करने लगी। विस्तार में बाधा पड़ने के डर से कम्पनी शिक्षा के विषय में उदासीन रही। फिर भी विशेष कारण और उद्देश्य से 1780 में कलकत्ते में 'कलकत्ता मदरसा' और 1791 में बनारस में 'संस्कृत कालेज' कम्पनी द्वारा स्थापित किए गए। धर्मप्रचार के विषय में भी कंपनी की पूर्वनीति बदलने लगी। कंपनी अब अपने राज्य के भारतीयों को शिक्षा देने की आवश्यकता को समझने लगी। 1813 के आज्ञापत्र के अनुसार शिक्षा में धन व्यय करने का निश्चय किया गया। किस प्रकार की शिक्षा दी जाए , इसपर प्राच्य और पाश्चात्य शिक्षा के समर्थकों में मतभेद रहा। वाद विवाद चलता चला। अंत में लार्ड मैकाले के तर्क वितर्क और राजा राममोहन राय के समर्थन से प्रभावित हो 1835 ई० में लार्ड बेंटिक ने निश्चय किया कि अंग्रेजी भाषा और साहित्य और यूरोपीय इतिहास , विज्ञान, इत्यादि की पढ़ाई हो और इसी में 1813 के आज्ञापत्र में अनुमोदित धन का व्यय हो। प्राच्य शिक्षा चलती चले, परन्तु अंग्रेजी और पश्चिमी विषयों के अध्ययन और अध्यापन पर जोर दिया जाए।

पाश्चात्य रीति से शिक्षित भारतीयों की आर्थिक स्थिति सुधरते देख जनता इधर झुकने लगी। अंग्रेजी विद्यालयों में अधिक संख्या में विद्यार्थियों प्रविष्ट होने लगे क्योंकि अंग्रेजी पढ़े भारतीयों को सरकारी पदों पर नियुक्त करने की नीति की सरकारी घोषणा हो गई थी। सरकारी प्रोत्साहन के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा को पर्याप्त मात्रा में व्यक्तिगत सहयोग भी मिलता गया। अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ अधिक कर्मचारियों की और चिकित्सकों, इंजिनियरों और कानून जानने वालों की आवश्यकता पड़ने लगी। उपयोगी शिक्षा की ओर सरकार की दृष्टि गई। मेडिकल , इजिनियरिंग और लॉ कालेजों की स्थापना होने लगी। स्त्रियों की दशा सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा फुले ने 1848 में एक स्कूल खोला। यह इस काम के लिए देश में पहला विद्यालय था। लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो उन्होंने कुछ दिन स्वयं यह काम करके अपनी पत्नी सावित्री को इस योग्य बना दिया। उच्च वर्ग के लोगों ने आरम्भ से ही उनके काम में बाधा डालने की चेष्टा की, किन्तु जब फुले आगे बढ़ते ही गए तो उनके पिता पर दबाब डालकर पति-पत्नी को घर से निकालवा दिया इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका अवश्य , पर शीघ्र ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के तीन स्कूल खोल दिए। स्त्री शिक्षा पर ध्यान दिया जाने लगा।

1853 में शिक्षा की प्रगति की जाँच के लिए एक समिति बनी। 1854 में वुड के शिक्षा सन्देश पत्र में समिति के निर्णय कम्पनी के पास भेज दिए गए। संस्कृत, अरबी और फारसी का ज्ञान आवश्यक समझा गया। औद्योगिक विद्यालयों और विश्वविद्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। प्रान्तों में शिक्षा विभाग अध्यापक प्रशिक्षण नारीशिक्षा इत्यादि की सिफारिश की गई। 1857 में स्वतंत्रता युद्ध छिड़ गया जिससे शिक्षा की प्रगति में बाधा पड़ी। प्राथमिक शिक्षा उपेक्षित ही रही। उच्च शिक्षा की उन्नति होती गई। 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित हुए।

मुख्यत: प्राथमिक शिक्षा की दशा की जाँच करते हुए शिक्षा के प्रश्नों पर विचार करने के लिए 1882 में सर विलियम विल्सन हण्टर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई। आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के लिए उचित सुझाव दिए। सरकारी प्रयत्न को माध्यमिक शिक्षा से हटाकर प्राथमिक शिक्षा के संगठन में लगाने की सिफारिश की। सरकारी माध्यमिक स्कूल प्रत्येक जिले में एक से अधिक न हो ; शिक्षा का माध्यम माध्यमिक स्तर में अंग्रेजी रहे। माध्यमिक स्कूलों के सुधार और व्यावसायिक शिक्षा के प्रसार के लिए आयोग ने सिफारिशें कीं। सहायता अनुदान प्रथा और सरकारी शिक्षा विभागों का सुधार , धार्मिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा इत्यादि पर भी आयोग ने प्रकाश डाला।

आयोग की सिफारिशों से भारतीय शिक्षा में उन्नति हुई। विद्यालयों की संख्या बढ़ी। नगरों में नगर पालिका और गाँवों में जिला परिषद् का निर्माण हुआ और शिक्षा आयोग ने प्राथमिक शिक्षा को इनपर छोड़ दिया परन्तु इससे विशेष लाभ न हो पाया। प्राथमिक शिक्षा की दशा सुधर न पाई। सरकारी शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा की सहायता करता रहा। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी ही रही। मातृभाषा की उपेक्षा होती गई। शिक्षा संस्थाओं और शिक्षितों की संख्या बढ़ी , परन्तु शिक्षा का स्तर गिरता गया। देश की उन्नति चाहनेवाले भारतीयों में व्यापक और स्वतंत्र राष्ट्रीय शिक्षा की आवश्यकता का बोध होने लगा। स्वतंत्रताप्रेमी भारतीयों और भारतप्रेमियों ने सुधार का काम उठा लिया। 1870 में बाल गंगाधर तिलक और उनके सहयोगियों द्वारा पूना में फर्ग्यूसन कालेज, 1886 में आर्यसमाज द्वारा लाहौर में दयानन्द ऐंग्लो वैदिक कालेज और 1898 में काशी में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा सेंट्रल हिन्दू कालेज स्थापित किए गए।

1894 में कोल्हापुर रियासत के राजा छत्रपति साहूजी महाराज ने दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए विद्यालय खोले और छात्रावास बनवाए। इससे उनमें शिक्षा का प्रचार हुआ और सामाजिक स्थिति बदलने लगी। 1894 से 1922 तक पिछड़ी जातियों समेत समाज के सभी वर्गों के लिए अलग-अलग सरकारी संस्थाएं खोलने की पहल की। यह अनूठी पहल थी उन जातियों को शिक्षित करने के लिए , जो सदियों से उपेक्षित थीं , इस पहल में दलित-पिछड़ी जातियों के बच्चों की शिक्षा के लिए ख़ास प्रयास किये गए थे। वंचित और गरीब घरों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। 1920 को नासिक में छात्रावास की नींव रखी। साहू महाराज के प्रयासों का परिणाम उनके शासन में ही दिखने लग गया था। साहू जी महाराज ने जब देखा कि अछूत-पिछड़ी जाति के छात्रों की राज्य के स्कूल-कॉलेजों में पर्याप्त संख्या हैं, तब उन्होंने वंचितों के लिए खुलवाये गए पृथक स्कूल और छात्रावासों को बंद करवा दिया और उन्हें सामान्य छात्रों के साथ ही पढ़ने की सुविधा प्रदान की। डॉ० भीमराव अम्बेडकर बड़ौदा नरेश की छात्रवृति पर पढ़ने के लिए विदेश गए लेकिन छात्रवृत्ति बीच में ही रोक दिए जाने के कारण उन्हे वापस भारत आना पड़ा। इसकी जानकारी जब साहू जी महाराज को हुई तो महाराज ने आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्हें सहयोग दिया।

1901 में लार्ड कर्ज़न ने शिमला में एक गुप्त शिक्षा सम्मेलन किया था जिसें 152 प्रस्ताव स्वीकृत हुए थे। इसमें कोई भारतीय नहीं बुलाया गया था और न सम्मेलन के निर्णयों का प्रकाशन ही हुआ। इसको भारतीयों ने अपने विरुद्ध रचा हुआ षड्यंत्र समझा। कर्ज़न को भारतीयों का सहयोग न मिल सका। प्राथमिक शिक्षा की उन्नति के लिए कर्ज़न ने उचित रकम की स्वीकृति दी , शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की तथा शिक्षा अनुदान पद्धति और पाठ्यक्रम में सुधार किया। कर्ज़न का मत था कि प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से ही दी जानी चाहिए। माध्यमिक स्कूलों पर सरकारी शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय दोनों का नियंत्रण आवश्यक मान लिया गया। आर्थिक सहायता बढ़ा दी गई। पाठ्यक्रम में सुधार किया गया। कर्जन माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में सरकार का हटना उचित नहीं समझता था , प्रत्युत सरकारी प्रभाव का बढ़ाना आवश्यक मानता था। इसलिए वह सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ाना चाहता था। लार्ड कर्जन ने विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा की उन्नति के लिए 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया।

पाठ्यक्रम, परीक्षा, शिक्षण, कालेजों की शिक्षा , विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन इत्यादि विषयों पर विचार करते हुए आयोग ने सुझाव उपस्थित किए। इस आयोग में भी कोई भारतीय न था। इसपर भारतीयों में क्षोभ बढ़ा। उन्होंने विरोध किया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय कानून बना। पुरातत्व विभाग की स्थापना से प्राचीन भारत के इतिहास की सामग्रियों का संरक्षण होने लगा। 1905 के स्वदेशी आन्दोलन के समय कलकत्ते में जातीय शिक्षा परिषद् की स्थापना हुई और नैशनल कालेज स्थापित हुआ जिसके प्रथम प्राचार्य अरविंद घोष थे। बंगाल टेकनिकल इन्स्टिट्यूट की स्थापना भी हुई।

1911 में गोपाल कृष्ण गोखले ने प्राथमिक शिक्षा को नि:शुल्क और अनिवार्य करने का प्रयास किया। अंग्रेज़ सरकार और उसके समर्थकों के विरोध के कारण वे सफल न हो सके। 1913 में भारत सरकार ने शिक्षानीति में अनेक परिवर्तनों की कल्पना की। परन्तु प्रथम विश्वयुद्ध के कारण कुछ हो न पाया। प्रथम महायुद्ध के समाप्त होने पर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त हुआ। आयोग ने शिक्षकों का प्रशिक्षण , इण्टमीडिएट कालेजों की स्थापना , हाई स्कूल और इण्टमीडिएट बोर्डों का संगठन , शिक्षा का माध्यम , ढाका में विश्वविद्यालय की स्थापना , कलकत्ते में कालेजों की व्यवस्था , वैतनिक उपकुलपति , परीक्षा, मुस्लिम शिक्षा, स्त्री-शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा आदि विषयों पर सिफारिशें की। बम्बई , बंगाल, बिहार, आसाम आदि प्रान्तो में प्राथमिक शिक्षा कानून बनाये जाने लगे। माध्यमिक क्षेत्र में भी उन्नति होती गई। छात्रों की संख्या बढ़ी। माध्यमिक पाठ्य में वाणिज्य और व्यवसाय रखे दिए गए। स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा चली। अंग्रेजी का महत्व बढ़ता गया। अधिक संख्या में शिक्षकों का प्रशिक्षण होने लगा।

1916 तक भारत में पाँच विश्वविद्यालय थे। अब सात नए विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय तथा मैसूर विश्वविद्यालय 1916 में, पटना विश्वविद्यालय 1917 में, ओसमानिया विश्वविद्यालय 1918 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में और लखनऊ और ढाका विश्वविद्यालय 1921 में स्थापित हुए। असहयोग आन्दोलन से राष्ट्रीय शिक्षा की प्रगति में बल और वेग आए। बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गौड़ीय सर्वविद्यायतन, तिलक विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिल्लिया इस्लामिया आदि राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना हुई। शिक्षा में व्यावहारिकता लाने की चेष्टा की गई। 1921 से नए शासनसुधार कानून के अनुसार सभी प्रान्तो में शिक्षा भारतीय मंत्रियों के अधिकार में आ गई। परन्तु

सरकारी सहयोग के अभाव के कारण उपयोगी योजनाओं का कार्यान्वित करना सम्भव न हुआ। प्राय: सभी प्रान्तोमें प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य करने की कोशिश व्यर्थ हुई। माध्यमिक शिक्षा में विस्तार होता गया परन्तु उचित संगठन के अभाव से उसकी समस्याएँ हल न हो पाईं। शिक्षा समाप्त कर विद्यार्थियों कुछ करने के योग्य न बन पाते। दिल्ली (1922), नागपुर (1923) आगरा (1927), आँध्र (1926) और अन्नामलाई (1926) में विश्वविद्यालय स्थापित हुए। बम्बई , पटना, कलकत्ता, पंजाब, मद्रास और इलाहबाद विश्वविद्यालयों का पुनर्गठन हुआ। कालेजों की संख्या में वृद्धि होती गई। व्यावसायिक शिक्षा , स्त्रीशिक्षा, मुसलमानों की शिक्षा, हरिजनों की शिक्षा, तथा अपराधी जातियों की शिक्षा में उन्नति होती गई।

अगले शासनसुधार के लिए साइमन आयोग की नियुक्ति हुई। हर्टांग समिति इस आयोग का एक आवश्यक अंग थी। इसका काम था भारतीय शिक्षा की समस्याओं की सागोपांग जाँच करना। समिति ने रिपोर्ट में 1918 से 1927 क प्रचलित शिक्षा के गुण और दोष का विवेचन किया और सुधार के लिए निर्देश दिया।

1930-1935 के बीच संयुक्त प्रदेश में बेकारी की समस्या के समाधान के लिए समिति बनी। व्यावहारिक शिक्षा पर जोर दिया गया। इण्टमीडिएट की पढ़ाई के दो वर्षों में से एक वर्ष स्कूल के साथ कर दिया जाए, जिससे पढ़ाई 11 वर्ष की हो। बाकी एक वर्ष बी.ए. के साथ जोड़कर बी.ए. पाठ्यक्रम तीन वर्ष का कर दिया जाए। माध्यमिक छह वर्ष के दो भाग हों - तीन वर्ष का निम्न माध्यमिक और तीन वर्ष का उच्च माध्यमिक। अंतिम तीन वर्षों में साधारण पढ़ाई के साथ साथ कृषि , शिल्प, व्यवसाय सिखाये जाए। समिति की ये सिफारिशें कार्यान्वित नहीं हुई।

1937 में शिक्षा की एक योजना तैयार की गई जो 1938 में बुनियादी शिक्षा के नाम से प्रसिद्ध हुई। सात से 11 वर्ष के बालक बालिकाओं की शिक्षा अनिवार्य हो। शिक्षा मातृभाषा में हो। हिंदुस्तानी पढ़ाई जाए। चरखा, करघा, कृषि, लकड़ी का काम शिक्षा का केन्द्र हो जिसकी बुनियाद पर साहित्य , भूगोल, इतिहास, गणित की पढ़ाई हो। 1945 में इसमें परिवर्तन किए गए और परिवर्तित योजना का नाम रखा गया 'नई तालीम'। इसके चार भाग थे - (1) पूर्व बुनियादी , (2) बुनियादी, (3) उच्च बुनियादी और (4) वयस्क शिक्षा। हिंदुस्तानी तालीमी संघ (भारतीय शैक्षिक संघ) पर इसका संचालनभार छोड़ दिया गया।

1945 में द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होते होते सार्जेंट योजना का निर्माण हुआ। छह से 14 वर्ष की अवस्था के बालकों तथा बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा हो। जूनियर बेसिक स्कूल , सीनियर बेसिक स्कूल, साहित्यिक हाई स्कूल ओर व्यावसायिक हाईस्कूल की पढ़ाई 11 वर्ष की अवस्था से 17 वर्ष की अवस्था तक हो। इसके बाद विश्वविद्यालय में प्रवेश हो। डिग्री पाठ्यक्रम तीन वर्ष का हो। इण्टरमिडिएट कक्षा समाप्त कर दी जाए। पाँच से कम अवस्था वालों के लिए नर्सरी स्कूल हो। माध्यम मातृभाषा हो।

1.1.4 उच्च शिक्षा और राजनीति

मानव की उत्पत्ति के समय से ही यह प्रमाण मिले हैं कि जितने भी उन्नति मानव जाति ने की है वह उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण ही संभव हो सकी है। उच्च शिक्षा और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू है जिसके बगैर दोनों की कल्पना ही नहीं की जा सकती है ना तो शिक्षा के बिना राजनीति संभव है और न राजनीति के बगैर शिक्षा। वर्तमान में शिक्षा संभवत इसलिए कि इन दोनों की प्राचीन काल से लेकर वर्तमान में भी दोनों की नितांत आवश्यकता प्रतीत होती है।मानव संसार के समस्त प्राणियों में उत्कृष्ट माना गया है जो भाषा चिंतन सृजनात्मकता सहयोग एवं व्यवसायिक लालसा जैसी मूल प्रवृत्तियों से अलंकृत मानव निसंदेह रूप से सर्वश्रेष्ठ प्राणी है , इन्हीं सब मूल प्रवृत्तियों एवं अंतर्निहित क्षमताओं के विकास की प्रक्रिया को हम 'शिक्षा' के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर "शिक्षा का तात्पर्य सीखने सिखाने एवं बालक या मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों गुणों एवं क्षमताओं को बाहर निकालने तथा वह शक्तियों के विकास की सकारात्मक प्रक्रिया से है।" समाज में परिवर्तन लाने का प्रमुख साधन शिक्षा है क्योंकि शिक्षा ही समाज को प्रत्येक परिवर्तन में समायोजित होने योग्य बनाती है तथा इसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार चरित्र आचरण मनोवृति भावना आदि में जो परिवर्तन होते हैं उनके कारण व्यक्ति सुसंस्कृत एवं सभ्य जीवन व्यतीत करने की क्षमता के विकास के साथ साथ स्वयं जागरूक होकर समाज को जागरूक करने का प्रयास करता है। शिक्षा ही वह सशक्त माध्यम है जिससे मनुष्य अपने को परिवर्तनशील वातावरण में समायोजित करने में सक्षम होता है। शिक्षा में शिक्षक वह केंद्र बिंदु होता है जो अपने प्रयासों के द्वारा किसी भी शिक्षा व्यवस्था एवं उसके उद्देश्यों को परिपूर्ण कर समाज का नवसर्जन करता है।

मनुष्य की शिक्षा के राजनीतिक विकास में प्राथमिक , माध्यमिक तथा उच्च स्तर पर अलग अलग प्रकार की शिक्षा निर्धारित की गई है जिससे मनुष्य या बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। बालक के राजनीतिक विकास में उच्च शिक्षा अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है तथा उच्च शिक्षा के द्वारा बालक की शैक्षिक व्यवसायिक एवं राजनीतिक परिपक्वता की प्राप्ति होती है जो उसके आगे आने वाले भविष्य की दिशा निर्धारित करती है। पॉलिटिक्स शब्द पोलिस से लिया गया है जिसे प्राचीन यूनान में "नगर राज्य"कहा जाता था। 'राजनीति'शब्द मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मूल अर्थ है " राजा की नीति "अथवा "राज्य की नीति का निर्धारण करना "ही राजनीति कहलाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजनीति राज ही नहीं बल्कि प्रशासन के एवं शिक्षा के प्रत्येक क्षेत्र में उच्च स्तर पर काम करती है।महाविद्यालयीस्तर पर राजनीति शैक्षिक आर्थिक प्रशासनिक एवं सामाजिक सभी क्षेत्रों में अपना अमूल्य योगदान प्रदान करती है जिससे शिक्षा एवं राजनीति में तालमेल बना रहे एवं शिक्षक एवं शिक्षार्थियों के मध्य कूटनीतिक एवं शैक्षिक स्तर पर राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें।

1.1.5 वर्तमान परिदृश्य एवं राजनीति

वर्तमान शिक्षा को अगर प्रणाली उपागम की दृष्टि से देखें और इस प्रणाली सूत्र का विश्लेषण करें तो पता चलता है कि जितना अदा हम ने लगाया उसके अनुपात में प्रदा हमको नहीं मिल रहा है इस अदा में समस्त भौतिक संसाधन, शिक्षक- शिक्षार्थी सहित अन्य भारतीय संसाधन सम्मिलित हैं। भारतीय मानदंडों के अनुरूप उपलब्धि के रूप में महाविद्यालयीस्तर पर विद्यार्थियों में जो अपेक्षित राजनीतिक व्यक्तित्व परिष्कार दिखना चाहिए वह नहीं दिखाई दे रहा है ऐसी परिस्थिति में संपूर्ण शिक्षा प्रणाली के सम्मुख एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि आखिर इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार कौन है इस दिशा में आज राजनीतिक शिक्षा के संबंध में प्रत्येक पहलू पर विचार करने की आवश्यकता है। इसलिए वर्तमान में महाविद्यालयीस्तर पर शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य राजनीतिक जागरूकता को विकसित करने वाले प्रेरकों तथा शिक्षक के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों पर पुनः नए ढंग से विचार करना होगा। **रॉबर्ट** के शब्दों में- "मानव समुदायों के ऊपर शासन करने की कला को ही राजनीति कहते हैं। " **मैक्स वेबर** ने वर्तमान राजनीति के प्रदेश के संदर्भ में चार बातों पर प्रकाश डाला है जो निम्न वत है-

- वर्तमान में राजनीति का शक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध है।
- वर्तमान राजनीति में विभिन्न समूह अपने लिए अधिक से अधिक लाभ व सुविधाएं अर्जित करने का प्रयत्न करते हैं।
- जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता का संघर्ष चलता है वैसे ही वर्तमान में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उखाड़ पछाड़ राजनीतिक परिदृश्य में देखने को मिलती है।
- राज्य के भीतर केवल राज्य और अन्य समुदायों का ही संघर्ष देखने को नहीं मिलता है बल्कि स्वयं शिक्षक एव शिक्षार्थियों के मध्य भी राजनीतिक खींचतान वर्तमान में सदैव चलती रहती है।

अतः यह कहा जा सकता है कि 'शक्ति'राजनीति का अनिवार्य तत्व है अर्थात वर्तमान परिदृश्य में शक्ति प्राप्ति के लिए किया गया संघर्ष ही वर्तमान राजनीति का मूल है।

1.1.6 राजनीतिक जागरूकता का अर्थ एवं परिभाषा

कहा गया है कि जब किसी जनसमूह की रुचि राजनीति में होने लगती है तो इसे राजनीति के संदर्भ मे"राजनीतिक जागरूकता" कहा जाता है इसलिए जन सहभागिता या राजनीतिक जागरूकता को एक-दूसरे का पर्याय माना जा सकता है।विश्व में आज कोई ऐसा समाज नहीं है जहां राजनीति ना होचाहे समाज की व्यवस्था या राजनीति का संचालन अच्छा रहे इसके लिए राजनीतिक जागरूकता की अत्यंत आवश्यकता एक महत्वपूर्ण तथ्य है।प्रजातंत्र में राजनीतिक जागरूकता एक महत्वपूर्ण संकल्पना है इसलिए समाज का प्रत्येक नागरिक राजनीति को समझने में रुचि ले रहा है। "जागरूकता"का अर्थ है कि किसी कार को समझना उस में भाग लेना यह भागीदार होना ही जागरूकता के तहत आता है।राजनीतिक जागरूकता द्वारा ही समाज के सदस्य राजनीतिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कम या अधिक मात्रा में भाग लेता है ऐसी ही क्रिया या गतिविधि को राजनीतिक जागरूकता कहा जा सकता है।कुछ विद्वानों ने राजनीतिक जागरूकता की जो परिभाषाएं दी हैं वे निम्न वत हैं-

नॉर्मन इच सिडनी वर्बा-

"राजनीतिक जागरूकता आम लोगों की वह विधि सम्मत गतिविधियां हैं जिसका उद्देश्य राजनीतिक पदाधिकारियों के चयन और उनके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करना है।"

डी मैथ्यूज एवं जेम्स डब्लू

"जनता द्वारा प्रत्यक्ष राजनीतिक विचारों को व्यक्त करने से संबंधित प्रत्येक व्यवहार राजनीतिक जागरूकता है।

मैक गलास्की

"राजनीतिक जागरूकता को उन स्वैच्छिक क्रियाओं द्वारा समाज के शासकों के चयन एवं प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष जन- नीतियों के निर्माण में भाग लेते हैं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।"

1.1.7 राजनीतिक जागरूकता की आवश्यकता एवं महत्व-

उपरोक्त पर भाषाओं के आधार पर राजनीतिक जागरूकता की आवश्यकता एवं महत्व का निर्धारण किया गया है जो निम्न प्रकार है:

1.राजनीतिक क्रिया एवं गतिविधि राजनीतिक जागरूकता है।

2. राजनीतिक जागरूकता शासन तंत्र की निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है।

3. राजनीतिक जागरूकता में दलों एवं समूहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

4. राजनीतिक जागरूकता एक संचायीमान क्रिया है।

5.राजनीतिक जागरूकता राजनीतिकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान करती है।

1.1.8 राजनीतिक जागरूकता की प्रकृति एवं विशेषतायेँ

समाज के सभी व्यक्ति राजनीति में एक समान भाग नहीं लेते हैं कुछ अधिक रूचि लेते हैं और कुछ कम रुचि लेते हैं तथा कुछ कभी-कभी ही भाग लेते हैं कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक जागरूकता की मात्रा में अंतर रहता है ऐसा क्यों होता है इसके उत्तर में यह कहा जा सत्ता है कि विभिन्न परिस्थितियां विभिन्न प्रकार से व्यक्ति को राजनीतिक रूप से जागरूक करने की प्रकृति लिए जिम्मेदार होती हैं जो निम्न प्रकार है-

1. राजनीतिक उद्दीपक

2. व्यक्तिगत कारक

3. राजनीतिक परिवेश

4. आर्थिक कारक

5. सामाजिक कारक-कुछ प्रमुख सामाजिक कार्य किस प्रकार हैं:

जैसे -

1. परिवार

2. शिक्षा

3. धर्म या जाति

4. आयु एवं लिंग

5. मानसिक दशाएं

राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत मुख्य रूप से दो प्रकार के व्यक्ति पाए जाते हैं-

A. राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय

B. राजनीतिक व्यवस्था में निष्क्रिय व्यक्ति

(1.)राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय व्यक्ति:

आज अधिकांश व्यक्तियों में निम्न प्रकार की राजनीतिक तो जागरूकता देखी जा सकती है;

1. वोट देना।

2. दूसरे व्यक्ति से इस उम्मीदवार या अन्य उम्मीदवार को वोट देने के लिए कहना।

3. राजनीतिक चर्चा करना।

4. पार्टी बैठक एवं रैली तथा प्रदर्शनों में भाग लेना।

5. प्रत्याशी या किसी पार्टी को धनिया चंदा देना।

6. किसी नेता के आगमन और प्रस्थान में बने रहना।

7. राजनीतिक प्रचार में भाग लेना।

8.आम जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए अपने पूर्ण राजनीतिक कौशल का प्रयोग करना।

(2.) राजनीतिक व्यवस्था में निष्क्रिय व्यक्ति:-

राजनीतिक व्यवस्था में निष्क्रिय व्यक्ति व्यक्ति कहलाता है जो या तो राजनीति की आधारभूत जानकारी ना रखता हो या वह व्यक्ति राजनीति की आधारभूत जानकारी रखते हुए भी राजनीतिक

गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ना लेता हो ऐसे व्यक्ति चुनाव के दिनों में मात्र वोट डालते हैं किसी के पक्ष विपक्ष में प्रचार आदि भी नहीं करते है।

सैद्धांतिक रूप से उपरोक्त तथ्य छात्र एवं छात्राओं दोनों पर एक समान रूप से लागू होते हैं यहां हम केवल महाविद्यालयी विद्यार्थियों से संबंधित तथ्यों को एकत्रित करके अपने शोध विषय को प्रगति प्रदान करेंगे।

1.1.9 महाविद्यालयी विद्यार्थियों का राजनीतिक जागरूकता के संदर्भ में अध्ययन:

माना जा रहा है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ने के साथ-साथ उनकी सक्रियता और राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि दिन प्रतिदिन हो रही है। भारत में आजादी के बाद हुए चुनाव में युवाओं ने शुरू से ही हिस्सा लेना प्रारंभ कर दिया था आज अब तक भारत में लोकसभा के 17 आम चुनाव हो चुके हैं परंतु इसके बावजूद भी भारतीय संसद में युवा स्थिति का नेतृत्व आज भी सोचनीय है। स्वतंत्रता के पश्चात 1952 और 1957 में 164, 164 युवा सांसद निर्वाचित हुए जो अब तक के सर्वाधिक युवा नेतृत्व में से एक है। 1957 के बाद राजनीति में युवाओं की संसदीय एवं नेतृत्व क्षमता और योगदान धीरे-धीरे घटता गया अंततः सोलवीं लोक सभा 2014 आते-आते यह संख्या संसद में मात्र 71 रह गई। आज भारत के विभिन्न महाविद्यालयों के युवाओं के बारे में राय का अंतर न केवल विभिन्न आयु समूहों तक सीमित है बल्कि अन्य जनसांख्यिकीय कारक जैसे स्थान, लिंग ,शैक्षिक उपलब्धि का स्तर ,जाति ,क्षेत्र ,धर्म और युवा जिस परिवार का सदस्य है वह किस आर्थिक वर्ग; से है यह सभी युवाओं के रूप में संदर्भित श्रेणी को परिभाषित करने में चुनौतियां पैदा करते हैं।

1.2. समस्या का प्रादुर्भाव:

1991 की जनगणना के अनुसार भारत वह उत्तर प्रदेश के कुल सकल जनसंख्या क्रमशः 85.63 तथा 13.91 साक्षरता दर ओं के संबंध में अध्ययन करने से विदित होता है कि भारत व उत्तर प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत भारत में 52.21% जिसमें 64.13 पुरुष तथा 39.29% महिलाएं थी जबकि विभिन्न अवलोकन करने परविदित होता है कि देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय साक्षरता की दर मात्र 18.3% थी लेकिन वर्ष 2001 में साक्षरता का बढ़कर 65.38 हो गई और 2011 आते-आते भारत की कुल साक्षरता दर 64.83 से बढ़कर 69.3% हो गई जबकि उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 2011 में 67.68% उत्तर प्रदेश के बाँदा जनपद की कुल

जनसंख्या वर्ष 2011 के अनुसार 155428 आंकी गई है और साक्षरता दर 82.05% है लेकिन पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की साक्षरता दर में अभी भीकाफी अंतर विद्यमान है हमारे देश में साक्षरता की अपेक्षा निरक्षरता में काफी सुधार हो रहा है लेकिन निरक्षरता का ग्राफ 18 से 25 वर्ष के बीच युवाओं में शहरों की अपेक्षा गांवों में अधिक है।

शिक्षा एवं राष्ट्र के राष्ट्र के विकास के मध्य धनात्मक संबंध है परंतु आज महाविद्यालयीविद्यार्थियों में अशिक्षा का प्रतिशत काफी अत्यधिक देखने को मिला है वास्तव में आज 18-25 आयु वर्ग के छात्र एवं छात्राएं राजनीतिक जागरूकता में काफी पिछड़े हुए हैं। एक अध्ययन के अनुसार स्नातक स्तर पर राजनीतिक जागरूकता मात्र 30% ही मिली है अनेक राजनैतिक आंकड़े बताते हैं की युवाओं का मतदान के प्रति झुकाव शहरों की अपेक्षा गांव में कम है एवं लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का झुकाव राजनीति में अधिक देखने को मिलता है जब हम आज 21वीं शताब्दी में पदार्पण करने जा रहे हैं किंतु आश्चर्य की बात है कि राजनीति में महिलाओं का योगदान मात्र 18% ही है जो एक तथा कथक शब्द कहे जाने वाले समाज के लिए शर्मनाक भी है 1986 की शिक्षा नीति में महिलाओं को राजनीति में बराबरी का दर्जा देने की बात कही गई थी लेकिन 15 व 16 वीं लोकसभा के आम चुनाव में भी महिलाओं का संसद में प्रतिनिधित्व 22% ही हो सका है जिसमें अभी बहुत सुधार की आवश्यकता है उपर्युक्त विवरण के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि प्रगति की गति विशेषता संविधान की अपेक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए राजनैतिक जागरूकता के क्षेत्र में बहुत धीमी है इसका प्रमुख कारण यह है कि युवाओं में राजनीतिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता का अभाव होना है जो विशेषकर उच्च वर्ग की अपेक्षा निम्न वर्ग में ज्यादा है दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राजनीतिक जागरूकता संबंधित शिक्षा देने में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पा रही है जिससे महाविद्यालयीस्तर पर अपव्यय और अवरोधन की समस्या बढ़ी है उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ऐसे शोध अध्ययन किए जाने की आवश्यकता अनुभूत की गई है जिससे महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक शिक्षा के द्वारा उनमें संविधान की जागरूकता एवं मतदान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सके इसलिए शोधार्थी को महाविद्यालयीस्तर के विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता के संबंध में अध्ययन करने की आवश्यकता अनुभूत की गई है प्रस्तुत

समस्या द्वारा शोधार्थी ने यह जानने का प्रयास किया है कि उत्तर प्रदेश के बाँदा जनपद के विभिन्न महाविद्यालयों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर जानने के लिए स्नातक एवं परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों को चिन्हित किया गया है ताकि उनकी राजनैतिक जागरूकता की स्थिति का पता तथा छात्र एवं छात्राओं के बीच राजनीतिक जागरूकता के संबंध में अपने क्या विचार रखते हैं। एवं उनके शैक्षिक एवं व्यवसाय स्तर के आधार पर राजनीतिक जागरूकता मैं कितनी भिन्नता है। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु ही शोध के निमित्त प्रस्तुत समस्या का चयन किया गया है.

1.3 समस्या कथन:

कोई भी शोध कार्य किसी जिज्ञासा समस्या अथवा प्रेरणा के प्रति वशीभूत होकर किया जाता है शोधार्थी भी राजनीतिक जागरूकता पर शोध कार्य करने के लिए प्रेरित हुआ जिसके अनेक कारण थे। विशेष रूप से महाविद्यालयी विद्यार्थियों की राजनीतिक जागरूकता के संबंध में व्याप्त अशिक्षा ही है। इन महाविद्यालयी छात्र एवं छात्राओं की संविधान के प्रति रुचि का ना होना तथा अपने राजनीतिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग ना होना आदि ही प्रमुख कारण है इन युवा विद्यार्थियों राजनैतिक अज्ञानता को दूर कर इनकी स्थिति को राजनीतिक रूप से जागरूक कर सुधारा जा सकता है पाश्चात्य देशों में जैसे अमेरिका ब्रिटेन कनाडा आदि देशों के भी उच्च शिक्षण संस्थानों में भी राजनीतिक जागरूकता का अभाव भी देखने को मिलता है लेकिन वह हमारे लेकिन हमारे भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों में अन्य देशों की तुलना में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का अभाव ज्यादा देखने को मिलता है। महाविद्यालयी युवाओं में न केवल राजनीतिक जागरूकता कि राय के बारे में अंतर देखने को मिलता है बल्कि विभिन्न आयु समूहों में भी सीमित जागरूकता देखने को मिलते हैं चाहे वह लिंग का स्तर हो या शैक्षिक स्तर हो जा जाति क्षेत्र धर्म आदि का स्तर हो इन सभी में भिन्न-भिन्न राजनीतिक जागरूकता का स्तर आज वर्तमान में युवा मतदाता के बीच मतदान औषध राष्ट्रीय मतदान की तुलना में लगभग 4% कम है ऐसा लगता है कि युवा मतदाता अन्य आयु वर्ग के मतदाता की तुलना में अलग नहीं है इसलिए बड़ा प्रश्न यह है कि क्या मीडिया द्वारा युवाओं के मतों की विशिष्टता का जरूरत से ज्यादा प्रचार किया गया है या नहीं एक अध्ययन के आधार पर युवा भारतीय मतदाता के स्वरूप और लक्षण तथा राजनीति के साथ इसके जुड़ाव का पता लगाने की

कोशिश करती है अब यह प्रश्न उठता है कि नहीं क्या इन महाविद्य लयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता के स्तर की स्थिति संतोषजनक है। यदि नहीं तो उनकी राजनीतिक जागरूकता में मुख्य अवरोध क्या है। अतः इन राजनीतिक जागरूकता से संबंधित अवरोधों को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। उपर्युक्त सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए शोधार्थी ने महाविद्यालयी विद्यार्थियों के राजनीतिक जागरूकता के विभिन्न स्तरों जैसे- शहरी, ग्रामीण ,व्यवसायिक आदि का अध्ययन करने का प्रयास किया है।

1.4 अध्ययन का औचित्य:

भारत मे महाविद्यालयी युवाओं का भारतीय मतदाता एक बड़ा वर्ग बनाते हैं लेकिन राजनीतिक जागरूकता के संबंध में युवा मतदाता हाल ही के समय राजनीतिक हित और अनुसंधान का मुद्दा मुख्य रूप से रहे हैं 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद ही भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यनरत विद्यार्थियों के मत में दिलचस्पी बढ़ी है क्योंकि यह देश कि 70% जनसंख्या में है। वर्तमान में न केवल राजनीतिक दलों ने बल्कि विभिन्न अभियानों और विशेष रूप से अभी कल्पित कार्यक्रमों के माध्यम से युवा मतों पर नजर रखी है। चुनाव आयोग भी युवाओं को उच्च चुनावी भागीदारी के लिए संगठित करने का प्रयास कर रहा है 15वीं लोकसभा में बहुत बड़ी संख्या में युवा सांसद एवं विधायक चुने गए थे ,एक साझा धारणा थी कि अतीत की तुलना में आज का युवा ज्यादा जागरूक है जिसे लोक सभाओं एवं विधानसभाओं में अधिक से अधिक उम्मीदवार बनाया जाए अतः आज जब तक भारत की कुल जनसंख्या का आधे से अधिक भाग शिक्षा प्राप्त कर राजनीति में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करेगा तब तक हमारा देश राजनीतिक रूप से पूर्ण रूपेण जागरुक नहीं हो सकेगा। वास्तव में आज शैक्षिक , लैंगिक, शहरी ,ग्रामीण एवं आर्थिक स्तर आदि का ध्यान रखते हुए प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ उच्च राजनैतिक शिक्षा प्रदान कर भारत में युवाओं को स्नातक एवं परास्नातक स्तर राजनीति में अपनी सहभागिता अधिक से अधिक दिखानी होगी ताकि आने वाले भावी युवा वर्तमान राजनीति को नई दिशा प्रदान कर सकें। महाविद्यालयीस्तर पर शोधार्थी ने प्रस्तुत अध्ययन के माध्यम से यह जानने की आवश्यकता अनुभव की है कि राजनीतिक जागरूकता लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में कम पाई गई है तथा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी राजनीतिक जागरूकता में भिन्नता

पाई गई है जिसके समाधान के लिए महाविद्यालयी स्तर के विद्यार्थियों के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर देने हेतु प्रस्तुत शोध समस्या का चयन किया गया है।

1.5 अध्ययन की आवश्यकता:

शिक्षा का उद्देश्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है तथा समाज में व्याप्त बुराइयों को शिक्षा के माध्यम से दूर करना है शिक्षा को ना केवल मनुष्य के बौद्धिक ताले को खोलने के सुनहरी चाबी के रूप में देखा जाता है बल्कि यह भी माना जाता है कि उससे बेहतर भविष्य के लिए महाविद्यालयीयुवाओं में राजनीतिक जागरूकता के विभिन्न द्वारों को भी खोला जा सकता है आज आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक शिक्षा को वर्तमान स्थिति से बाहर निकल कर आना होगा तथा महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों को स्वतंत्रता समानता और न्याय एवं अपने अधिकार एवं कर्तव्यों के बारे में राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना है एवं एक ऐसी व्यवस्था होनी आवश्यक है जिससे महाविद्यालयीयुवा ग्रामीण , शहरी तथा आर्थिक स्थिति के आधार पर जो राजनीतिक जागरूकता में पिछड़ापन है उसकी स्थिति को वर्तमान में सुधारने की अत्यंत आवश्यकता है जिससे हमारे महाविद्यालयीही नहीं बल्कि विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता एवं रुचि उत्पन्न हो सके ताकि वह भविष्य में राजनीति को अपने कैरियर के रूप में चुन सकें। राजनीति शब्द अंग्रेजी भाषा के politics का हिंदी रूपांतरण है politics शब्द ग्रीक भाषा के polisसे मिलकर बना है जिसका अर्थ प्राचीन यूनान में **"नगर राज्य "**से लिया जाता था। राजनीति के क्रमबद्ध अध्ययन की शुरुआत लगभग 300 ईसा पूर्व में सुकरात , प्लेटो और अरस्तु के द्वारा यूनान में शुरू की गई बाद में चलकर **पॉलीबियस** तथा **सिसरो** जैसे रोमन दार्शनिकों ने इसके अध्ययन पर बल दिया राज्य चर्च संबंध पर कुछ ईसाई दार्शनिकों खासकर **सन्तअगस्टाइन** का वर्णन महत्वपूर्ण है आधुनिक राजनीति सिद्धांत की शुरुआत मैकियावेली और गोंदा से मानी जाती है परंतु आगे चलकर फॉक्स लॉक रूसो बेंथम मिल हीगल मार्थ ग्रीन लास्की लेनिन माओ के द्वारा अपना अपना राजनीति के संबंध में विचार रखा जाता है इन विद्वानों के विचारों मैं राजनीति एक विषय के रूप में सामने आया है आगे चलकर इन्होंने दुनिया के देशों को एक दूसरे से जोड़कर अंतरराष्ट्रीय राजनीति के आगमन की शुरुआत की है स्पष्ट

रूप से राजनीति एक विषय के रूप में निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर रहा है और यही कारण है कि राजनीतिक के क्रमबद्ध अध्ययन को राजनीतिक जागरूकता का नाम दे दिया जाता है राजनीति के जनक अरस्तु के द्वारा राजनीति के आधारों को निश्चित किया गया है उच्च शिक्षा स्तर पर महाविद्यालयीमें राजनीतिक जागरूकता एवं उसके महत्व की आवश्यकता वर्तमान में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है अतः आज जरूरत इस बात की है कि महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक चेतना का संचार करना आज नितांत आवश्यक हो गया है महाविद्यालयों की विभिन्न कक्षाओं में जैसे b.Ed m.Ed आदि के छात्रों को राजनीतिक जागरूकता के संबंधी कौशलों को विकसित करने हेतु प्रस्तुत समस्या के अध्ययन की आवश्यकता महसूस की गई है जिससे महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को राजनीतिक रूप से प्रगतिशील स्वरूप प्रदान किया जा सके और राष्ट्र को राजनीति के क्षेत्र में नए नए आयाम प्रस्तुत किए जा सके

1.6 प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या

1.6.1 महाविद्यालयी:

महाविद्यालयी वह प्रत्यय है जहां पर बड़ा विद्यालय भवन जिसमें साधारण विद्यालय के अतिरिक्त उससे ऊंची कक्षाओं के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जाती है वर्तमान में कॉलेज लैटिन भाषा के कालीज़ीयम शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ है डिग्री प्रदान करने वाले शैक्षणिक संस्थान अंग्रेजी भाषी देशों में निजी शैक्षणिक प्रणाली में द्वितीय किया माध्यमिक स्कूल के लिए भी किया जाता है अधिक विस्तृत रूप में यह किसी भी कॉलेज समूह का नाम हो सकता है उदाहरण के लिए एक निर्वाचन कॉलेज हथियारों का कॉलेज कार्डिनल ओं का कॉलेज उदाहरण के लिए अमेरिका एवं आयरलैंड में कॉलेज एवं विश्वविद्यालय शब्द को सामान्यता एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है जबकि भारत में कॉलेज विश्वविद्यालय का एक छोटा शैक्षणिक संस्थान होता है जबकि यूनाइटेड किंग्डम कनाडा ऑस्ट्रेलिया एवं अन्य कॉमनवेल्थ देशों में कॉलेज शब्द का प्रयोग सामान्यता स्कूल एवं विश्वविद्यालय स्तर के मध्य के संस्थान के लिए किया जाता है

1.6.2 विद्यार्थियों:

विद्यार्थियों वह व्यक्ति होता है जो कोई चीज सीख रहा होता है। विद्यार्थियों दो शब्दों से मिलकर बना होता है- विद्या+अर्थी जिसका अर्थ होता है विद्या चाहने वाला। विद्यार्थियों किसी भी आयु वर्ग का हो सकता है बालक, किशोर, युवा या वयस्क लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि वह कुछ सीख रहा होना चाहिए संस्कृत सुभाषित ओं में विद्या विद्यार्थियों के बारे में बहुत अच्छी बातें कहीं गई है विद्यार्थियों के पांच लक्षण होना चाहिए कौवे की तरह चेष्टा बगुले की तरह ध्यान कुत्ते की तरह नींद अल्पाहारी ग्रह त्यागी और सुख को त्यागने वाला विद्या को चाहने वाला आदि प्रमुख गुण एक विद्यार्थियों में अवश्य रूप से विद्यमान होना चाहिए

1.6.3 राजनीति:

राजनीति 2 शब्दों का एक समूह है राज+नीति राज=शासन

नीति=उचित समय और उचित स्थान पर उचित कार्य करने की कला अर्थात नीति विशेष के द्वारा शासन करना दूसरे शब्दों में कहें तो जनता के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा करना ही राजनीति है राजनीति अंग्रेजी भाषा के "पॉलिटिक्स"से लिया गया है जो ग्रीक भाषा के polis शब्द से मिलकर बना है जिसे प्राचीन यूनान में नगर राज्य कहा जाता था अरस्तु ने अपनी पुस्तक का शीर्षक पॉलिटिक्स रखा तो उसमें उस शब्द का प्रयोग अध्ययन की एक अलग शाखा के रूप में किया है

1.6.4 जागरूकता:

जागरूकता से तात्पर्य जागरूक होने की अवस्था या भाव सतर्कता अथवा सावधानी से है दूसरे शब्दों में कहें तो जागरूकता किसी विषय में सचेत या चौकन्ना होने की स्थिति या भाव से लिया जाता है जागरूकता अंग्रेजी भाषा के Awareness का हिंदी रूपांतरण है जिसका वास्तविक अर्थ खुद को और खुद की क्षमताओं को पहचानना तथा अपनी क्षमताओं के आधार पर अपना अस्तित्व बनाना है

1.6.5 अध्ययन:

अध्ययन शब्द अंग्रेजी भाषा के studyका हिंदी रूपांतरण है जिसका तात्पर्य किसी विषय के सभी अंगों या गूढ़ तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे देखने समझने या पढ़ने की एक क्रिया है पुस्तक या लेख आदि में लिखी हुई बातें भी अध्ययन के अंतर्गत आती हैं किसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए किसी विषय की सब बातों

पर विचार करना ही अध्ययन की श्रेणी में आता है दूसरे शब्दों में कहें तो पठन-पाठन या किसी विषय की गहनता से पढ़ाई करना ही अध्ययन है

1.6.6 बाँदा जनपद:

बाँदा जनपद भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख जनपद एवं लोकसभा क्षेत्र है। बाँदा जनपद केन नदी (यमुना की सहायक नदी) के पास स्थित है तथा यह मंडल का मंडल मुख्यालय भी है इस जनपद की जनसंख्या लगभग 2011 के अनुसार 154428 तथा जनसंख्या घनत्व 350 प्रति वर्ग किलोमीटर है तथा समुद्र तल से ऊंचाई 123 मीटर है इस जनपद में हिंदी , उर्दू तथा बुंदेलखंडी भाषाएं प्रमुख रूप से बोली जाती हैं बुंदेलखंडी यहां की प्रमुख मात्र भाषा है तथा लोक नृत्य "राई" एवं जनपद की साक्षरता दर 82.5% है तथा लिंग अनुपात 881 है। इस जनपद का पिन- 210001 तथा टेलिफोन कोड -91-5192 एवं वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर-UP-90 है।यह जनपद उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है इस जनपदका नाम महर्षि बामदेव के नाम पर बाँदा पड़ा जो महर्षि बामदेव की तपोभूमि है यह जनपद सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग से अन्य बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है जिनमें कानपुर प्रयाग राज तथा झांसी प्रमुख हैं।बाँदा जनपद मुख्यालय से चित्रकूट लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है तथा कालिंजर भी 59 किलोमीटर की दूरी पर है जो दोनों स्थल ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है बाँदा जनपद केन नदी के तल से प्राप्त " गोमेद रत्न "के लिए प्रसिद्ध है एवं केन नदी में " सजर पत्थर" भी पाया जाता है जिसमें प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक दृश्य बने रहते हैं यह कुदरत का बेहतरीन करिश्मा है।विश्वविख्यात मदरसा "जामिया अरबिया हथौरा" यहां के हथौरा गांव में है जो बाँदा जनपद से 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है तथा बाँदा जनपद के प्रमुख मंदिर मां महेश्वरी देवी का सात खंड का मंदिर , संकट मोचन मंदिर ,, मां कालीदेवी मंदिर तथा बामेश्वर मंदिर आदि प्रमुख है तथा भूरा गढ़ दुर्ग ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है जहां क्रांतिकारियों की शहादत की याद में हर वर्ष यहां मेला लगता है।बाँदा जनपद में एक राज्य स्तरीय कृषि विश्वविद्यालय एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज भी है तथा अन्य प्रमुख शैक्षणिक संस्थान भी है ; kalicharan institute of technology , पंडित जे.एन. स्नातकोत्तर महाविद्यालयी,राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज ,बाँदा पैरामेडिकल कॉलेज ,राजा देवी महाविद्यालयीतथा बाँदा जनपद से 33 किलोमीटर की दूरी पर अतर्रा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अतर्रा आदि प्रमुख शैक्षणिक संस्थान है जो

प्रदेश स्तर पर अपनी एक विशेष पहचान बनाए हुए हैं इस जनपद में 5 तहसील हैं-बाँदा, अतर्रा, नरैनी ,पैलानी तथा बबेरू आदि प्रमुख हैं। इस जनपद के वर्तमान सांसद श्री भैरव प्रसाद मिश्र है जो भारतीय जनता पार्टी से है तथा बाँदा शहर के वर्तमान चेयरमैन श्री मोहन साहू हैं

1.7 अध्ययन के उद्देश्य:

प्रस्तावित लघु शोध के निमित्त जिन उद्देश्यों को प्राप्त किया गया उन्हें दो प्रमुख वर्गों में वर्गीकृत किया गया है जो निम्न प्रकार से है

(अ) मुख्य उद्देश्य:

1. महाविद्यालयी स्तर के विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का शैक्षिक स्तर के आधार पर अध्ययन

2.महाविद्यालयी स्तर के विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता के संबंध में लैंगिक स्तर पर अध्ययन

(ब) गौड़ उद्देश्य:

- महाविद्यालयी स्तर के विद्यार्थियों में स्नातक , परास्नातक एवं व्यवसायिक स्तर पर राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन
- महाविद्यालयीस्तर के विद्यार्थियों में आयु के स्तर पर राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन
- महाविद्यालयीस्तर के विद्यार्थियों में विभिन्न धर्मों के स्तर पर राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन

1.8 परिकल्पनाएं:

- बाँदा जनपद के महाविद्यालयीस्तर के विद्यार्थियों की राजनीतिक जागरूकता में लैंगिक आधार पर कोई सार्थक अंतर नहीं है।
- बाँदा जनपद के D.El.Ed, B.Ed एवं M.Ed के विद्यार्थियों के मध्य राजनीतिक जागरूकता में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

1.9 अध्ययन का परिसीमांकन

- प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन केवल बाँदा जनपद तक ही सीमित रखा गया है।

- वर्तमान अध्ययन केवल स्नातक एवं परास्नातक आदि की कक्षाओं के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है

प्रस्तुत अध्ययन में राजा देवी महाविद्यालयीएवं अतर्रा पीजी कॉलेज को ही सम्मिलित किया गया है । प्रस्तुत अध्ययन में सभी धर्मों एवं वर्गों को सम्मिलित किया गया है।

1.10 अध्ययन की सार्थकता एवं महत्व:

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में डॉ राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन 1948 -49 में किया गया जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयी एवं महाविद्यालयी शिक्षा के राजनीतिक सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के साथ साथ अनुसंधान के क्षेत्र में अधिकाधिक विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964- 66 ने भी विद्यालय शिक्षा के साथ साथ महा विद्यालय शिक्षा की शैक्षिक , लैंगिक, व्यवसायिकतथा राजनीतिक जागरूकता के संबंध में अपने सुझाव प्रस्तुत किए। स्वतंत्रता के पश्चात हमारे देश ने सामाजिक एवं आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त की थी लेकिन आज हमें अभी राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना होगा । उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक व परास्नातक स्तर के विद्यार्थियों को राजनीतिक जागरूकता के संबंध में प्रोत्साहित किया जाए एवं साथ ही उन्हें अपने अधिकार एवं कर्तव्य का बोध भी कराना होगा ताकि महाविद्यालयी युवा राजनीति में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। राजनीतिक जागरूकता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्न है;

- लगभग आज एक तिहाई भारतीय महाविद्यालयी युवा राजनीतिक जागरूकता से अनभिज्ञ है।
- युवा छात्राओं की अपेक्षा युवा छात्र अधिक जागरूक हैं।
- राजनीतिक घटनाओं के बारे में उच्च वर्ग के महाविद्यालयी युवा सबसे ज्यादा और गरीब वर्ग के युवा सबसे कम जागरूक हैं।
- अपने वोट को महत्व देने वाले विश्वविद्यालयी एवं महाविद्यालयी विद्यार्थियों राजनीतिक घटनाओं के बारे में अधिक जागरूक हैं।
- स्नातक एवं परास्नातक कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों राजनीतिक चर्चा में अधिक रुचि ले रहे हैं।

- शिक्षा प्राप्ति का स्तर जितना उच्चतर है विरोध में भी महाविद्यालयीविद्यार्थियों की राजनीतिक भागीदारी उतनी ही अधिक है।
- राजनीतिक शिक्षा ग्रामीण -शहरी को कम करती है ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में महाविद्यालयीयुवा समान झुकाव रखते हैं।
- आज का महाविद्यालयीयुवा क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की अपेक्षा राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की तरफ ज्यादा झुकाव रखता है। हम आज भारत के लोकतांत्रिक परिवेश में रह रहे हैं , हमारे देश ने जनतांत्रिक कार्य विधि को अपनाया है तथा जनतांत्रिक क्रियाविधि की सफलता के अनेक कारणों को जानने के लिए संपूर्ण विश्व की आंखें हमारे राजनीतिक विकास एवं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक मजबूत पकड़ पर टिकी हुई हैं।राजनीति के विभिन्न चरणों की समस्याओं से निपटने के लिए हम दृढ़ संकल्प है तथा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयीस्तर पर अधिक से अधिक स्नातक एवं परास्नातक कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को राजनीति जागरूकता हेतु स्वतंत्रता , समानता और न्याय के महत्व से अवगत कराना है साथ ही राजनीतिक गतिविधियों में अपनी सहभागिता और मतदान के प्रति अधिक से अधिक महाविद्यालयी युवाओं में जागरूकता पैदा करना मुख्य उद्देश्य है। 16 वीऔर17 वी लोकसभा के आमचुनावों के परिणामों ने यह सिद्ध कर दिया है कि आज का महाविद्यालयी युवा राजनीतिक गतिविधियों में मतदान के प्रति अपनी सहभागिता वर्तमान आम चुनाव में 49% सुनिश्चित की है जो यह दर्शाता है कि आज का आज का महाविद्यालयी विद्यार्थियों राजनीतिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर अपना योगदान दे रहा है एवं राजनीति को एक कैरियर के रूप में चुनने की आकांक्षा भी रखता है। अतः प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन के
- माध्यम से महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता में अभिवृद्धि करने हेतु D.El.Ed,B.Ed एवं M.Ed की कक्षाओं के विद्यार्थियों में सहायक सिद्ध हुआ है।

द्वितीय अध्याय-संबंधित साहित्य का अध्ययन

2.1 प्रस्तावना

किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उस ज्ञान से संबंधित उपलब्ध साहित्य का पूर्ण, विश्लेषणात्मक वह गायन अध्ययन किया जाए जिससे महत्वपूर्ण तत्व एवं निष्कर्ष सरलता से प्राप्त होता है। सम्बन्ध साहित्य से तात्पर्य उन समस्त पुस्तकों , ज्ञान को शो , पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशित एवं अप्रकाशित शोध प्रबंधों एवं अभिलेखों वादी से है , जिनके अध्यन से शोधकर्ता को अपनी समस्या के चयन , परिकल्पना ओं के निर्माण, अध्ययन की रूपरेखा तैयार करने एवं कार्य को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती है। सम्बन्ध साहित्य के अनुशीलन से शोध विषय में प्रयुक्त धारणाओं एवं चारों का ज्ञान स्पष्ट हो जाता है शोधकर्ता प्राप्त निष्कर्षों की पूर्व गत निष्कर्षों से तुलना करके या तो उनकी वैधता स्थापित कर सकता है अथवा ज्ञान श्रंखला में वर्तमान किसी असंगत था याद उसकी ओर संकेत कर सकता है बोर्ज (1965) ने संबंधित साहित्य के पुनरीक्षण के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है-

"किसी भी क्षेत्र का साहित्य आधारशिला के सामान है जिस पर संपूर्ण भावी कार्य आधारित होता है। यदि संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण द्वारा न्यू को धरण नहीं कर लेते तो हमारे कार्य की प्रभावहीन एवं महत्वहीन होने की संभावना है अथवा यह पुनरावृति भी हो सकती है। "फतेह सम्बन्ध साहित्य के अध्ययन के अभाव में अनुसंधानकर्ता का कार्य प्रभावहीन रहता है इसके इसके बिना वह उचित दिशा में एक पल भी आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसे ज्ञान ना हो कि उस क्षेत्र विशेष में कितना कार्य हो चुका है। इस प्रकार सम्बन्ध साहित्य का सर्वेक्षण एवं संकलन शोध कार्यक्रम का अत्यंत ही उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण कार्य है। यह अनुसंधानकर्ताओं को निरंतर दिशानिर्देश देता है। प्रत्येक शोध कार्य के प्रारूप की प्रारंभिक अवस्था में इसके सैद्धांतिक एवं शोध साहित्य का पुनः निरीक्षण आवश्यक होता है **गुड बार एवं स्केट्स (1954)** का कथन है- "एक कुशल चिकित्सक के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने क्षेत्र में हो रहे औषधि संबंधी आधुनिकतम खोजों से

परिचित होता रहे, उसी प्रकार शिक्षा के जिज्ञासु छात्र अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले अनुसंधानकर्ता के लिए भी उस क्षेत्र से संबंधित सूचनाओं और खोजों से परिचित होना आवश्यक है "शोधार्थी ने चयनित शोध समस्या के संदर्भ में उपलब्ध साहित्य का अध्ययन एवं समीक्षा निम्न शिक्षकों के अंतर्गत प्रस्तुत की है-

- भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजनीति की अवधारणा 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही व्याप्त रही है सर्वप्रथम यह कहना ज्यादा तर्कसंगत होगा कि राज्य एवं राजनीतिक संस्थाएं इतिहास की देन है , प्राचीन काल में राज्य का स्वरूप क्या था। वर्तमान समय में जो राज्य का स्वरूप है वह क्रमिक विकास का परिणाम कहा जा सकता है राजनीति **पोलिस** नामक शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है नगर राज्य दूसरे शब्दों में राजनीति का तात्पर्य ऐसे विज्ञान से होता है जो नगर राज्य से संबंधित सुव्यवस्थित और क्रम बद्ध जानकारी देता प्राचीन यूनानी राजनीतिक संगठन का सर्वाधिक प्रचलित रूप" नगर राज्य" ही था इसलिए प्लेटो ने अपनी महत्वपूर्ण रचना द री पब्लिक और अरस्तू ने अपनी रचना द पॉलिटिक्स में मुख्यतः नगर राज्यों की समस्याओं का वर्णन किया है राजनीति व प्रशासन पर लिखित प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र के विद्वान लेखक व कूटनीतिज्ञ कौटिल्य ने राजनीति को अर्थशास्त्र नाम दिया है जिसके अनुसार उस विषय में दंड नीति अर्थात राजनीति का अध्ययन होता है राजनीति को नीतिशास्त्र भी कहा जाता है -गार्नरने कहा है कि "राजनीति विज्ञान विषय के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य से होता है "लास्की ने कहा है-कि राजनीति विज्ञान का सम्बन्ध संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन से है " राजनीति के क्रमबद्ध अध्ययन की शुरुआत 300 ईसा पूर्व में सुकरात प्लेटो और अरस्तु के द्वारा यूनान में शुरू की गई बाद में चलकर पॉलीबियस तथा सिसरो जैसे रोमन राजनीतिक दार्शनिकों ने इसके अध्ययन पर बल दिया है तथा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की शुरुआत मैकियावेली और बोना से होती है आगे चलकर हॉब्स लॉक एप्स लॉक रूसो बेंथम हीगल मार्क्स लेनिन स्टालिन माओ के द्वारा अपना अपना राजनीति के सम्बन्ध में विचार रखा जाता है इन विद्वानों के विचार में राजनीति एक विषय के रूप में सामने आया हैमें सरकारों का स्वरूप आज के दौर से एकदम भिन्न था।

- कोई भी राजनीतिक संस्था एकाएक पैदा नहीं होती है उसका वर्तमान क्रमिक विकास के फल स्वरुप सामने आता है राजनीति इतिहास को विचार में तथा गंभीर बनाने का कार्य करती है अंततः यह कहा जा सकता है कि राजनीति ना केवल इतिहास और राजनीतिक जागरूकता के बीच की कड़ी है है बल्कि अतीत से वर्तमान को जोड़ने का एक माध्यम भी है।
- नागरिकता
- राजनीतिक जागरूकता के अंतर्गत के समान ही नागरिकता भी महत्वपूर्ण विषय है राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत उन्हें ही मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं जो नागरिक होते हैं निश्चित रूप से किसी भी देश के अंदर कुछ अधिकार गैर नागरिकों को भी प्रदान किए जाते हैं लेकिन उन अधिकारों के प्रकृति साधारण और राजनीतिक व्यवस्था में आ प्रभाव कारीहोते है लास्की ने कहा है कि "नागरिक से आशय उस व्यक्ति से है जो संगठित समाज का सदस्य मात्र ही नहीं है बल्कि वह संगठित समाज के आदेशों का वाहक एवं कर्तव्यों का स्वाभाविक पालनकर्ता भी होता है"

- **राष्ट्र:**

  राष्ट्र शब्द का अर्थ लोगों के उस समूह से है जो मानसिक आध्यात्मिक व राजनीतिक एकता के सूत्र में बंधे हुए हो बार्कर ने कहा है कि - "राष्ट्र एक ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो किसी निश्चित प्रदेश में निवास करता हो और जिसमें एक ही प्रदेश पर निवास करने के कारण पारस्परिक प्रेम हो।"

  > दूसरे शब्दों में गार्नर ने कहा है कि " राष्ट्र सांस्कृतिक समानता का संगठित समूह है जो अपने मानसिक जीवन व अभिव्यक्ति की एकता के सम्बन्ध में पूर्ण चेतन और दृढ़ निश्चय है।"

- **अधिकार:**

  अधिकार का सामान्य आशय उन सुविधाओं और परिस्थितियों से है जो सभ्य समाज के एक सदस्य के रूप में व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है अधिकारों की धारणा का सम्बन्ध एक और व्यक्तियों की स्वतंत्रता ओं तथा दूसरी ओर राज्य की गतिविधि के क्षेत्र से है लास्की ने लिखा है

कि-"प्रत्येक राज्य अपने द्वारा प्रदत्त अधिकारों से आंका जाता है बिना अधिकारों के स्वतंत्रता का अस्तित्व ही संभव नहीं है। "बोसंके के अनुसार- "अधिकार समाज द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा क्रियान्वित एक मांग है। "ग्रीन के अनुसार- "अधिकार सामान्य सद्गुणों में योगदान के उद्देश्य प्रस्तुत और मान्यता प्राप्त एक मांग है। "इससे स्पष्ट है कि अधिकारों का अस्तित्व समाज के वृहत हित में ही संभव है और दूसरों के अधिकारों का अस्तित्व समाज में ही संभव है समाज के बाहर नहीं अधिकार के निर्माण के तीन चरण हैं-

1. सर्वप्रथम यह व्यक्ति की मांग है
2. इसे समाज द्वारा स्वीकृत होना चाहिए
3. इसके राज्य द्वारा स्वीकृति होना चाहिए।

- **अधिकार के प्रकार**

1. मानवाधिकार
2. नैतिक अधिकार
3. सामाजिक अधिकार
4. राजनीतिक अधिकार
5. आर्थिक अधिकार

- **स्वतंत्रता**

स्वतंत्रता शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के liberty शब्द से हुई है जो लैटिन भाषा के liber से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है "मुक्त"स्वतंत्रता का अर्थ है इच्छ अनुसार कार्य करने की सुविधा से नहीं है बल्कि उन कार्यों को करने की सुविधा से है जो किए जाने योग्य हैं रूसो के अनुसार- "स्वतंत्रता का आशय सामान्य इच्छा के आदेशों का पालन करना "जे एस मिल के अनुसार- "स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों के अभाव से मुक्त होना है।

स्वतंत्रता के प्रकार:

1. प्राकृतिक स्वतंत्रता

2. सामाजिक स्वतंत्रता

3. नैतिक स्वतंत्रता

समानता

यूरोपीय जगत में समानता की बात मुख्य रूप से 18वीं और 19वीं शताब्दी में उठाई गई समानता के मोटे तौर पर तीन आशय माने जा सकते हैं

अ. अन्य लोगों की तुलना में सामान गरमा, स्तर और सुविधाएं प्राप्त करने की स्थिति।

ब. योग्यता, प्रतिष्ठा और श्रेष्ठता की उपलब्धि की स्थिति

स. निष्पक्षता, उचित अनुपात और न्याय।

बार्कर के अनुसार- "समानता का अभिप्राय यह है कि अधिकारों के रूप में मुझे जो स्थितियां उपलब्ध कराई जाती हैं वे अन्य लोगों को भी वैसे ही कराई जाएं और यह कि जो अधिकार अन्य लोगों को प्राप्त कराए जाएं वह मुझे भी मिलने चाहिए."

- समानता के प्रकार:

1. प्राकृतिक समानता
2. वैधानिक समानता
3. सामाजिक समानता
4. आर्थिक समानता
5. राजनीतिक समानता

- **न्याय:**

न्याय शब्द अंग्रेजी भाषा के justice का हिन्दी रूपांतरण है जो लैटिन भाषा के **justia** नामक शब्दों से मिलकर बना है जिसका आशय होता है जोड़ना या सम्मिलित करना बार्कर के अनुसार- "न्याय का आशय मानव-संबंधों की संगठित व्यवस्था में मनुष्य और मनुष्य के मध्य डोर से है। **जॉन रॉल्स** के अनुसार-"न्याय की अवधारणा और चित्र पर आधारित है न कि उपयोगिता पर इसका सार है की सब व्यक्तियों के लिए सामान स्वतंत्रता

- न्याय के प्रकार:

  1. वैधानिक न्याय
  2. राजनीतिक न्याय
  3. सामाजिक न्याय
  4. आर्थिक न्याय

2.2 राजनीतिक जागरूकता के संदर्भ में हुए कतिपय शोध अध्ययन:

राजनीतिक जागरूकता के संदर्भ में हुए शोध अध्ययनों का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि भारत में इस क्षेत्र में हुए शोध अध्ययन मुख्यतः संबंधित रहे हैं , महाविद्यालयीविद्यार्थियों के राजनीतिक जागरूकता की स्थिति का पता लगाना एवं छात्र एवं छात्राओं की राजनीति में सहभागिता का प्रतिशत कितना है तथा राजनीति विषय के प्रति विद्यार्थियों की रुचि एवं उनके शैक्षिक एवं व्यवसायिक स्तर तथा ग्रामीण एवं शहरी आदि क्षेत्रों के आधार पर राजनीतिक जागरूकता के सम्बन्ध मे उनकी वर्तमान स्थिति का पता लगाना है। राजनीति विषय में उनकी रुचि मैं बढ़ोतरी करना तथा मतदान के प्रति एवं संविधान के मौलिक कर्तव्य अधिकारों से परिचित कराना है तथा भारत के एक श्रेष्ठ नागरिक होने के नाते देश विदेश की राजनीति गतिविधियों से महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक चेतना का संचार का ना पाया जाना आदि प्रमुख मुद्दे हैं अतः उक्त संदर्भ में हुए कपड़े शोध अध्ययनों का सार निम्न उपशीर्षक ओं के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है-

- महाविद्यालयी विद्यार्थियों की राजनीति के सम्बन्ध में रुचि का ना होना।

- राजनीतिक जागरूकता के सम्बन्ध में विद्यार्थियों में लैंगिक अंतर का होना।
- राजनीतिक गतिविधियों में विद्यार्थियों की सहभागिता ना होना।
- अपने वोट के मूल्य को विद्यार्थियों द्वारा महत्व ना देना।
- संसद में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समान जन प्रतिनिधित्वता का न होना।

राजनीतिक जागरूकता के संदर्भ में हुए कतिपय शोध अध्ययन-

सोफी(1985) ; ने "A case study of Democratic constitution in Kashmir "पर शोध अध्ययन किया गया है। प्रतिदर्श में जम्मू कश्मीर में संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे को प्रतिदर्श के रूप में चयनित किया गया है तथा संविधान के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूती देने के लिए प्रदत्त संग्रह हेतु प्रश्नावली विधि का भी प्रयोग किया गया है।निष्कर्ष रूप में यह पाया गया कि जम्मू का जम्मू कश्मीर राज्य के संविधानिक ढांचे की स्थिति एवं वहां हो रही राजनीतिक उथल-पुथल तथा वहां के नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता एवं महाविद्यालयीस्तर पर छात्र एवं छात्राओं में तथा साथ ही राज्य के शैक्षिक ,व्यवसायिक तथा मतदान के स्तर में सुधार लाकर एक मजबूत लोकतांत्रिक संविधान की स्थापना करने के सम्बन्ध में सुधार लाना है। शोध सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि जम्मू कश्मीर राज्य में संवैधानिक ढांचे को राज्य के नागरिकों को अपने अधिकार कर्तव्य एवं मतदान के प्रति जागरूक कर प्रत्येक स्तर पर राजनीतिक चेतना का संचार करना है। शोध सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ है कि किसी किसी महाविद्यालयीमें लड़कों एवं लड़कियों के अनुपात में राजनीतिक जागरूकता के सम्बन्ध में 100 :40 का अंतर पाया गया था।

शिवहरे (2002); ने " बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं में राजनीतिक की राजनीतिक चेतना का समाजशास्त्रीय अध्ययन " पर शोध किया गया है। प्रतिदर्श में उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के विभिन्न जिलों में स्थित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयी स्तर के छात्र छात्राओं को प्रतिदर्श के रूप में चयनित किया गया है। प्रदत संग्रह हेतु तुलनात्मक प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया गया है तथा निष्कर्ष रूप में यह पाया गया कि बुंदेलखंड के विभिन्न महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं के बीच

राजनीतिक जागरूकता में कमी एवं जाति , धर्म ,लिंग तथा शैक्षिक असमानता मुख्य रूप से पाई गई है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के छात्र एवं छात्राओं में राजनीतिक चेतना में पर्याप्त भिन्नता पाई गई है जो विद्यार्थियों में सामाजिक असमानता का लक्षण स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है। स्नातक एवं परास्नातक स्तर के छात्र-छात्राओं में मतदान के प्रति जागरूकता एवं राजनीतिक गतिविधियों में पर्याप्त रुचि ना होना प्रदत संग्रह में शामिल है। लघु शोध सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि की विभिन्न महाविद्यालयों में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में राजनीति के प्रति अधिक रुचि एवं राजनीति को कैरियर के रूप में चुनने में अधिक जागरूकता पाई गई।

कुमार सुनील (2009) हैं आधी अब दिनों से स्पष्ट होता है आदि अध्ययनों से स्पष्ट होता है ने "महिलाओं में राजनीतिक जागरुकता एक विश्लेषण " पर शोध अध्ययन किया गया है। प्रतिदर्श में मेरठ जनपद के परीक्षितगढ़ विकासखंड के संदर्भ में महिलाओं को प्रतिदर्श के रूप में चयनित किया गया है । प्रदत संग्रह हेतु प्रश्नावली का प्रयोग किया गया तथा मेरठ जनपद की महिलाओं के साक्ष्य राजनीतिक आर्थिक सामाजिक एवं व्यवसायिक आदि स्तरों का चयन किया गया है। परीक्षित विकासखंड में महिलाओं की राजनीतिक जागरूकता के के सम्बन्ध में अध्ययन किया गया है तथा साथ ही उन्हें मतदान के प्रति जागरूक करने का प्रयास शहरी एवं ग्रामीण दोनों स्तरों पर किया गया है।शोध सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि विभिन्न महाविद्यालयों में छात्रों एवं छात्राओं के राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों की अपेक्षा छात्राओं में राजनीतिक जागरूकता का स्तर कम पाया गया।

2.3 अध्ययन से संबंधित लेख, समाचार आदि:

प्रस्तुत लघु शोध अध्ययन "महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन " करने हेतु विभिन्न प्रदत्त संग्रह सामग्री जिसमें लेख एवं समाचार आदि का सहारा लिया गया है जो निम्न हैं ;

1.राजनीतिक जागरूकता पर परिचर्चा (http://www.livehindustan.com)

हिंदुस्तान टीम, लखीसराय sun,28Jan 2018 9:20 PM IST

राष्ट्रीय अति पिछड़ा महासंघ जिला इकाई की बैठक रविवार को शहर के नया बाजार धर्मशाला में राजकुमार साहनी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में राजनीतिक जागरूकता पर परिचर्चा आयोजित की गई

जिसमें कहा गया कि अति पिछड़ा समाज के उत्थान के लिए अति पिछड़ा आयोग का गठन होना चाहिए तथा लोकसभा व विधानसभा चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण मिलना चाहिए तभी समाज के लोग राजनीति की भागीदारी में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे।

2. राजनीतिक जागरूकता आज की आवश्यकता:

https://www.bhaskar.com(sep 04,2013,05:54AM IST)

भास्कर न्यूज़-!-बाली

बाली विधानसभा क्षेत्र युवक कांग्रेस के अध्यक्ष केसरसिंह राजपुरोहित ने कहा कि युवाओं में राजनीतिक जागरूकता अति आवश्यक है। बिना राजनीतिक जागरूकता के लोकतंत्र को सफल नहीं बनाया जा सकता है।प्रत्येक व्यक्ति मतदान का मूल्य जाने तथा मतदान प्रक्रिया में अहम भूमिका का निर्वाह करें। विधानसभा अध्यक्ष मंगलवार को बाली के निकटवर्ती लक्ष्मी नारायण धाम स्थित आज आत्मानंद जी आश्रम प्रांगण में बाली विधानसभा क्षेत्र के युवक कांग्रेस के बूथ लेवल के प्रभारियों की एक दिवसीय कार्यशाला में उपस्थित सैकड़ों युवकों को संबोधित कर रहे थे।राजपुरोहित ने इस अवसर पर राहुल गांधी की नीतियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हीं की बदौलत राजनीति में महाविद्यालयीयुवाओं की भागीदारी बढ़ी है तथा आने वाले समय में यूथ कांग्रेस और अधिक मजबूती के साथ उभरेगी।

2.4 समीक्षात्मक निष्कर्ष:

महिला में राजनीतिक जागरूकता एक विश्लेषण मेरठ जनपद के परीक्षितगढ़ विकासखंड के संदर्भ में महिलाओं के शैक्षिक आर्थिक सामाजिक राजनीतिक आदि समस्याओं के संदर्भ में भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण पूरब से लेकर पश्चिम तक किए गए लघु शोध अध्ययन से ज्ञात होता है कि महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता के सम्बन्ध में आने वाली कठिनाइयों जैसे -

1. राजनीति के प्रति जागरूकता का अभाव होना।
2. महिलाओं का पुरुषों की अपेक्षा विधानसभा एवं लोकसभा में प्रतिनिधित्व कम होना।

3. अपने वोट के मूल्य से अनभिज्ञ होना।

4. राष्ट्रीय स्तर एवं राजकीय स्तर पर साक्षरता दर पुरुषों की अपेक्षा कम होना।

5. राजनीति को एक कैरियर के रूप में चुनने में अत्यधिक रुचि का अभाव होना।

अतः महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता मेरठ जनपद के विभिन्न शैक्षिक , आर्थिक ,राजनीतिक ,एवं सामाजिक स्तर आदि की पृष्ठभूमि वाली परीक्षितगढ़ विकासखंड की महिलाओं में राजनीतिक राजनीतिक जागरूकता संबंधी समस्या रही हैं जिनके कारण उनमें राजनीति के क्षेत्र में रुचि एवं मतदान के प्रति झुकाव अर्जित नहीं हो पा रहा है जैसा कि विभिन्न शोध सर्वेक्षण यथा **सोफी (1985), शिवहरे (2002),** तथा **कुमार सुनील (2009),** आदि अध्ययनों से स्पष्ट होता है कि महिलाओं में राजनीतिक शिक्षा का अध्यक्ष विकास कर उन्हें राजनीति की मुख्यधारा से जोड़ कर बराबरी का दर्जा दिया जा सकता है तथा मेरठ जनपद ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में महिलाओं को राजनीति में पुरुषों की बराबरी करने से कोई नहीं रोक सकता हैं। आज की महिला 21वीं सदी की महिला है अगर उसे बचपन से ही सही राजनीतिक शिक्षा प्रदान की जाए तो वह शिक्षा ही नहीं बल्कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों से कंधा से कंधा मिलाकर चलने का साहस लगती है और वर्तमान में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं जिस जिस क्षेत्र में उन्हें अवसर प्रदान किया गया है उन्होंने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित भी किए हैं।

तृतीय अध्याय- शोध अध्ययन की प्रक्रिया:

शोध समस्या के चयन व संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण उपरांत यह आवश्यक हो जाता है कि शोध कार्य के संपादन हेतु एक निश्चित प्रक्रिया का अनुसरण कर अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति की जाए मानव की प्रकृति सदैव जिज्ञासा प्रधान है वह अपनी समस्या का समाधान निरंतर खोजता रहता है समस्या का समाधान तब तक संभव नहीं है , जब तक निश्चित ढंग से किए जाने वाले कार्य की सुव्यवस्थित योजना तैयार ना कर ली जाए। किसी भी शोध की समस्या चाहे कितने भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो , उसके समाधान की सफलता उसकी अध्ययन की प्रक्रिया पर ही निर्भर करती है जिसका अनुसरण करके ही समस्या का समाधान एवं उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है क्योंकि अध्ययन प्रक्रिया हुआ शोध के उद्देश्यों में ना केवल अभिनेता संबंध होता है अपितु शोध प्रक्रिया के शोध कार्य के उद्देश्यों पर ही पूर्णरूपेण आश्रित होती है। बेस्ट (1977) का कथन है कि-"शोध कार्य में प्रयुक्त प्रक्रिया का विस्तृत अध्ययन होना आवश्यक है। प्रदत्त सामग्री के स्वरूप की पहचान दत्त सामग्री को एकत्र करने में प्रयुक्त साधनों के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ इस बात का पूरा ध्यान होना चाहिए की कौन सी प्रक्रिया के साथ किस तकनीक को अपनाया जाएगा तथा किस ढंग से कार्य किया जाएगा।"

किसी भी शोध अध्ययन हेतु कार्य रूप में परिणीता ओ जानेवाली प्राविधिक एक ऐसे महत्वपूर्ण है , जिस पर भविष्य के शोध अध्ययन रूपी भवन का निर्माण होता है यह वह दिशा सूचक यंत्र है , जिसके माध्यम से शोधकर्ता रूपी राही अपने गंतव्य तक पहुंचता है। अन्य शब्दों में , शोध कार्य उस जलपोत की भांति है , जो अति दूर के गंतव्य स्थल की ओर जाने के लिए बंदरगाह से चलता है। यदि आरंभ से ही दिशा निर्धारण के संबंध में थोड़ी सी भी त्रुटि हो जाए तो भटक जाने की अधिक संभावना रहती है , चाहे वह जलपोत कितने ही कुशलता से से क्यों ना बनाया गया हो और कप्तान कितना है योग्य क्यों ना हो। इसलिए आरंभ से ही प्रक्रिया निर्धारण के संबंध में यदि थोड़ी-सी भी भूल हो जाए तो अनुसंधानकर्ता के लिए सारा श्रम व्यर्थ हो जाता है।

उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए शोधार्थी ने प्रस्तुत शोध समस्या के संदर्भ में अपनाई गई शोध प्रक्रिया का विवरण निम्न बिंदुओं के अंतर्गत संयोजित किया है-

3.1 शोध अध्ययन विधि:

प्रस्तुत शोध अध्ययन में राजनीतिक जागरूकता वाले महाविद्यालयीविद्यार्थियों का शैक्षिक व्यवसायिक राजनीतिक एवं विभिन्न आयु स्तर पर उनके अभिमत जानने का सुनिश्चित प्रयास किया गया है अतः इस लघु शोध अध्ययन के संपूर्ण कलेवर को देखते हुए " वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि "कानू प्रयोग किया गया है इस शोध विधि के माध्यम से राजनीतिक जागरूकता को अभिव्यक्त करने का अध्ययन सुगमता से किया जा सकता है इस विधि में वस्तुनिष्ठता वैधता एवं प्रमाणिकता के आधार पर संकलित किए गए प्रदत्त एवं सूचनाओं के विश्लेषणात्मक व्याख्या की जाती है। ऐसे प्रदत्त जिन्हें विश्वसनीय एवं प्रमाणित उपकरणों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं तथा विश्लेषण एवं व्याख्या में वैज्ञानिकता तथा वस्तुनिष्ठता निहित होती है शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक संबंधी अनुसंधान के क्षेत्र में वर्णनात्मक सर्वेक्षण विधि का महत्वपूर्ण स्थान है अनुसंधान के लिए इसका प्रयोग व्यापक रूप से किया जाता है वर्तमान शोध अध्ययन के संदर्भ में वर्णनात्मक विधि का प्रयोग कर राजनीतिक जागरूकता के अभिमत को जाना जा सकता था , इसलिए इस सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है

3.2 अध्ययन समष्टि:

प्रस्तुत शोध अध्ययन में एक प्रकार की समष्टि को समाहित किया गया है

3.2.1 विद्यार्थी समष्टि:

वर्तमान शोध समष्टि के अंतर्गत 22 से 33 वर्ष की आयु समूह के महाविद्यालयी छात्र छात्राएं समाविष्ट हैं ये स्नातक उत्तीर्ण कर चुके हैं जो शिक्षा स्नातक एवं शिक्षा परास्नातक कक्षाओं में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से संबंधित बाँदा जनपद के महाविद्यालयों मेंअध्ययनरत है समष्टि के अंतर्गत समस्त d El Ed, b.Ed, तथा m.Ed कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को समाहित किया गया है

3.3 निर्धारित लक्षित प्रतिदर्श का चयन:

प्रस्तुत शोध में न्यादर्श चयन में वस्तुनिष्ठता तथा राजनीतिक जागरूकता का विशिष्ट ध्यान रखा गया है। वर्तमान लघु शोध अध्ययन में शोधार्थी ने राजनीतिक जागरूकता हेतु यादृच्छिक न्यादर्श तकनीकी तथा वस्तुनिष्ठता हेतु उचित न्यादर्श आकार का प्रयोग किया गयाहै। लघु शोध योजना के समय लक्षित न्यादर्श का आकार तथा उसका विभाजन निश्चित किया गया है। जिसमें कुल 100 महाविद्यालयी विद्यार्थियों का चयन कर डी.एल.एड ,B.Ed एवं M.Ed के विद्यार्थियों का लक्षित न्यादर्श का आकार तथा उसका विभाजन छात्र एवं छात्राओं की संख्या के आधार किया गया है।

3.4 न्यादर्श चयन विधि:

लघु शोध के संदर्भ में प्रतिदर्श चयन के निमित्त अर्द्ध सांभाव्य प्रतिदर्श चयन प्राविधिकको ग्रहण किया गया है तथा अंतिम रुप से प्रति दर्शन के संदर्भ में बहुत स्तरीय प्रतिदर्श चैनपुरा विधि का अनुसरण किया गया है। बाँदा जनपद के विभिन्न महाविद्यालयीका चयन उदयपुर प्रति 10 चैन विधि द्वारा किया गया है।शिक्षा स्नातक एवं शिक्षा परास्नातक कक्षाओ में याद्रचछिक विधि द्वारा किया गया है स्पष्ट है किस लघु शोध के संदर्भ मे प्रतिदर्श चयन के निमित्त , सामभाव्य एवं असंभाव्य दोनों ही प्रतिदर्श चयन विधियों को अपनाया गया है।

3.4.1 जनपद का चयन एवं न्यायोचितता:

जैसा कि पूर्व में स्पष्ट किया जा चुका है क्योंकि वर्तमान लघु शोध अध्यन हेतु शोधार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश के बाँदा जनपद का चयन किया गया है। इस जनपद के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इसके अंतर्गत 5 तहसीलें है। बाँदा सदर तहसील के राजा देवी महाविद्यालयीमें 70 विद्यार्थियों तथा अतर्रा तहसील के अतर्रा स्नातकोत्तर महाविद्यालयीअतर्रा के 30 छात्रों का चयन किया गया है जिसमें तहसील बाँदा सदर कि तुलना में अतर्रा तहसील के

विद्यार्थियों की संख्या कम है। प्रतिदर्श चयन में जागरूकता लाने हेतु शहरी ,अर्द्धशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया जिसमें बाँदा को शहरी क्षेत्र तथा अतर्रा को अर्द्धशहरी अनुपात की दृष्टि से वर्गीकृत किया गया है जिसमें बाँदा जनपद के दो तहसीलों का चयन किया गया है।

3.4.2 संस्थाओं का चयन:

बाँदा जनपद में स्थित उक्त दो महाविद्यालयों के सामाजिक ,सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को दृष्टिगत रखते हुए शहरी तथा अर्ध ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों का चयन किया गया है। बाँदा जनपद के राजा देवी महाविद्यालयीमें D.El.Ed एवं B.Ed के विद्यार्थियों की कुल संख्या 70 निश्चित की गई है तथा अतर्रा स्नातकोत्तर महाविद्यालयीअतर्रा में M.Ed विद्यार्थियों की संख्या 30 निश्चित गई है।

3.4.3 प्रतिदर्श चयन:

वर्तमान लघु शोध अध्ययन का उद्देश्य महाविद्यालयीविद्यार्थियों में शैक्षिक राजनीतिक लैंगिक तथा व्यवसायिक शिक्षा के संबंध में विद्यार्थियों का राजनीतिक जागरूकता के संबंध में अध्ययन करना है। अतः शोध के निमित्त प्रतिदर्श चयन हेतु शोधार्थी ने अर्धसंभव्या प्रतिदर्श प्रविधियों को अपनाया है। संबंधित महाविद्यालयीविद्यार्थियों में से निर्धारित प्रतिदर्श संख्या अनुसार कक्षाओं के चयन हेतु यादृच्छिक विधि को अपनाया गया है।

3.5 शोध उपकरण:

किसी समस्या के समाधान हेतुपरिकल्पना के रचना के पश्चात नवीन एवं अज्ञात दत्त एकत्रित करने के लिए अनेक विधियां प्रयुक्त की जाती हैं।टेक मापन विधि एक विशेष के प्रदत्तो के संकलन का स्रोत होती है। एक सफल अनुसंधान के लिए उपयुक्त उपकरणों के चयन का अत्यधिक महत्व होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए शोधकर्ता भिन्न-भिन्न उपकरणों का प्रयोग करते हैं। शोधकर्ता को इन उपकरणों की एक प्रकृति , गुण-दोषोंएवं उनकी दिवस नेता तथा बैठता आदि से भली प्रकार से परिचित होना चाहिए।रिश्तो शोध में आंखों के संग राणा एवम् विभिन्न चारों के मापन है तू निंलिखित उपकरणों का प्रयोग किया गया है जिसके द्वारा प्रस्तुत रो के आधार पर सांख्यिकीय संगणनाएं की गई हैं-

- महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरुक का का अध्ययन करने हेतु अाईजिंक द्वारा निर्मित प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है।
- राजनीतिक जागरुकता के मापन हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली प्रयोग की गई है जिसके द्वारा विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरुकता का मापन किया गया है।

- राजनीतिक जागरुकता के मापन हेतु प्रश्नावली में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समाहित किया गया है
- छात्र एवं छात्राओं में राजनीतिक जागरुकता मापन हेतु अलग-अलग मूल्यांकन किया गया है।

3.5.1 राजनीतिक जागरुकता प्रश्नावली का निर्माण:

महाविद्यालयी स्तर के विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरुकता का अध्ययन करने हेतु स्वनिर्मित प्रश्नावली के निर्माण के करते परमात्मा प्रमापीकृत विधियों का प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक किया गया है। इस प्रश्नावली के द्वारा शिक्षा स्नातक एवं शिक्षा परस्नातक स्तर के विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरुकता का आकलन करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है इस प्रश्नावली का प्रयोग सामूहिक रुप से 22 वर्षों से लेकर 33 वर्ष तक के युवाओं में राजनीतिक जागरुकता बढ़ाने हेतु किया जा सकता है। इस प्रश्नावली में कुल 50 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समसामयिक मुद्दे , राष्ट्रीय स्तर के समसामयिक मुद्दे , राज स्तरीय समसामयिक मुद्दे, राष्ट्रीय चिह्न एवं राजकीय चिन्ह् आदि को शामिल किया गया है। प्रश्नावली को भरने के लिए 30 मिनट का समय निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है तथा प्रत्येक गलत प्रश्न के 0 अंक निर्धारित किया गया है। प्रश्नावली को भरने के के लिए निम्नलिखित निर्देश दिए गए हैं-

3.5.2 राजनीतिक जागरुकता प्रश्नावली निर्देशिका

शिक्षक का व्यक्तित्व बहुआयामी होता है। कक्षा शिक्षण के पूर्व शिक्षक विभिन्न स्तरों पर स्व मूल्यांकन के पश्चात अपने तथ्य परक एवं उपयोगी ज्ञान को छात्रों तक विभिन्न शिक्षण विधियों के माध्यम से संप्रेषित करता है। अपने विषय का गहन अध्ययन करने के उपरांत वह नई नई खोजों अनुसंधानों एवं व्यवहारिक क्रियाओं के प्रति सचेत रहता है। राजनीति की वर्तमान समय में उपयोगिता एवं उस में हो रहे बदलावों की जानकारी रखना एक राजनीति विषय के शिक्षक के लिए आवश्यक होता है तभी वह अपने ज्ञान को छात्रों तक पहुंचा कर विषयगत का लाभ प्रदान कर सकता है। राजनीतिक जागरूकता प्रश्नावली को भरने के लिए विद्यार्थियों को सर्वप्रथम कुछ सूचनाऍं भरनी है तथा कुछनिर्देश दिए गए हैं जो प्रत्येक विद्यार्थियों को प्रश्नावली भरने से पहले पढ़ना अनिवार्य है यह सूचनाएं एवं निर्देश निम्न है-

- **नाम-**

- **लिंग-**
- **कक्षा-**
- **महाविद्यालयी-**
- **दिनांक**
-
- इस राजनीतिक जागरूकता प्रश्नावली में कुल 50 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें अंतरराष्ट्रीय,राष्ट्रीय,राजकीय, एवं राष्ट्रीय चिन्ह तथा राजकीय चिन्ह दिए गए हैं।
- इस राजनीतिक जागरूकता प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प दिए गए हैं जिसमें एक सही प्रश्न पर सही का चिन्ह लगाना है।
- सभी प्रश्नों के उत्तर 30 मिनट की अवधि में देना अनिवार्य है।
- प्रत्येक सही प्रश्न के उत्तर के लिए एक अंक प्रदान किया जाएगा तथा प्रत्येक गलत प्रश्न के उत्तर के लिए शून्य अंक प्रदान किया जाएगा।

3.5.3 राजनीतिक जागरूकता प्रश्नावली के उद्देश्य:

- इस राजनीतिक जागरूकता प्रश्नावली के माध्यम से विद्यार्थियों में राजनीति विषय के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है।

- इस राजनीतिक जागरूकता प्रश्नावली के surah falaqमाध्यम से महाविद्यालयी विद्यार्थियों अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के बारे में जान सकेंगे।
- महाविद्यालयी विद्यार्थियों में मतदान के प्रति जागरूकता का संचार किया जा सकता है।
- विद्यार्थियों अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं के बारे में परिचित हो सकेंगे।
- विद्यार्थियों राष्ट्रीय चिन्हों एवं राजकीय चिन्हों से भी अवगत हो सकेंगे।

- अपने संसदीय क्षेत्र के सांसद एवं अपने विधानसभा क्षेत्र के विधायक के नाम से परिचित हो सकेंगे।
- विद्यार्थियों राष्ट्रीय राजनीतिक दल एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से परिचित हो सकेंगे।
- छात्र एवं छात्राओं के बीच राजनीतिक जागरूकता का अंतर को दूर किया जा सकता है।

वैश्वीकरण के इस युग में आज का राजनीतिक ज्ञान व्यापक हो गया है इस राजनीतिक ज्ञान में विश्व के विभिन्न देशों में अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दिन प्रतिदिन समसामयिक राजनीतिक घटनाएं घटित होती रहती है जो पूरे विश्व में स्तर की राजनीति को प्रभावित करती रहती हैं।
राष्ट्रीय स्तर पर मतदान के गिरते स्तर में सुधार लाने के लिए महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का संचार करना।

3.5.4 राजनीतिक जागरूकता प्रश्नावली का प्रशासन:

इस राजनीतिक जागरूकता प्रश्नावली का निर्माण महाविद्यालयी विद्यार्थियों हेतु किया गया है इस प्रश्नावली के निर्माण हेतु सर्वप्रथम शिक्षक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष से आज्ञा प्राप्त की गई है इसके पश्चात विद्यार्थियों को इस प्रश्नावली के उद्देश्यों से अवगत कराकर इस प्रश्नावली का निर्माण कर विद्यार्थियों को उत्तर देने हेतु छात्र एवं छात्राओं को प्रश्नावली प्रदान की गई तत्पश्चात प्रशासन करता द्वारा प्रश्नावली संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश विद्यार्थियों को प्रदान किए गए हैं जो इस प्रकार हैं-

1. इस प्रश्नावली द्वारा प्राप्त परिणाम तभी उपयोगी होंगे जब पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण ईमानदारी से दिए जाएं अर्थात अपने व्यवहार के अनुरूप प्रत्येक विद्यार्थियों
सही विकल्प पर ही चिन्हित करने का प्रयास करें ।

2.राजनीतिक जागरूकता प्रश्नावली के प्रथम पृष्ठ पर प्रत्येक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत सूचना की जानकारी भरनी है जो प्रशासनकर्ता करता द्वारा व्यक्तिगत रूप से देखी जाएगी।

3.राजनीतिक जागरूकता प्रश्नावली में 30 मिनट की अवधि निश्चित की गई है प्रश्नावली में कुल 50 प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है।

4. सभी विद्यार्थियों द्वारा दिए गए प्रश्नों केउत्तरों को गोपनीय रखा जाएगा।

3.5.5 प्रश्नावली के लिए पदों या प्रश्नों का निर्माण-

इस राजनीतिक जागरूकता प्रश्नावली में राजनीति के जागरूकता के विभिन्न मुद्दों के संबंध में कुल 50 पदों या बहुत बढ़िया सुंदर हो कृष्णा का निर्माण किया गया है। प्रथम खंड में अंतरराष्ट्रीय समसामयिक परेशान होना पड़े मुद्दों को समाहित किया गया है तथा द्वितीय खंड में राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दों को समाहित किया गया है तथा तृतीय खंड में राज्य स्तरीय समसामयिक मुद्दों को समाहित किया गया है एवं चतुर्थ खंड में राष्ट्रीय चिन्ह को शामिल किया गया है तथा अंत में राजकीय चिन्हों को शामिल किया गया है। इस प्रश्नावली मेंप्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प दिए गए हैं इन चार विकल्पों में से अभ्यर्थी को किसी एक विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। राजनीतिक जागरूकता प्रश्नावली के निर्माण हेतु कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्न हैं-

1. पाठ योजना विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखकर तैयार करते हैं।
2. प्रत्येक प्रश्न की भाषागत एवं विषय गत उपयुक्त पर विचार करने के लिए शिक्षक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष एवं विषय विशेषज्ञों एवं मनोविज्ञान विभाग के अध्यापकगणों का भी सहयोग लिया गया है।
3. राजनीति विज्ञान की विषय विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए सुझावों के आधार पर कुछ नवीन प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है तथा कुछ प्रश्नों को निष्कासित भी किया गया है एवं कुछ प्रश्नों में फेरबदल किया गया है इस प्रकार कुल 50 प्रश्नों का उपकरण निर्मित हुआ है।

3.5.6 राजनीतिक जागरूकता प्रश्नावली का प्रश्न या पद विश्लेषण-

एक उत्तम मापनी के निर्माण के लिए पदों का मूल्यांकन करना आवश्यक होता है , जिससे यह ज्ञात किया जा सके कि कौन सा पद उपयुक्त है और मापनी में रखने योग्य और कौन सा प्रश्न उपयुक्त नहीं है। प्रश्नों के विश्लेषण के लिए मुख्य रूप से दो आधार माने गए हैं-प्रश्न का कठिनाई स्तर , एवं प्रश्न की विभेदन कार्य

क्षमता।विद्यार्थियों के समूह का वह अनुपात जो किसी प्रश्न को शुद्ध रूप से हल करता है या वास्तविक रूप से जानता है वह प्रश्न का कटना इस्तर कहलाता है परंतु प्रस्तुत अध्ययन में पद की सही या गलत प्रश्नों के उत्तर की पहचान को ज्ञात करने का प्रयास किया गया है। स्नो के विश्लेषण हेतु सर्वप्रथम मापनी के प्रथम प्रारूप का प्रशासन महाविद्यालयी स्तर के 100 विद्यार्थियों पर किया गया है। प्रत्येक अनुक्रिया को अंक प्रदान करने के पश्चात उच्च अंक प्राप्त करने वालों तथा निम्न अंक प्राप्त करने वालों के मध्य सार्थक अंतर ज्ञात करने के लिए पद विभेदीकरण की प्रक्रिया अपनाई गई है। इस कार्य हेतु सभी 100 विद्यार्थियों के प्राप्त अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लिया गया है।

3.5.7 राजनीतिक जागरूकता प्रश्नावली के सम्बन्ध में सुझाव-

आंकड़ों के संकलन के पश्चात न्यादर्श हेतु चयनित महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता प्रश्नावली का अनुप्रयोग करने वाले विद्यार्थियों की कक्षाओं का अवलोकन किया गया तथा तथा विद्यार्थियों के महाविद्यालयीसे संबंधित क्रियाओं का भी अध्ययन किया गया जिसके आधार पर विद्यार्थियों की समस्याओं का पता लगाने का प्रयास किया गया एवं उनमें राजनीतिक जागरूकता बढ़ाने हेतु राजनीतिक समसामयिक प्रश्नों का समावेश किया गया तथा अवलोकन द्वारा प्राप्त विभिन्न राजनीतिक समस्याओं के आधार पर राजनीतिक सुझाव पर क्रियान्वयन किया जा सके। राजनीतिक जागरूकता के सुझाव हेतु बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के अतर्रा स्नाकोत्तर महाविद्यालयीके शिक्षक शिक्षा विभाग के विभागाध्यक्ष एवं राजा देवी महाविद्यालयीबाँदा के शिक्षक शिक्षा विभाग के विशेषज्ञों द्वारा एवं राजनीति विज्ञान के दो विषय विशेषज्ञों का चयन यादृच्छिक विधि द्वारा किया गया है।

चतुर्थ अध्याय-प्रदत्तों का विश्लेषण एवं निर्वचन

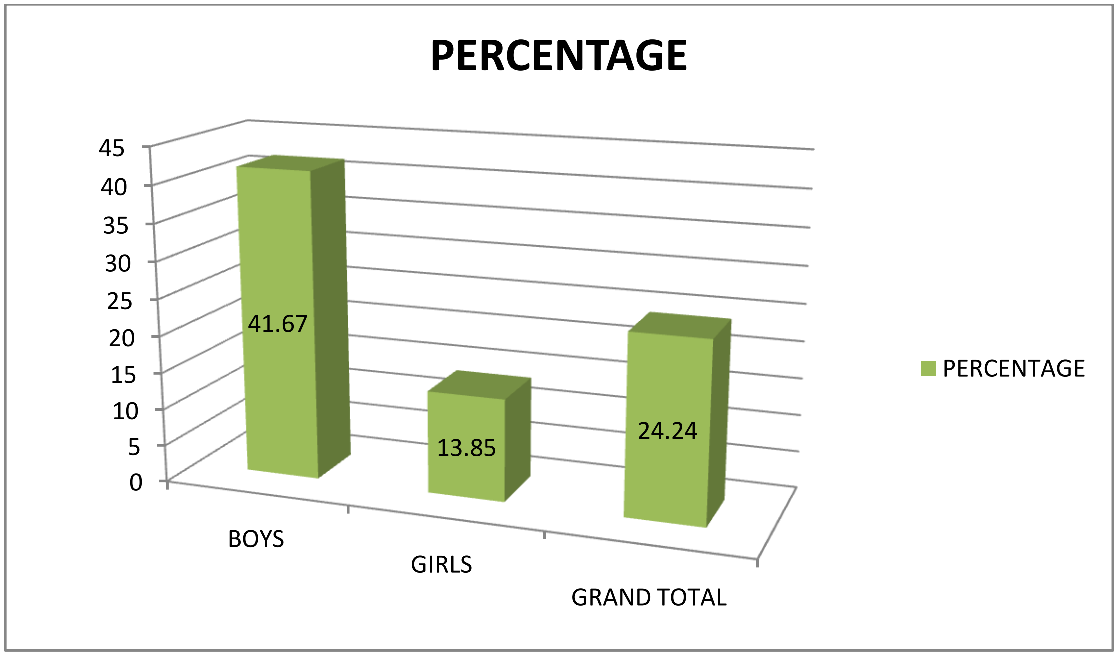
खण्ड (अ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे-

प्रश्न-4.1 डोकलाम किससे सम्बन्धित है?

तालिका संख्या-4.1

डोकलाम के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	15	41.67
छात्राएं	65	9	13.85
कुल विद्यार्थियों	99	24	24.24



डोकलाम के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.1

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.1 एवं चित्र संख्या 4.1 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों की राजनीतिक जागरूकता में छात्रों का प्रतिशत 44.12 है तथा छात्राओं का प्रतिशत 13.85 है एवं कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत 24.24 है | इसमें अधिक प्रतिशत छात्रों का पाया गया अल्पप्रतिशत छात्राओं का पाया गया जो छात्रों की तुलना में 3 प्रतिशत से भी अधिक है | तालिका संख्या 4.1 एवं चित्र संख्या 4.1 से स्पष्ट है कि डोकलाम के सम्बन्ध में 44%छात्र जागरूक हैं जबकि छात्राओं में डोकलाम के सम्बन्ध में जागरूकता मात्र 14% है |इस प्रकार कुल एक चौथाई से भी कम विद्यार्थियों डोकलाम से परिचित है|

विवेचना

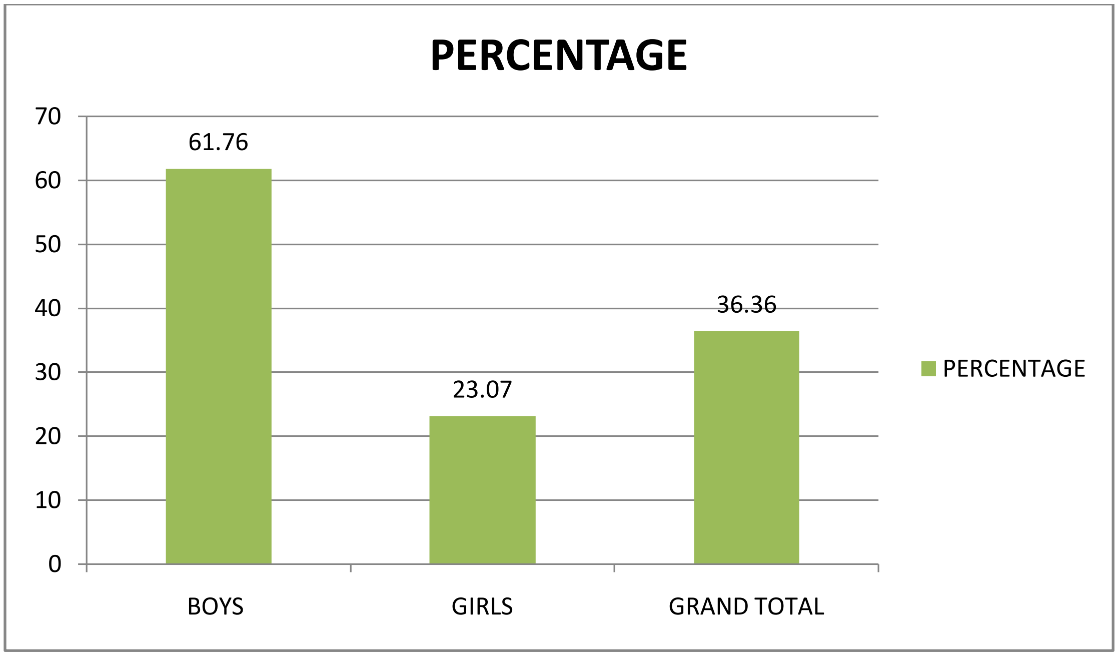
अध्ययन से स्पष्ट है कि आधे से भी कम छात्र डोकलाम से परिचित हैं इसका मुख्य कारण है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी छात्रों में नहीं है ,साथ ही समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं छात्रों का दैनिक अध्ययन न किया जाना है तथा महाविद्यालयी स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा –परिचर्चा का भी न होना एक मुख्य कारण है| डोकलाम के सम्बन्ध में छात्राओं की जागरूकता मात्र 14%है इससे यह प्रतीत होता है कि परिवार से लेकर महाविद्यालयी स्तर तक छात्राओं को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में कोई विशेष जानकारी प्रदान न करके सिर्फ घरेलू कार्यों में संलग्न रखा जाता है |ऐसा प्रतीत होता है कि छात्राएं दूरदर्शन , समाचार पत्र एवं पत्रिकाएँ का अध्ययन दैनिक नहीं कर पाती हैं | उपर्युक्त विश्लेषण , से स्पष्ट है कि डोकलाम के सम्बन्ध मे जानकारी का स्तर छात्राओं में अति निम्न है | अतःइससे यह प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों को समय - समय पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की समुचित जानकारी प्रदान नहीं की जाती है|

प्रश्न-2 चीन आर्थिक गलियारा किन दो देशों से संबन्धित परियोजना है ?

तालिका संख्या 4.2

चीन आर्थिक गलियारा के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	21	61.76
छात्राएं	65	15	23.07
कुल विद्यार्थियों	99	36	36.36



चीन आर्थिक गलियारा के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.2

विश्लेषण

उपरोक्त तालिका संख्या 4.2 एवं चित्र संख्या 4.2 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता छात्रों में 61.76 % है तथा छात्राओं में 23.07% है एवं कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत 36.36 है इसमें अधिक जागरूकता प्रतिशत छात्रों में पाया गया तथा अल्प जागरूकता प्रतिशत छात्राओं में पाया गया जो छात्रों की तुलना में काफी कम है | तालिका संख्या 4.2 एवं चित्र संख्या 4.2 से स्पष्ट है कि चीन आर्थिक गलियारा के बारे में 61% छात्र जागरूक हैं तथा छात्राएं मात्र 23% हैं | इस प्रकार एक चौथाई से भी कम विद्यार्थियों चीन आर्थिक गलियारा के बारे जागरूक है|

विवेचना

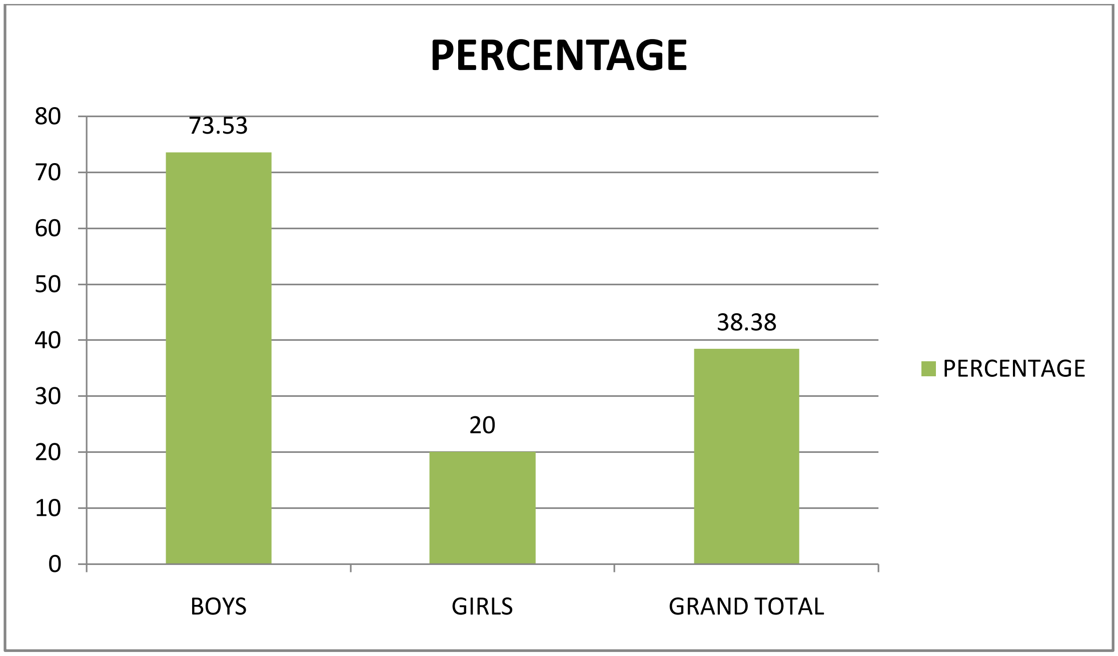
उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आधे से भी कम विद्यार्थियों चीन आर्थिक गलियारा से परिचित नहीं हैं इसका मुख्य कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में विद्यार्थियों मे पर्याप्त रुचि एवं पत्र –पत्रिकाओं ,समाचार पत्र आदि से परिचित न होना हैं तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर पर्याप्त चर्चा एवं परिचर्चा का न होना भी है |चीन आर्थिक गलियारा के सम्बन्ध में छात्राओं का प्रतिशत मात्र 23.07 है इस जागरूकता स्तर से पता चलता है कि छात्राएं जिस परिवेश में रह रहीं हैं वहाँ पर सिर्फ घरेलू कार्यों में उन्हें सलग्न रखा जाता है जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय जानकारियों से वंचित रह जाती हैं |अतःअध्ययन से स्पष्ट है कि विद्यार्थियों का अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में जानकारी का स्तर अत्यंत निम्न है| इससे यह प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के सम्बन्ध में समुचित जानकारी समय –समय पर प्रदान नहीं की जाती है|

प्रश्न -3 सियाचिन विवाद किन देशों से संबन्धित है ?

तालिका 4.3

सियाचिन के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	25	73.53
छात्राएं	65	13	20
कुल विद्यार्थियों	99	38	38.38



सियाचिन के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.3

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.3 एवं चित्र संख्या 4.3 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों की राजनीतिक जागरूकता में छात्र 73.53% है तथा छात्राओं का 20% है एवं कुल विद्यार्थियों का 38.38% है |इसमें जागरूकता का प्रतिशत छात्रों में अधिक पाया गया तथा अत्यंत अल्प जागरूकता का स्तर छात्राओं में पाया गया जो छात्रों की तुलना में तीन गुना कम है |तालिका संख्या 4.3 एवं चित्र संख्या 4.3 से स्पष्ट है कि सियाचिन के सम्बन्ध में 73% छात्र जागरूक हैं जबकि छात्राओं में इस सियाचिन ग्लेशियर के प्रति जागरूकता मात्र 20% है जो यह दर्शाता है कि ¼ % विद्यार्थियों ही चीन आर्थिक गलियारा से परिचित हैं|

विवेचना

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि मात्र एक तिहाई विद्यार्थियों ही सियाचिन से परिचित हैं इसका मुख्य कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान से विद्यार्थियों द्वारा समयानुसार परिचित न हो पाना है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का विद्यार्थियों द्वारा दैनिक अध्ययन न किया भी है | सियाचिन ग्लेशियर के सम्बन्ध में छात्राओं की जागरूकता मात्र 20% है इससे यह प्रतीत होता है कि उनके परिवारों में शिक्षा का स्तर अत्यंत निम्न होने के कारण सिर्फ और सिर्फ घरेलू कार्यों में छात्राएं संलग्न रहती हैं जिससे वे दूरदर्शन , समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं सदैव विरत रहती हैं जिसके कारण सियाचिन जैसे मुद्दों से अनभिज्ञ बनी रहती हैं | अतः इससे स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में विद्यार्थियों का स्तर अत्यधिक निम्नहै जिसका मुख्य कारण समय- समय पर विद्यार्थियों को संसार में हो रही घटनाओं से परिचित न कराना है|

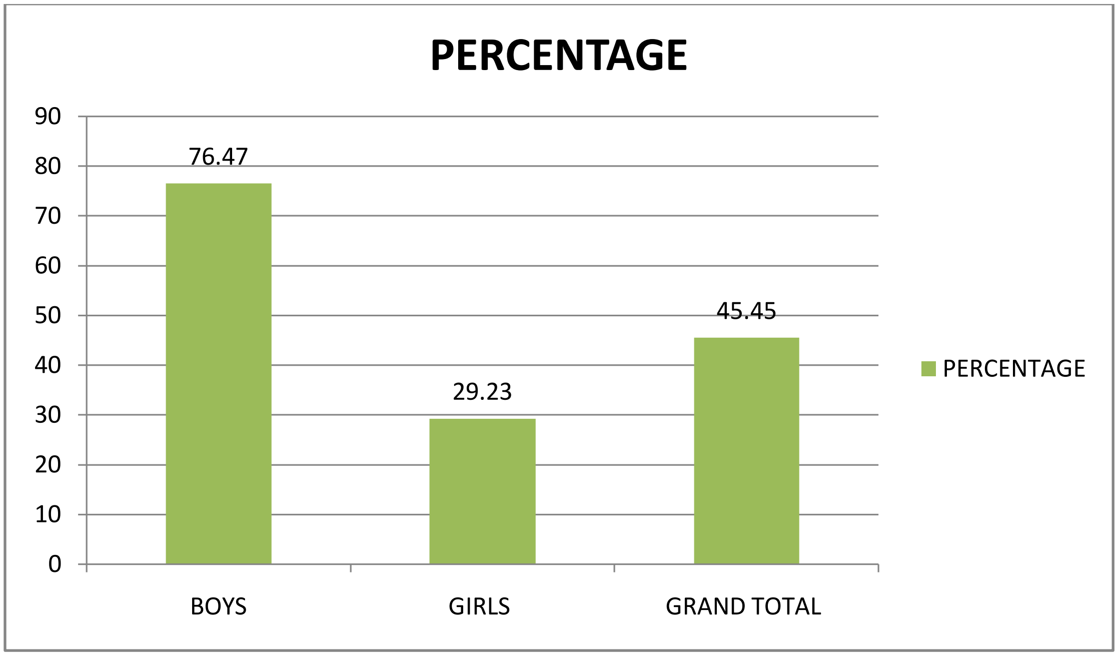
प्रश्न -4 अक्साई -चिन विवाद किन देशों से संबन्धित हैं ?

तालिका संख्या 4.4

अक्साई- चिन विवाद के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	26	76.47
छात्राएं	65	19	29.23

कुल विद्यार्थियों	99	45	45.45



अक्साई- चिन के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.4

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.4 एवं चित्र संख्या 4.4 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता छात्रों में 76.47 % है तथा छात्राओं में 29.23% है एवं कुल विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता 45.45% हैं| कुल विद्यार्थियों में से छात्रों का जागरूकता प्रतिशत अधिक है जबकि छात्राओं का जागरूकता प्रतिशत अल्प पाया गया है जो छात्रों की तुलना में दोगुना से भी कम पाया गया | अतः तालिका संख्या 4.4 एवं चित्र संख्या 4.4 से स्पष्ट होता है कि अक्साई- चिन के सम्बन्ध में 76%छात्र जागरूक हैं तथा छात्राओं में इसके प्रति जागरूकता मात्र 29% है इससे यह ज्ञात होता है कि अक्साई- चिन के बारें में कुल 1/3% विद्यार्थियों ही जागरूक हैं|

विवेचना

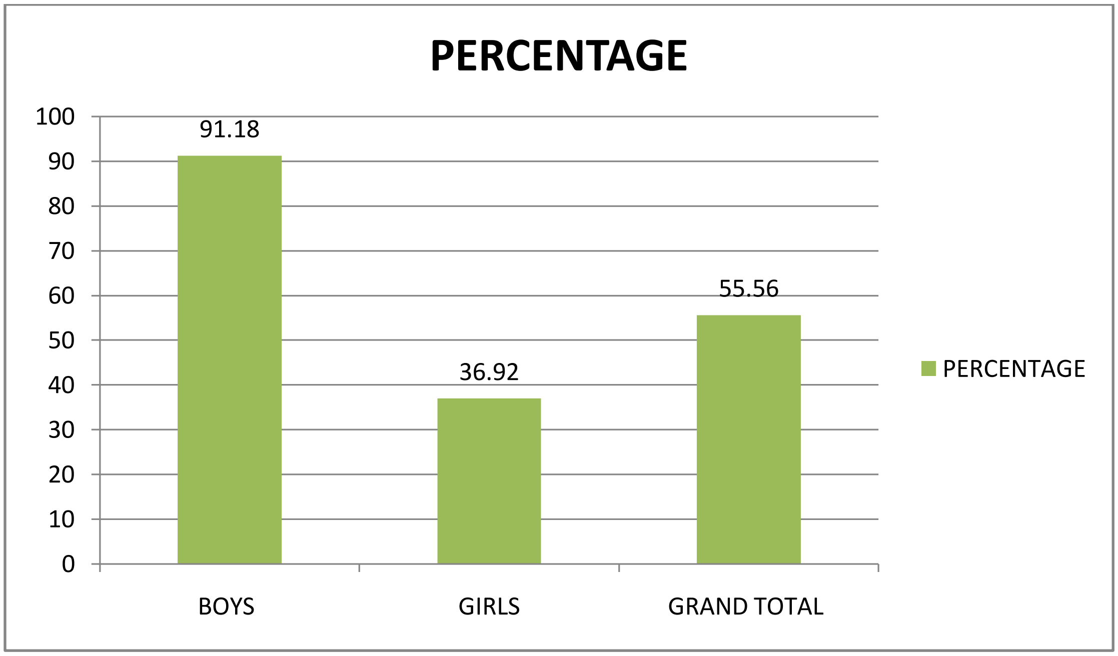
उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आधे से भी कम विद्यार्थियों अक्साई चिन से परिचित है जानकारी प्रदान न करना है तथा साथ ही अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का दैनिक अध्ययन न किया जाना भी इसका मुख्य कारण है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी का छात्रों द्वारा समय –समय पर समुचित अध्ययन न किया जाना एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा –परिचर्चा में अपनी सहभागिता न करना भी है| अक्साई- चिन के सम्बन्ध में छात्राओं की जागरूकता का स्तर मात्र 29% है इससे यह प्रतीत होता है कि छात्राओं को परिवारों में उचित अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी प्रदान न करके सिर्फ उन्हें घरेलू कार्यों में संलग्न रखा जाता है साथ ही छात्राओं को सोशल मीडिया एवं पत्र –पत्रिकाओं के अध्ययन से विरत रखा जाता है|

प्रश्न -5 अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबन्धित है ?

तालिका 4.5

अनुच्छेद -370 के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	31	91.18
छात्राएं	65	24	36.92
कुल विद्यार्थियों	99	55	55.56



अनुच्छेद 370 के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.5

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.5 एवं चित्र संख्या 4.5 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों की राजनीतिक जागरूकता में छात्रों का प्रतिशत 91.18 है तथा छात्राओं का प्रतिशत 36.92 है एवं कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत 55.56 है इसमें अत्यधिक प्रतिशत छात्रों का पाया गया तथा अल्प प्रतिशत छात्राओं का पाया गया जो छात्रों की तुलना में लगभग तीन प्रतिशत से भी कम है | तालिका संख्या 4.5 एवं चित्र संख्या 4.5 से स्पष्ट है कि अनुच्छेद 370 के सम्बन्ध में 91% छात्र जागरूक है तथा छात्राओं में मात्र 36% जागरूकता है | इस प्रकार कुल मात्र 55% ही विद्यार्थियों अनुच्छेद 370 के बारे में जागरूक हैं।

विवेचना

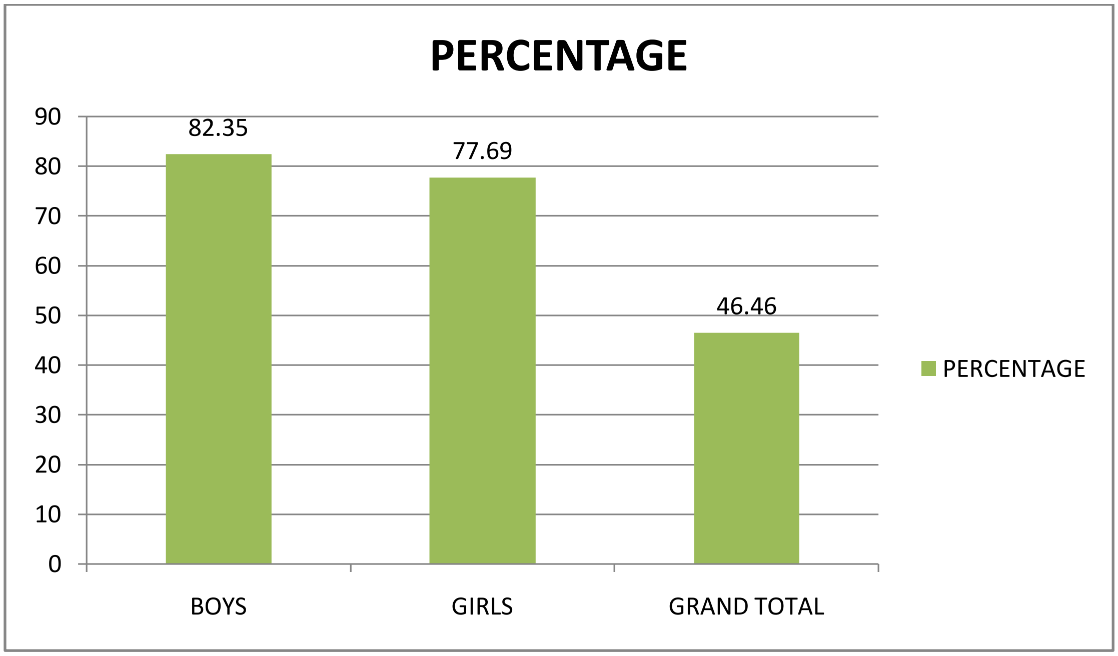
उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि मात्र आधे विद्यार्थियों ही अनुच्छेद 370 के बारे में परिचित हैं कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी विद्यार्थियों में न होना है तथा साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पत्र –पत्रिकाओं एवं समाचारपत्रों का नियमित अध्ययन न किया जाना है। अनुच्छेद 370 के सम्बन्ध में छात्राओं की जागरूकता मात्र 36% है इससे यह प्रतीत होता है कि परिवार से लेकर महाविद्यालयी स्तर तक छात्राओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के बारे में कोई विशेष जानकारी प्रदान नही की जाती है , उन्हे सिर्फ घरेलू कार्यों मे संलग्न रखा जाता है। अतः इस अध्ययन से स्पष्ट है कि छात्राओं का अनुच्छेद 370 के बारे में अध्ययन का स्तर अत्यंत निम्न है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों को समयानुसार अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धोंके बारे समुचित जानकारी प्रदान नही की गई है।

प्रश्न-6-विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है?

तालिका-4.6

विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	28	82.35
छात्राएं	65	18	77.69
कुल विद्यार्थियों	99	46	46.46



विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.6

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.6 एवं चित्र संख्या 4.6 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता में छात्रों की जागरूकता का स्तर मात्र 82.35 है तथा छात्राओं में जागरूकता का स्तर मात्र 77.69%है एवं कुल विद्यार्थियों का जागरूकता स्तर 46.46 है। इसमें छात्रों का जागरूकता परिषद अधिक पाया गया है तथा छात्राओं का जागरूकता स्थान अल्प पाया गया है जो छात्रों की तुलना में लगभग काफी कम है। कुल विद्यार्थियों का जागरूकता स्तर विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के सम्बन्ध में 50% से भी कम है। अतः ताल का संख्या 4.6 एवं चित्र संख्या 4.6 से स्पष्ट है कि विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के सम्बन्ध में

आधे से अधिक छात्र जागरूक है तथा छात्राएं छात्रों की तुलना में काफी कम जागरुक हैं इस प्रकार कुल मिलाकर विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के सम्बन्ध में विद्यार्थियो का जागरूकता स्तर मात्र 46% है।

विवेचना

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आधे से भी कम विद्यार्थियों विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के बारे में परिचित हैं इसका मुख्य कारण है कि विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की जानकारी समय-समय पर ना देना साथ ही समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का विद्यार्थियों द्वारा दैनिक अध्ययन भी ना किया जाना है एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर नियमित चर्चा परि- चर्चा का ना होना भी है।विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के सम्बन्ध में छात्राओं की जागरूकता का स्तर मात्र 77% है, इससे यह प्रतीत होता है कि छात्रों की तुलना में छात्राओं में विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के बारे में जानकारी का विस्तार निम्न है जिसका मुख्य कारण है छात्राओं का घरेलू कार्यों में संलग्न रहना एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के अध्ययन से विरत रहना भी है। अतः दिन से स्पष्ट है कि विद्यार्थियों का अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के बारे में जानकारी का स्तर काफी कम है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की संपूर्ण जानकारी समय-समय पर प्रदान नहीं की जाती है।

प्रश्न-7 सियाचिन का शाब्दिक अर्थ क्या है ?

तालिका संख्या 4.7

सियाचिन के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत

छात्र	**34**	**0**	**0**
छात्राएं	**65**	**0**	**0**
कुल विद्यार्थियों	**99**	**0**	**0**

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.7 एवं चित्र संख्या 4.7 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 0% छात्राओं में 0% तथा कुल विद्यार्थियों मे 0% ही प्रतीत होता है। छात्र ,छात्राओं एवं कुल विद्यार्थियों में सियाचिन के सम्बन्धमें जागरूकता का स्तर 0%ही प्रतीत होता है। अतः तालिका संख्या 4.7 एवं चित्र संख्या 4.7 से स्पष्ट है कि सभी विद्यार्थियों सियाचिन के सम्बन्ध में अपरचित प्रतीत होते हैं ।

विवेचना

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि सियाचिन के सम्बन्ध में महाविद्यालयी कुल विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर 0% प्रतीत होता है जिसमे छात्र एवं छात्राएं सियाचिन के सम्बन्ध में अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं जिसका प्रमुख कारण है कि महाविद्यालयीस्तर पर विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के सम्बन्ध में शिक्षकों द्वारा भालिभाती ज्ञान प्रदान नही किया गया है तथा साथ ही विद्यार्थियों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र , पत्रिकाओं का उनके द्वारा दैनिक अध्ययन न किया जाना है एवं विभिन्न वेबसाइट्स ,विकिपीडिया पेज आदि का भी अध्ययन समय –समय पर न किया जाना है।

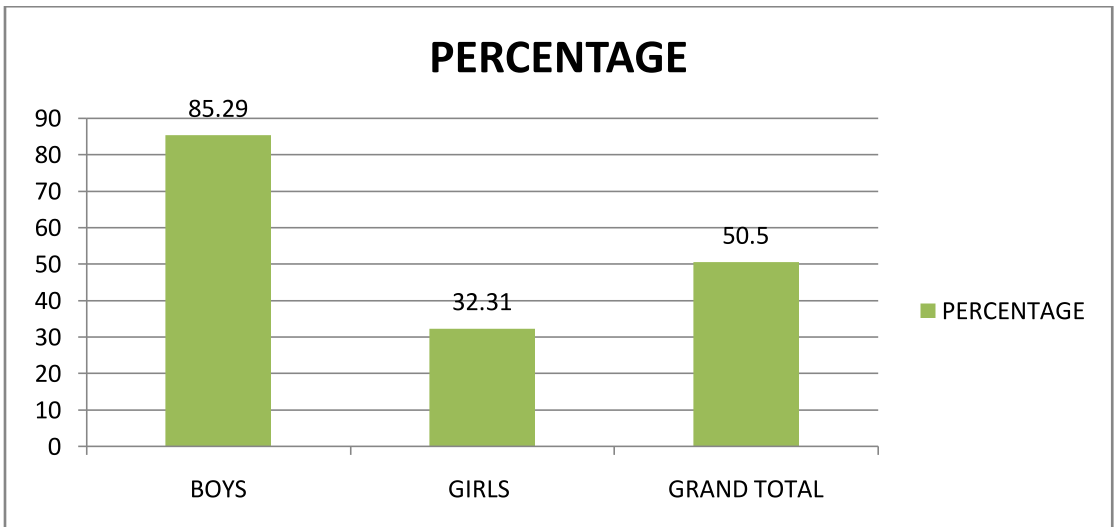
प्रश्न-8 भारत चीन के मध्य कौन -सी सीमा रेखा है?

तालिका-4.8

भारत और चीन सीमा रेखा के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	29	85.29
छात्राएं	65	21	32.31
कुल विद्यार्थियों	99	50	50.5

\



भारत और चीन सीमा रेखा के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.8

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.8 एवं चित्र संख्या 4.8 के अध्ययन से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों की राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 85.29% है तथा छात्राओं में 32.31% है एवं कुल विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर 50.5% है। इससे यह पता चलता है कि छात्रों में छात्राओं की अपेक्षा भारत और चीन सीमा रेखा के सम्बन्ध में जागरूकता तीन गुना अधिक पायी गई है तथा छात्राओं में अल्प जागरूकता पाई

गई है। ताल का संख्या 4.8 एवं चित्र संख्या 4.8 से स्पष्ट है कि भारत चीन सीमा रेखा के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों की जागरूकता का स्तर मात्र आधे से अधिक ही है।

विवेचना

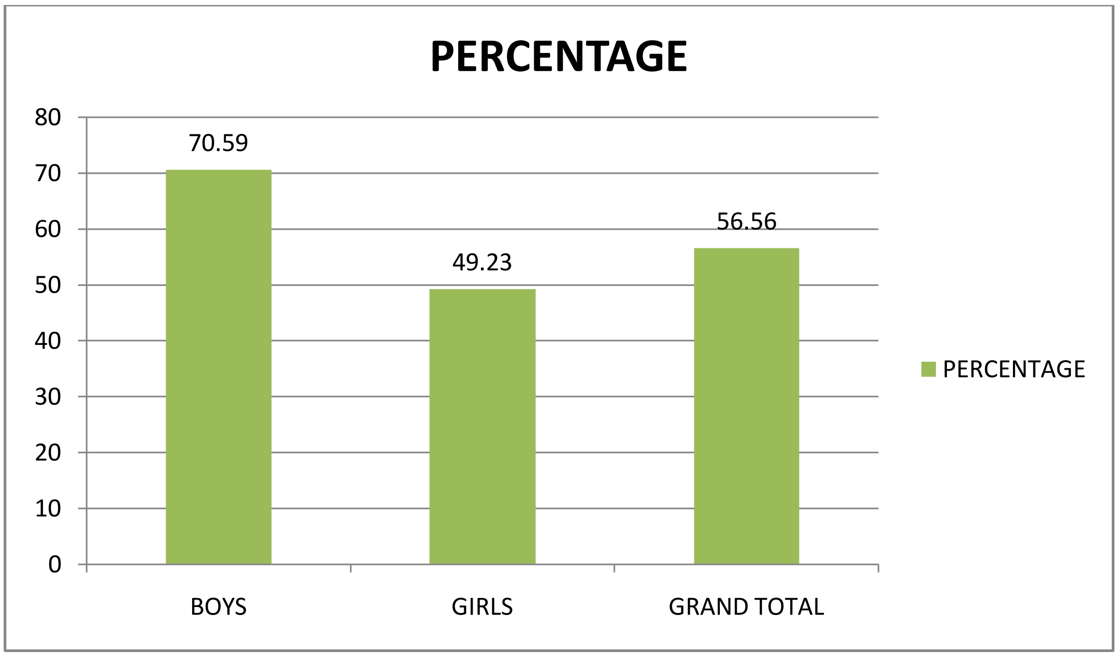
उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि मात्र आधे से अधिक विद्यार्थियों ही भारत चीन सीमा रेखा के सम्बन्ध में परिचित हैं इसके सम्बन्ध में जागरूकता स्तर कम होने का मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर की जानकारी विद्यार्थियों को प्रदान ना करना साथ ही समाचार पत्र एवं पत्रकार का दैनिक अध्ययन भी विद्यार्थियों द्वारा किया जाना है एवं महाविद्यालयी स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के सम्बन्ध में चर्चा पर चर्चा का नियमित आयोजन भी न किया जाना है। भारत चीन सीमा रेखा के सम्बन्ध में छात्रों की जागरूकता का स्तर 85% है जबकिछात्राओं का जागरूकता स्तर मात्र 32% है इससे स्पष्ट होता है कि छात्रों की अपेक्षा छात्राएं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों एवं समाचार पत्र पत्र का टेलीविजन एवं सोशल मीडिया से दूर रहती है इसका मुख्य कारण है कि वह सदैव घरेलू कार्यों में संलग्न रहती हैं जिसके कारण उनके जागरूकता स्तर में कमी पाई गई है।कुल मिलाकर विद्यार्थियों को कुल जागरूकता स्तर मात्र 50% है जो एक अति निम्न जागरूकता का सूचक भी है जिसका मुख्य कारण विद्यार्थियों में अंतरराष्ट्रीय मुद्दों की गहरी समझ एवं रुचि का ना होना भी है।

प्रश्न-9 भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है?

तालिका-4.9

भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	**34**	**24**	**70.59**
छात्राएं	**65**	**32**	**49.23**
कुल विद्यार्थियों	**99**	**56**	**56.56**



भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.9

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.9 एवं चित्र संख्या 4.9 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों की राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 79.59 % है तथा छात्राओं में 49.23% है एवं कुल विद्यार्थियों की जागरूकता का स्तर 50.56% है। इसमें जागरूकता का स्तर भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के सम्बन्ध में छात्रों में अधिक पाया

गया है जबकि छात्राओं में यह स्तर अल्प मात्रा में पाया गया है जो छात्रों की तुलना में लगभग आधा है। तालिका का संख्या 4.9 एवं चित्र संख्या 4.9 से स्पष्ट है कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों का जागरूकता स्तर मात्र 50% है जो अति निम्न है।

विवेचना

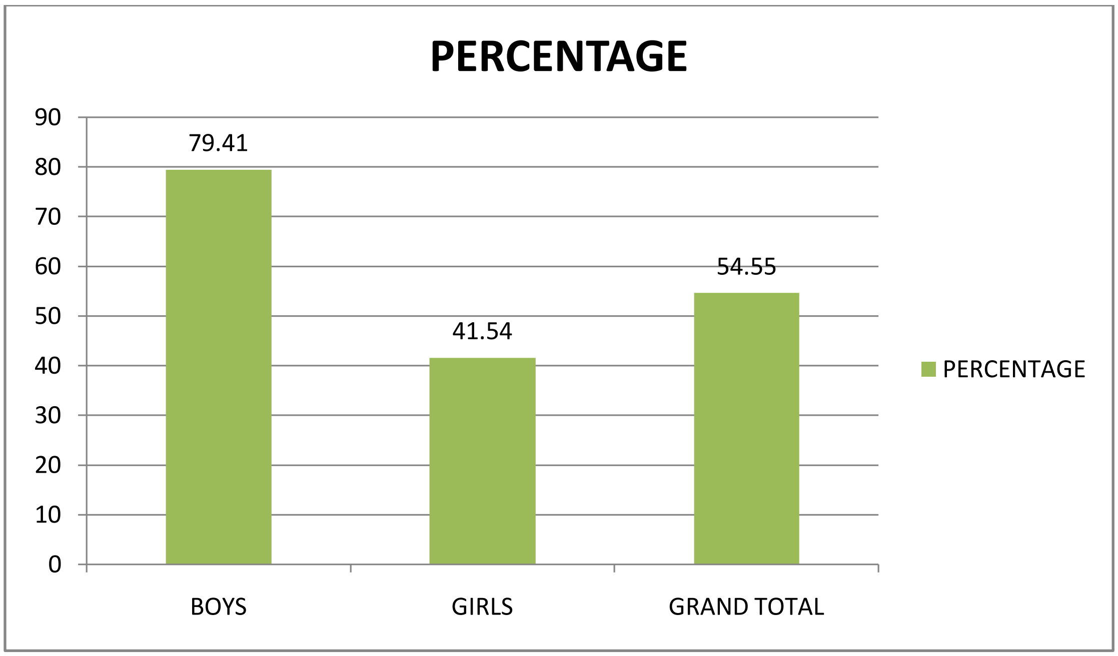
उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि मात्रा 50% विद्यार्थियों भारत के राष्ट्रीय चिन्ह से परिचित हैं जो एक भारत के राष्ट्रीय मुद्दों के सम्बन्ध में अति निम्न जागरूकता को दर्शाता है इससे यह स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों को अपने परिवार एवं महाविद्यालयी में राष्ट्रीय स्तर की जानकारी विभिन्न समाचार पत्रों ,पत्रिकाओं एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदान नहीं की जाती है तथा उन्हें दैनिक पत्र-पत्रिकाओं एवं समाचार पत्रों के अध्ययन के प्रति प्रोत्साहित भी नहीं किया जाता है और पर्याप्त रूप से राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा- परिचर्चा का आयोजन भी नहीं किया जाना एक प्रमुख कारण है। राष्ट्रीय चिन्ह के सम्बन्ध में छात्राओं की जागरूकता का स्तर मात्र 49% है जबकि छात्रों में राष्ट्रीय चिन्ह के प्रति जागरूकता का स्तर अधिक है इससे यह प्रतीत होता है कि छात्राओं को सिर्फ घरेलू कार्यों में संलग्न है रखा जाता है तथा उन्हें राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति समुचितजानकारी प्रदान नहीं की जाती है साथ ही इंटरनेट ,इलेक्ट्रॉनिक मीडिया , एवं विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं के उपयोग को बढ़ावा ना देकर घरेलू कार्यों तक ही सीमित रखा जाता है अतः इस अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में विद्यार्थियों का स्तर अति निम्न स्तर का है और विद्यार्थियों को समय समय पर राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में जानकारी नियमित रूप से प्रदान नहीं की गई है।

प्रश्न-10 भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है?

तालिका-4.10

भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	27	79.41
छात्राएं	65	27	41.54
कुल विद्यार्थियों	99	54	54.55



भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों मेंराजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.10

\

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.10 एवं चित्र संख्या 4.10 से स्पष्ट है कि भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 79. 41% है तथा छात्राओं में 41.54% है एवं कुल विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर मात्र 54.55% है। इसमें भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के

सम्बन्ध में छात्रों का जागरूकता का स्तर अधिक पाया गया तथा छात्राओं का जागरूकता स्तर अल्प मात्रा में पाया गया जो छात्रों की तुलना में 50%से कम है ऐसा प्रतीत होता है जो छात्रों से काफी निम्न स्तर का है। तालिका संख्या 4.10 एवं चित्र संख्या 4.10 से स्पष्ट है कि विद्यार्थियों का कुल जागरूकता स्तर भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के सम्बन्ध में मात्र 50% है जो राष्ट्रीय मुद्दों की दृष्टि से अति निम्न स्तर का प्रतीत होता है।

विवेचना

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि मात्र   50% विद्यार्थियों ही भारत के राष्ट्रीय वृक्ष से परिचित हैं जो यह स्तर अति निम्न है इसका मुख्य कारण है कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की संक्षिप्त जानकारी छात्रों को समय-समय पर प्रधान ना करना एवं राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं पत्रकारों का भी अध्ययन दैनिक छात्रों द्वारा न किया जाना है एवं महाविद्यालयी स्तर पर शिक्षकों द्वारा राष्ट्रीय मुद्दों पर नियमित चर्चा -परिचर्चा का आयोजन न किया जाना भी है। भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के सम्बन्ध में छात्राओं की जागरूकता का स्तर मात्र 50% से भी कम है जो यह दर्शाता है कि छात्रों की अपेक्षा छात्राएं अन्य कार्यों में संलग्न रहती हैं मुख्य रूप से घरेलू कार्यों में समय अधिक दिया जाना है जबकि राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में अधिक रुचि ना लेना एवं शिक्षकों के संपर्क में समय-समय पर राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में जानकारी न लेने में रुचि ना रखना भी एक मुख्य कारण है तथा राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र,पत्रिकाओं एवं इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि से दूरी बनाए रखना भी है।

प्रश्न -11 भारत में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं?

तालिका संख्या 4.11

भारत की राज्यसभा सीटों के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	0	0
छात्राएं	65	0	0
कुल विद्यार्थियों	99	0	0

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.11 एवं चित्र संख्या 4.11 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों मे 0% , छात्राओं में 0%तथा कुल विद्यार्थियों में भी 0% प्रतीत होता है। इसमें छात्रों एवं छात्राओं में कुल जागरूकता स्तर 0% पाया गया है। तालिका संख्या 4.11 एवं चित्र संख्या 4.11 से स्पष्ट होता है कि छात्र एवं छात्राएं भारत की राज्यसभा सीटों के सम्बन्ध में बिलकुल ही अपरिचित प्रतीत होते हैं।

विवेचना

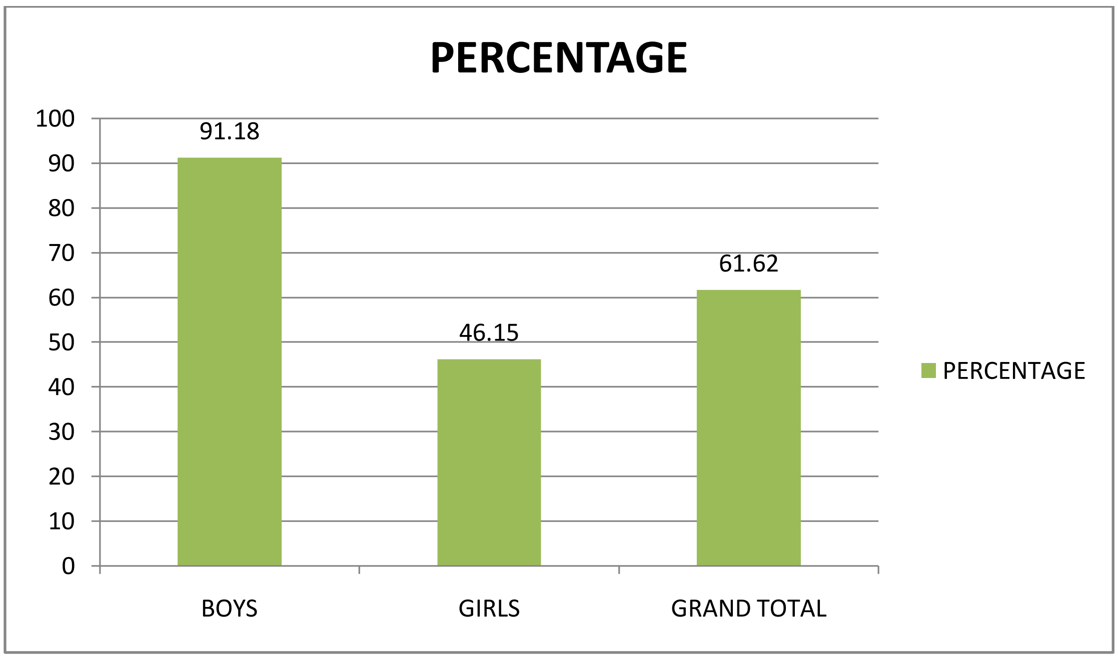
उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत की राज्यसभा सीटों के सम्बन्ध में महाविद्यालयी कुल विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का 0% प्रतीत होता है जिसका प्रमुख कारण है कि महाविद्यालयीस्तर पर शिक्षकों द्वारा समय –समय पर भारत के संविधान तथा कार्यपालिका ,व्यवस्थापिका , न्यायपालिका एवं संसद के सम्बन्ध में छात्र ,छात्राओं को कोई भी जानकारी प्रतीत होती है। है।

प्रश्न-12 संवैधानिक दर्जा प्राप्त भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं?

तालिका-4.12

संवैधानिक दर्जा प्राप्त भारत की भाषाओं के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	31	91.18
छात्राएं	65	30	46.15
कुल विद्यार्थियों	99	61	61.62



संवैधानिक दर्जा प्राप्त भारत की भाषाओं के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.12

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.12 एवं चित्र संख्या 4.12 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी स्तर के विद्यार्थियों की राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 91.18% है एवं छात्राओं में 46.15% है तथा कुल विद्यार्थियों में संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषाओं के सम्बन्ध में जागरूकता का स्तर 61.62% पाया गया है। इसमें छात्रों की जागरूकता

का स्तर छात्राओं की अपेक्षा दुगना है। तालिका संख्या 4.12 एवं चित्र संख्या 4.12 से स्पष्ट होता है कि संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषाओं के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों की जागरूकता का स्तर मात्र 50% से भी कम है जो अत्यंत निम्न स्तर का प्रतीत होता है।

विवेचना

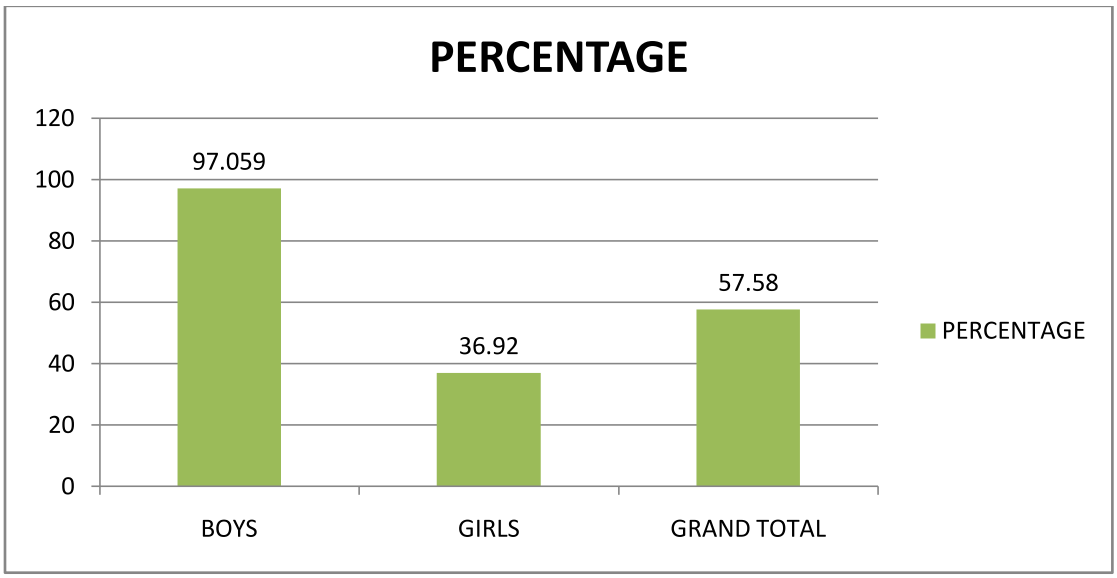
उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि 50% से भी कम विद्यार्थियों भारत की संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषाओं के सम्बन्ध में परिचित नहीं है इसका मुख्य कारण है कि छात्रों को समय समय पर सामूहिक चर्चा -परिचर्चा का आयोजन शिक्षकों द्वारा ना किया जाना है तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का दैनिक अध्ययन विद्यार्थियों द्वारा ना किया जाना भी है। संवैधानिक दर्जा प्राप्त भाषाओं के सम्बन्ध में छात्राओं की जागरूकता का स्तर मात्र 6% है इससे यह प्रतीत होता है कि परिवार से लेकर महाविद्यालयी स्तर तक छात्राओं को समुचित दिशा निर्देशन समय-समय पर प्रदान नहीं किया जाता है और ना ही उन्हें प्रोत्साहन राष्ट्रीय मुद्दों के सम्बन्ध में किया जाता है और छात्राएं सिर्फ घरेलू कार्यों में संलग्न रहकर दूरदर्शन , समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं, इंटरनेट आदि संचार माध्यमों से प्रयोग से दिन प्रतिदिन दूर हो जाती हैं जिससे वह राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में परिचित होने से वंचित भी रह जाती हैं। अतः अध्ययन से स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों की राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में जानकारी के सत्य निम्न प्रतीत होता है जिसका कारण राष्ट्रीय मुद्दों की संचित जानकारी ना होना एवं उनके प्रति रुचि तथा विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के संपर्क में न रहना भी एक कारण है।

प्रश्न-13 नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है?

तालिका संख्या -4.13

नीति आयोग के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियो में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	33	97.059
छात्राएं	65	24	36.92
कुल विद्यार्थियों	99	57	57.58



नीति आयोग के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.13

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.13 एवं चित्र संख्या 4.13 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों की राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 97.59%, एवं छात्राओं में 36.92% तथा कुल विद्यार्थियों में नीति आयोग के

सम्बन्ध में जागरूकता का स्तर मात्र 57. 58% है। इसमें छात्रों का जागरूकता स्तर छात्राओं की अपेक्षा दोगुने से अधिक है। कुल मिलाकर विद्यार्थियों की नीति आयोग के सम्बन्ध में जागरूकता का स्तर मात्र 50% से अधिक है जो जागरूकता निम्न स्तर है।

विवेचना

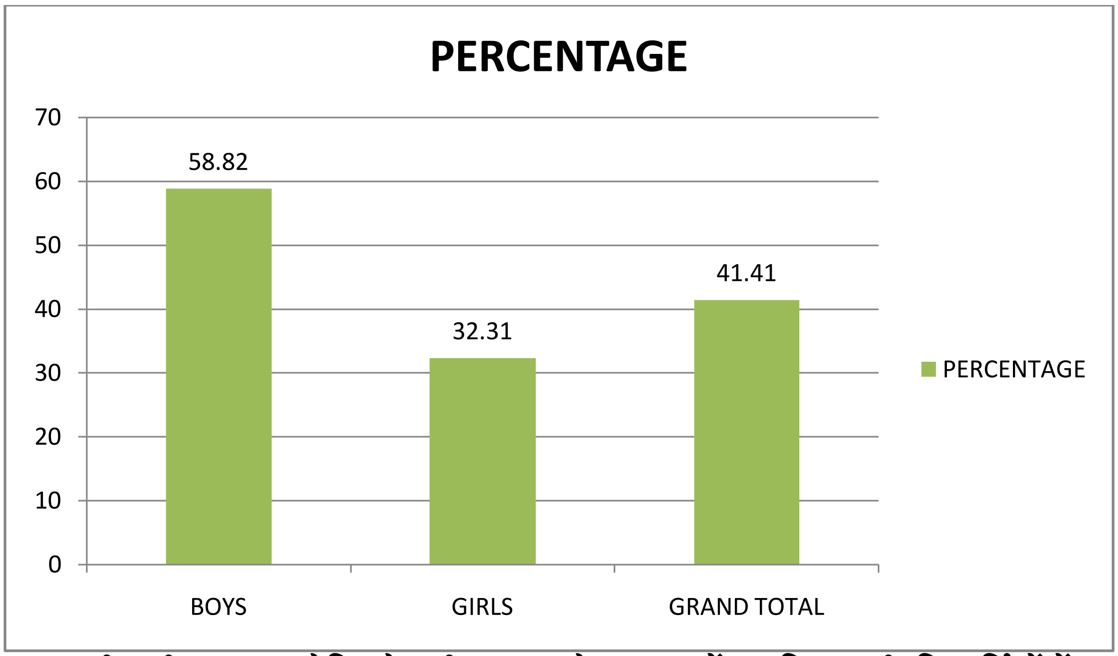
उपरोक्त विश्लेषण के अध्ययन से स्पष्ट है कि कुल विद्यार्थियों में नीति आयोग के सम्बन्ध में जागरूकता का स्तर मात्र 57 फ़ीसदी है अर्थात सभी विद्यार्थियों नीति आयोग के सम्बन्ध में 50% से ही अधिक जागरूक हैं इसका मुख्य कारण है कि विद्यार्थियों में राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का अभाव होना एवं राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं पत्रकार की समुचित जानकारी समय-समय पर शिक्षकों द्वारा प्रदान किया जाना है तथा राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा -परिचर्चा का आयोजन भी नियमित रूप से न किया जाना है। नीति आयोग के सम्बन्ध में छात्राओं की जागरूकता मात्र 36% है जिससे स्पष्ट होता है कि छात्रों की अपेक्षा छात्राओं का राष्ट्रीय मुद्दों के सम्बन्ध में जागरूकता इस तरह की निम्न स्तर का प्रतीत होता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि छात्राएं राष्ट्रीय मुद्दों की अपेक्षा घरेलू कार्यों में अत्यधिक संलग्न रहती है जो इंटरनेट प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं पत्रकार के अध्ययन में नियमित रूप से सूची नहीं ले पाती हैं तथा साथ ही पारिवारिक पृष्ठभूमि अच्छी ना होना भी मुख्य कारण है।अतः अध्ययन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में अत्यंत निम्न स्तर का ज्ञान है तथा उन्हें समुचित मार्गदर्शन एवं परामर्श राजनीतिक मुद्दों के सम्बन्ध में समय अनुसार प्रदान न किया जाना भी है।

प्रश्न-14 भारत के वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का वरीयता क्रम क्या है?

तालिका संख्या- 4.14

माननीय श्री रामनाथ कोविंद के वरीयता क्रम के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	20	58.82
छात्राएं	65	21	32.31
कुल विद्यार्थियों	99	41	41.41



माननीय श्री रामनाथ कोविंद के वरीयता क्रम के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.14

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.14 एवं चित्र संख्या 4.14 से स्पष्ट है कि विद्यार्थियों की राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 58.82 %, छात्राओं में 32.31% एवं कुल विद्यार्थियों में 41.41 % है। इसमें छात्रों की जागरूकता

का स्तर छात्राओं की अपेक्षा दोगुना पाया गया है तथा छात्राओं का स्तर अल्प पाया गया है। कुल मिलाकर तालिका संख्या 4.14 एवम् चित्र संख्या 4.14 से स्पष्ट है कि श्री रामनाथ कोविंद के वरीयता क्रम के सम्बन्ध में मात्र आधे से अधिक छात्र जागरूक हैं जब की छात्राएं आधे से भी कम जागरूक हैं इस प्रकार 50% से भी कम विद्यार्थियों में कोविंद जी के वरीयता क्रम के बारे में जागरूक हैं।

विवेचना

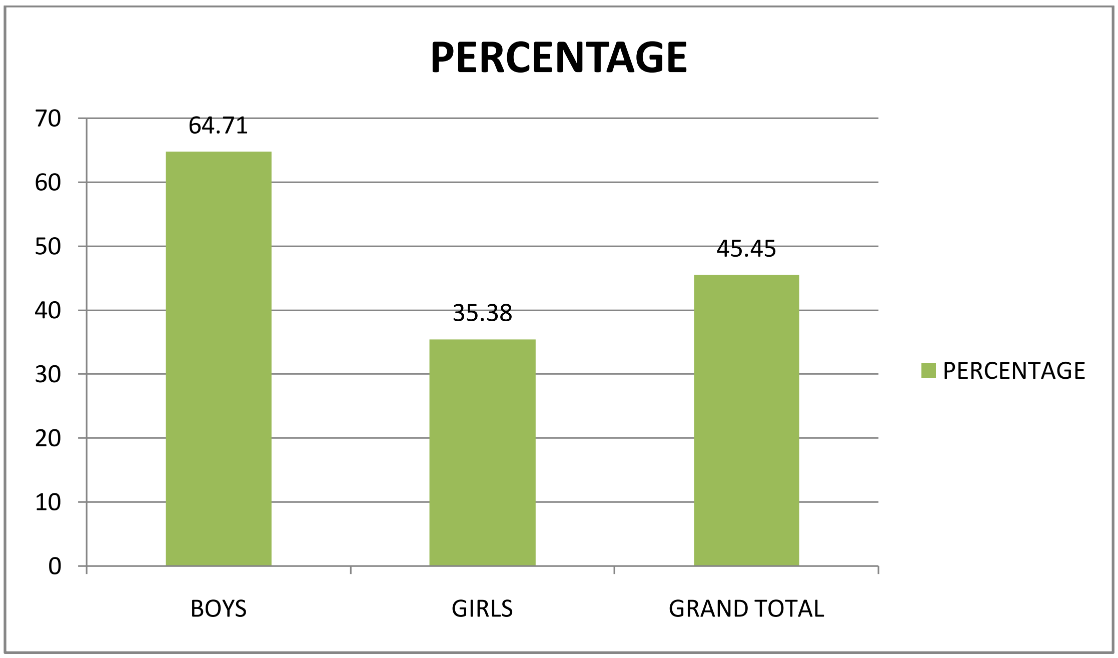
उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि 50% से भी कम विद्यार्थियों श्री रामनाथ कोविंद के वरीयता क्रम के बारे में परिचित है इसका मुख्य कारण है कि भारत के राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में पर्याप्त रूप से विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान नहीं की जाती है साथ ही राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का भी दैनिक अध्ययन विद्यार्थियों द्वारा न किया जाना है तथा शिक्षकों द्वारा महाविद्यालयी स्तर पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा का समय-समय पर आयोजन ना किया जाना भी है। श्री रामनाथ कोविंद जी के वरीयता क्रम के सम्बन्ध में मात्र 32% छात्राएं इनके क्रम के बारे में जानती हैं जो छात्रों की तुलना में आधे से भी कम है। इससे जो है प्रतीत होता है कि छात्राओं के परिवारिक माहौल एवं महाविद्यालयी स्तर पर राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में पर्याप्त रुचि एवं जानकारी का अभाव है तथा वे राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों पत्रिकाओं एवं इंटरनेट तथा सोशल मीडिया आदि साधनों के प्रयोग से व्रत रहती हैं और घरेलू कार्यों में सदैव संलग्न रहना एक मुख्य कारण है जो उन्हें राष्ट्रीय मुद्दों कजानकारी रखने हेतु काफी पीछे धकेल देता है अता हा अध्ययन से स्पष्ट है कि विद्यार्थियों का राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में जानकारी के स्तर अत्यंत निम्न है ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों को समय-समय पर राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित जानकारी समुचित रूप से प्रदान नहीं की जाती है चाहे घर पर हो या महाविद्यालयी स्तर पर सभी जगह वे इन जानकारियों से वंचित प्रतीत होते हैं।

प्रश्न-15 भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ……………………….?

तालिका संख्या -4.15

सूचना के अधिकार के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	22	64.71
छात्राएं	65	23	35.38
कुल विद्यार्थियों	99	45	45.45



सूचना के अधिकार के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.15

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.15 एवं चित्र संख्या 4.15 से स्पष्ट होता है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों की राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 64.71%, छात्राओं में 35.38% तथा कुल विद्यार्थियों में सूचना के अधिकार

के सम्बन्ध में जागरूकता का स्तर मात्र 48.45% है। जागरूकता अध्ययन में छात्रों का जागरूकता स्तर छात्राओं की अपेक्षा दुगुना प्रतीत होता है। तालिका संख्या 4.15 एवं चित्र संख्या 4.15 से स्पष्ट है कि सूचना के अधिकार के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों की जागरूकता 45% है जो अत्यंत ही निम्न स्तर की है।

विवेचना

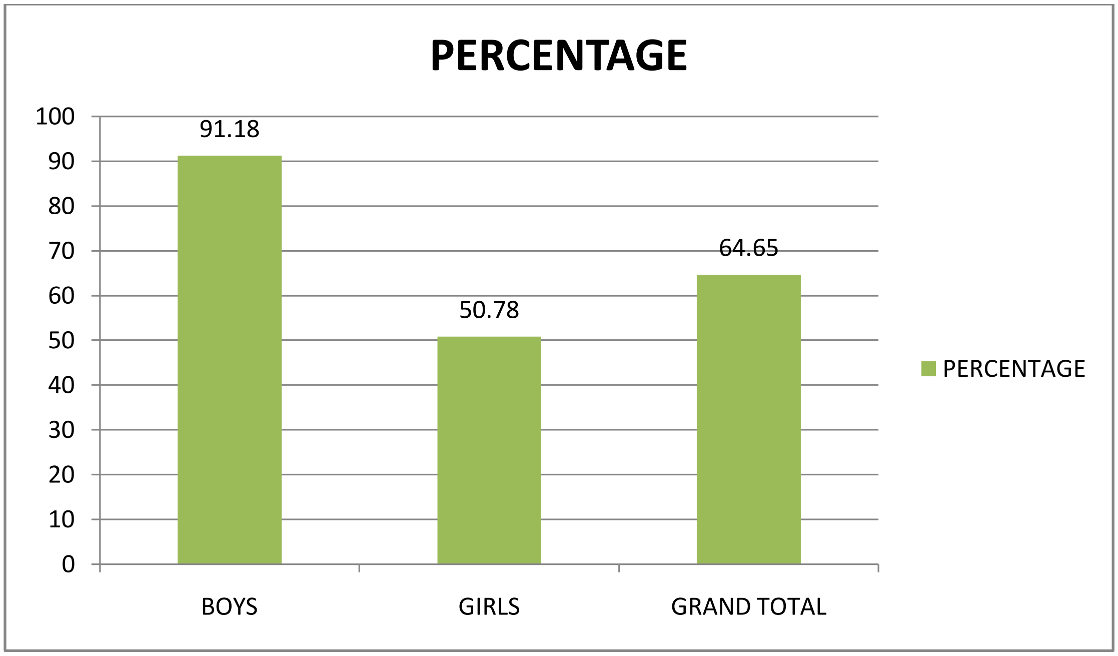
उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि 50% से भी कम विद्यार्थियों सूचना के अधिकार से परिचित हैं जो बहुत ही शोचनीय हैं इसका मुख्य कारण है कि विद्यार्थियों में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के बारे में जानकारी का अभाव होना एवं सम राष्ट्रीय समाचार पत्रों एवं पत्रकारों का दैनिक अध्ययन न किया जाना भी एक मुख्य कारण है तथा महाविद्यालयी स्तर पर अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में चर्चा परि- चर्चा का नियमित आयोजन ना होना भी है।सूचना के अधिकार के सम्बन्ध में छात्राओं की जागरूकता का स्तर मात्र 35% है जो यह है दर्शाता है कि छपरा राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में विशेष रुचि नहीं लेती हैं तथा सिर्फ घरेलू कार्यों में संलग्न रहकर शिक्षा ग्रहण करने की सिर्फ औपचारिकता करती हैं ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने महाविद्यालयी के शिक्षकों से संपर्क से दूरी बनाए रखती हैं तथा इंटरनेट ,समाचार पत्र एवं पत्रकारों के दैनिक अध्ययन से भी सदैव विरत रहती हैं। अतः अध्ययन से स्पष्ट है कि विद्यार्थियों का राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में जानकारी का स्तर अत्यंत निम्न पाया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की समुचित जानकारी समय-समय पर प्रधान नहीं की जाती है तथा महाविद्यालयी स्तर पर राजनीतिक मुद्दों एवं राष्ट्रीय मुद्दों तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के बारे में विद्यार्थियों कोई विशेष रुचि नहीं रखते हैं।

प्रश्न-16 भारत में मतदान के लिए कितनी आयु निश्चित की गई है?

तालिका संख्या-4.16

मतदान के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	31	91.18
छात्राएं	65	33	50.78
कुल विद्यार्थियों	99	64	64.65



मतदान के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.16

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.16 एवं चित्र संख्या 4.16 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी के विद्यार्थियों की राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 91.18% है तथा छात्राओं में 50.78% है एवं कुल विद्यार्थियों में मतदान के

सम्बन्ध में जागरूकता का स्तर 64.65% है। इसमें मतदान के सम्बन्ध में जागरूकता का स्तर छात्रों में अधिक पाया गया जब की छात्राओं में यह स्तर अल्प मात्रा में पाया गया जो छात्रों की तुलना में लगभग आधा है। इस प्रकार तालिका संख्या 4.16 एवं चित्र संख्या 4.16 से स्पष्ट है कि भारत में मतदान हेतू आयु के सम्बन्ध में जागरूकता का स्तर छात्रों में कुल 91% है जब की छात्राओं में यह स्तर मात्र 50% ही है इस प्रकार मतदान के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों की जागरूकता का स्तर 65% के आसपास है जो राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है।

विवेचना

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि मतदान के सम्बन्ध में कुल 64 % विद्यार्थियों ही जागरूक है प्रतीत होते हैं। जागरूकता का स्तर कम होने का मुख्य कारण राष्ट्रीय मुद्दों एवं मतदान के प्रति रुचि का न होना तथा लोकतंत्र में मतदान के महत्व को महाविद्यालयी स्तर पर शिक्षकों द्वारा अच्छे से ना बताया जाना है साथ ही दैनिक समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं का अध्ययन विद्यार्थियों द्वारा न करना भी एक कारण है। मतदान के सम्बन्ध में छात्राओं की जागरूकता का स्तर मात्र 50% है जिससे यह प्रतीत होता है कि छात्राएं मतदान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व को समझने में भी कम जागरूक हैं इसका मुख्य कारण राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों की अपेक्षा घरेलू कार्यों में अधिकतर संलग्न रहना तथा राष्ट्रीय चर्चा एवं परिचर्चा में अपनी सहभागिता सुनिश्चित ना करना भी एक कारण है तथा महाविद्यालयी शिक्षकों द्वारा समय-समय पर चर्चा एवं परिचर्चा के आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज ना कराना भी है। अतः इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि कुल विद्यार्थियों का राष्ट्रीय मुद्दों के सम्बन्ध में जानकारी का स्तर मात्र 60% ही प्रतीत होता है ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों की समझ विकसित करने हेतु समय-समय पर भारतीय संविधान का अध्ययन एवं राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में जानकारी से अवगत न होना भी एक प्रमुख कारण प्रतीत होता है।

प्रश्न -17 पंचायतीराज अधिनियम कब बना ?

पंचायतीराज अधिनियम के सम्बन्ध मे महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	**34**	**0**	**0**
छात्राएं	**65**	**0**	**0**
कुल विद्यार्थियों	**99**	**0**	**0**

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.17 एवं चित्र संख्या 4.17 से स्पष्ट है कि पंचायतीराज अधिनियम के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता स्तर छात्रों में 0% , छात्राओं में 0% तथा कुल विद्यार्थों में भी 0% प्रतीत होता है जिसमें छात्र एवं छात्राओं का जागरूकता स्तर 0%ही है। तालिका संख्या 4.17 एवं चित्र संख्या 4.17 से स्पष्ट है कि पंचायतीराज अधिनियम के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों का जागरूकता स्तर 0% प्रतीत होता है। अतः कुल विद्यार्थियों पंचायतीराज अधिनियम के सम्बन्ध में बिलकुल अपरिचित प्रतीत होते हैं।

विवेचना

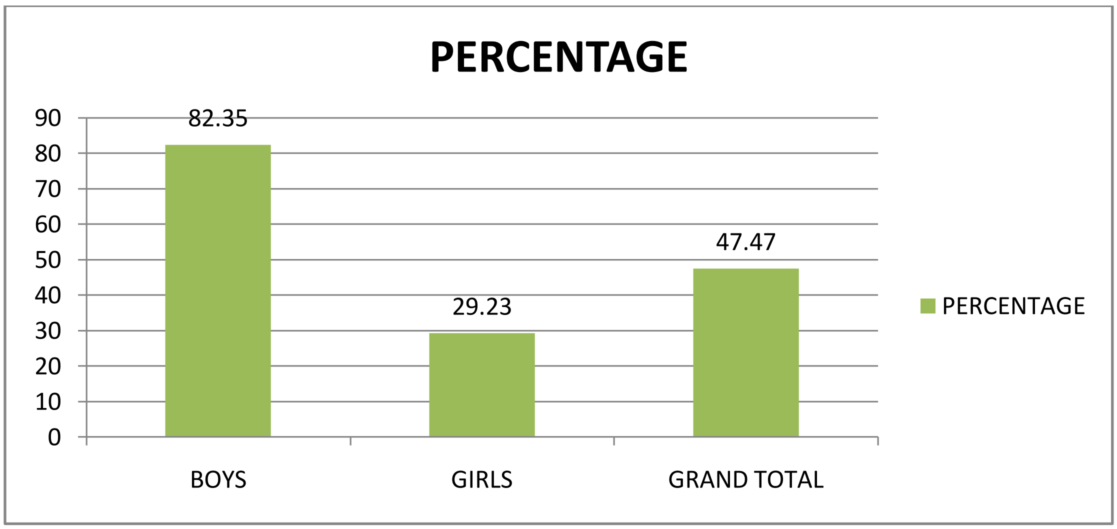
उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि पंचायतीराज अधिनियम के सम्बन्ध में महाविद्यालयी कुल विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर 0% ही प्रतीत होता है जिसका मुख्य कारण है कि महाविद्यालयीस्तर पर शिक्षकों द्वारा समय –समय पर भारतीय संविधान की त्रिस्तरीय व्यवस्था से संबन्धित तथ्यों की जानकारी विद्यार्थियों को प्रदान नही की जाती है और न ही पंचायतीराज अधिनियम के सम्बन्ध में उचित दिशा निर्देशन प्रदान उनको प्रदान किया गया है। विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रीय समसामयिक मुद्दों की जानकारी के सम्बन्ध में राष्ट्रीय समाचार पत्र ,पत्रिकाओं आदि विरत प्रतीत होते हैं।

प्रश्न -18 भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस भाग में दिए गए हैं।

तालिका संख्या - 4.18

मूल अधिकारों के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में में राजनीतिक जागरूकता-

	N	आवृत्ति		प्रतिशत
छात्र	34	28	82.35	
छात्राएं	65	19	29.23	
कुल विद्यार्थियों	99	47	47.47	



मूल अधिकारों के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.18

विश्लेषण

तालिका संख्या   4.18 एवं चित्र संख्या   4.18 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में   82.35% है तथा छात्राओं में   29.23% एवं कुल विद्यार्थियों में मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूकता का स्तर 47.47% है। इसमें जागरूकता का स्तर छात्रों में अधिक पाया गया है जबकि छात्राओं में छात्रों की अपेक्षा आधे से भी कम जागरूकता स्तर मौलिक अधिकारों के बारे में पाया

गया है अर्थात कह सकते हैं कि छात्रों की अपेक्षा छात्राएं एक तिहाई ही जागरूक है। तालिका संख्या 4.18 एवं चित्र संख्या 4.18 से स्पष्ट है कि भारत के मौलिक अधिकारों के बारे में छात्र 82% जागरूक हैं तथा छात्राएं मात्र 59% ही जागरुक है और कुल विद्यार्थियों की जागरूकता स्तर 50% से भी कम है जो यह अत्यंत निम्न स्तर है।

विवेचना

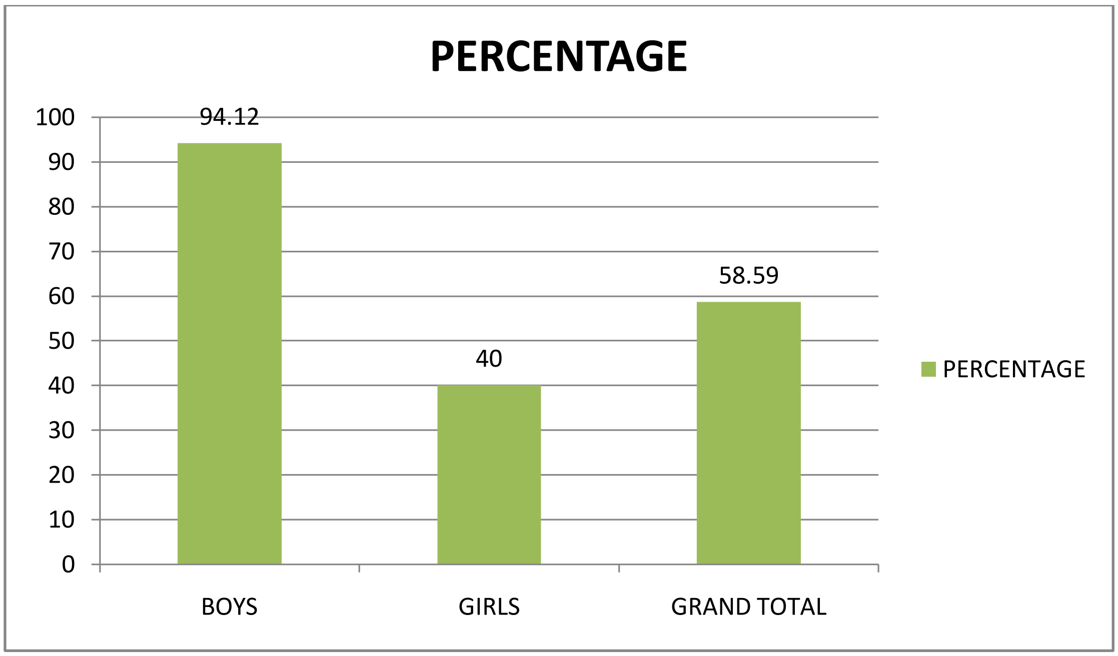
उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि 50% से भी कम विद्यार्थियों मौलिक अधिकारों के बारे में या मूल अधिकारों के बारे में परिचित हैं इसका मुख्य कारण है कि भारतीय संविधान के प्रति अध्ययन एवं रुचि का विद्यार्थियों में अभाव होना तथा महाविद्यालयी स्तर के शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को सही दिशा एवं दशा संविधान के सम्बन्ध प्रदान ना करना है तथा साथी राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में नियमित चर्चा एवं परिचर्चा का आयोजन भी ना किया जाना है और साथ ही दैनिक समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का अध्ययन विद्यार्थियों द्वारा नियमित तौर पर ना करना भी है। मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में छात्राओं की जागरूकता का स्तर मात्र 29% है जिससे यह प्रतीत होता है कि छात्राएं छात्रों की अपेक्षा बहुत ही निम्न स्तर की जागरूकता रखती हैं साथ ही वे राष्ट्रीय मुद्दों एवं संविधान में रूचि भी अत्यंत कम रखती हैं और सिर्फ और सिर्फ घरेलू कार्यों में संलग्न पाई जाती हैं जिससे उनमें मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूकता का स्तर अत्यंत निम्न एवं दयनीय है। अतः अध्ययन से स्पष्ट है कि विद्यार्थियों में मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में जागरूकता का स्तर अत्यंत ही निम्न प्रगति का प्रतीत होता है इसका मुख्य कारण राष्ट्रीय व अंतराष्ट्रीय स्तर की चर्चा एवं परिचर्चा तथा संवैधानिक मूल्यों की समुचित जानकारी

प्रश्न -19 राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई -चौड़ाई का अनुपात कितना है?

तालिका संख्या 4.19

राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई -चौड़ाई के अनुपात के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	32	94.12
छात्राएं	65	26	40
कुल विद्यार्थियों	99	58	58.59



राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई -चौड़ाई के अनुपात के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.19

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.19 एवं चित्र संख्या 4.19 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों की राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 94.12%, छात्राओं में 40% तथा कुल विद्यार्थियों में 58.59% है। इसमें राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात के सम्बन्ध में जागरूकता का स्तर छात्रों में छात्राओं की

अपेक्षा ढाई गुना से भी अधिक है अर्थात छात्राएं छात्रों की अपेक्षा अल्प जागरूकता रखती हैं। तालिका संख्या 4.19 एवं चित्र संख्या 4.19 से स्पष्ट होता है कि 94% छात्र जागरूक है जबकि छात्रों में राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई के अनुपात के सम्बन्ध में जागरूकता मात्र 40% ही है इस प्रकार कुल विद्यार्थियों में जागरूकता 58% ही प्रतीत होती है जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभी विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर निम्नतम पाया गया है।

विवेचना

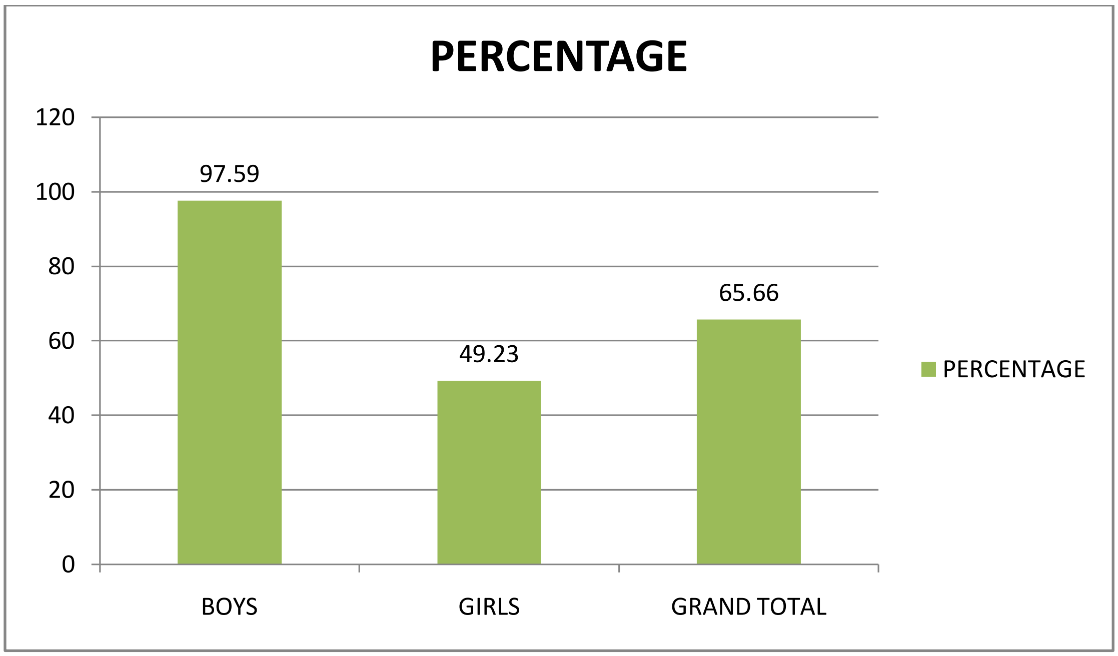
उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल 58% विद्यार्थियों ही राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई के अनुपात से परिचित हैं जो यह अति निम्नतम अनुपात है जिसका मुख्य कारण संविधान जागरूकता विद्यार्थियों में समय समय पर ना प्रदान करना तथा साथ ही अधिकार कर्तव्य एवं मौलिक अधिकारों का विस्तृत अध्ययन महाविद्यालयी स्तर पर शिक्षकों द्वारा ना प्रदान किया जाना है और साथ ही राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का दैनिक अध्ययन विद्यार्थियों द्वारा ना किया जाना भी है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई- चौड़ाई के अनुपात के सम्बन्ध में छात्राओं की जागरूकता का स्तर मात्र 40% है जिससे यह प्रतीत होता है कि छात्राएं भारतीय संविधान के अधिकार कर्तव्य एवं स्वतंत्रता समानता और न्याय से भली-भांति परिचित नहीं है तथा वे राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में समय-समय पर चर्चा एवं परिचर्चा में अपनी सहभागिता सुनिश्चित भी नहीं करती हैं वीर सिर पर घरेलू कार्य तक ही अपने जीवन को सीमित रख कर राष्ट्रीय मुद्दों एवं समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से वे विरत रह जाती हैं। अतः अध्ययन से स्पष्ट है कि विद्यार्थियों में राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में पर्याप्त जानकारी कायस्था अत्यंत निम्न है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों को भारतीय संविधान के स्वतंत्रता , समानता, न्याय और अधिकार एवं कर्तव्य से भली-भांति परिचित नहीं है तथा साथ ही समय-समय पर संवैधानिक चर्चा एवं परि -चर्चा में अपनी सहभागिता सुनिश्चित नहीं करते हैं।

प्रश्न -20 भारत के राष्ट्रगान को कुल कितनी अवधि में गाया जाता है?

तालिका संख्या 4.20

भारत के राष्ट्रगान के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	33	97.59
छात्राएं	65	32	49.23
कुल विद्यार्थियों	99	65	65.66



भारत के राष्ट्रगान के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.20

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.20 एवं चित्र संख्या 4.20 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 97.59%, छात्राओं में 49.23% तथा कुल विद्यार्थियों में राष्ट्रगान के सम्बन्ध

में जागरूकता का स्तर मात्र 65.66% है।इसमें छात्रों का जागरूकता परिषद अधिक पाया गया है तथा छात्राओं में जागरूकता का स्तर अल्प कम पाया गया है जो छात्रों की तुलना में लगभग आधा है। तालिका संख्या 4.20 एवं चित्र संख्या 4.20 के अध्ययन से स्पष्ट है कि राष्ट्रगान के सम्बन्ध में 97% छात्र जागरूक हैं जबकि छात्राएं मात्र 49% ही जागरूक हैं इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर राष्ट्रगान के सम्बन्ध में मात्र 65% ही प्रतीत होता है जो यह बहुत निम्न स्तर का है।

विवेचना

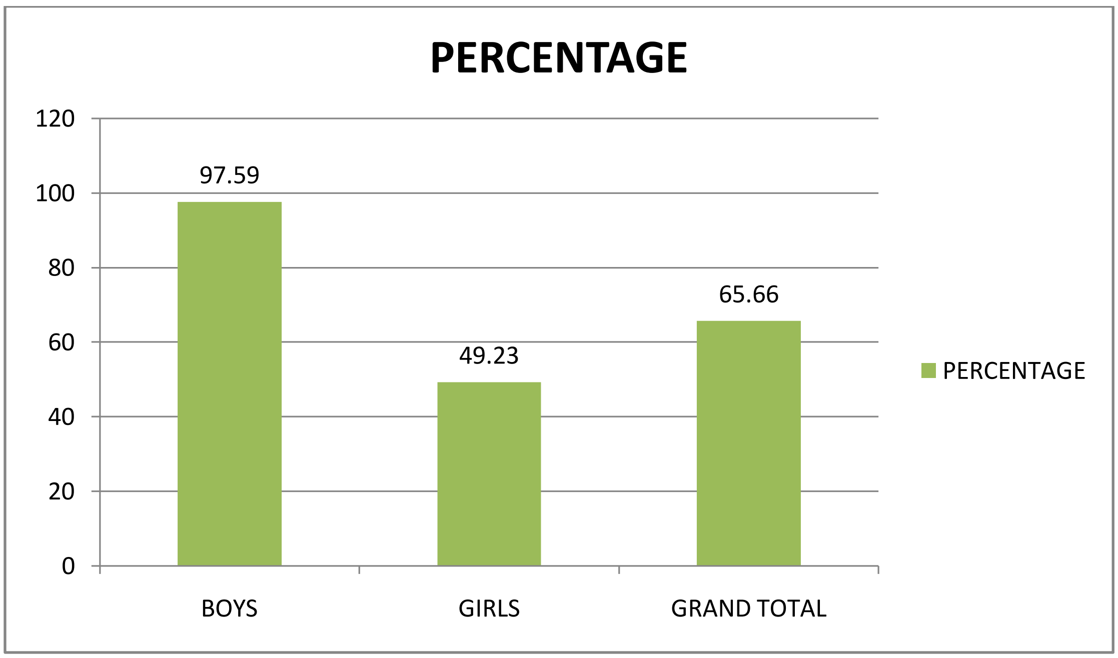
उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि मात्र 50% से ही अधिक के विद्यार्थियों राष्ट्रगान के सम्बन्ध में परिचित हैं इसका मुख्य कारण है कि छात्रों को भारतीय संविधान के राष्ट्रीय गीत राष्ट्रगान राष्ट्रीय चिन्ह हार्दिक से प्रचित ना होना भी है जो यह है दिखाता है कि विद्यार्थियों भारतीय संविधान के अध्ययन के बारे में अत्यधिक जागरूक एवं रुचि नहीं लेते हैं तथा राष्ट्रीय स्तर की चर्चा एवं परि -चर्चा में अपनी सहभागिता भी सुनिश्चित नहीं करते हैं। राष्ट्रगान की अवधि के सम्बन्ध में छात्राओं की जागरूकता मात्र 50% से भी कम है इससे यह प्रतीत होता है कि परिवार से लेकर महाविद्यालयी स्तर तक छात्राओं को भारतीय संविधान के राष्ट्रीय प्रतीकों एवं स्वतंत्रता , समानता, न्याय तथा अधिकार एवं कर्तव्य से छात्राएं भली-भांति परिचित नहीं है एवं भारतीय संविधान को जानने में भी अपनी रुचि प्रकट नहीं करती हैं वह सिर्फ घरेलू कार्यों में ही अध्यक्ष तौर पर अपना समय विदित करती हैं और ना ही राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के अध्ययन में रुचि रखती हैं। अतः ध्यान से प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों में राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में जानकारी के स्तर अत्यंत निम्न स्तर का है जो यह बताता है कि विद्यार्थियों संवैधानिक मूल्य एवं कर्तव्यों के बारे में अपनी अधिक रुचि नहीं दिखाते हैं तथा समय-समय पर संवैधानिक जागरूकता संबंधी चर्चा परि-चर्चा में अपनी सहभागिता सुनिश्चित नहीं करते हैं।

प्रश्न-21 गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है?

तालिका संख्या 4.21

गणतंत्र दिवस के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विधार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	43	33	97.59
छात्राएं	65	32	49.23
कुल विद्यार्थियों	99	65	65.66



गणतंत्र दिवस के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विधार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.21

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.21 एवं चित्र संख्या 4.21 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 97.59% है तथा छात्राओं में 49.23% है एवं कुल विद्यार्थियों में 65.66% गणतंत्र दिवस के बारे में जागरूकता पाई गई है। इसमें छात्रों में जागरूकता का स्तर छात्राओं की अपेक्षा दोगुना पाया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि तालिका संख्या 4.21 एवं चित्र संख्या 4.21से स्पष्ट है कि गणतंत्र दिवस के सम्बन्ध में कुल 97% छात्र जागरूक हैं जबकि छात्राओं में इसके प्रति जागरूकता का स्तर मात्र 49% है इस प्रकार आधे से अधिक ही विद्यार्थियों गणतंत्र दिवस से परिचित हैं।

विवेचना

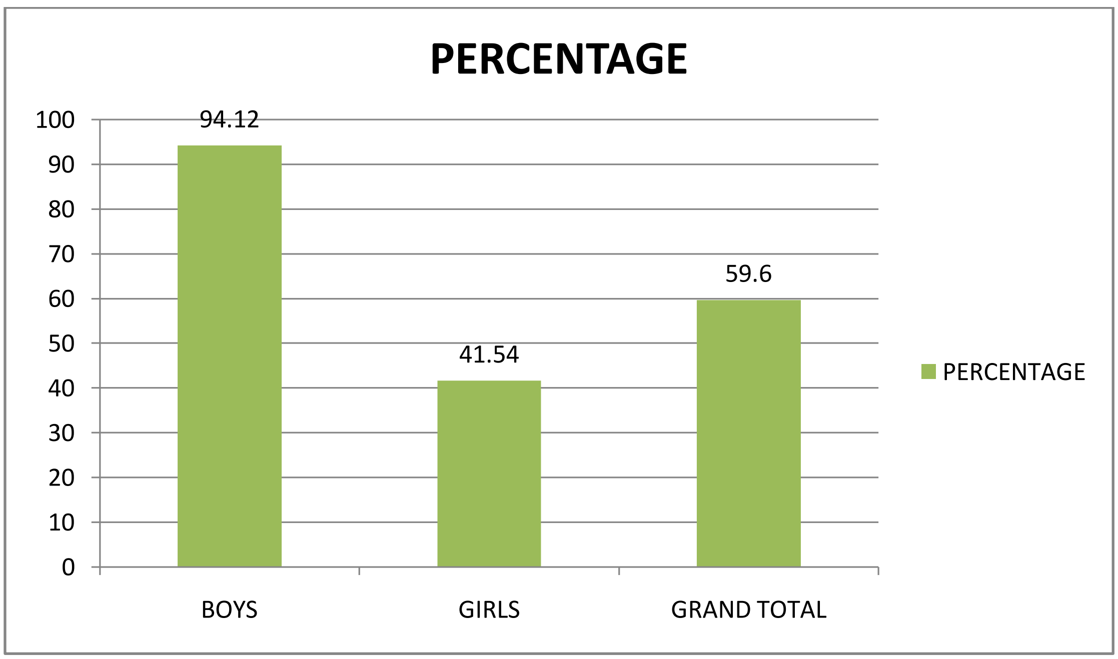
उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि मात्र 65% विद्यार्थियों ही गणतंत्र दिवस के बारे में परिचित हैं इसका मुख्य कारण है कि विद्यार्थियों में भारतीय संविधान के प्रति रुचि एवं अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों की समुचित जानकारी ना होना भी है तथा भारतीय संवैधानिक विकास के बारे में पर्याप्त ज्ञान का अभाव भी है साथ ही संवैधानिक जागरूकता संबंधी मुद्दों पर चर्चा परिचर्चा मैं अपनी सहभागिता भी सुनिश्चित ना करना है। गणतंत्र दिवस के सम्बन्ध में छात्राओं की जागरूकता का स्तर मात्र 49% है जिससे यह प्रतीत होता है कि परिवार से लेकर महाविद्यालयी स्तर तक छात्राओं में संवैधानिक विकास के बारे में अध्ययन करने में कोई रुचि नहीं है तथा राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के बारे में दैनिक अध्ययन करने से विरत रहना तथा घरेलू कार्यों में अपना समय अत्यधिक व्यतीत करना भी है।फतेह अध्ययन से स्पष्ट है कि विद्यार्थियों में राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में जानकारी का स्तर निम्न है ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों संवैधानिक मुद्दों से संबंधित चर्चा- परिचर्चा में समय-समय पर अपनी सहभागिता सुनिश्चित नहीं करते हैं।

प्रश्न -22 अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है?

तालिका संख्या 4.22

अहिंसा दिवस के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	32	94.12
छात्राएं	65	27	41.54
कुल विद्यार्थियों	99	59	59.6



अहिंसा दिवस के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.22

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.22 एवं चित्र संख्या 4.22 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों की राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 94.12% है तथा छात्राओं में 41.54% है एवं कुल विद्यार्थियों में अहिंसा दिवस के सम्बन्ध में जागरूकता स्तर मात्र 59.6%है। इसमें छात्रों की जागरूकता का प्रतिशत अधिक है जबकि छात्राओं की जागरूकता का प्रतिशत अहिंसा दिवस के सम्बन्ध में अल्प पाया गया है जो छात्रों की तुलना में दोगुने से भी अधिक कम है। तालिका संख्या 4.22 एवं चित्र संख्या 4.22 से स्पष्ट है कि ऐसा दिवस के सम्बन्ध में 94% छात्र जागरूक हैं जबकि छात्रा में इसके प्रति जागरूकता मात्र 41% ही है। इस प्रकार कुल विद्यार्थियों में अहिंसा दिवस के बारे में जानकारी मात्र 60% से भी कम है।

विवेचना

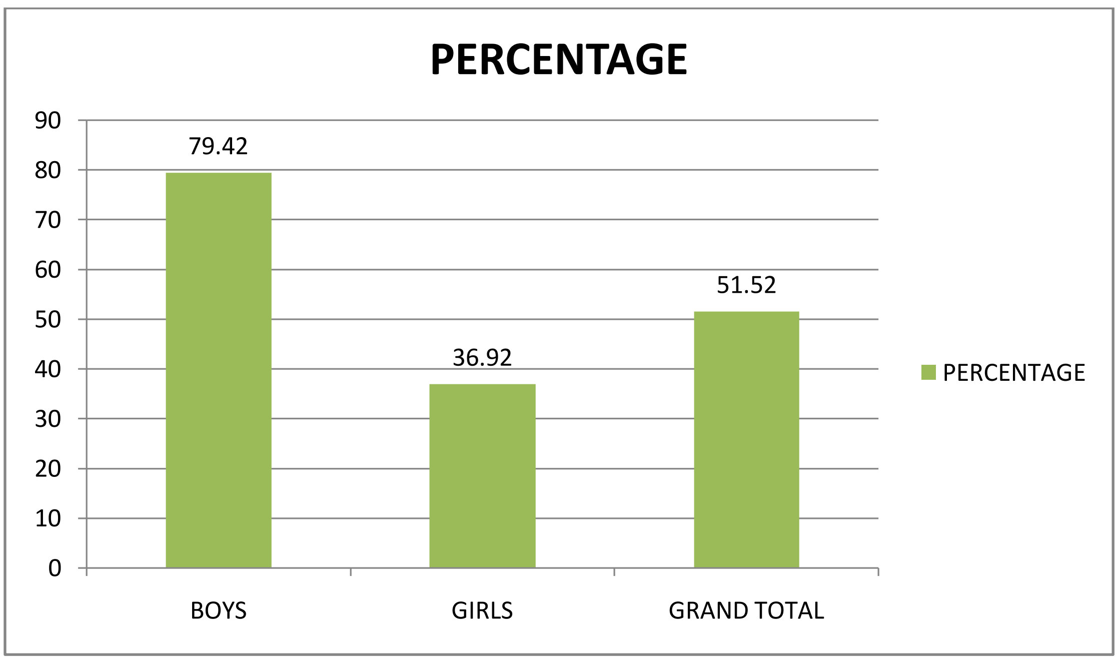
उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि 60% से भी कम विद्यार्थियों अहिंसा दिवस से परिचित हैं इसका मुख्य कारण है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जानकारी ना रखना तथा भारतीय संविधान के विकास के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत अध्ययन ना करना भी है साथ ही समय-समय पर राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों के सम्बन्ध में विद्यार्थियों द्वारा अपनी सहभागिता सुनिश्चित न कर पाना है। एल्सा दिवस के बारे में छात्राओं की जागरूकता मात्र 41% है जिससे यह प्रतीत होता है कि छात्राओं द्वारा अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के बारे में जानने का कोई प्रयास नहीं किया गया है तथा राष्ट्रीय स्तर के सम्बन्ध अनेक मुद्दों के बारे में रुचि ना रखकर सिर्फ घरेलू कार्यों में अपनी संलग्नता सुनिश्चित करती रहती हैं। अतः अध्ययन से स्पष्ट है कि विद्यार्थियों का कैंसर दिवस के बारे में जानकारी का स्तर काफी निम्न है जिससे प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों महात्मा गांधी के जीवन परिचय उनके योगदान के बारे में समुचित रूप से जानने का प्रयास नहीं करते हैं तथा साथ ही संवैधानिक विकास एवं राष्ट्रीय मुद्दों के सम्बन्ध में अपनी रुचि प्रकट नहीं करते हैं।

प्रश्न -23 संविधान दिवस कब मनाया जाता है?

तालिका संख्या-4.23

संविधान दिवस के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	27	79.42
छात्राएं	65	24	36.92
कुल विद्यार्थियों	99	51	51.52



संविधान दिवस के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.23

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.23 एवं चित्र संख्या 4.23 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों की राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 79.42%, छात्राओं में 36.92% तथा कुल विद्यार्थियों में संविधान दिवस के सम्बन्ध में जागरूकता स्तर51.52% है।इसमें अधिक जागरूकता छात्रों में पाई गई है तथा अल्प जागरूकता छात्राओं में पाई गई है जो छात्रों की तुलना में दुगने से भी कम है। अतः तालिका संख्या 4.23 एवं चित्र संख्या 4.23 से स्पष्ट है कि संविधान दिवस के सम्बन्ध में छात्र मात्र 44% ही जागरूक ने जब की छात्राएं मात्र 36% जागरूक पाई गई हैं इस प्रकार कुल विद्यार्थियों में ½% विद्यार्थियों ही संविधान दिवस के बारे में जागरूक पाए गए हैं।

विवेचना

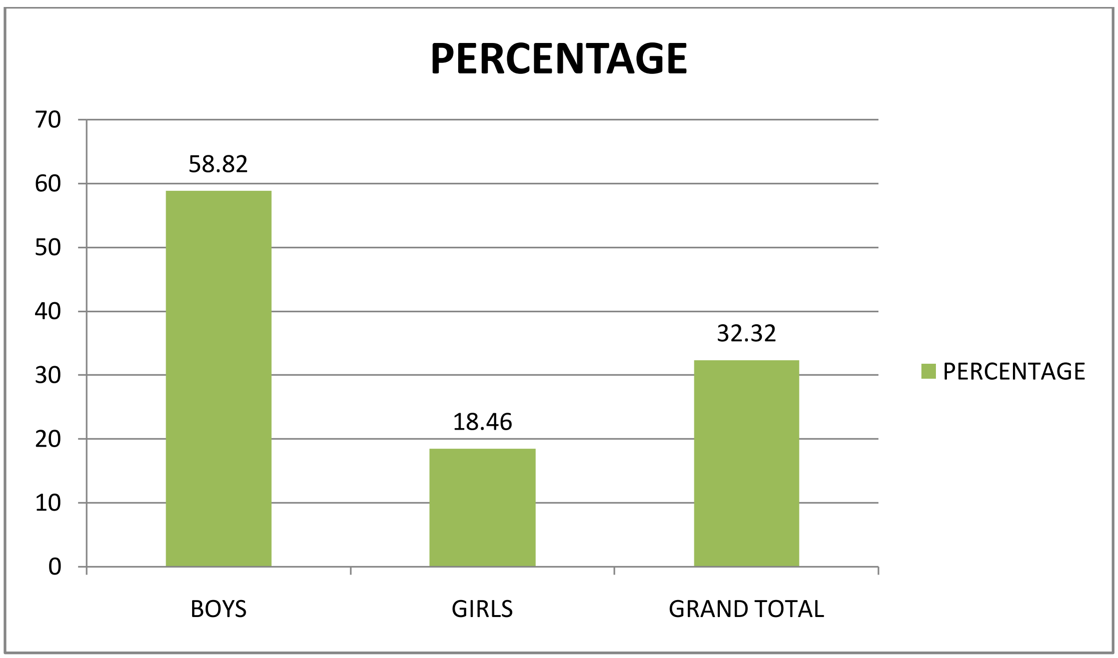
उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि मात्र 50% विद्यार्थियों ही संविधान दिवस के बारे में परिचित हैं इसका मुख्य कारण है कि विद्यार्थियों को संविधान के इतिहास एवं विकास की संचित जानकारी का ना होना है तथा स्वतंत्रता, समानता, न्याय,मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों के बारे में महाविद्यालयी स्तर पर विद्यार्थियों को समुचित जानकारी प्रदान न करना भी है एवं राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में पर्याप्त चर्चा -परिचर्चा का ना होना भी है। संविधान दिवस के सम्बन्ध में छात्राओं की जागरूकता मात्र 36% है जिससे विदित पता है कि छात्राएं भारत के संविधान एक विकास मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों के बारे में भली-भांति परिचित नहीं है और ना ही उनके बारे में जानने का समय निकाल पाती हैं वे सिर्फ अपने माता पिता के सहयोग हेतु घेरलू कार्यों में अधिक रुचि लेती हैं और साथ ही समाचार पत्र दूरदर्शन इंटरनेट आदि के बारे में भी दूरी बनाए रखती हैं। अतः अध्ययन से पता चलता है कि विद्यार्थियों में संविधान दिवस के बारे में जागरूकता का स्तर अत्यंत निम्न है जिससे यह प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों राष्ट्रीय मुद्दों एवं संवैधानिक विकास के सम्बन्ध में जानकारी रखने हेतु अपनी रुचि नहीं रखते हैं तथा शिक्षक भी कक्षा में विद्यार्थियों को संवैधानिक विकास के सम्बन्ध में उचित जानकारी प्रदान करने में असमर्थ प्रतीत होते हैं।

प्रश्न -24 भारत में वर्तमान उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है?

तालिका संख्या 4.24

भारत में वर्तमान उच्च न्यायालयों की संख्या के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	20	58.82
छात्राएं	65	12	18.46
कुल विद्यार्थियों	99	32	32.32



भारत में वर्तमान उच्च न्यायालयों की संख्या के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.24

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.24 एवं चित्र संख्या 4.24 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 58.82%, छात्राओं में 18.46% तथा कुल विद्यार्थियों में भारत के वर्तमान उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध में जागरूकता का स्तर मात्र 32.32% है।इसमें छात्रों में जागरूकता का स्तर अधिक पाया गया तथा छात्रा में जागरूकता का स्तर अल्प स्तर का पाया गया जो छात्रों की तुलना में 3 गुने से भी कम प्रतीत होता है। तालिका संख्या 4.24 एवं चित्र संख्या 4.24 से प्रतीत होता है कि भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या के सम्बन्ध में 58% ही छात्र जागरूक है एवं छात्राएं मात्र 18% ही जागरुक है। इस प्रकार कुल 32%विद्यार्थियों ही उच्च न्यायालयों की संख्या के सम्बन्ध में जागरूक हैं जो अत्यंत ही निम्न जागरूकता प्रतिशत है।

विवेचना

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि मात्र 32% विद्यार्थियों ही भारत के उच्च न्यायालयों की संख्या के बारे में जागरूक हैं जिसका मुख्य कारण है कि भारतीय संविधान एवं न्यायपालिका का समुचित तरीके से विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन न किया जाना है तथा साथ ही समसामयिक राष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी हेतु राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का नियमित अध्ययन नकिया जाना भी है और भारत के संवैधानिक विकास के सम्बन्ध में चर्चा एवं परिचर्चा हेतु विद्यार्थियों द्वारा अपनी सहभागिता सुनिश्चित ना करना भी है। भारत के वर्तमान उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध में छात्राओं की जागरूकता का स्तर मात्र 18% है जिससे यह प्रतीत होता है कि छात्राएं भारतीय संविधान की विकास यात्रा से परिचित नहीं है और साथ ही अपने मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों के प्रति भी जागरुक नहीं है राष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी हेतु वे राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र एवं पत्रिका से व विरत सदैव रहती हैं।उनके जागरूकता स्तर से प्रतीत होता है कि वे सिर्फ और सिर्फ घरेलू कार्यों में संलग्न रहकर माता पिता की मदद करने के लिए तत्पर रहती हैं न्यायपालिका से संबंधी मुद्दों के बारे में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। अतः अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान के तीनों

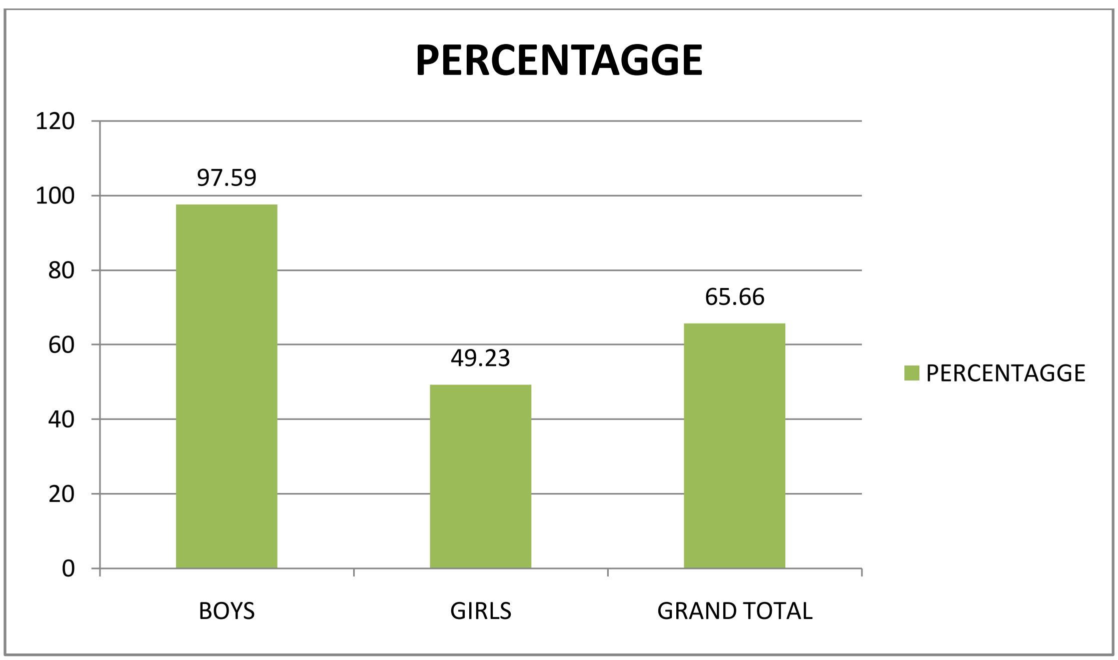
अंगों कार्यपालिका ,व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के अध्ययन में विद्यार्थियों की कोई विशेष रुचि प्रतीत नहीं होती है।

प्रश्न -25 भारत में कुल कितने राज्य है?

तालिका संख्या- 4.25

भारत के कुल राज्यों के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	FREQUENGY	PERCENTAGGE
छात्र	34	33	97.59
छात्राएं	65	32	49.23
कुल विद्यार्थियों	99	65	65.66



भारत के राज्यों के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.25

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.25 एवं चित्र संख्या 4.25 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों की राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 97.59%%, छात्राओं में 49.23% तथा कुल विद्यार्थियों में भारत के राज्यों के सम्बन्ध में जागरूकता 65.66% है। इसमें छात्रों की जागरूकता का प्रतिशत अधिक है तथा छात्राओं का प्रतिशत अल्प पाया गया है जो छात्रों की तुलना में 2 गुना से भी कम है। तालिका संख्या 4.25 एवं चित्र संख्या 4.25 से स्पष्ट है कि छात्रों में भारत के राज्यों के सम्बन्ध में 97% जागरूकता पाई गई है जबकि छात्राओं में मात्र 49% जागरूकता पाई गई है इस प्रकार कुल मिलाकर भारत के राज्यों के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों में जागरूकता 70% से भी कम है जो निम्न का प्रतीत होता है।

विवेचना

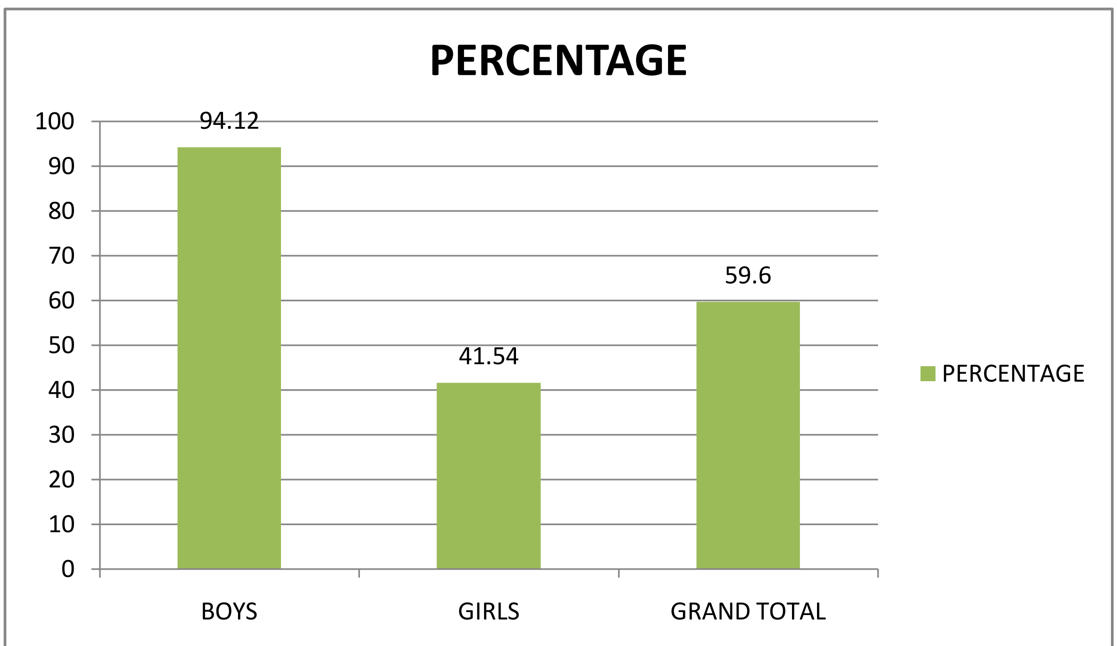
उपरोक्त विश्लेषण से ज्ञात होता है कि भारत के राज्यों के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर मात्र 65% है जिसका मुख्य कारण है भारत के संवैधानिक विकास एवं राज्यों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी शिक्षकों द्वारा महाविद्यालयी स्तर पर प्रदान नहीं की गई है तथा उनमें राज्यों की सीमाओं तथा राष्ट्रीय मुद्दों के अध्ययन के बारे में पर्याप्त रुचि भी नहीं पाई गई है। राष्ट्रीय समाचार पत्र का दैनिक अध्ययन विद्यार्थियों द्वारा ना किया जाना भी एक कारण है। अतः भारत के राज्यों के सम्बन्ध में छात्राओं की जागरूकता का स्तर मात्र 49% है जो यह दर्शाता है कि छात्राएं राज्यों के पुनर्गठन एवं उनकी सीमाओं के विस्तार तथा दिन प्रतिदिन हो रही घटनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी ना रखकर सिर्फ घरेलू कार्यों में लिप्त रहती हैं और अपने माता पिता को सहयोग प्रदान करना ही उनका एकमात्र उद्देश्य रहता है तथा वे टेलीविजन में दूरदर्शन,इंटरनेट की अपेक्षा विभिन्न धारावाहिक कार्यक्रमों को देखने में अपनी रुचि ज्यादा प्रकट करती हैं। अतः अध्ययन से स्पष्ट है कि विद्यार्थियों में भारत के राज्यों के पुनर्गठन तथा उनके विकास एवं उनकी राजधानियों आदि के बारे में जानकारी का स्तर अत्यंत निम्न पाया गया है।

प्रश्न -26 चंडीगढ़ भारत के किन दो राज्यों की राजधानी है?

तालिका संख्या-4.26

चंडीगढ़ के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	32	94.12
छात्राएं	65	27	41.54
कुल विद्यार्थियों	99	59	59.6



चंडीगढ़ के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.26

विश्लेषण-

तालिका संख्या-4.26 एवं चित्र संख्या 4.26 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 94.12%, छात्राओं में 41.54% तथा कुल विद्यार्थियों में 59.6% है। इसमें छात्रों का जागरूकता स्तर अधिक पाया गया है तथा छात्राओं का जागरूकता स्तर अत्यंत अल्प पाया गया है जो छात्रों की तुलना में दोगुने से भी कम का अंतर प्रतीत होता है। तालिका संख्या 4.26 एवं चित्र संख्या 4.26 से स्पष्ट होता है चंडीगढ़ के सम्बन्ध में छात्रों में जागरूकता का स्तर 90% से अधिक पाया गया तथा छात्राओं में जागरूकता का स्तर 40% से भी मात्र अधिक पाया गया है कुल विद्यार्थियों में चंडीगढ़ राज्य के सम्बन्ध में जागरूकता का स्तर मात्र 60% से भी कम प्रतीत होता है।

विवेचना-

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि चंडीगढ़ के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर मात्र 60% से भी कम प्रतीत होता है जिससे स्पष्ट है कि विद्यार्थियों भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भली-भांति परिचित नहीं है तथा उनकी राजधानियों का उनके द्वारा विस्तृत अध्ययन नहीं किया गया है। भारत के राज्यों के पुनर्गठन एवं विस्तार के सम्बन्ध में जानकारी हेतु राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं तथा विकीपीडिया पेज आदि का उनके द्वारा नियमित अध्ययन रुचिकर प्रतीत नहीं होता है और साथ ही वे महाविद्यालयी स्तर पर होने वाली चर्चा एवं परिचर्चा में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित मुद्दों को उठाने में असमर्थ प्रतीत नजर आते हैं। चंडीगढ़ के सम्बन्ध में छात्रा में जागरूकता का स्तर 45% से भी कम प्रतीत होता है जिससे यह स्पष्ट है कि छात्राएं भारत के केंद्र शासित प्रदेश एवं उनकी राजधानियों के बारे में भली-भांति परिचित प्रतीत नहीं होती है तथा समसामयिक मुद्दों की जानकारी रखने हेतु टेलिविजन दैनिक समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं इंटरनेट आदि से वे अपने आप को बहुत दूर पाती हैंर भारत के राज्यों की केंद्र शासित राज्यों के राजनीतिक विकास के बारे में ज्यादा परिचित प्रतीत नहीं होती है वे सिर्फ है पारिवारिक समस्याओं एवं माता पिता के साथ सहयोग प्रदान करने में व्यस्त प्रतीत होती हैं।अतः से स्पष्ट है कि कुल विद्यार्थियों में चंडीगढ़ के

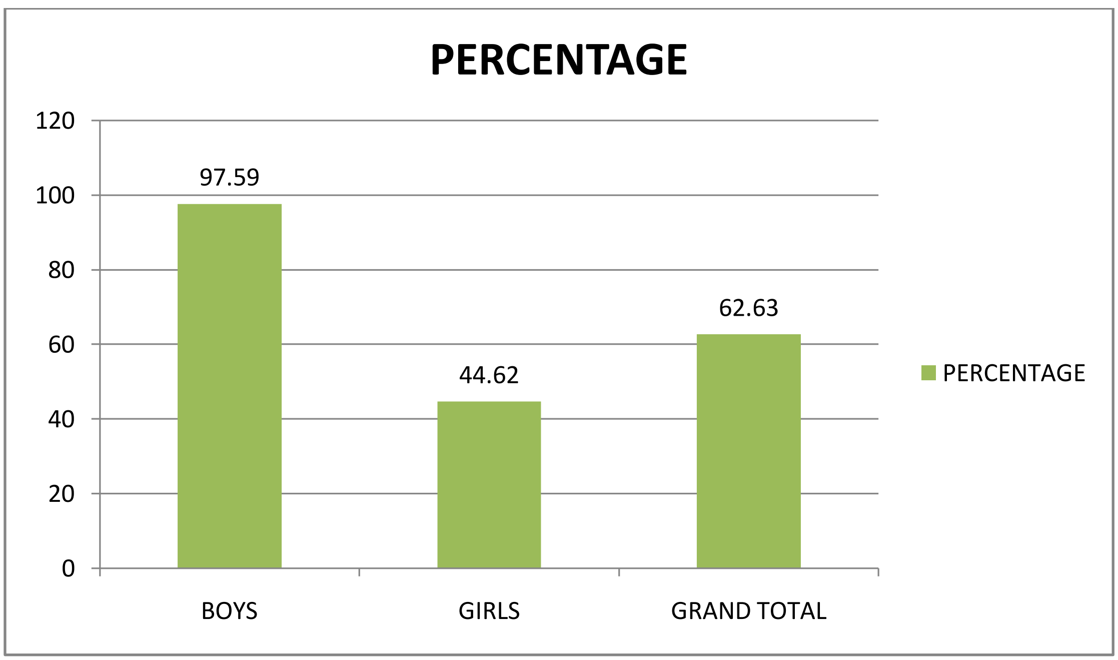
सम्बन्ध में जागरूकता का स्तर अत्यंत निम्न प्रतीत होता है जिससे यह स्पष्ट है कि विद्यार्थियों भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अध्ययन करने से अपने आप को कोसों दूर पाते हैं तथा समसामयिक मुद्दों की जानकारी रखने हेतु उनके द्वारा कोई दैनिक समाचार पत्र आदि का नियमित तौर पर अध्ययन करने में असमर्थ प्रतीत होते हैं

प्रश्न -27 सम्पत पाल किस सामाजिक संस्था की संस्थापक है?

तालिका संख्या - 4.27

सम्पत पाल के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	33	97.59
छात्राएं	65	29	44.62
कुल विद्यार्थियों	99	62	62.63



सम्पत पाल के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.27

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.27 एवं चित्र संख्या 4.27 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विधार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 97.59%,44.62% तथा कुल विद्यार्थियों में 62.83% है। इसमें छात्र में जागरूकता का स्तर अधिक पाया गया है जब की छात्राओं में जागरूकता में अत्यंत अल्प पाया है जो छात्रों की तुलना में ढाई गुना से भी कम प्रतीत होता है। तालिका संख्या 4.27 एवं चित्र संख्या 4.27 से स्पष्ट है कि संपत पाल के सम्बन्ध में छात्र में जागरूकता का स्तर 90% से अधिक पाया गया है जब की छात्राओं में जागरूकता का स्तर 45% से कम पाया गया एवं कुल विद्यार्थियों में संपत पाल के सम्बन्ध में जागरूकता का स्तर 65% से कम पाया गया है जो निम्न स्तर प्रतीत होता है।

विवेचना

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि संपत पाल के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों को जागरूकता स्तर मात्र 62% ही प्रतीत होता है इसका कारण है कि विद्यार्थियों में महिलाओं का राजनीति में योगदान एवं समाज सुधार में उनकी भूमिका के महत्व से अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित जानकारी हेतु विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का जाने का अध्ययन ना किया जाना भी है। महाविद्यालयी स्तर पर होने वाली संगोष्ठी, सेमिनार आदि में विद्यार्थियों अपनी सहभागिता सुनिश्चित कराने से कतराते प्रतीत होते हैं। संपत पाल के सम्बन्ध में छात्राओं का जागरूकता स्तर 45% से भी कम प्रतीत होता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि छात्राएं भारत के राजनीतिक योगदान में महिलाओं के व्यक्तित्व से परिचित प्रतीत नहीं होते हैं और ना ही वे भारतीय नारियों के बारे में जानकारी रखना चाहती हैं जंग राजनीतिक एवं सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। छात्राएं परिवार की परिसीमा तक अपने आप को सीमित पाती हैं तथा वह राष्ट्रीय राजनीतिक एवं सामाजिक व्यक्तित्व से संबंधित मुद्दों की जानकारी हेतु समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का दैनिक अध्ययन उनके द्वारा नहीं किया जाता और साथ ही विकीपीडिया पेज, ब्लॉग आदि से अनभिज्ञता प्रतीत होती है। अतः अध्ययन से स्पष्ट है कि संपत पाल के

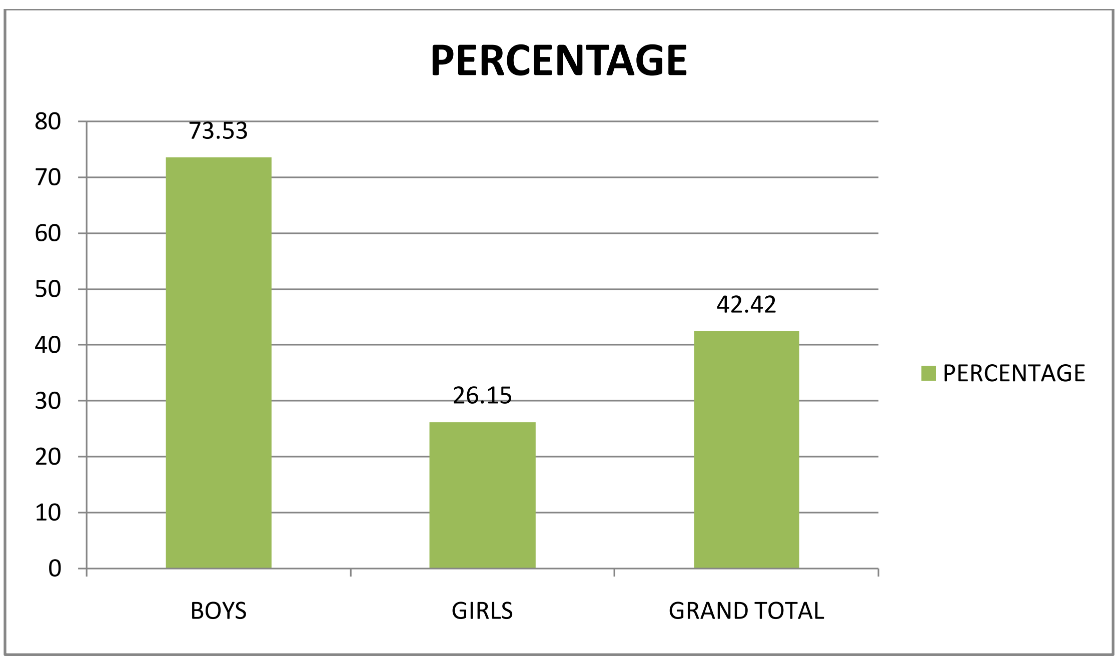
सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों व जागरूकता का स्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं होता जिससे यह स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों राजनीतिक एवं सामाजिक व्यक्तित्व के बारे में अधिक जानकारी रखने का प्रयास नहीं करते हैं।

प्रश्न -28 मुगल गार्डन कहां स्थित है?

तालिका संख्या 4.28

मुगल गार्डन के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	25	73.53
छात्राएं	65	17	26.15
कुल विद्यार्थियों	99	42	42.42



मुगल गार्डन के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.28

विश्लेषण-

तालिका संख्या 4.28 एवं चित्र संख्या 4.28 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 73.53%, छात्राओं में 26.15% तथा कुल विद्यार्थियों में 42.42% है। इसमें छात्रों का जागरूकता स्तर अधिक पाया गया है जब की छात्राओं में जागरूकता का स्तर अत्यंत निम्न पाया गया है न्यू छात्रों की तुलना में 3 गुना से भी कम प्रतीत होता है। तालिका संख्या 4.28 एवं चित्र संख्या 4.28 से स्पष्ट है कि मुगल गार्डन के सम्बन्ध में छात्रों में जागरूकता का स्तर 70% से अधिक तथा छात्राओं में 30% से कम पाया गया है एवं कुल विद्यार्थियों में मुगल गार्डन के सम्बन्ध में जागरूकता का स्तर 50% से भी कम प्रतीत होता है।

विवेचना-

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि मुगल गार्डन के सम्बन्ध में विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर मात्र 42% ही प्रतीत होता है जिसका मुख्य कारण है कि है कि विद्यार्थियों भारतीय संसद के राजनीतिक विकास एवं उसके महत्व से भली-भांति परिचित प्रतीत नहीं होते हैं तथा भारतीय संविधान के विकास में संसद की भूमिका के योगदान को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाते हुए प्रतीत होते हैं। राष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी हेतु समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं, इंटरनेट आदि का प्रयोग समुचित रूप से मुगल गार्डन के महत्व एवं विशेषता के सम्बन्ध में जानने का उनके द्वारा विशेष प्रयास भी नहीं किया जाता है। मुगल गार्डन के सम्बन्ध में छात्राओं का जागरूकता स्तर मात्र 26% ही प्रतीत होता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि छात्राएं मुगल गार्डन एवं भारतीय संसद के सम्बन्ध में कोई विशेष जानकारी नहीं रख ती हैं तथा समय-समय पर भारतीय संसद में हुए बदलावों के बारे में जानने हेतु समसामयिक राष्ट्रीय मुद्दों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा भारत के संविधान के विकास के सम्बन्ध में जानने की जिज्ञासा उनके अंदर प्रतीत नहीं होती है वे सिर्फ घरेलू कार्यों में अपने आपको संलग्न रखती हैं तथा क्षेत्रीय मुद्दों तक अपने आप को सीमित पाती हैं। अतः मुगल गार्डन के सम्बन्ध में विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर अत्यंत निम्न पाया गया है जिससे यह प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों भारतीय संविधान एवं संसद के सम्बन्ध में कोई विशेष जागरूक प्रतीत नहीं होते हैं और न ही विभिन्न संचार माध्यमों से संसद के राजनीतिक विकास एवं उसके इतिहास को जानने में असमर्थ प्रतीत होते हैं साथ ही

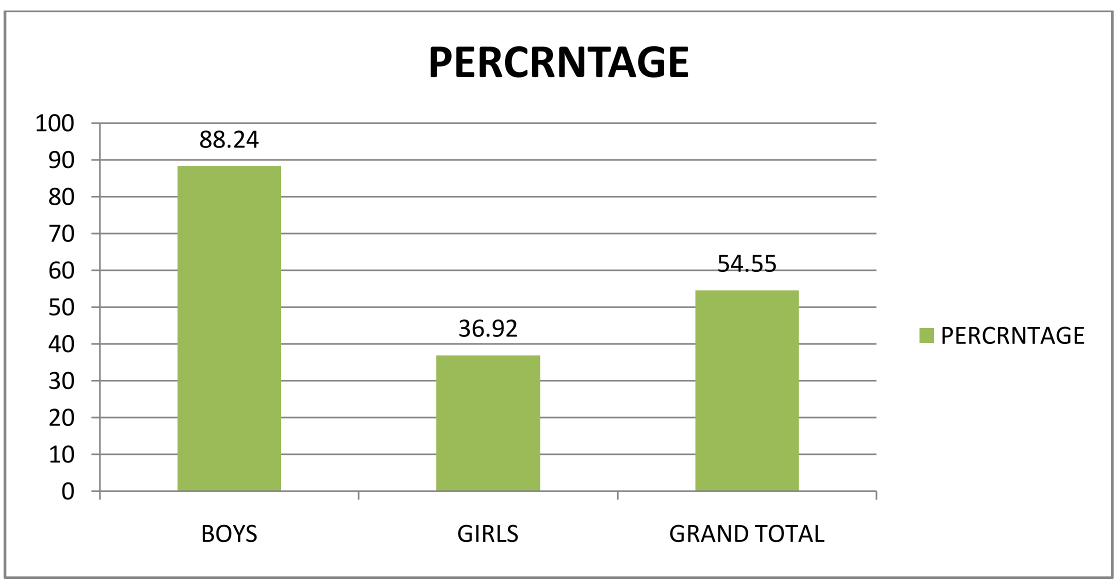
उनके द्वारा इंटरनेट समाचार पत्र, आदि का दैनिक अध्ययन भी मुगल गार्डन के सम्बन्ध में नहीं किया जाता है।

प्रश्न -29 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा कौन थी?

तालिका संख्या-4.29

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	PERCRNTAGE
छात्र	34	30	88.24
छात्राएं	65	24	36.92
कुल विद्यार्थियों	99	54	54.55



भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.29

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.29 एवं चित्र संख्या 4.29 से स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के सम्बन्ध में छात्रों में जागरूकता स्तर 88.24%, छात्राओं में जागरूकता स्तर 36.92% तथा कुल विद्यार्थियों में जागरूकता स्तर 54.55% है। इसमें छात्रों का जागरूकता स्तर अधिक पाया गया है जब की छात्राओं का जागरूकता स्तर अत्यंत निम्न पाया गया है जो छात्रों की तुलना में लगभग 3 गुना कम प्रतीत होता है। तालिका संख्या 4.29 एवं चित्र संख्या 4.29 से स्पष्ट होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा के सम्बन्ध में छात्रों में जागरूकता स्तर 90% से कम प्रतीत होता है पता छात्राओं में 40% से कम प्रतीत होता है एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष आ के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों में जागरूकता 55% से भी कम प्रतीत होती है जो काफी निम्न स्तर है।

विवेचना

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा सम्बन्ध में उन विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर 55% से कम पाया गया जिसका मुख्य कारण है कि विद्यार्थियों भारतीय राजनीतिक दलों के सम्बन्ध में भली-भांति परिचित प्रतीत नहीं होते हैं तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान की भूमिका के महत्व के सम्बन्ध में विद्यार्थियों भली-भांति जानने का प्रयास करने में असमर्थ प्रतीत होते हैं एवं उसके महत्व को स्वीकार करने में ज्यादा रुचि रखने में ज्यादा जिज्ञासु प्रतीत नहीं होते हैं तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के नियमित होने वाले अध्यक्षों के बदलाव के सम्बन्ध में समसामयिक मुद्दों से अनभिज्ञ प्रतीत नजर आते हैं और साथ ही दैनिक समाचार पत्र एवं इंटरनेट आदि का प्रयोग भारत के संवैधानिक विकास के संदर्भ में प्रयोग करने से कतराते नजर आते हैं।भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्षा के सम्बन्ध में छात्रा में जागरूकता 40% से भी कम पाई गई है जो जिसका मुख्य कारण है कि भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के सम्बन्ध में उनकी रुचि अत्यंत निम्न स्तर की प्रतीत होती है तथा वे भारतीय

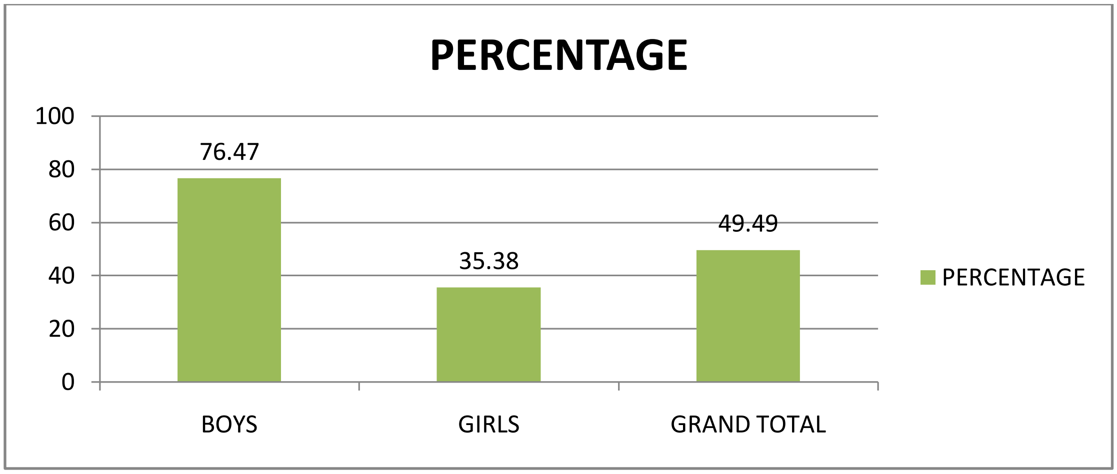
राष्ट्रीय कांग्रेस के विकास में महिला अध्यक्षों के योगदान से भी अनभिज्ञ प्रतीत हो रही है तथा घरेलू कार्यों में संलग्न रहकर अपने आप को अपने क्षेत्रीय स्तर तक सीमित पाती हैं एवं इंटरनेट, सोशल मीडिया, समाचार चैनल आदि से राजनीतिक दलों की जानकारी के सम्बन्ध में अपने आप को इनसे ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ है हैं। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों में जागरूकता का स्थान अत्यंत निम्न स्तर का प्रतीत होता है जिससे स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों भारत के राष्ट्रीय राजनीतिक दलों से अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं तथा उनके सम्बन्ध में विशेष जानकारी रखने में अपनी कोई रुचि नहीं दिखाते हैं एवं राष्ट्रीय स्तर की सेमिनार एवं संगोष्ठीओं में भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के सम्बन्ध में विद्यार्थियों अपने विचार प्रकट करने से कतराते हैं प्रतीत होते हैं।

प्रश्न -30 पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है?

तालिका संख्या-4.30

पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	26	76.47
छात्राएं	65	23	35.38
कुल विद्यार्थियों	99	49	49.49



पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.30

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.30 एवं चित्र संख्या 4.30 से स्पष्ट है कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 76.47%, छात्राओं में 35.38%, तथा कुल विद्यार्थियों में 49.49% है। जिसमें छात्रों का जागरूकता प्रतिशत अधिक पाया गया है तथा छात्राओं का जागरूकता प्रतिशत कम पाया गया है जो छात्रों की तुलना में दोगुना से भी अधिक कम है। तालिका संख्या 4.30 एवं चित्र संख्या 4.30 से स्पष्ट है कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण के सम्बन्ध में छात्रों में जागरूकता 80% से कम पाई गई है तथा छात्राओं में जागरूकता एक तिहाई से भी कम प्रतीत होती है और कुल विद्यार्थियों में पंचायतों में महिलाओं को कुल आरक्षण के सम्बन्ध में जागरूकता मात्र 50% से भी कम प्रतीत होती है।

विवेचना

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर मात्र 49% प्रतीत होता है इसका मुख्य कारण है कि विद्यार्थियों में भारतीय संविधान के

अधिकार ,कर्तव्य, स्वतंत्रता समानता और अन्याय आदि से अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों मतदाता जागरूकता में भी अपनी कोई भूमिका पर चढ़कर निभाने में असमर्थ प्रतीत होते हैं एवं अपने मत का मूल्य जाने में भी असमर्थ प्रतीत होते हैं। भारत में राजनीति के क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था की जानकारी हेतु विद्यार्थियों समसामयिक मुद्दों से अपना तालमेल नहीं बिठा पाते हैं और साथ ही राष्ट्रीय समाचार पत्र इंटरनेट समाचार चैनल आदि से भी अपनी दूरी बनाए रखते हैं। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण के सम्बन्ध में छात्रों की जागरूकता मात्र 35% ही प्रतीत होती है जिससे यह स्पष्ट होता है छात्राएं त्रिस्तरीय चुनाव प्रणाली में अपने मत के मूल्य से अनभिज्ञ प्रतीत होती हैं तथा राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के प्रतिशत से भी ज्यादा अपना सम्बन्ध नहीं रखती हैं। वे सिर्फ अपने आप को घरेलू मुद्दों तक ही सीमित रखती हैं तथा समसामयिक राष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी हेतु समाचार पत्रों एवं इंटरनेट आदि का प्रयोग सिर्फ मनोरंजन हेतु ही किया जाता है। पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर 50% से भी कम प्रतीत होता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों पंचायतों में आरक्षण संबंधी विभिन्न विधेयकों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने में असमर्थ प्रतीत होते हैं तथा, संगोष्ठी एवं सेमिनारों में महिला आरक्षण के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने में असमर्थता व्यक्त करते हैं तथा समसामयिक मुद्दों की जानकारी हेतु राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं इंटरनेट आदि का प्रयोग उनके द्वारा महिला आरक्षण के सम्बन्ध में न करके मनोरंजन हेतु ही किया जाता है।

प्रश्न -31 उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा सीटें हैं ?

तालिका संख्या -4.31

उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	0	0
छात्राएं	65	0	0
कुल विद्यार्थियों	99	0	0

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.31 एवं चित्र संख्या 4.31 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा सीटों के सम्बन्ध महाविद्यालयी विद्यार्थियों में कुल जागरूकता स्तर छात्रों में 0%, छात्राओं में 0% तथा कुल विद्यार्थियों में भी जागरूकता 0% ही प्रतीत होता है। इसमें छात्रों एवं छात्राओं के जागरूकता प्रतिशत में कोई अंतर प्रतीत नही

होता है। अतः तालिका संख्या 4.31 एवं चित्र संख्या 4.31 से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा सीटों के सम्बन्ध में सभी विद्यार्थियों अपरिचित प्रतीत होते हैं।

विवेचना

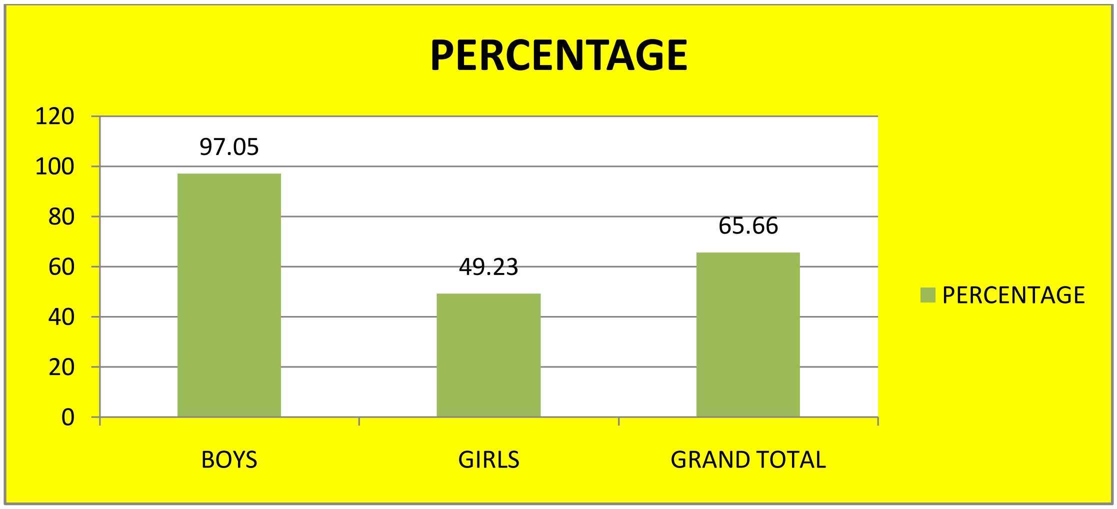
उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की विधान सभा सीटों के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर मात्र 0% ही प्रतीत होता है जिसका मुख्य कारण है कि महाविद्यालयीस्तर पर शिक्षकों द्वारा समय –समय पर केंद्रीय विधान सभा एवं राज्य विधान सभाओं के सम्बन्ध में छात्र , छात्राओं को उचित मार्गदर्शन प्रदान नही किया जाता है तथा सभी विद्यार्थियों द्वारा उत्तर प्रदेश की विधान सभा सीटों के सम्बन्ध में जानकारी से वंचित प्रतीत होते हैं।

प्रश्न-32 उत्तर प्रदेश का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है?

तालिका-4.31

उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	33	97.05
छात्राएं	65	32	49.23
कुल विद्यार्थियों	99	65	65.66



उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.32

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.32 एवं चित्र संख्या 4.32 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर छात्रों में 97.05%, छात्राओं में 49.23% तथा कुल विद्यार्थियों में 65.66% है। इसमें छात्रों का जागरूकता स्तर अधिक पाया गया है तथा छात्राओं का जागरूकता स्तर अत्यंत अल्प पाया गया है जो छात्रों की तुलना में लगभग दोगुना कम प्रतीत होता है। तालिका संख्या 4.32 एवं चित्र संख्या 4.32 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के सम्बन्ध में छात्रों की जागरूकता का स्तर 90% से अधिक प्रतीत होता है जबकि छात्राओं में जागरूकता का स्तर मात्र 50% से भी कम प्रतीत होता है तथा कुल विद्यार्थियों में उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के सम्बन्ध में जागरूकता 70% से भी कम प्रतीत होता है।

विवेचना

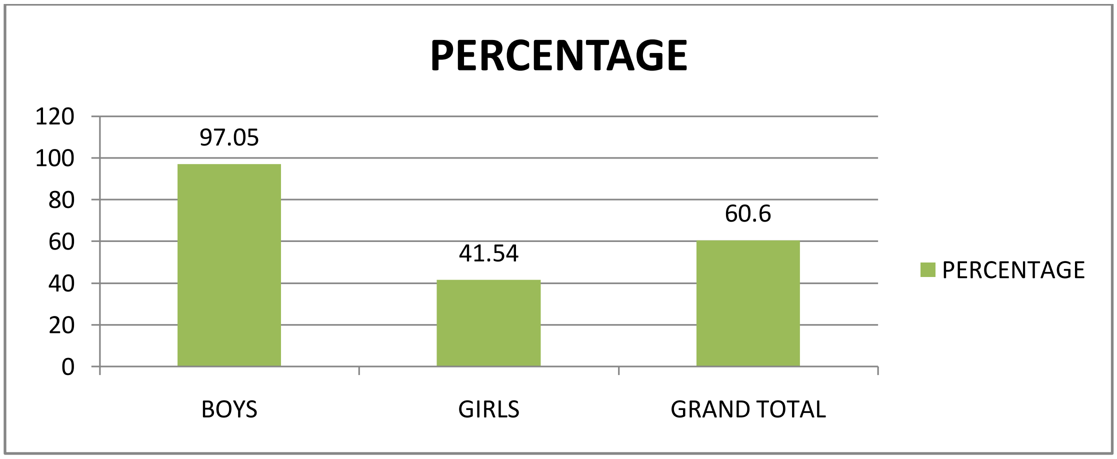
उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में कुल जागरूकता का स्तर मात्र 65% ही प्रतीत होता है जिससे यह स्पष्ट है कि विद्यार्थियों भारत के वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल एवं उत्तर प्रदेश के वर्तमान केंद्रीय मंत्री मंडल से भली-भांति परिचित प्रतीत नहीं होते हैं तथा राज्य विधान सभाओं के नवीन गठन के सम्बन्ध में विद्यार्थियों समसामयिक संचार साधनों जैसे समाचार पत्र इंटरनेट सोशल मीडिया इत्यादि का प्रयोग उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री एवं अन्य वर्तमान मंत्रियों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतु ज्यादा जागरूक प्रतीत नहीं होते हैं वे सिर्फ मनोरंजन हेतु ही सोशल मीडिया और इंटरनेट के प्रयोग में सदैव संलिप्त पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के सम्बन्ध में छात्राओं में जागरूकता का स्तर मात्र 49% ही प्रतीत होता जिससे यह स्पष्ट होता है कि छात्राएं केंद्रीय विधान मंडल के साथ साथ राज्य विधान मंडलओं से अनभिज्ञ प्रतीत होती हैं तथा उत्तर प्रदेश के वर्तमान मंत्रिमंडल के गठन तथा वर्तमान मुख्यमंत्री के सम्बन्ध में जानकारी हेतु उनमें विशेष रुचि प्रतीत नहीं होती है वे सर्फ अपने क्षेत्रीय स्तर तक अपने आप को सीमित पाती हैं एवं साथ ही टेलिविजन पर प्रसारित होने वाले दैनिक समाचार , ई समाचार पत्र तथा सोशल मीडिया आदि से अपनी दूरी बनाए रखने में ज्यादा सुखद अनुभव करती हैं इसके साथ ही वे टेलीविजन पर दैनिक प्रसारित होने वाले धारावाहिक कार्यक्रमों में अपनी ज्यादा रुचि प्रकट करती हैं। उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों की जागरूकता का स्थान अत्यंत निम्न प्रतीत होता है ।

प्रश्न -33 उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने जिले हैं?

तालिका-4.33

उत्तर प्रदेश के वर्तमान जनपदो के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
छात्र	**34**	**33**	**97.05**
छात्राएं	**65**	**27**	**41.54**
कुल विद्यार्थियों	**99**	**60**	**60.6**



उत्तर प्रदेश के वर्तमान जनपदो के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या-4.33

विश्लेषण

तालिका संख्या - 4.33 एवं चित्र संख्या- 4०33 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान जिलों के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 97.05%, छात्राओं में 41.54% तथा विद्यार्थियों में 60.6% है। इसमें छात्रों का जागरूकता प्रतिशत अधिक पाया गया है जबकि छात्राओं का जागरूकता प्रतिशत अत्यंत अल्प पाया है जो छात्रों की तुलना में दोगुना से भी कम प्रतीत होता है। तालिका संख्या4.33 एवं चित्र संख्या 4.33 से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान जनपदों के सम्बन्ध में छात्रों में जागरूकता का स्तर 95% से अधिक पाया गया है जबकि छात्राओं में जागरूकता का स्तर 50% से भी कम प्रतीत होता है तथा उत्तर प्रदेश के वर्तमान। जनपदो के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर 62% से भी कम प्रतीत होता है जो एक निम्न स्तर है।

विवेचना

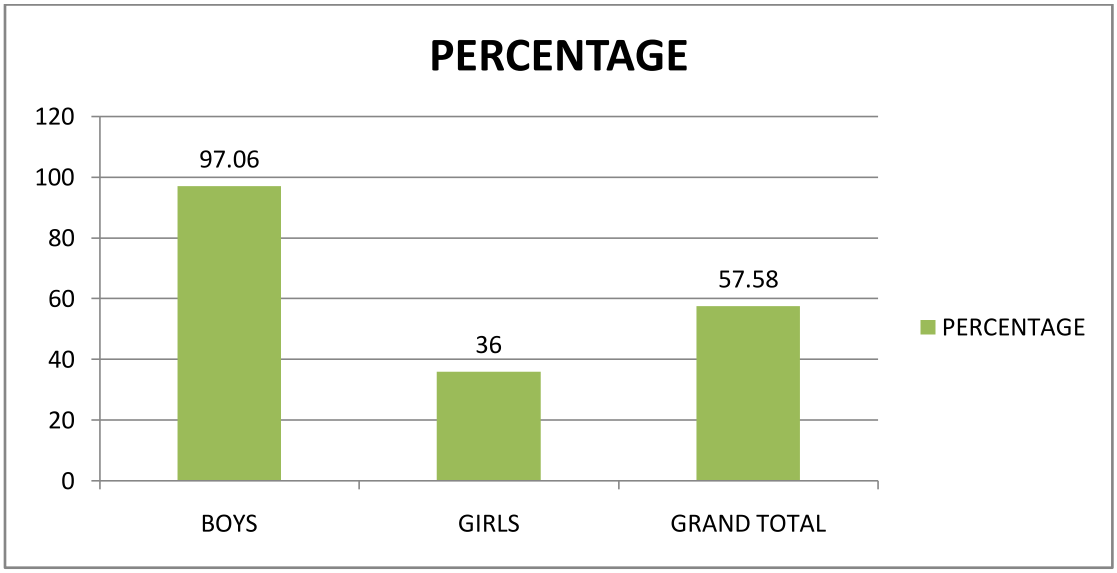
उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान जनपदों के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर मात्र 60% ही प्रतीत होता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश के गठन एवं राजनीतिक विस्तार के सम्बन्ध में भली-भांति परिचित प्रतीत नहीं होते हैं और उत्तर प्रदेश के नवीन जनपदों के पुनर्गठन संबंधी जानकारी हेतु समसामयिक मुद्दों से दूरी बनाए रहते हैं और साथ ही राष्ट्रीय समाचार पत्र , विकीपीडिया पेज आदि के अध्ययन में विशेष रुचि प्रकट नहीं करते हैं। महाविद्यालयी स्तर पर समय समय पर होने वाली संगोष्ठी चर्चा एवं परिचर्चा के आयोजन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कराना उचित नहीं समझते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान जनपदों के सम्बन्ध में छात्राओं में जागरूकता का स्तर मात्र 41% ही प्रतीत होता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि छात्राएं उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों की अपेक्षा सिर्फ अपने गृह जनपद से ही ज्यादा परिचित प्रतीत होती क्योंकि वे अन्य जनपदों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित करना व्यर्थ समझती हैं तथा समय और परिस्थिति के अनुसार जनपदों के नवीन पुनर्गठन के सम्बन्ध में समसामयिक मुद्दों से अनभिज्ञ प्रतीत होती हैं तथा दैनिक समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के दैनिक अध्ययन में अपनी कोई विशेष रुचि प्रकट नहीं करती हैं। पता दिन से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान जनपदों के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर 60% ही प्रतीत होता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों के सम्बन्ध में जानकारी रखने हेतु अपनी ज्यादा रुचि प्रकट करते हुए प्रतीत नहीं होते हैं।

प्रश्न -34 उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहां स्थित है?

तालिका संख्या -4.34

उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	33	97.06
छात्राएं	65	24	36
कुल विद्यार्थियों	99	57	57.58



उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में

राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.34

विश्लेषण

तालिका संख्या- 4.34 एवं चित्र संख्या 4.34 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता छात्रों में 97.06%, छात्राओं में 36% तथा कुल विद्यार्थियों में 57.58% है। इसमें छात्रों की जागरूकता का स्तर अधिक पाया गया है तथा छात्राओं की जागरूकता का स्तर अल्प पाया गया है जो छात्रों की तुलना में जागरूकता स्तर आधे से भी कम प्रतीत होता है। तालिका संख्या 4.34 एवं चित्र संख्या 4.34 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में छात्रों का जागरूकता प्रतिशत 95% से अधिक प्रतीत होता है तथा छात्राओं में 40% से कम प्रतीत होता है एवं कुल विद्यार्थियों में उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में जागरूकता स्थल मात्र 60% से भी कम प्रतीत होता है जो अल्प स्तर है।

विवेचना

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में महाविद्यालयी कुल विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता मात्र 57% प्रतीत होती है जिसका प्रमुख कारण है कि भारतीय न्यायपालिका के सम्बन्ध में ज्यादा परिचित प्रतीत नहीं होते हैं तथा त्रिस्तरीय न्याय व्यवस्था के सम्बन्ध में विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में बहुत हद तक अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं जिससे स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों भारत के उच्च न्यायालयों के सम्बन्ध में भी ज्यादा जानकारी रखने में अपरिचित प्रतीत होते हैं तथा वे भारत के उच्च न्यायालयों के नवीन गठन के सम्बन्ध में समसामयिक मुद्दों से दूरी बनाए रखते हैं। वे सिर्फ इंटरनेट एवं सोशल मीडिया तथा समाचार पत्रों का अध्ययन एवं प्रयोग सिर्फ मनोरंजन तथा अधिक उत्पादन बढ़ाने हेतु ही करते हैं। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में छात्राओं में जागरूकता का स्तर मात्र 36% ही प्रतीत होता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि छात्राएं भारतीय न्यायपालिका के सम्बन्ध में ज्यादा जागरुक प्रतीत नहीं होती हैं तथा वे भारत के अन्य उच्च न्यायालयों की अपेक्षा सिर्फ उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय एवं जिला सत्र न्यायालयों के सम्बन्ध में ज्यादा जानकारी संग्रह करने में रुचि रखती हैं और साथ ही वे टेलीविजन , इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि का प्रयोग उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में जानकारी रखने हेतु न करके बल्कि मनोरंजन हेतु ज्यादा रुचि रखती हैं। अध्ययन से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों की जागरूकता 60% से भी कम प्रतीत होता है।

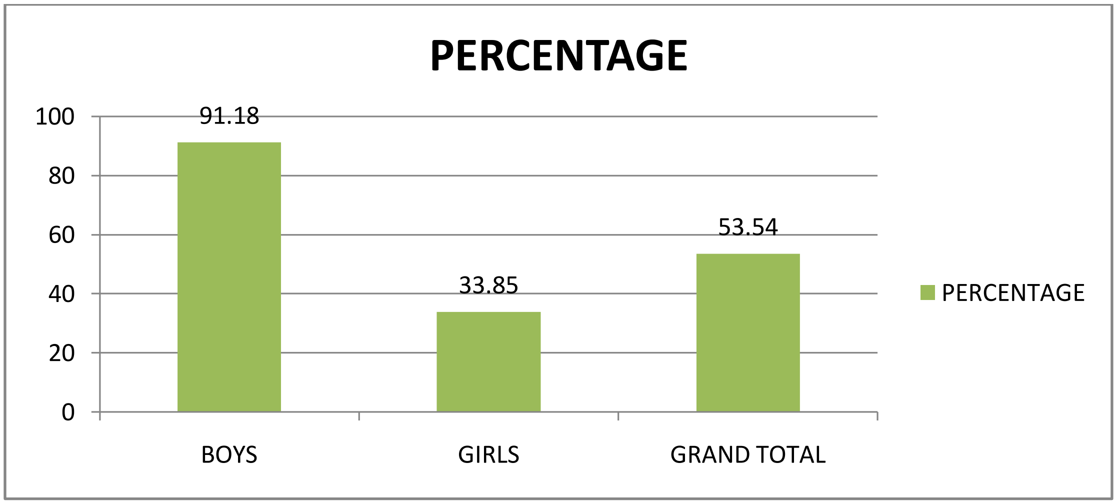
प्रश्न-35 मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है ?

तालिका-4.35

मुख्यमंत्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	31	91.18

छात्राएं	**65**	**22**	**33.85**
कुल विद्यार्थियों	**99**	**53**	**53.54**



मुख्यमंत्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.35

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.35 चित्र संख्या 4.35 से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता छात्रों में   93.18%, छात्राओं में 33.85%, तथा कुल विद्यार्थियों में 53.54% है। इसमें छात्रों में जागरूकता प्रतिशत छात्राओं की तुलना में अधिक पाया गया है जो छात्राओं से 3 गुना से भी अधिक जागरूकता स्तर प्रतीत होता है। तालिका संख्या 4.35 एवं चित्र संख्या 4.35 से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में छात्रों में जागरूकता स्तर   90% से अधिक प्रतीत होता है जबकि छात्राओं में जागरूकता का स्तर 35% से भी कम प्रतीत होता है एवं कुल विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर मात्र 55% से भी कम प्रतीत होता है जो अत्यंत अल्प स्तर है।

विवेचना

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में उन विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर मात्र 55% से भी कम प्रतीत होता है जिससे यह स्पष्ट है कि विद्यार्थियों राष्ट्रपति , प्रधानमंत्री, राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में भली-भांति परिचित प्रतीत नहीं होते हैं। विद्यार्थियों भारत के संवैधानिक विकास, तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के सम्बन्ध में भी अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान में गहरी रुचि रखते हुए प्रतीत नहीं होते बल्कि वे सदैव अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में ज्यादा व्यस्त पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में छात्राओं में जागरूकता स्तर 35% से भी कम प्रतीत होता है जिससे यह स्पष्ट है कि छात्राएं भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में भली-भांति परिचित प्रतीत नहीं होती हैं वे सिर्फ अपने पारिवारिक संबंधों तथा अपने करीबी दोस्तों से ज्यादा परिचित प्रतीत होती हैं जबकि वे न्यायपालिका कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के सम्बन्ध में अध्ययन करने से सदैव कतराती रहती ही प्रतीत होती हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में वे समाचार पत्र तथा सोशल मीडिया एवं विभिन्न वेबसाइटों से बचती हुई प्रतीत होती हैं। अतः अध्ययन से स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों में जागरूकता निम्न स्तर का प्रतीत होता है जिसका प्रमुख कारण विद्यार्थियों में भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के सम्बन्ध में अत्यधिक रुचि का ना होना तथा समसामयिक मुद्दों के माध्यम से मुख्यमंत्री की नियुक्ति उसके कार्य एवं महत्व को न जाने का प्रयास करना भी एक कारण है।

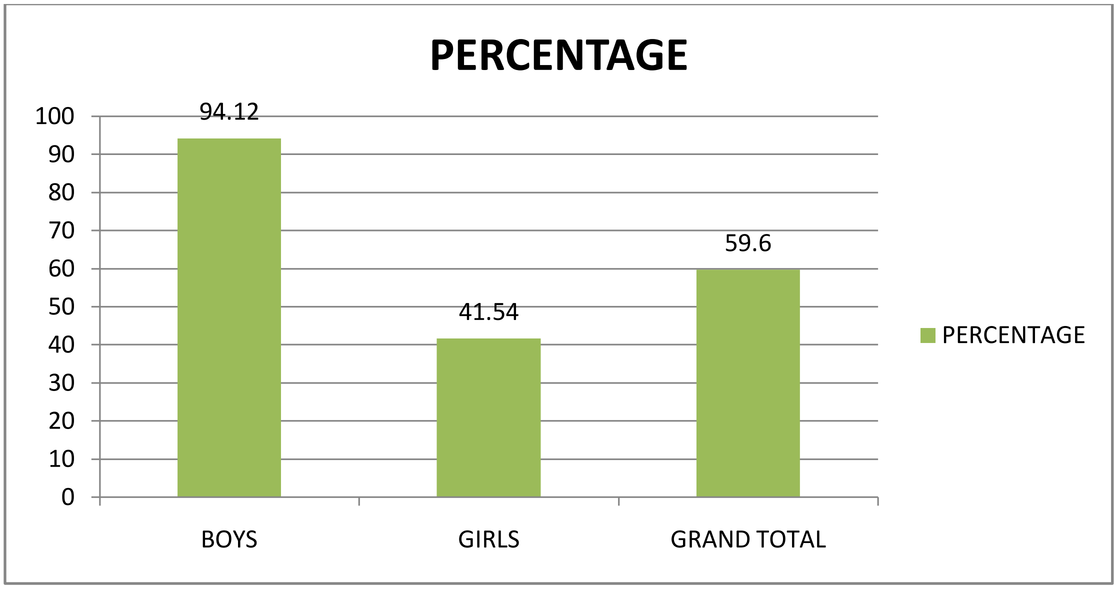
प्रश्न -36 उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं?

तालिका संख्या - 4.36

उत्तर प्रदेश के मंडलों के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
छात्र	**34**	**32**	**94.12**
छात्राएं	**65**	**27**	**41.54**

कुल विद्यार्थियों	99	59	59.6



उत्तर प्रदेश के मंडलों के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.36

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.36 एवं चित्र संख्या 4.36 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के मंडलों के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता छात्रों में 94.12%, छात्राओं में 41.54% तथा कुल विद्यार्थियों में 59.6% है। इसमें छात्रों में जागरूकता का स्तर अधिक पाया गया है जब की छात्राओं में जागरूकता का स्तर अत्यंत निम्न पाया गया है जो छात्रों की तुलना में 2 गुना से भी कम प्रतीत होता है। तालिका संख्या 4.36 एवं चित्र संख्या 4.36 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के मंडलों के सम्बन्ध में छात्रों में जागरूकता स्तर 90% से अधिक पाया गया है जबकि छात्राओं में 45% से भी कम पाया गया है तथा कुल

विद्यार्थियों में 60% से भी उत्तर प्रदेश के मंडलों के सम्बन्ध में जागरूकता का स्तर पाया गया है जो निम्न स्तर प्रतीत होता है।

विवेचना

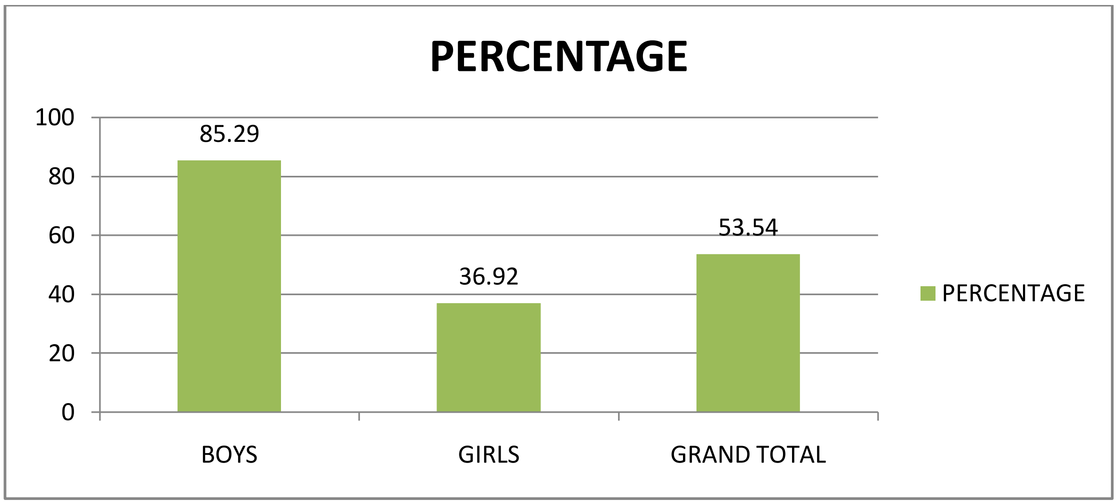
उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि कुल विद्यार्थियों में उत्तर प्रदेश के मंडलों के सम्बन्ध में जागरूकता का स्तर 60% से भी कम प्रतीत होता है जिससे यह स्पष्ट है कि विद्यार्थियों भारत के राजनीतिक विकास के साथ ही उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विकास से भली-भांति परिचित प्रतीत नहीं होते हैं तथा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विकास एवं उसके मंडलों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु वे किसी राष्ट्रीय राजनीतिक एटलस के अध्ययन में अपने कोई विशेष रुचि प्रकट नहीं करते हैं तथा महाविद्यालयी स्तर पर होने वाली चर्चा एवं पर चर्चा में उत्तर प्रदेश के मंडलों के सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करने से कतराते हुए प्रतीत होते हैं। उत्तर प्रदेश के मंडलों के सम्बन्ध में छात्रों में जागरूकता का स्तर मात्र 41% ही प्रतीत होता है जिससे यह स्पष्ट है कि छात्राएं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विकास से भली-भांति परिचित प्रतीत नहीं होती हैं तथा उनके द्वारा राष्ट्रीय मानचित्र
का अध्ययन उत्तर प्रदेश के मंडलों के राजनीतिक विकास के सम्बन्ध में नियमित रूप से नहीं किया गया है। उनके द्वारा समाचार पत्र समाचार चैनल विकीपीडिया आदि का प्रयोग उत्तर प्रदेश के मंडलों के अध्ययन के सम्बन्ध में उचित रूप से जिज्ञासु प्रतीत नहीं होती हैं। अतःअध्ययन से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के मंडलों के सम्बन्ध में विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर औसत से निम्न पाया गया है जिसका प्रमुख कारण है कि उचित रूप से राष्ट्रीय राजनीतिक मानचित्र का अध्ययन उत्तर प्रदेश के मंडलों के सम्बन्ध में न करना भी है तथा मंडलों के नवीन विस्तार एवं नवीन गठन की जानकारी का न होना है।

प्रश्न -37 जम्मू कश्मीर विधान सभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?

तालिका संख्या - 4.37

जम्मू कश्मीर विधानसभा के कार्यकाल के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	29	85.29
छात्राएं	65	24	36.92
कुल विद्यार्थियों	99	53	53.54



जम्मू कश्मीर विधानसभा के कार्यकाल के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.37

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.37 एवं चित्र संख्या 4.37 से स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के कार्यकाल के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर में राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 85.29%, छात्राओं में 36.92% कुल विद्यार्थियों में जागरूकता 53.54% है। इसमें छात्रों का जागरूकता प्रतिशत अधिक पाया गया है जब की छात्राओं को जागरूकता प्रतिशत अत्यंत निम्न पाया गया

जो छात्रों की तुलना में लगभग 3 गुना कम प्रतीत होता है। तालिका संख्या 4.37 एवं चित्र संख्या 4.37 से स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के कार्यकाल के सम्बन्ध में छात्रों में जागरूकता 90% से भी कम प्रतीत होती है तथा छात्राओं में जागरूकता 40% से कम प्रतीत होती है एवं कुल विद्यार्थियों में जागरूकता जम्मू कश्मीर विधानसभा के कार्यकाल के सम्बन्ध में मात्र 55% से भी कम प्रतीत होती है।

विवेचना

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के कार्यकाल के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर मात्र 53 प्रतिशत ही प्रतीत होता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों भारत की विभिन्न विधानसभाओं के कार्यकालों के सम्बन्ध में भली-भांति परिचित प्रतीत नहीं होते हैं तथा भारतीय राज व्यवस्था के विस्तृत अध्ययन के सम्बन्ध में अपनी ज्यादा रुचि नहीं प्रकट करते हैं तथा भारत की विभिन्न विधानसभाओं के नवीन गठन एवं विस्तार की जानकारी हेतु समसामयिक मुद्दों से भी वे अपरिचित प्रतीत होते हैं तथा जम्मू कश्मीर राज्य के कार्यकाल एवं वहां के राजनीतिक विकास के अध्ययन के सम्बन्ध में अपनी कोई विशेष रुचि प्रकट नहीं करते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के कार्यकाल के सम्बन्ध में छात्राओं की जागरूकता का स्तर मात्र 36% ही प्रतीत होता है जिससे यह स्पष्ट है कि छात्रा भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं की अपेक्षा जम्मू कश्मीर विधानसभा के कार्यकाल के सम्बन्ध में जानकारी का अभाव उनमें अत्यंत कम प्रतीत होता है। वे भारत के संवैधानिक विकास तथा जम्मू कश्मीर विधानसभा के राजनीतिक विकास ,कार्यकाल एवं धारा 370 से भी अनभिज्ञ प्रतीत होती हैं। छात्राएं सिर्फ अपने आप को अपने क्षेत्रीय वातावरण एवं पारिवारिक माहौल से बाहर निकलने में असमर्थ प्रतीत होती हैं , राष्ट्रीय समाचार पत्र इंटरनेट सोशल मीडिया आदि से भी जम्मू कश्मीर विधानसभा के कार्यकाल के सम्बन्ध में जानकारी रखने हेतु अधिकतर दूरी बनाए रखते हुई प्रतीत होती हैं। अतः अध्ययन से स्पष्ट है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के कार्यकाल के सम्बन्ध में विद्यार्थियों भारत के अन्य राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल की अपेक्षा कम जागरूक प्रतीत होते हैं इसका कारण है कि जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 के सम्बन्ध में उनके द्वारा प्रस्तुत अध्ययन किया जाना है तथा इंटरनेट एवं सोशल मीडिया आदि का प्रयोग जम्मू कश्मीर विधानसभा के कार्यकाल की जानकारी के सम्बन्ध में ना करना भी है एवं महाविद्यालयी स्तर पर

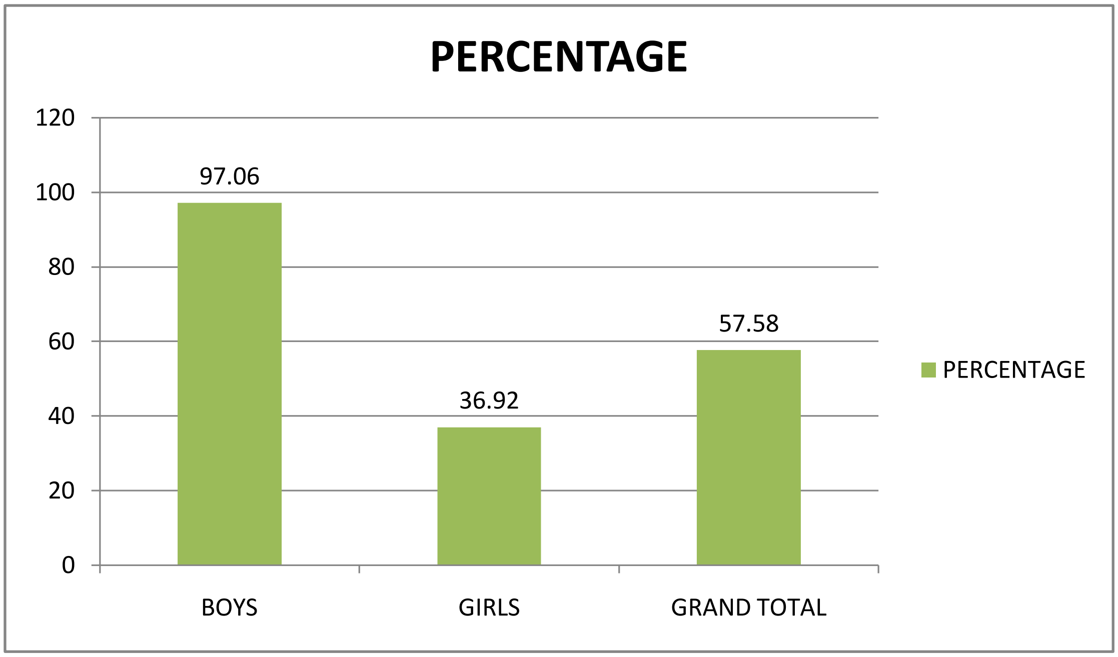
चर्चा एवं परिचर्चा चर्चा में उनके द्वारा अपनी -अपनी सहभागिता सुनिश्चित कराने में असमर्थता व्यक्त करना है भी है।

प्रश्न-38 उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है?

तालिका 4.38

उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	33	97.06
छात्राएं	65	24	36.92
कुल विद्यार्थियों	99	57	57.58



उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.38

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.38 एवं चित्र संख्या 4.38 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों में उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु के सम्बन्ध में छात्रों में जागरूकता 97.06%, छात्राओं में जागरूकता 36.92%, तथा कुल विद्यार्थियों में जागरूकता 57.58% है। इसमें छात्रों का जागरूकता प्रतिशत औसत से अधिक पाया गया है जबकि छात्राओं में जागरूकता का स्तर अत्यंत निम्न प्रतीत होता है 2 छात्रों की तुलना में 3 गुना से भी कम प्रतीत होता है। तालिका संख्या 4.38 एवं चित्र संख्या 4.38 से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु के सम्बन्ध में छात्रों में जागरूकता का स्तर 95% से भी अधिक पाया गया छात्राओं में जागरूकता का स्तर मात्र 40% से भी कम पाया गया है तथा कुल विद्यार्थियों में उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु के सम्बन्ध में 60% से भी कम जागरूकता का स्तर पाया गया है।

विवेचना

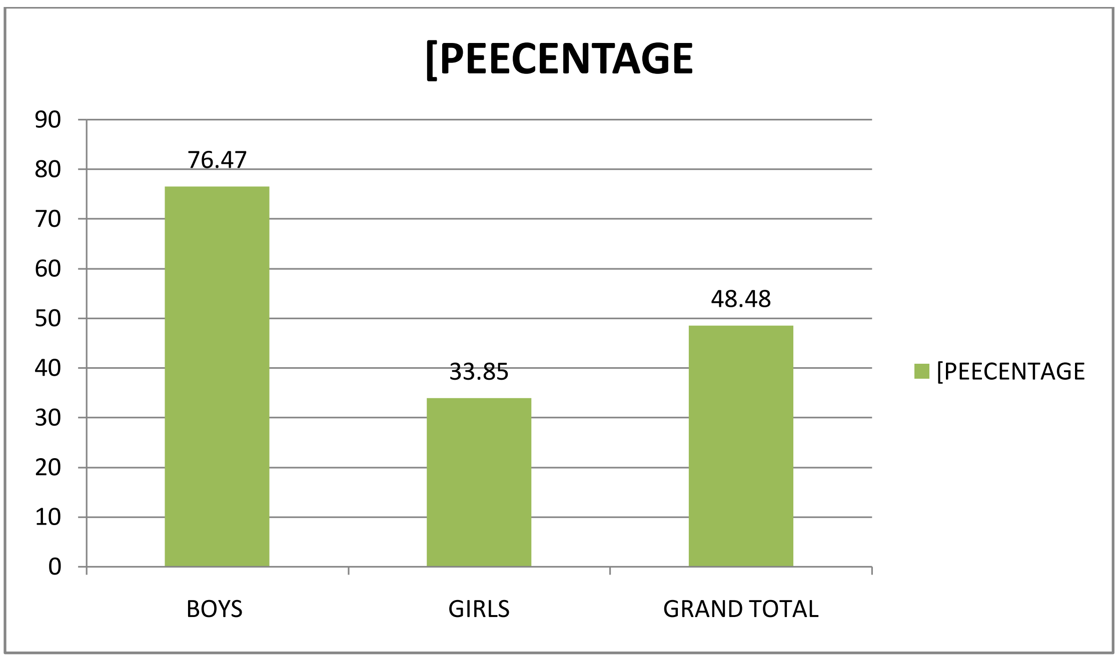
उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु के सम्बन्ध में विद्यार्थियों की कुल जागरूकता का स्तर मात्र 57% ही प्रतीत होता है जिससे यह स्पष्ट है कि विद्यार्थियों भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों एवं अन्य राज्यों के प्रतीकों से भली-भांति परिचित प्रतीत नहीं होते हैं। भारत के संवैधानिक विकास एवं भारतीय राजव्यवस्था के अध्ययन में ज्यादा रुचि प्रकट नहीं करते हैं तथा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विकास एवं राजकीय प्रतीकों के सम्बन्ध में नियमित रूप से अध्ययन करने में असमर्थ प्रतीत होते हैं एवं राष्ट्रीय समाचार पत्र, पत्रिकाओं विकीपीडिया पेज आदि के नियमित अध्ययन से भी विरत पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु के सम्बन्ध में छात्राओं में जागरूकता का स्तर मात्र 36% ही प्रतीत होता है जिससे यह स्पष्ट है कि छात्राएं भारत के राजनीतिक विकास के साथ ही उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विकास एवं भारतीय राज व्यवस्था के सम्बन्ध में भली-भांति परिचित प्रतीत नहीं होती हैं तथा विस्तृत जानकारी हेतु राष्ट्रीय समाचार पत्र , पत्रिकाएं एवं इंटरनेट सामग्री का उपयोग उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित करने हेतु नियमित तौर पर असमर्थ प्रतीत होती हैं , ऐसा प्रतीत होता है कि वे सिर्फ अपने घरेलू मुद्दों तथा क्षेत्रीय मुद्दों की जानकारी तक ही अपने आप को सीमित रखती हैं और साथ ही समाचार चैनलों की अपेक्षा वे धारावाहिक कार्यक्रम पर अपना ध्यान अधिक केंद्रित करती यह प्रतीत होती हैं। अतः अध्ययन से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर औसत से निम्न पाया गया है जिसका प्रमुख कारण है कि विद्यार्थियों भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों एवं अन्य राज्यों के प्रतीकों से भलीभांति परिचित प्रतीत नहीं होते हैं और साथ ही उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों के सम्बन्ध में मात्र औसत जानकारी रखते हुए ही प्रतीत होते हैं एवं उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु के सम्बन्ध में ई- समाचार पत्र विभिन्न वेबसाइट्स, तथा विकीपीडिया पेज के अध्ययन में अपनी ज्यादा रुचि प्रकट नहीं करते हैं।

प्रश्न-39 उत्तर प्रदेश के वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री कौन हैं?

तालिका संख्या-4.39

उत्तर प्रदेश के वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	26	76.47
छात्राएं	65	22	33.85
कुल विद्यार्थियों	99	48	48.48



उत्तर प्रदेश के वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.39

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.39 एवं चित्र संख्या 4.39 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक का जागरूकता स्तर छात्रों में 76.47%,33.85% तथा कुल विद्यार्थियों में 48.48% हैं। इसमें छात्रों में जागरूकता स्तर अधिक पाया गया है तथा छात्राओं में जागरूकता का स्तर निम्न पाया गया है जो छात्रों की तुलना में दोगुने से भी अधिक निम्न प्रतीत होता है। तालिका संख्या 4.39 एवं चित्र संख्या 4.39 से प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री के सम्बन्ध में 76% छात्र जागरूक हैं एवं छात्राएं मात्र 33% जागरूक है जो अति निम्न स्तर है। इस प्रकार कुल 50% से भी कम विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश के वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री से परिचित हैं।

विवेचना

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि 50% से भी कम विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश के वर्तमान शिक्षामंत्री के सम्बन्ध में जागरूक हैं जिसका मुख्य कारण छात्रों में राज्य मंत्री मंडल के बारें कोई रूचि प्रतीत न होना भी हैं तथा राज्य स्तरीय मुद्दों के बारें जानकारी हेतु समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का दैनिक अध्ययन ना किया जाना भी हैं। उत्तरप्रदेश के वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री के सम्बन्ध छात्रोंओं का जागरूकता स्तर मात्र 33% हैं। जिससे यह प्रतीत होता है कि छात्राओं में उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री मंडल के सम्बन्ध में कोई विशेष रुचि प्रतीत नहीं होती है वे सिर्फ घरेलू कार्यों में संलग्न रहती हैं तथा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विकास एवं विधानसभा एवं कार्यपालिका के कार्य एवं महत्व के बारे में कोई स्तरीय ज्ञान भी नहीं रखती हैं और ना ही वे समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं के दैनिक अध्ययन में कोई विशेष रुचि प्रकट करती हैं तथा महाविद्यालयी स्तर पर होने वाली संगोष्ठीओं एवं सेमिनारों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कराना वे उपयुक्त नहीं समझती हैं। अतः उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि विद्यार्थियों में उत्तर प्रदेश के वर्तमान उच्च शिक्षा मंत्री के सम्बन्ध में 50% से भी कम विद्यार्थियों परिचित हैं जिससे यह प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों राष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ राज्य स्तरीय समसामयिक मुद्दों के बारे में कोई विशेष रुचि नहीं रखते हैं तथा राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की जानकारी हेतु इंटरनेट, लोकसभा टी.वी., राज्यसभा टी.वी. तथा राष्ट्रीय समाचार पत्रों का दैनिक अध्ययन भी विद्यार्थियों द्वारा उपयुक्त रूप से नहीं किया जाना भी है।

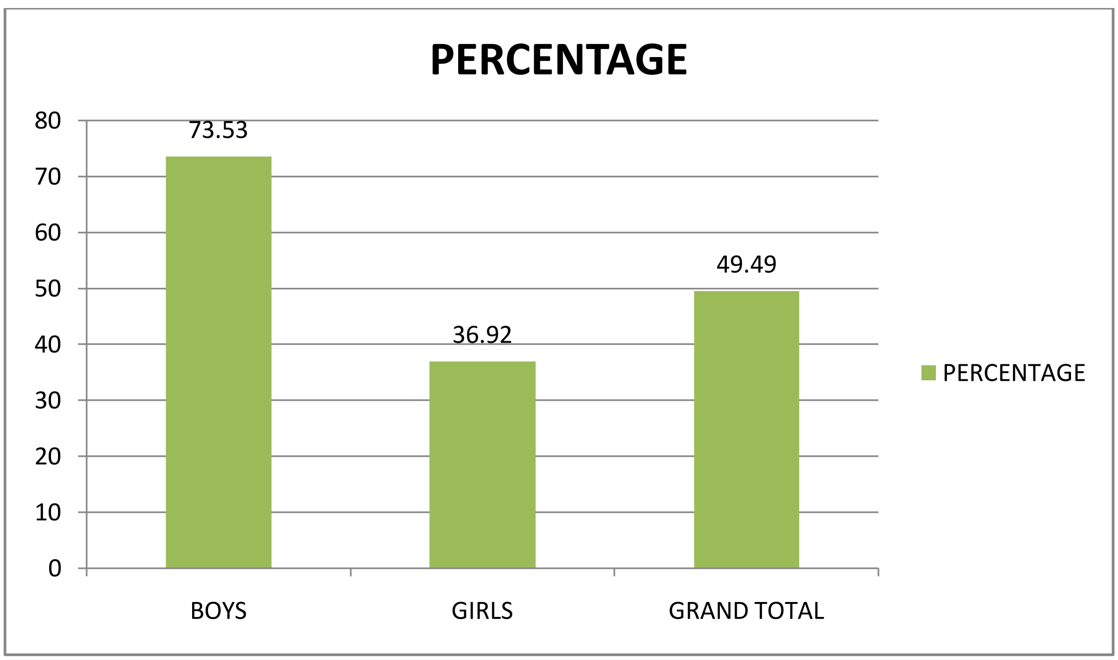
प्रश्न-4.40 उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन सा है?

तालिका संख्या 4.40

उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों मेंराजनीतिक

जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	25	73.53
छात्राएं	65	24	36.92
कुल विद्यार्थियों	99	49	49.49



उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.40

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.40 एवं चित्र संख्या 4.40 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 73.53%, छात्राओं में 36.92%, तथा कुल विद्यार्थियों में 49.49% है। इसमें छात्रों की जागरूकता का स्तर अधिक पाया गया है तथा छात्राओं में जागरूकता का स्तर अत्यंत अल्प पाया गया है जो छात्रों की तुलना में एक तिहाई कम प्रतीत होता है। तालिका संख्या 4.40 एवं चित्र संख्या 4.40 से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के सम्बन्ध में आधे से अधिक छात्र जागरूक पाए गए हैं तथा जिनमें छात्राएं मात्र 36% ही जागरूक हैं जो आधे से भी कम उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह से परिचित प्रतीत होती हैं। इस प्रकार 50% से भी कम कुल विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के सम्बन्ध में जागरूक हैं।

विवेचना

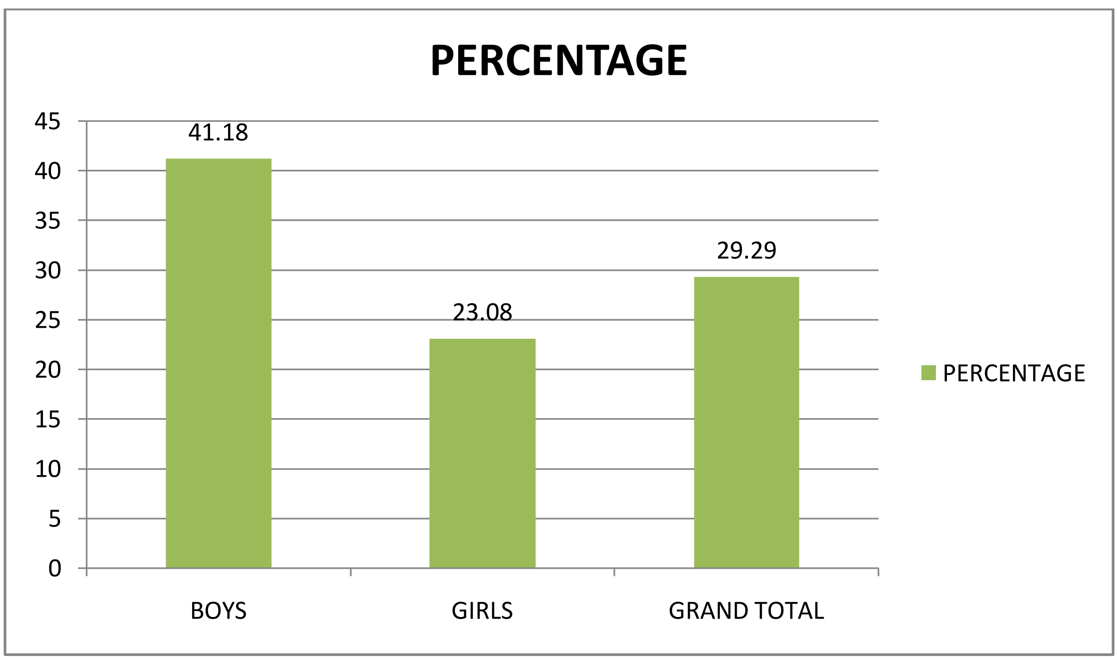
उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों की कुल जागरूकता का स्तर मात्र 50% से भी कम है इसका कारण है कि विद्यार्थियों भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों एवं राज्य स्तरीय विभिन्न प्रतीकों से भली-भांति परिचित नहीं हैं। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह् के सम्बन्ध में जानकारी रखने हेतु न तो समसामयिक मुद्दों का अध्ययन किया जाता है और न ही राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं तथा विकिपीडिया पेज का अध्ययन करने का नियमित प्रयास किया जाता है। छात्र सदैव इंटरनेट का प्रयोग मनोरंजन सामग्री खोजने में व्यस्त रहते हैं जबकि ई -समाचार पत्र एवं गूगल सर्च इंजन पर राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में जाने का कोई प्रयास शायद ही कभी करते हों। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह् के सम्बन्ध में छात्राओं की जागरूकता मात्र 36% ही प्रतीत होती है जिससे पता चलता है कि छात्राएं उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विकास एवं उसमें हो रही समसामयिक घटनाओं के बारे में कोई रुचि नहीं लेती हैं तथा इंटरनेट, ई-समाचार पत्र एवं विकीपीडिया पेज के माध्यम से भारत के राष्ट्रीय प्रतीक एवं उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बारे में जानने का कोई विशेष प्रयास उनके द्वारा नहीं किया जाता है वे सिर्फ अपने आप को टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले दैनिक धारावाहिक कार्यक्रमों एवं सिलाई ,कढ़ाई, बुनाई आदि में अपना समय ज्यादा व्यतीत करती हुई प्रतीत होती है अतः उपरोक्त अध्यन से स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश के विधानमंडल एवं राष्ट्रीय प्रतीकों से भली-भांति परिचित नहीं है।

प्रश्न -41 उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद कौन सा है?

तालिका 4.41

उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता-

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	14	41.18
छात्राएं	65	15	23.08
कुल विद्यार्थियों	99	29	29.29



उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जनपद के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.41

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.41 एवं चित्र संख्या 4.41 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 41.18%, छात्राओं में 23.08% तथा कुल विद्यार्थियों में 29.29% है। जिसमें छात्र में जागरूकता का स्तर 50% से भी कम है तथा छात्राओं में जागरूकता का स्तर मात्र 23% ही प्रतीत होता है जो अत्यंत निम्नतम जागरूकता स्तर है जबकि छात्रों की तुलना में छात्राओं का जागरूकता स्तर आधा प्रतीत होता है। तालिका संख्या 4.41 एवं चित्र संख्या 4.41 से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले जनपद के सम्बन्ध में मात्र 50 प्रतिशत से भी कम छात्र जागरूक हैं जबकि छात्राएं 25% से भी कम जागरूक प्रतीत होती हैं। इस प्रकार एक चौथाई विद्यार्थियों ही उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले जनपद से परिचित हैं।

विवेचना

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि 50% से भी कम छात्र उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले जनपद से परिचित हैं इसका मुख्य कारण है कि छात्रों को केंद्रीय विधानमंडल एवं राज्य विधानमंडल के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं है और न ही वे राज्यसभा टी.वी. , लोकसभा टी.वी. की दैनिक परिचर्चा देखने एवं राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं ,विकीपीडिया पेज के दैनिक अध्ययन में अपनी रुचि प्रकट करते प्रतीत नहीं होते हैं। अतः उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले जनपद के सम्बन्ध में छात्राएं मात्र 23% ही जागरूक प्रतीत होती हैं इससे यह है प्रकट होता है कि छात्राएं महाविद्यालयी स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न संगोष्ठीओं एवं सेमिनारों में अपनी भागीदारी समय-समय पर सुनिश्चित नहीं करती हैं तथा केंद्रीय विधानमंडल एवं राज्य स्तरीय विधानमंडल के बारे में जानने का विशेष प्रयास नहीं करती हैं दिन प्रतिदिन प्रदेश की विधानसभा में हो रहे बदलाव की जानकारी हेतु समाचार पत्र इंटरनेट विकीपीडिया पेज आदि का भी नियमित अध्ययन नहीं किया जाता है वह सिर्फ घरेलू कार्यों तक अपने को सीमित पाती हैं। उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले जनपद के

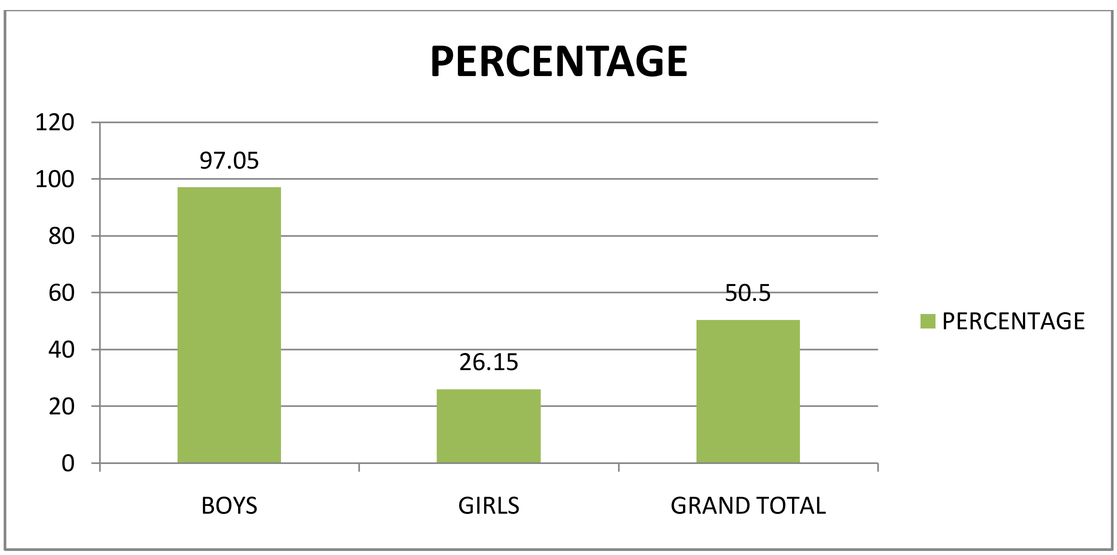
सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर अत्यंत ही निम्न है जिससे प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों विधानसभा और लोकसभा के सम्बन्ध में विशेष जानकारी रखने में रुचि नहीं रखते हैं।

प्रश्न-42 उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है?

तालिका 4.42

उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता-

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	33	97.05
छात्राएं	65	17	26.15
कुल विद्यार्थियों	99	50	50.5



उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.42

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.42 एवं चित्र संख्या 4.42 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 97.05%, छात्राओं में 26.15% तथा कुल विद्यार्थियों में 50.05% है। इसमें छात्रों की जागरूकता का स्तर अधिक पाया गया है तथा छात्राओं की जागरूकता का स्तर अत्यंत अल्प है जो छात्रों की तुलना में एक तिहाई कम प्रतीत होता है। अतः तालिका संख्या 4.42 एवं चित्र संख्या 4.42 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या के सम्बन्ध में छात्रों में जागरूकता स्तर 90% से अधिक प्रतीत होता है जब की छात्राओं में जागरूकता स्तर मात्र 25% से अधिक प्रतीत होता है जो निम्नतम जागरूकता स्तर है और कुल विद्यार्थियों में उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों के सम्बन्ध में जागरूकता का स्तर मात्र 50% ही प्रतीत होता है।

विवेचना

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या के सम्बन्ध में विद्यार्थियों का जागरूकता स्तर मात्र 50% प्रतीत होता है इसका कारण है कि विद्यार्थियों भारतीय संविधान एवं संविधान के प्रमुख अंगो - कार्यपालिका , व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका से अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं। विद्यार्थियों विधानसभा चुनावों एवं लोकसभा चुनावों के मतदान में अपनी कोई रुचि प्रकट नहीं करते हैं उत्तर प्रदेश के संसदीय क्षेत्रों के बारे में भली-भांति जानने का उनके द्वारा कोई प्रयास भी नहीं किया जाता है। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या के सम्बन्ध में छात्राओं में जागरूकता का स्तर मात्र 26% ही प्रतीत होता है जिससे यह स्पष्ट है कि छात्राएं लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई विशेष विश्वास नहीं रखती हैं और न ही उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र के सम्बन्ध में जानने में कोई रुचि प्रतीत होती है तथा मतदान के सम्बन्ध में भी वे अधिक जागरूक प्रतीत नहीं होती हैं बल्कि वे घरेलू उत्पादक कार्यों में अपनी सहभागिता ज्यादा सुनिश्चित करती हैं जिससे उनके माता पिता एवं सगे संबंधी ज्यादा उनसे संतुष्ट प्रतीत हो सके। उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या के सम्बन्ध में विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर अत्यंत निम्न है जिससे यह प्रतीत होता है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों अपने संसदीय क्षेत्रों के बारे में जानने हेतु विशेष जिज्ञासु प्रतीत नहीं होते हैं और न ही लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनकी कोई विशेष रुचि है। इंटरनेट

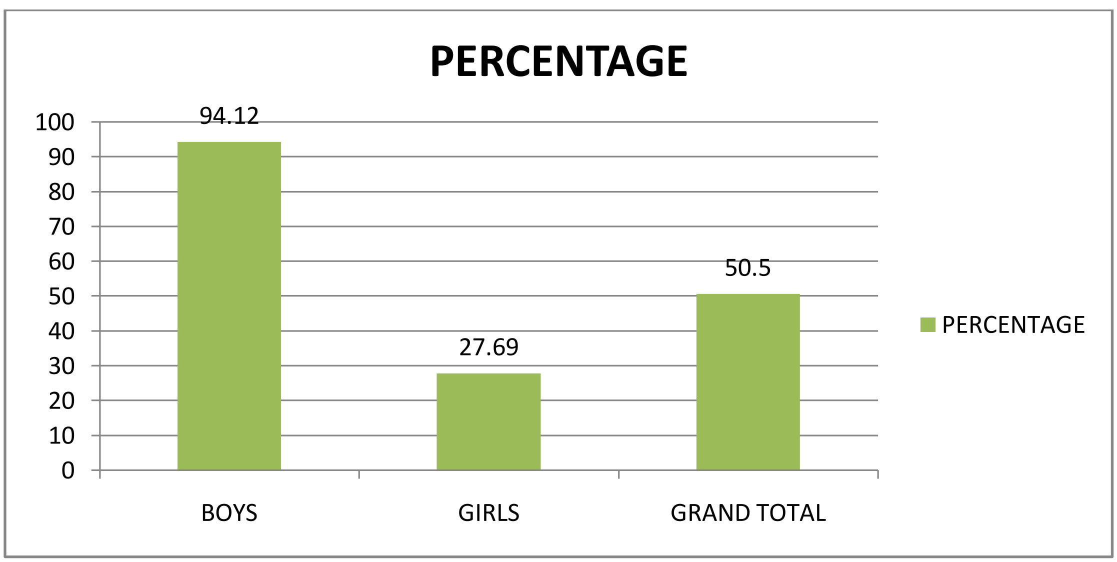
और सोशल मीडिया का प्रयोग वे अपने मनोरंजन हेतु करते प्रतीत होते हैं न कि समसामयिक मुद्दों की जानकारी हेतु।

प्रश्न-43 उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी?

तालिका 4.43

उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	32	94.12
छात्राएं	65	18	27.69
कुल विद्यार्थियों	99	50	50.5



उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.43

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.43 एवं चित्र संख्या 4.43 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 94.12%, छात्राओं में 27.69% तथा कुल विद्यार्थियों में 50.05% है। इसमें छात्रों का जागरूकता स्तर अधिक है जब की छात्राओं का जागरूकता स्तर अत्यंत अल्प है जो छात्रों की तुलना में एक तिहाई ही प्रतीत होता है। अतः तालिका संख्या 4.43 एवं चित्र संख्या 4.43 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के सम्बन्ध में छात्रों में जागरूकता 90% से अधिक पाई गई है जब की छात्राओं में 30% से कम जागरूकता पाई गई है। इस प्रकार कुल विद्यार्थियों में उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के सम्बन्ध में जागरूकता का स्तर मात्र 50% ही प्रतीत होता है।

विवेचना

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के सम्बन्ध में विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर मात्र 50% ही प्रतीत होता है इसका कारण यह है कि विद्यार्थियों उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विकास एवं भारतीय संविधान के अध्ययन के सम्बन्ध में अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं तथा भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की भूमिका एवं उनके पदों के क्रम का समुचित ज्ञान भी नजर नहीं आता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के सम्बन्ध में छात्राओं की जागरूकता का स्तर मात्र 27% है जो अत्यंत ही निम्न स्तर है। इससे प्रतीत होता है कि छात्राएं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राजनीतिक विकास में महिलाओं की भूमिका से भली-भांति परिचित नहीं है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के पदों के क्रम का उन्हें समुचित ज्ञान भी प्रतीत नहीं होता है तथा वे सिर्फ है घरेलू मुद्दों तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं और दैनिक टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक को में ज्यादा रुचि प्रकट करती हैं राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं तथा उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के अध्ययन में उनकी कोई रुचि नजर नहीं आती है। अतः उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के सम्बन्ध में विद्यार्थियों की जागरूकता का स्तर मात्र 50% से इससे यह प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों राज्य विधान मंडल एवं उनके मंत्रिमंडल के अध्ययन में कोई विशेष रूचि प्रकट नहीं करते हैं तथा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की राजनीतिक भूमिका के योगदान से भी अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं तथा दिन प्रतिदिन

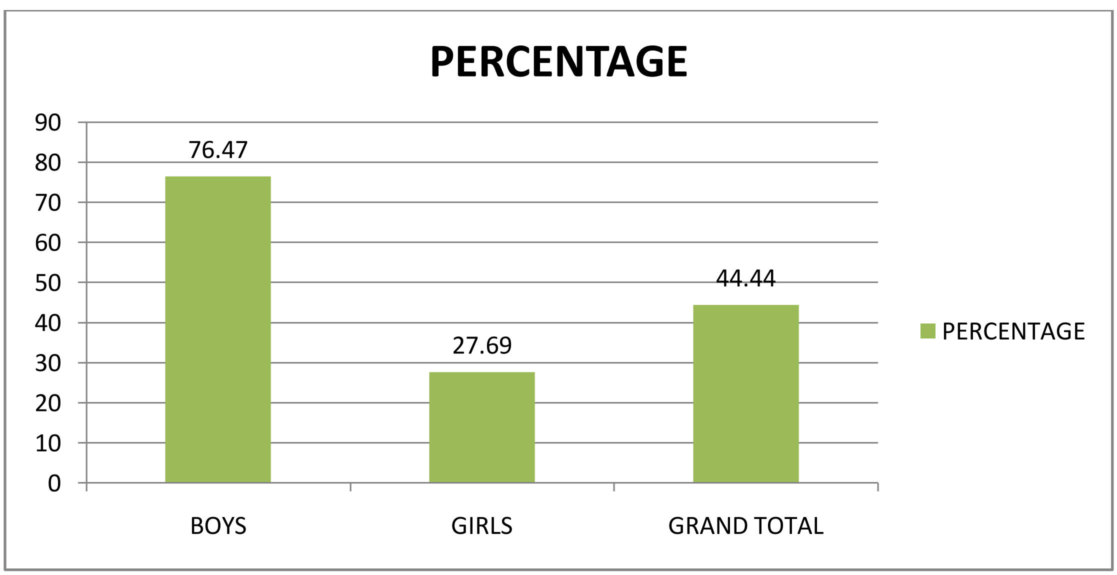
हो रही राजनीतिक उथल-पुथल से संबंधित घटनाओं के बारे में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय समाचार पत्रों पर उनका कोई ध्यान नहीं जाता है।

प्रश्न-44 उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जनपद है, जो चार राज्यों की सीमाओं को छूता है?

तालिका 4.44

उत्तर प्रदेश का वह जनपद जो चार राज्यों की सीमाओं को छूता है के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	26	76.47
छात्राएं	65	18	27.69
कुल विद्यार्थियों	99	44	44.44



उत्तर प्रदेश का वह जनपद जो चार राज्यों की सीमाओं को छूता है के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.44

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.44 एवं चित्र संख्या 4.44 स्पष्ट है कि महाविद्यालयी स्तर के विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 76.47%, छात्राओं में 27.69% तथा स्कूल विद्यार्थियों में 44.4% है।इसमें छात्रों की जागरूकता का स्तर अधिक पाया गया है तथा छात्राओं की जागरूकता का स्तर अत्यंत निम्न पाया गया है जो छात्रों की तुलना में एक तिहाई से भी कम प्रतीत होती हैं। तालिका संख्या 4.44 एवं चित्र संख्या 4.44 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश का वह जनपद जो 4 राज्यों की सीमा छूता है के सम्बन्ध में छात्रों की जागरूकता का स्तर 75% से अधिक है जब की छात्राओं में जागरूकता का स्तर मात्र 27% ही प्रतीत होता है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश का वह जनपद जो चार राज्यों की सीमा को छूता है के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों की जागरूकता का स्तर मात्र 50% से भी कम प्रतीत होता है।

विवेचना

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश का वह जनपद जो चार राज्यों की सीमा छूता है के सम्बन्ध में विद्यार्थियों की जागरूकता का स्तर 50% से भी कम प्रतीत होता है इसका कारण है कि विद्यार्थियों भारत के राज्यों की सीमा रेखाओंं एवं राज्यों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में भली-भांति परिचित नहीं है तथा राज्यों की स्थापना के सम्बन्ध में भी विस्तृत रूप से परिचित नहीं है। महाविद्यालयी स्तर पर शिक्षकों द्वारा राजनीतिक एटलस के सम्बन्ध में उन्हें समुचित जानकारी प्रदान नहीं की जाती है एवं समय-समय पर राज्यों की सीमा में हो रहे बदलावों की जानकारी हेतु राष्ट्रीय समाचार पत्रों का दैनिक अध्ययन छात्रों द्वारा नहीं किया जाता है। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जोचार राज्यों की सीमा को छूता है के सम्बन्ध में छात्राओं की जागरूकता का स्तर मात्र 27% ही प्रतीत होता है इससे यह प्रकट होता है कि छात्राएं राष्ट्रीय एटलस एवं भारत के राज्यों की सीमाओंं में हो रहे बदलावों का अध्ययन तथा भारत के विभिन्न राज्यों के विभाजन का भली-भांति अध्ययन छात्राओं द्वारा नहीं किया जाता है वे अपने आप को सिर्फ क्षेत्रीय स्तर तक सीमित पाती हैं और राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तर की जानकारी संकलित करने में असमर्थ प्रतीत होती हैं क्योंकि वे राष्ट्रीय समाचार पत्र लोक सभा टी.वी. , राज्य सभा टी.वी., इंटरनेट एवं विकीपीडिया पेज आदि से सदैव दूरी बनाए रखती हैं। अतः उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश का वह जनपद जो चारों 4 राज्यों की सीमाएं

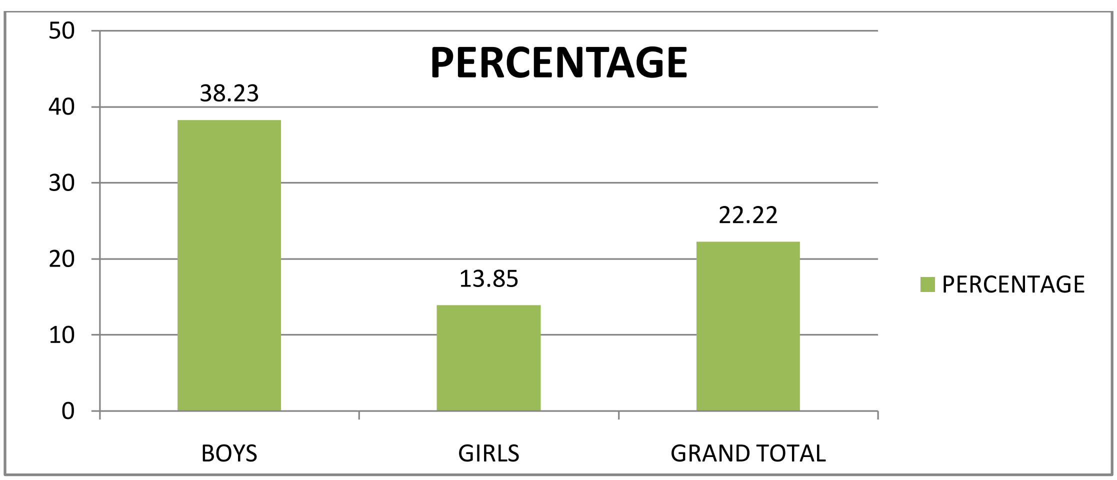
छूता है के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों की जागरूकता का स्तर मात्र 50% है इससे स्पष्ट होता है कि वे भारत के राज्यों से संबंधित सीमाओं के अध्ययन एवं राज्यों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं तथा विभिन्न तन गोष्ठियों सेमिनार आदि में इन मुद्दों पर चर्चा एवं परिचर्चा करने से सदैव बचते रहते हैं।

प्रश्न-45 उत्तर प्रदेश का प्रथम न्यायाधीश कौन था?

तालिका 4.45

उत्तर प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	13	38.23
छात्राएं	65	9	13.85
कुल विद्यार्थियों	99	22	22.22



उत्तर प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.45

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.45 एवं चित्र संख्या 4.45 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 38.23%, छात्राओं में 13.85% तथा कुल विद्यार्थियों में 22.22% है। इसमें छात्रों का जागरूकता प्रतिशत अधिक पाया गया है तथा छात्राओं का जागरूकता प्रतिशत अति अल्प पाया गया है छात्रों की तुलना में 3 गुना से भी कम प्रतीत होता है। तालिका संख्या 4.45 एवं चित्र संख्या 4.45 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम न्यायधीश के सम्बन्ध में छात्रों में जागरूकता का स्तर 40% से भी कम प्रतीत होता है तथा छत्राओं में जागरूकता का स्तर मात्र 13% ही प्रतीत होता जो अत्यंत निम्न हैं एवं कुल विधार्थियों में उत्तर प्रदेश के प्रथम न्यायधीश के सम्बन्ध में मात्र 22% विधार्थी ही परिचित हैं।

विवेचना

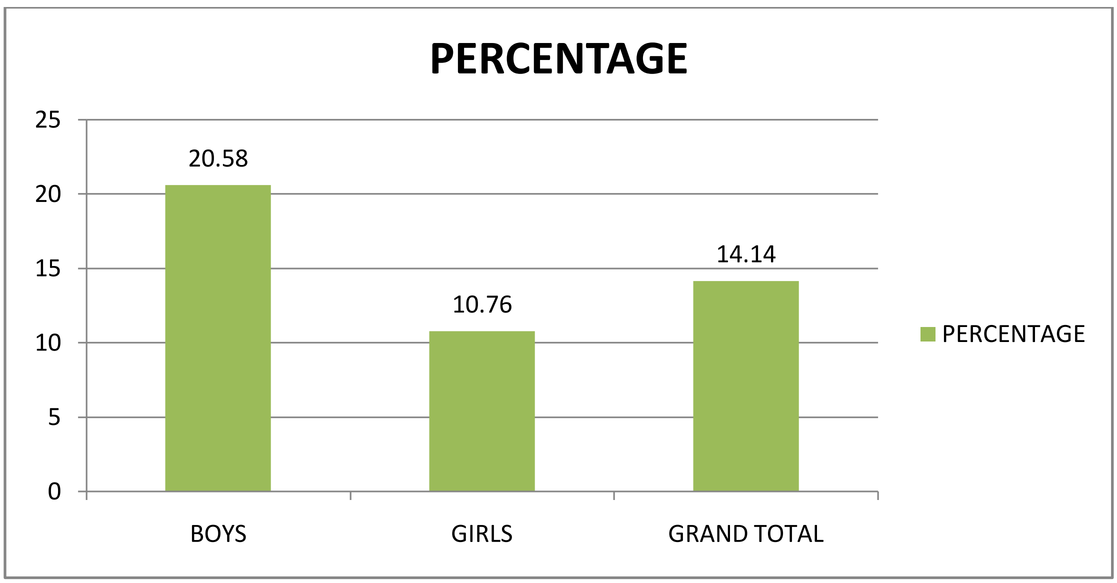
उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम न्यायधीश के सम्बन्ध में छात्रों में जागरूकता का स्तर मात्र 38% है जिसका मुख्य कारण भारतीय न्यायपलिका , राज्य न्यायपालिका के सम्बन्ध में छात्र अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं तथा समसायायिक मुद्दों के सम्बन्ध राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का दैनिक अध्ययन न किया जाना है। अतः उत्तर प्रदेश के प्रथम न्यायधीश के सम्बन्ध में छात्राओं का जागरूकता का स्तर 13% ही प्रतीत होता है इससे यह प्रतीत होता है कि छात्राएं भारतीय न्यायपालिका के सम्बन्ध में बहुत ही उदासीन तथा अनभिज्ञ प्रतीत होती हैं वे सिर्फ अपने जीवन को दैनिक प्रसारित होने वाले धारावाहिक कार्यक्रमों में अपना समय व्यतीत करती रहती हैं तथा समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का दैनिक अध्ययन उनके द्वारा न किया जाना भी है। अतः उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम न्यायधीश के सम्बन्ध में विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर मात्र 22%ही प्रतीत होता है जिससे यह स्पष्ट है कि विद्यार्थियों में भारतीय न्याय व्यव्था के सम्बन्ध में जागरूकता का स्तर अति उदासीन प्रतीत होता है तथा इन्टरनेट , सोशल मीडिया, आदि के माध्यम से राजनीतिक मुद्दों से दूरी बनाए रखते हैं।

प्रश्न-46 उत्तर प्रदेश का सबसे कम विधान सभा सीटों वाला जनपद कौन सा है?

तालिका 4.46

उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जनपद के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	7	20.58
छात्राएं	64	7	10.76
कुल विद्यार्थियों	99	14	14.14



उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जनपद के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.46

विश्लेषण-

तालिका संख्या 4.46 एवं चित्र संख्या 4.46 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 20.58%, छात्राओं में 10.76% तथा कुल विद्यार्थियों में 14.14% है। इसमें छात्रों का जागरूकता प्रतिशत अधिक पाया गया है तथा छात्राओं में जागरूकता का प्रतिशत छात्रों से अल्प पाया गया है जो छात्रों की तुलना में आधे से भी कम प्रतीत होता है। तालिका संख्या 4.46 एवं चित्र संख्या 4.46 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जनपद के सम्बन्ध में छात्रों में जागरूकता का स्तर मात्र 20% ही प्रतीत होता है जो एक चौथाई भाग से भी कम प्रतीत होता है तथा छात्राओं में मात्र 10% ही जागरूकता का स्तर प्रतीत होता है जो अत्यंत ही निम्न से निम्नतम स्तर है। इस प्रकार कुल विद्यार्थियों में उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जनपद के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों की जागरूकता का स्तर मात्र 14% ही प्रतीत होता है जोक 7 गुना से भी कम जागरूकता का स्तर है।

विवेचना

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जनपद के सम्बन्ध में मात्र 20% ही छात्र जागरूक प्रतीत होते हैं जिसका मुख्य कारण है कि छात्र राज्यों की सीमाओं की जानकारी के सम्बन्ध में विशेष रुचि नहीं रखते हैं तथा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विकास के सम्बन्ध में भी अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं। छात्रों द्वारा राजनीतिक सीमाओं से संबंधी एटलस का भी अध्ययन उचित रूप से नहीं किया जाता है तथा महाविद्यालयी स्तर पर राज्य की सीमाओं के विस्तार के सम्बन्ध में चर्चा एवं पर चर्चा में अपनी कोई सहभागिता सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण नहीं समझते हैं। उत्तर प्रदेश सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जनपद के सम्बन्ध में छात्राओं की जागरूकता मात्र 10% ही प्रतीत होती है जिससे यह स्पष्ट है कि छात्राएं भारत के राज्यों के सम्बन्ध में ज्यादा परिचित प्रतीत नहीं होती हैं और उत्तर प्रदेश की सीमाओं को छूने वाले राज्यों से भी अनभिज्ञ प्रतीत होती हैं तथा उत्तर प्रदेश के राजनीतिक विकास के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करने वाले एटलस का उनके द्वारा विस्तृत अध्ययन भी नहीं किया जाता है वे सिर्फ क्षेत्रीय परिसीमा में अपने आपको सदैव संलग्न है रखती हैं एवं उनके द्वारा राष्ट्रीय समाचार पत्र एवं विकीपीडिया पेज

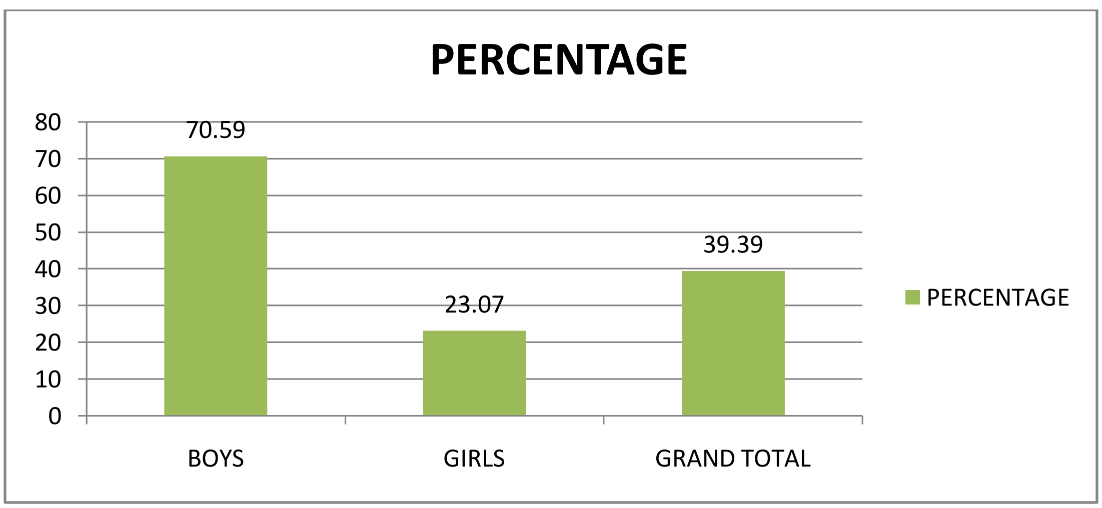
आदि का भी दैनिक अध्ययन उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाओं के सम्बन्ध में अध्ययन नहीं किया जाता है। अतः उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि कुल विद्यार्थियों में उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जनपद के सम्बन्ध में विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर अत्यंत ही निम्न प्रतीत होता है जिससे स्पष्ट है।

प्रश्न-47 उत्तर प्रदेश का विभाजन किस वर्ष किया गया था?

तालिका 4.47

उत्तर प्रदेश के विभाजन के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	**आवृत्ति**	**प्रतिशत**
छात्र	**34**	**24**	**70.59**
छात्राएं	**65**	**15**	**23.07**
कुल विद्यार्थियों	**99**	**39**	**39.39**



उत्तर प्रदेश के विभाजन के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.47

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.47 एवं चित्र संख्या 4.47 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 70.59%, छात्राओं में 23.07% तथा कुल विद्यार्थियों में 39.39% है। इसमें छात्रों का जागरूकता प्रतिशत अधिक पाया गया है जब की छात्राओं में जागरूकता का स्तर अल्प पाया गया है जो छात्रों की तुलना में 3 गुने से भी कम प्रतीत होता है। तालिका संख्या 4.47 एवं चित्र संख्या 4.47 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के विभाजन के सम्बन्ध में छात्रों में जागरूकता स्तर 70% प्रतीत होता है जबकि छात्राओं में मात्र 23% ही प्रतीत होता है जो अत्यंत ही निम्नस्तर है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के विभाजन के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों को जागरूकता स्तर मात्र 40% से भी कम प्रतीत होता है।

विवेचना

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के विभाजन के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों को जागरूकता प्रतिशत मात्र 23% ही प्रतीत होता है जिसका मुख्य कारण है कि भारत के राज्यों के पुनर्गठन संबंधी राजनीतिक विकास से विद्यार्थियों अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं तथा उत्तर प्रदेश की स्थापना एवं विभाजन के सम्बन्ध में ज्यादा जानकारी संग्रह नहीं करते हैं एवं दिन प्रतिदिन हो रही राज्यों की सीमाओं के बदलाव के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने हेतु समसामयिक घटनाओं का अध्ययन उनके द्वारा उचित रूप से नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के विभाजन के सम्बन्ध में छात्रा में जागरूकता का स्तर मात्र 23% ही प्रतीत होता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि छात्राएं भारत के राज्यों के गठन एवं उनके विभाजन संबंधी तारीखों के बारे में ज्यादा परिचित नहीं प्रतीत होती हैं क्योंकि वे अपने आप को क्षेत्रीय परिधि में सीमित रख कर अपने दैनिक सामाजिक कार्यों में ज्यादा व्यस्त रहती हैं और राजनीतिक घटनाओं के सम्बन्ध में जानकारी रखने हेतु कोई राष्ट्रीय समाचार पत्र, समाचार चैनल, तथा इंटरनेट आदि का प्रयोग दैनिक रूप से प्रयोग करती हुई नहीं पाई जाती हैं बल्कि मनोरंजन हेतु ही इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रयोग उनके द्वारा किया जाता है। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के विभाजन के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर मात्र 40% से भी कम प्रतीत होता है इसका कारण है कि विद्यार्थियों भारत के विभिन्न राज्यों में हो रहे

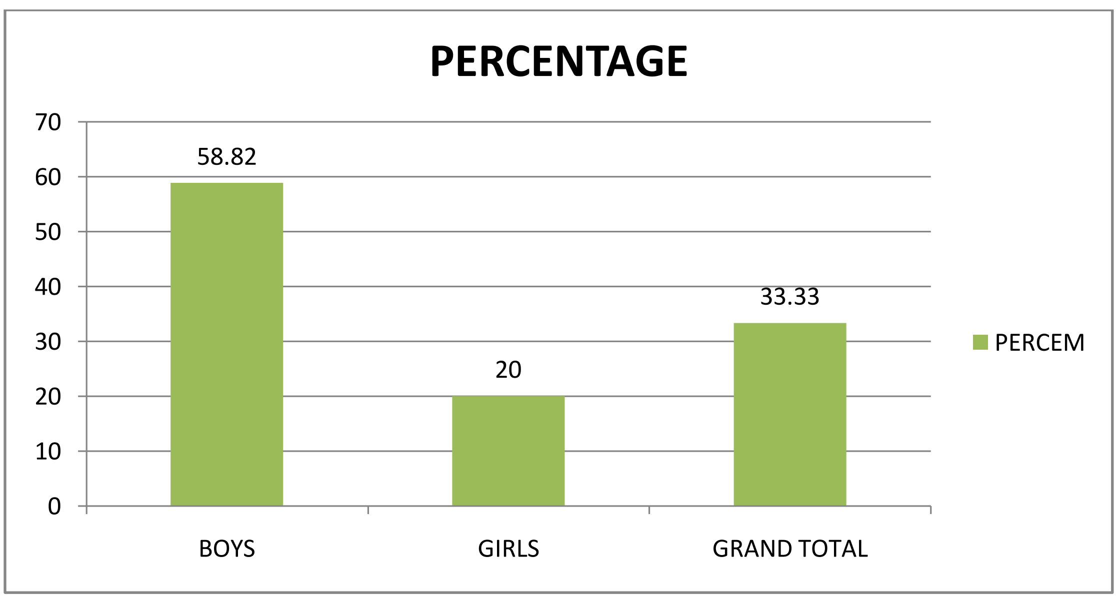
सीमा विस्तार तथा राजनीतिक विकास के सम्बन्ध में विशेष रुचि रखने में जिज्ञासु प्रतीत नहीं होते हैं तथा उत्तर प्रदेश की स्थापना एवं उसके विभाजन के सम्बन्ध में कोई विशेष जानकारी उनके द्वारा प्रतीत नहीं होती है।

प्रश्न-48 उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है?

तालिका 4.48

उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	20	58.82
छात्राएं	65	13	20
कुल विद्यार्थियों	99	33	33.33



उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.48

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.48 एवं चित्र संख्या 4.48 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 58.82%, छात्राओं में 20% तथा कुल विद्यार्थियों में 33.33% है। जिसमें छात्रों की जागरूकता का स्तर अधिक पाया गया है तथा छात्राओं की जागरूकता का स्तर अल्प पाया गया है जो छात्रों की तुलना में 3 गुना से भी कम प्रतीत होता है। तालिका संख्या 4.48 एवं चित्र संख्या 4.48 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल के सम्बन्ध में छात्रों में जागरूकता का स्तर 60% से कम प्रतीत होता है जबकि छात्राओं में जागरूकता का स्तर एक चौथाई से भी कम प्रतीत होता है तथा कुल 33 प्रतिशत विद्यार्थियों ही उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल के सम्बन्ध में परिचित हैं।

विवेचना-

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल के सम्बन्ध में कुल 33% विद्यार्थियों ही परिचित है जिससे यह प्रतीत होता है कि विद्यार्थियों भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों एवं राज्यों के राजकीय प्रतीकों से भली-भांति परिचित नहीं है तथा उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीकों के सम्बन्ध में विद्यार्थियों ने भली-भांति अध्ययन भी नहीं किया है एवं उत्तर प्रदेश की स्थापना , उसके राजनीतिक विकास, संस्कृति आदि से भी अनभिज्ञ प्रतीत हो रहे हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल के सम्बन्ध में छात्राओं की जागरूकता का स्तर मात्र 20% ही प्रतीत होता है जिससे यह पता चलता है कि छात्राएं मात्र एक चौथाई से भी कम जागरुक है इसका मुख्य कारण है कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास एवं राजनीतिक विकास तथा उसकी स्थापना और राजकीय प्रतीकों से भली-भांति परिचित नहीं है , न ही इसके बारे में जानने की जिज्ञासा उनके द्वारा प्रकट की जाती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि छात्राएं समसामयिक राजनीतिक मुद्दों के सम्बन्ध में रुचि ना रख कर सामाजिक एवं पारिवारिक मुद्दों के बारे में ज्यादा रुचि रखती हैं तथा समाचार पत्र,विकीपीडिया पेज, एवं ब्लॉग आदि का उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल से संबंधित जानकारी प्राप्त करने में अपना कोई नहीं समझती हैं। इस प्रकार अध्ययन से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश की राजकीय खेल के सम्बन्ध में

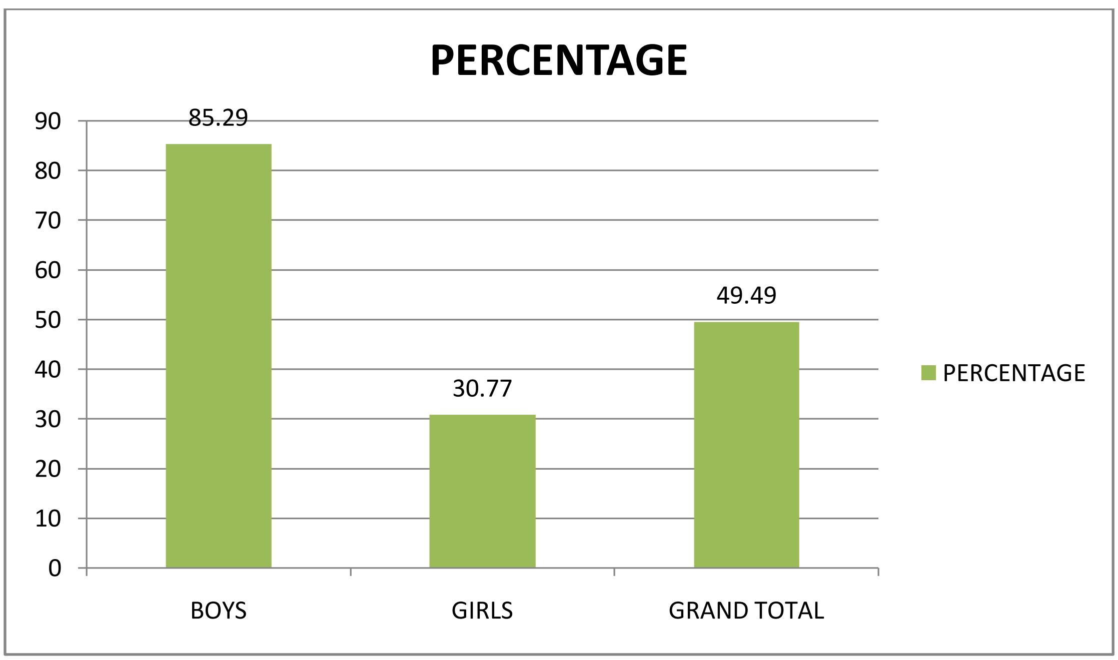
विद्यार्थियों की जागरूकता का स्तर अत्यंत निम्न प्रतीत होता है जिसका कारण है कि विद्यार्थियों द्वारा समय-समय पर राज्य स्तरीय मुद्दों के बारे में जानने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया जाता है।

प्रश्न-49 उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन था?

तालिका 4.49

उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विधार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	29	85.29
छात्राएं	65	20	30.77
कुल विद्यार्थियों	99	49	49.49



उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विधार्थियों में

राजनीतिक जागरूकता

चित्र संख्या 4.49

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.49 एवं चित्र संख्या 4.49 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 85.29%, छात्राओं में 30.77% तथा कुल विद्यार्थियों में 49.49% है। इसमें छात्रों का जागरूकता स्तर अधिक पाया गया है तथा छात्राओं का जागरूकता स्तर अत्यंत अल्प पाया गया है जो छात्रों की तुलना में 3 गुना कम प्रतीत होता है। तालिका संख्या 4.49 एवं चित्र संख्या 4.49 से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के सम्बन्ध में छात्रों में जागरूकता का स्तर 90% से कम पाया गया है तथा छात्रा में जागरूकता का स्तर मात्र 30% ही पाया गया है जो अत्यंत अल्प स्तर है एवं कुल विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर 50% से भी कम पाया गया है।

विवेचना

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के सम्बन्ध में कोई विद्यार्थियों को जागरूक का स्थान मात्र 50% से भी कम प्रतीत होता है इसका मुख्य कारण है कि विद्यार्थियों भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल एवं उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से भली-भांति परिचित प्रतीत नहीं होते हैं तथा समय-समय पर राज्य मंत्रिमंडल में हो रहे विस्तार के सम्बन्ध में जानकारी हेतु दैनिक समाचार पत्र ,ई- समाचार पत्र, तथा समाचार चैनल आदि से अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं। महाविद्यालयी स्तर पर होने होने वाली विभिन्न संगोष्ठीओं एवं सेमिनारों में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल के सम्बन्ध में कोई चर्चा एवं पर चर्चा भी कोई व्याख्यान देने से कतराते प्रतीत होते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के सम्बन्ध में छात्राएं मात्र 30% ही परिचित प्रतीत होती हैं जिससे यह स्पष्ट होता है कि वे केंद्रीय विधानमंडल एवं राज्य विधानमंडल के मंत्री मंडल से अनभिज्ञ प्रतीत होती हैं तथा उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में हो रहे नित नए बदलाव की जानकारी हेतु कोई राष्ट्रीय समाचार पत्र का नियमित अध्ययन नहीं किया जाता है। वे वे सिर्फ क्षेत्रीय परिसीमा में अपने आप को समेटकर पारिवारिक कार्यों में अपने आप को व्यस्त प्रतीत करती हैं तथा ई पत्रिका , विकीपीडिया पेज, तथा ब्लॉग आदि से दूरी

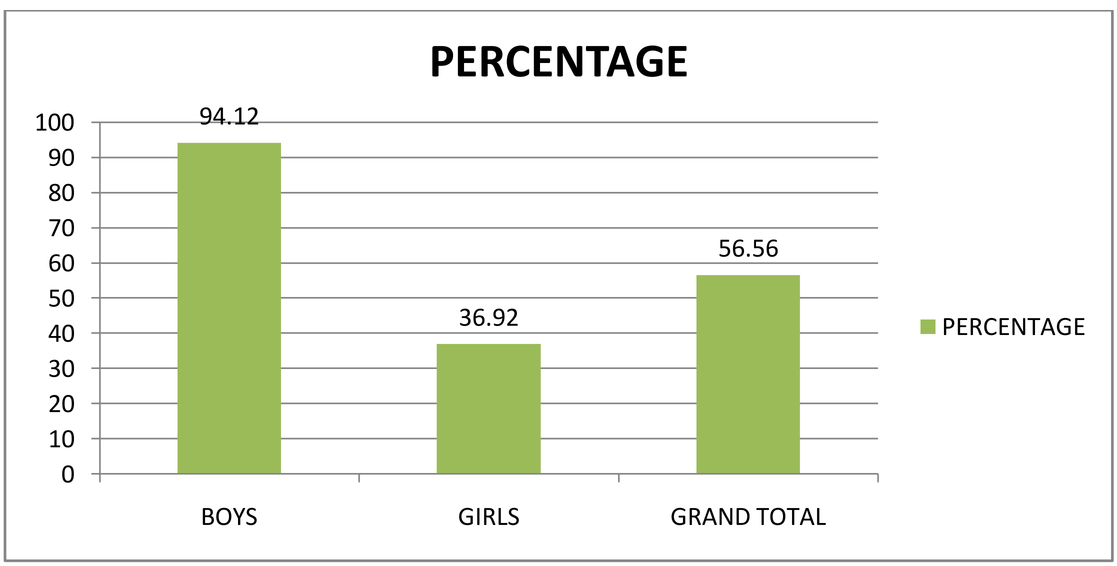
बनाकर टेलीविजन पर प्रसारित होने वाले दैनिक धारावाहिक कार्यक्रमों अपनी ज्यादा रुचि प्रकट करती हैं। अतः अध्ययन से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर मात्र अत्यंत निम्न पाया गया है जिससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडलके सम्बन्ध विद्यार्थियों में अत्यंत अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं।

प्रश्न-50 बाँदा संसदीय क्षेत्र के वर्तमान सांसद कौन हैं?

तालिका 4.50

बाँदा संसदीय क्षेत्र के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता

	N	आवृत्ति	प्रतिशत
छात्र	34	32	94.12
छात्राएं	65	24	36.92
कुल विद्यार्थियों	99	56	56.56



बाँदा संसदीय क्षेत्र के सम्बन्ध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक

जागरूकता

चित्र संख्या 4.50

विश्लेषण

तालिका संख्या 4.50 एवं चित्र संख्या 4.50 से स्पष्ट है कि महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्रों में 94.12%, छात्राओं में 36.92% तथा कुल विद्यार्थियों में 56.56% है। इसमें छात्रों का जागरूकता प्रतिशत अधिक पाया गया है एवं छात्राओं का जन्म उत्तर प्रतिशत अत्यंत अल्प पाया गया है तो छात्रों की तुलना में 3 गुना से भी कम प्रतीत होता है। तालिका संख्या 4.50 एवं चित्र संख्या 4.50 से स्पष्ट है कि बाँदा संसदीय क्षेत्र के वर्तमान सांसद के सम्बन्ध में छात्र में जागरूकता का स्तर 90% से अधिक है जब की छात्राओं में 40% से भी कम जागरूकता स्तर प्रतीत होता है जो अत्यंत ही निम्न स्तर है तथा कुल विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर 60% से भी कम प्रतीत होता है।

विवेचना-

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि बाँदा संसदीय क्षेत्र के वर्तमान सांसद के सम्बन्ध में कुल विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर 60% से भी कम प्रतीत होता है जिससे यह स्पष्ट होता है कि विद्यार्थियों भारतीय संविधान के सम्बन्ध में ज्यादा जागरूक प्रतीत नहीं होते हैं तथा लोकसभा एवं विधानसभा के चुनावों के मतदान के सम्बन्ध में अपनी सहभागिता बढ़ चढ़कर सुनिश्चित करने में भी असमर्थ प्रतीत होते हैं। बाँदा संसदीय क्षेत्र के सांसद वर्तमान सांसद के सम्बन्ध में छात्राओं में जागरूकता का स्तर 36% ही प्रतीत होता है जिससे स्पष्ट है कि छात्राएं अपने संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के सम्बन्ध में ज्यादा परिचित प्रतीत नहीं होती है यह सिर्फ अपने पारिवारिक वातावरण से ज्यादा परिचित रहती हैं था भारत के आम चुनाव के सम्बन्ध में एक मतदाता के तौर पर उनमें मतदान से संबंधित कोई दिलचस्पी प्रतीत नजर नहीं आ रही है। इससे यह प्रकट होता है कि बे लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल एवं उनके महत्व आदि में भी ज्यादा रुचि नहीं दिखाती हैं तथा महाविद्यालयी स्तर पर होने वाली संगोष्ठी एवं सेमिनारों में भी अपने संसदीय क्षेत्र से संबंधित मुद्दे उठाने में कतराती हैं एवं साथ ही वे प्रिंट मीडिया , इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से दूरी बनाए रखने में अपने को

ज्यादा भाग्यशाली मानती प्रतीत होती हैं। उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि कुल विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर बाँदा संसदीय क्षेत्र के वर्तमान सांसद के सम्बन्ध में मात्र 56% ही प्रतीत होता है।

4.2 महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का तुलनात्मक विश्लेषण

परिकल्पना

महाविद्यालयी विद्यार्थियों (छात्र/छात्राओं)की राजनीतिक जागरूकता के मध्य कोई सार्थक अन्तर नहीं पाया गया है।

तालिका 4.51

महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का तुलनात्मक विश्लेषण

श्रेणी	संख्या(N)	मध्यमान(M)	मानक विचलन(S.D.) σ	मानक विचलन वर्ग (S.D.) σ^2	क्रांतिक अनुपात (गणना मान)(C.R.)	स्वतंत्रांश (df)	क्रांतिक अनुपात(C.R.) (तालिका मान)	सार्थकता स्तर
छात्र	34	29.62	58.5	325	0.596	97	1.9847	0.5
छात्राएँ	65	31.54	7.13	50.84				

विश्लेषण

उपरोक्त तालिका संख्या 4.51 से स्पष्ट है किमहाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता के सम्बन्ध में छात्रों का मध्यमान (M) 29.62, मानक विचलन (SD) 58.5 ,मानक विचलन वर्ग (**σ^2) 325** , एवं छात्राओं का मध्यमान (M) 31.54 , मानक विचलन (SD) 7.13 , मानक विचलन वर्ग (**σ^2**) 50.84 है जिनका परिगणित क्रांतिक मान 0.596 है जो कि 0.5 सार्थकता स्तर पर निश्चित तालिका मान 1.9847 से कम है। अतः शून्य परिकल्पना 0.5 स्तर पर स्वीकार की जाती है।

प्रेक्षित परिकल्पना में पाया गया कि विद्यार्थियों में (छात्र/छात्राओं) के आधार पर महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता के मध्य कोई सार्थक अन्तर नही है। चित्र संख्या 4.51 में इस मध्यमान को प्रदर्शित किया जाता है।

पंचम अध्याय-निष्कर्ष-

अंतरराष्ट्रीय मुद्दे

शोध अध्ययन हेतु एकत्रित आंकड़ों की सांख्यिकीय संगणना तथा उसके विश्लेषण एवं विवेचना के पश्चात उसका निष्कर्ष कर देना भी आवश्यक है। प्रस्तुत अध्ययन के परिणामों के आधार पर जो निष्कर्ष प्राप्त हुए हैं वे निम्नवत हैं-

- महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता के संबंध में कोई सार्थक अंतर नहीं है जबकि छात्रों का जागरूकता स्तर छात्राओं की अपेक्षा अधिक प्रतीत होता है।
- लगभग एक तिहाई महाविद्यालयी विद्यार्थियों ही अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के संबंध में परिचित प्रतीत होते हैं जबकि छात्रों में जागरूकता स्तर छात्राओं की अपेक्षा अधिक पाया गया है।
- . डोकलाम के संबंध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर एक तिहाई से कम प्रतीत होता है जबकि छात्रों में जागरूकता स्तर छात्राओं की तुलना में अधिक पाया गया है।\
- चीन आर्थिक गलियारा के संबंध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर एक तिहाई प्रतीत होता है जिसमें छात्रों की जागरूकता का स्तर अधिक पाया गया है जबकि छात्राओं की जागरूकता का स्तर निम्न पाया गया है।
- सियाचिन के संबंध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर एक तिहाई से अधिक प्रतीत होता है जबकि छात्रों में जागरूकता का स्तर छात्राओं की तुलना में 3 गुना से भी अधिक प्रतीत होता है।
- अक्साई चिन के संबंध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर 45 प्रतिशत है जो एक तिहाई से अधिक प्रतीत होता है जबकि छात्रों में जागरूकता का स्तर छात्राओं की तुलना में दोगुना से भी अधिक प्रतीत होता है।

- अनुच्छेद 370 के संबंध में महाविद्यालयी विद्यार्थियोंमें राजनीतिक जागरूकता का स्तर आधे से भी अधिक पाया गया है जो छात्रों में 90% से अधिक जागरूकता का स्तर पाया गया है जबकि छात्राओं में मात्र एक तिहाई जागरूकता ही प्रतीत होती है जो अत्यंत निम्न स्तर है।
- विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर आधे से भी कम प्रतीत होता है जबकि छात्रों में जागरूकता का स्तर दो तिहाई से काफी अधिक प्रतीत होता है जब की छात्राओं में दो तिहाई ही प्रतीत होता है।
- सियाचिन के शाब्दिक अर्थ के संबंध में महाविद्या लयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर शून्य प्रतीत होता है। छात्रों में एवं छात्राओं में भी जागरूकता का स्तर शून्य ही प्रतीत होता है अर्थात सभी विद्यार्थियों सियाचिन के संबंध में अपरिचित प्रतीत होते हैं।
- अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित सभी प्रश्नों के संदर्भ में महाविद्यालयीछात्रों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर छात्राओं की अपेक्षा अधिक पाया गया है।

राष्ट्रीय मुद्दे

- भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के संबंध में महाविद्यालायी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर आधे से अधिक प्रतीत होता है जबकि छात्रों में जागरूकता का स्तर छात्राओं की अपेक्षा अधिक पाया गया है।
- भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के संबंध में विद्यार्थियों में जागरूकता का स्तर आधे से भी अधिक प्रतीत होता है तथा छात्रों में जागरूकता का स्तर छात्राओं की अपेक्षा काफी अधिक प्रतीत होता है।
- भारत की राज्यसभा सीटों के संबंध में महाविद्यालयीकुल विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर शून्य प्रतीत होता है जिसमें छात्र एवं छात्राएं राज्यसभा सीटों के बारे में अपरिचित प्रतीत होती हैं।

- संवैधानिक दर्जा प्राप्त भारत की भाषाओं के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर आधे से अधिक प्रतीत होता है जबकि छात्रों में जागरूकता का स्तर छात्राओं की अपेक्षा अधिक प्रतीत होता है।
- नीति आयोग के अध्यक्ष के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर 60% से भी कम प्रतीत होता है जबकि छात्रों में जागरूकता का स्तर छात्राओं की अपेक्षा दोगुना से अधिक पाया गया है।
- भारत के वर्तमान राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद के वरीयता क्रम के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर आधे से भी कम प्रतीत होता है तथा छात्रों में छात्राओं की अपेक्षा अधिक जागरूकता पाई गई है।
- सूचना के अधिकार के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर 50% से भी कम प्रतीत होता है तथा छात्रों में जागरूकता का स्तर छात्राओं की अपेक्षा 2 गुना से अधिक प्रतीत होता है।
- भारत में मतदान मतदान के लिए आयु के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर आधे से अधिक प्रतीत होता है जबकि छात्रों में जागरूकता का प्रस्तर छात्राओं की अपेक्षा डेढ़ गुना से भी अधिक प्रतीत होता है।
- पंचायती राज अधिनियम के संबंध में महाविद्यालयीकुल विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर शून्य प्रतिशत ही प्रतीत होता है जिससे यह स्पष्ट है कि छात्र एवं छात्राएं पंचायती राज अधिनियम से अनभिज्ञ प्रतीत होते हैं।
- भारतीय संविधान के मूल अधिकारों के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर आधे से भी कम प्रतीत होता है जबकि छात्रों में जागरूकता का स्तर छात्राओं की अपेक्षा ढाई गुना से भी अधिक प्रतीत होता है।

- भारतीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई के अनुपात के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर दोगुना से अधिक प्रतीत होता है जबकि छात्रों में जागरूकता का स्तर भाई गुना से अधिक प्रतीत होता है।
- भारत के राष्ट्रगान की अवधि के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर 60% से अधिक प्रतीत होता है जिसमें दो तिहाई से भी अधिक छात्र जागरुक है जबकि छात्राएं आधे से भी कम जागरूक पाई गई है।
- गणतंत्र दिवस के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर आधे से भी अधिक प्रतीत होता है जबकि छात्रों में जागरूकता का स्तर 90% से अधिक है तथा छात्राओं में यह प्रतिशत 50% से भी कम प्रतीत होता है।
- अहिंसा दिवस के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर आधे से भी अधिक प्रतीत होता है। जबकि छात्रों में जागरूकता का स्तर छात्राओं की अपेक्षा दोगुना से भी अधिक प्रतीत होता है।
- संविधान दिवस के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर आधे से थोड़ा अधिक प्रतीत होता है जबकि छात्रों में जागरूकता का स्तर 2 तिहाई से अधिक है एवं छात्राओं में छात्रों की अपेक्षा जागरूकता का स्तर अल्प प्रतीत होता है।
- भारत के वर्तमान उच्च न्यायालयों की संख्या के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर एक तिहाई से भी कम प्रतीत होता है जबकि छात्रों में जागरूकता का स्तर आधे से अधिक प्रतीत होता है तथा छात्राओं में मात्र 18% ही जागरूकता का स्तर पाया गया है।
- चंडीगढ़ के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर 60% से भी अधिक पाया गया है जबकि छात्रों में जागरूकता का स्तर 90% से अधिक पाया गया है तथा छात्राएं छात्रों की तुलना में आधे से भी कम जागरूक प्रतीत होती हैं।

- संपत पाल के महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर आधे से अधिक प्रतीत होता है जबकि छात्रों में जागरूकता का स्तर दो तिहाई से भी अधिक प्रतीत होता है एवं छात्रों की तुलना में छात्राएं आधे से भी कम जागरूक प्रतीत होती।

- मुगल गार्डन के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर आधे से भी कम प्रतीत होता है जबकि छात्रों में जागरूकता का प्रतिशत दो तिहाई के लगभग पाया गया है एवं छात्राओं में एक तिहाई से भी कम प्रतीत होता है।
- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षा के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर आधे से अधिक प्रतीत होता है जबकि छात्रों में जागरूकता का स्तर दो तिहाई से अधिक प्रतीत होता है तथा छात्राओं में मात्र एक तिहाई जागरूकता प्रतीत होती है।
- पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर आधे से भी कम प्रतीत होता है जबकि छात्रों में जागरूकता का स्तर 2 तिहाई से अधिक प्रतीत होता है जो छात्राओं की तुलना में काफी अधिक है।
- प्रश्न 9 से प्रश्न 30 तक यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय मुद्दों के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में आधे से अधिक है तथा छात्रों में दो तिहाई से अधिक पाया गया है जबकि छात्राओं में जागरूकता का स्तर छात्रों की तुलना में अत्यंत अल्प पाया गया है।

राज्य स्तरीय मुद्दे

- उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर शून्य प्रतीत होता है जिससे यह स्पष्ट है कि छात्र एवं छात्राएं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के संबंध मे अपरिचित प्रतीत होते हैं।

- उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर आधे से अधिक प्रतीत होता है जबकि छात्रों में जागरूकता का स्तर 90% से अधिक प्रतीत होता है एवं छात्राओं में यह स्तर आधे से भी कम है।

- उत्तर प्रदेश के वर्तमान जनपदों के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर आधे से अधिक प्रतीत होता है जबकि छात्रों में दो तिहाई से अधिक प्रतीत होता है एवं छात्राओं में आधे से भी कम जागरूकता प्रतीत होती है।
- उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर आधे से अधिक प्रतीत होता है जबकि छात्रों में दो तिहाई से अधिक प्रतीत होता है एवं छात्राओं में एक तिहाई ही प्रतीत होता है।
- मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर आधे से अधिक प्रतीत होता है जबकि छात्रों में दो तिहाई से अधिक एवं छात्राओं में एक तिहाई से भी कम प्रतीत होता है।
- उत्तर प्रदेश के मंडलों के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर आधे से अधिक प्रतीत होता है जबकि छात्रों में यह स्तर 90% से अधिक तथा छात्राओं में 50% से कम प्रतीत होता है।
- जम्मू कश्मीर विधानसभा के कार्यकाल के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर आधे से अधिक प्रतीत होता है जबकि छात्रों में दो तिहाई से अधिक एवं छात्राओं में एक तिहाई ही प्रतीत होता है।
- उत्तर प्रदेश के राजकीय पुष्प के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर आधे से अधिक प्रतीत होता है जबकि छात्रों में 90% से अधिक प्रतीत होता है एवं छात्राओं में एक तिहाई ही प्रतीत होता है।

- उत्तर प्रदेश के वर्तमान शिक्षा मंत्री के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर आधे से कम प्रतीत होता है जबकि छात्रों में यह स्तर 2 तिहाई से अधिक एवं छात्राओं में एक तिहाई ही प्रतीत होता है।
- उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर 50% से भी कम प्रतीत होता है जबकि छात्रों में दो तिहाई से अधिक एवं छात्राओं में एक तिहाई ही प्रतीत होता है।
- उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले जनपद के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर एक तिहाई से कम प्रतीत होता है तथा छात्रों में एक तिहाई से अधिक जब की छात्राओं में मात्र 23% ही प्रतीत होता है।
- उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर आधा ही प्रतीत होता है जबकि छात्रों में 2 तिहाई से अधिक छात्र जागरूक प्रतीत होते हैं एवं छात्राएं एक तिहाई से कम जागरूक प्रतीत होती हैं।
- उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर 50% ही प्रतीत होता है जबकि छात्रों में दो तिहाई से अधिक एवं छात्राओं में एक तिहाई से कम जागरूकता प्रतीत होती है।
- चार राज्यों की सीमाओं को छूने वाले उत्तर प्रदेश के जनपद के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर आधे से भी कम प्रतीत होता है जबकि छात्रों में दो तिहाई से अधिक एवं छात्राओं में एक तिहाई से कम जागरूकता प्रतीत होती है।
- उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्य न्यायधीश के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर एक तिहाई से भीकम प्रतीत होता है जबकि छात्रों में एक तिहाई से अधिक एवं छात्राओं में मात्र 28% ही जागरूकता प्रतीत होती है।

- उत्तर प्रदेश के सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जनपद के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर मात्र 14% ही प्रतीत होता है जबकि छात्रों में एक तिहाई से कम एवं छात्राओं में मात्र 11% ही जागरूकता प्रतीत होती है।

- उत्तर प्रदेश के विभाजन के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर एक तिहाई से अधिक प्रतीत होता है जबकि छात्रों में दो तिहाई से कम एवं छात्राओं में मात्र 23% ही जागरूकता का स्तर प्रतीत होता है।
- उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर एक तिहाई ही प्रतीत होता है जबकि छात्रों में आधे से अधिक एवं छात्राओं में मात्र 20% ही जागरूकता प्रतीत होती है जो छात्रों की तुलना में काफी कम है।
- उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर आधे से भी कम प्रतीत होता है जबकि छात्रों में दो तिहाई से अध्यक्ष एवं छात्राओं में एक तिहाई से कम प्रतीत होता है जो छात्रों की तुलना में काफी कम है।
- बाँदा संसदीय क्षेत्र के वर्तमान सांसद के संबंध में महाविद्यालयीविद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर आधे से अधिक पाया गया है जबकि छात्रों में 90% से अधिक एवं छात्राओं में एक तिहाई ही प्रतीत होता है जो छात्रों की तुलना में काफी कम प्रतीत होता है।
- प्रश्न 31से प्रश्न 50 तक राज्य स्तरीय मुद्दों के संबंध में महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का स्तर आधे से अधिक प्रतीत होता है जबकि छात्रों में जागरूकता का स्तर दो तिहाई से अधिक पाया गया एवं छात्राओं में एक तिहाई ही प्रतीत होता है जो छात्रों की तुलना में काफी कम है।

शैक्षिक निहितार्थ

अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों से स्पष्ट है कि छात्रों में अंतरराष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के संदर्भ में राजनीतिक जागरूकता 42% से 92% तक है जब की छात्राओं में यह जागरूकता 14% से 78% तक है

तथा छात्रों में राष्ट्रीय मुद्दों के विभिन्न प्रश्नों के संदर्भ में राजनीतिक जागरूकता 59% से 98% तक है जब की छात्राओं में 18% से 51% तक यह जागरूकता है एवं छात्रों में राज्य स्तरीय मुद्दों से संबंधित विभिन्न प्रश्नों के संदर्भ में राजनीतिक जागरूकता 21% से 97% तक है जब की छात्राओं में यह जागरूकता मात्र 11% से 49% तक ही प्रतीत होती है। अतः विद्यार्थियों में अंतरराष्ट्रीय मुद्दों , राष्ट्रीय मुद्दों एवं राज्य स्तरीय मुद्दों के प्रति राजनीतिक जागरूकता का स्तर और अधिक बढ़ाए जाने की आवश्यकता है विशेषकर छात्राओं पर और अधिक अधिक ध्यान दिया जाए जिससे कि उनकी राजनीतिक जागरूकता में बढ़ोतरी एवं सुधार हो सके। इस प्रकार राजनीतिक जागरूकता की वृद्धि हेतु राष्ट्रीय समाचार पत्र , पत्रिकाएं लोकसभा टीवी एवं राज्य सभा टीवी तथा विभिन्न वेबसाइटों के माध्यम से और साथ ही विभिन्न अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय परि चर्चाओं के माध्यम से महाविद्यालयीछात्राओं में राजनीतिकजागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है एवं छात्रों को और अधिक प्रोत्साहित करने के विभिन्न में नवीन स्तर के प्रयास किए जा सकते हैं।

सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर एम.एड. उत्तरार्द्ध के छात्र द्वारा शिक्षकों के लिए प्रबंध तंत्र के लिए एवं नीति निर्धारकों के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं जो निम्नवत हैं-

शिक्षकों के लिए सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन में शिक्षकों के लिए जो सुझाव दिए गए हैं उनको निम्न बिंदुओं द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है-

- राजनीतिक जागरूकता आज प्रत्येक विद्यार्थियों एवं प्रत्येक नागरिक के लिए अत्यंत आवश्यक प्रतीत होती है तथा वर्तमान समय में प्रत्येक शिक्षक को स्वयं राजनीतिक जागरूकता के संबंध में अधिकारों एवं कर्तव्यों स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय आदि की अवधारणा के संबंध में भली-भांति परिचित होना एक शिक्षक के लिए अत्यंत अनिवार्य आवश्यकता है।
- राजनीतिक जागरूकता के माध्यम से शिक्षकों द्वारा कक्षा में भारतीय राजव्यवस्था के संबंध में विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाए जिससे वे राजनीतिक मुद्दों के संबंध में वे अधिक से अधिक जागरूक हो सकें।

- समसामयिक मुद्दों के संबंध में शिक्षकों द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचना साधन जैसे-समाचार पत्र , पत्रिकाएं, विभिन्न समसामयिक मुद्दों से संबंधित वेबसाइटों लोकसभा टी.वी. एवं राज्य सभा टी.वी. पर प्रसारित होने वाली परिचर्चा आदि को दैनिक पढ़ने एवं सुनने हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाए जिससे कि वह समसामयिक मुद्दों के बारे में अधिक से अधिक राजनीतिक रूप से जागरूक हो सकें।

प्रबंध तंत्र के लिए सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन में प्रबंध तंत्र के लिए दिए गए सुझाव निम्नांकित हैं-

- शिक्षकों को राजनीतिक जागरूकता से संबंधित विभिन्न मुद्दों में दक्ष बनाने हेतु समय-समय पर विभिन्न कार्यशाला आयोजित करनी चाहिए जिससे शिक्षक अंतरराष्ट्रीय मुद्दे , राष्ट्रीय मुद्दे एवं राज्य स्तरीय मुद्दों के संबंध में भली-भांति परिचित हो सकें।
- शिक्षकों को नवीन सूचना तकनीकी का राजनीतिक जागरूकता के संबंध में प्रयोग आदि का भी उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाए जिससे वे राजनीतिक जागरूकता एवं भारतीय राजव्यवस्था के संबंध में तथ्यपरक पुस्तकों एवं विभिन्न वेबसाइटों से परिचित हो सकें ताकि भविष्य में विद्यार्थियों को राजनीतिक जागरूकता के संदर्भ में नवीन एवं तथ्यपरक ज्ञान प्रदान करने का वे अधिकाधिक प्रयास कर सके।
- राजनीतिक जागरूकता के संदर्भ में प्रबंध तंत्र को राजनीति से संबंधित सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए।

नीति निर्धारकों के लिए सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन के आधार पर नीति निर्धारकों के लिए दिए गए सुझाव निम्नांकित हैं-

- शिक्षकों को राजनीतिक जागरूकता से संबंधित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उनके राजनीतिक व्यक्तित्व के विकास हेतु अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिए।
- शिक्षा संबंधी बनाई जाने वाली नीतियों में राजनीतिक जागरूकता के संदर्भ में शिक्षक- प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्थान देना चाहिए।

- शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षकों के राजनीतिक गुणों के अनुरूप प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए।

भावी शोध हेतु सुझाव

कदाचित कोई भी शोध कार्य स्वयं में संपूर्ण नहीं होता है बल्कि बहुत से प्रश्न अनुत्तरित रह जाते हैं। यह तो बिल्कुल सत्य है कि किसी एक शोध कार्य के आधार पर अध्ययन स्तर परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अधिक स्थिर परिणाम प्राप्त करने हेतु एक ही समस्या पर कई शोध अध्ययन किए जाने चाहिए। एक है शोधार्थी के लिए समय धनवा शक्ति की कमी के कारण यह संभव नहीं हो पाता है कि वह विभिन्न प्रकार की जनसंख्या के ऊपर शोध कार्य करें। वर्तमान शोध अध्ययन के परिणामों के आधार पर प्रत्येक समझती के ऊपर सामान्नीयकरण नहीं किया जा सकता है अतः परिणामों के सत्यापन के लिए भी आगे शोध कार्य करने की आवश्यकता है वर्तमान समस्या से संबंधित ऐसे कई पक्ष थे जो एम. एड.छात्र द्वारा स्पष्ट नहीं किए गए हैं-

- वर्तमान शोध अध्ययन उत्तर प्रदेश के बाँदा जनपद के दो महाविद्यालयीतक ही सीमित था। भाभी शोध कार्य में बाँदा जनपद के अतिरिक्त अन्य महाविद्यालयों को राजनीतिक अथवा अन्य प्रदेशों के समस्त जनपदों के किसी भी महाविद्यालयीको लेकर किया जा सकता है।

- वर्तमान शोध अध्ययन महाविद्यालयीस्तर तक के विद्यार्थियों तक ही सीमित रखा गया है। भावी शोध में एमफिल ,पीएचडी आदि के शोधार्थियों को भी सम्मिलित किया जा सकता है।
- वर्तमान शोध अध्ययन में डी.एल.एड. , बी. एड. एवं एम. एड. की कक्षाओं के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है। बी.ए. , एम. ए. , बी.एस.सी. एवं एम.एस.सी. आदि की कक्षाओं के विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जा सकता है।
- वर्तमान शोध अध्ययन में महाविद्यालायी विद्यार्थियों की राजनीतिक जागरूकता के संबंध में छात्र एवं छात्राओं में राजनीतिक जागरूकता के तुलनात्मक अध्ययन तक ही सीमित रखा गया है। भावी

शोध हेतु छात्र एवं छात्राओं के अतिरिक्त शहरी एवं ग्रामीण स्तर भी अभिवृद्धि है हेतु राजनीतिक जागरूकता के संबंध में अध्ययन किया जा सकता है।

- महाविद्यालयीस्तर पर विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता की अभिवृद्धि है हेतु शैक्षिक , आर्थिक एवं सामाजिक स्तर पर भी शोध कार्य किया जा सकता है।
- महाविद्यालयीस्तर पर विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता मतदान में अभिवृद्धि हेतु भी किया जा सकता है।
- महाविद्यालयीस्तर पर एक कैरियर के रूप में विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता पर शोध कार्य किया जा सकता है।
- महाविद्यालयीस्तर पर राजनीतिक जागरूकता का विकास कैसे होना चाहिए ? इस संदर्भ में शोध अध्ययन की अति आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- .**कुमार सुनील** **(2009)**, महिलाओं में राजनीतिक जागरूकता एक विश्लेषण (मेरठ जनपद के परीक्षितगढ़ विकासखंड के संदर्भ में), शोध प्रबंध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ।

- **शिवहरे प्रमोद कुमार (2002),** बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं की राजनीतिक चेतना का समाजशास्त्रीय अध्ययन , शोध प्रबंध बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी। http://hdl.handle.net/10603/21403

- **Sofi Abdul Ghani(1985),**political participation,politisation and Political Development(A case study of democratic Consolidation in Kashmir),University of Kashmir.

- **अग्रवाल तनुजा ,(1998),** विशिष्ट समूहों की शैक्षिक उपलब्धि के मनोसामाजिक संज्ञानात्मक तथा और संज्ञानात्मक तथा असंज्ञानात्मक कारक -एक विश्लेषणात्मक अध्ययन , शोध प्रबंध दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयालबाग आगरा। < http://hdl.handle.net/10603/207692>

- **दास राम (2004),** उच्च शिक्षा स्तर पर शिक्षकों के व्यक्तित्व एवं विषय सजगता के संदर्भ में कंप्यूटर एवं इंटरनेट अनुप्रयोग संबंधी कौशलों का अध्ययन , शोध प्रबंध लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ।< http://hdl.handle.net/10603/42968>

- **कुमारी मंजू (2005),** मलिन बस्तियों में निवास करने वाले विशिष्ट जाति समूह की लड़कियों का शैक्षिक व्यवसायिक स्तर तथा उनकी शिक्षा के प्रति अभिभावको का अभिमत , शोध प्रबंध

दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय) दयादयाल आगरा। < http://hdl.handle.net/10603/207595>

-

- **कुमार संजय (2017)**, भारतीय युवा और चुनावी राजनीति,सेज पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड । < http://hdl.handle.net/10603/207595>

- **फाडिया बीएल (2004)**अंतरराष्ट्रीय राजनीति साहित्य भवन पब्लिकेशन।

- **एम लक्ष्मीकांत (2017), भारत की राजव्यवस्था ,** चेन्नई: एमसी ग्रा हिल एजुकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।

मिश्रा राजेश (2009), राजनीतिक विज्ञान एक समग्र अध्ययन, नई दिल्ली: गोल्डन पीकॉक पब्लिकेशन।

परिशिष्ट- संकलन चित्रावली

परिशिष्ट.1 बाँदा जनपद का मानचित्र



परिशिष्ट.2 अध्ययन से सम्बन्धित समाचार पत्र




पेड़ों को बचाने सड़क पर उतरे लोग, पदयात्रा कर प्रशासन को सौंपा ज्ञापन

रैली का स्वागत


ठंडा पेय पिलाने के साथ किया मतदान करने के लिए जागरूक







परिशिष्ट.3 राजनीतिक जागरूकता प्रश्नावली (प्रथम प्रारूप)

महाविद्यालयीन स्तर के विद्यार्थियों में राजनैतिक जागरूकता का अध्ययन

निर्देशक
डॉ०राजीव अग्रवाल

शोधार्थी
अनिल कुमार

निम्न सूचनायें भरिए–

नाम..

लिंग..

कक्षा..

कॉलेज का नाम..

दिनांक..

निर्देश

प्रस्तुत प्रश्नावली विद्यार्थियों में महाविद्यालयीन स्तर के विद्यार्थियों में राजनैतिक जागरूकता के अध्ययन से सम्बन्धित है इसमें राजनैतिक जागरूकता सम्बन्धी प्रश्न/कथन हैं। दिये गये विकल्पों में से किसी एक पर सही [√] का चिह्न लगायें अथवा उनसे सम्बन्धित उत्तर को लिखे । इस प्रश्नावली में कुल चार खण्ड हैं सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। आपके द्वारा दी गयी जानकारी केवल लघु शोधकार्य में प्रयुक्त की जायेगी, अतः आप निष्पक्ष रूप से अपने विचार प्रकट करें।

1. डोकलाम कैसा पठार है–

(अ) सकरा (ब) चौड़ा (स) दोनों नही

2. डोकलाम किन तीन देशों की सीमा छुता है?

(अ) भारत, पाकिस्तान, नेपाल (ब) भारत, भूटान, चीन (स) इनमें से कोई नही

3. डोकलाम विवाद किस वर्ष प्रकाश में आया?

(अ) 2017 (ब) 2016 (स) इनमें से कोई नही

4. डोकलाम विवाद का कारण क्या था?

(अ) सड़क निर्माण को लेकर (ब) रेल निर्माण को लेकर (स) इनमें दोनों

5. वर्तमान में डोकलाम में कब्जा है.................................

(अ) चीन (ब) भूटान (स) भारत (द) इनमें से तीनों

6. भारत और चीन ने कब डोकलाम से अपनी सेनायें पीछे हटाने का निर्णय लिया –

(अ) 25 जुलाई 2018 (ब) 27 अगस्त 2017 (स) इनमें से कोई नही

7. सियाचिन/सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है?

(अ) भारत चीन नियत्रंण रेखा के पास (ब) भारत पाक नियत्रंण रेखा के पास

8. सियाचिन हिमनद विश्व का ....सबसे बड़ा ग्लेशियर है?

(अ) दूसरा (ब) पहला (स) तीसरा (द) इनमें से कोई नही

9. समुद्र तल से सियाचिन हिमनद से इन्द्रिरा कोल पर इसकी ऊँचाई लगभग.........मीटर है?

(अ) 6753मी. (ब) 7553मी. (स) 5753मी. (द) इनमें से कोई नहीं

10. सियाचिन ग्लेशियर की लम्बाई लगभग है.................?

(अ) 60किमी. (ब) 65किमी. (स) 70किमी. (द) निश्चित नही

11. सियाचिन का शाब्दिक अर्थ है?

(अ) लालगुलाब (ब) सफेद गुलाब (स) पीला गुलाब (द) जंगली गुलाब

12. सियाचिन विश्व का युद्ध क्षेत्र है.............?

(अ) सबसे गहरा (ब) सबसे ऊँचा (स) निश्चित नही (द) इनमें से कोई नही

13. सियाचिन में भारत सरकार प्रतिदिन रखरखाव हेतु कितने रूपये खर्च करती है?

(अ) 1लाख रूपये (ब) 5करोड़ रूपये (स) 20करोड़ रूपये (द) इनमें से कोई नहीं

14. चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा कैसी परियोजना है?

(अ) वाणिज्यक (ब) सामाजिक (स) दोनों (द) इनमें से कोई नहीं

15. चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारें की घोषणा किस वर्ष की गई?

(अ) 2015 (ब) 2017 (स) 2014 (द) इनमें से कोई नहीं

18. भारत इस गलियारें को किस कानून के तहत अवैध मानता है?

(अ) भारतीय कानून (ब) पाक कानून (स) अन्तर्राष्ट्रीय कानून (द) इनमें से कोई नहीं

19. अक्साई चिन ऐतिहासिक रूप से भारत के किस मार्ग को जोड़ने का जरिया था?

(अ) व्यापारिक मार्ग (ब) रेशम मार्ग (स) दोनों (द) इनमें से कोई नहीं

20. भारत अक्साई चिन को किस राज्य का हिस्सा मानता है?

(अ) सिक्किम (ब) जम्मू–काश्मीर (द) इनमें से कोई नहीं

21. चीन और भारत के मध्य कौन–सी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है?

(अ) डुरण्ड रेखा (ब) रेड क्लिफ रेखा (स) मैकमोहन (द) इनमें से कोई नहीं

22. चीन अरूणाचल प्रदेश को अपना कौन–सा हिस्सा बताता है?

(अ) उत्तरी तिब्बत (ब) दक्षिणी तिब्बत (स) दोनों (द) इनमें से कोई नहीं

23. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू–कश्मीर को किस प्रकार का दर्जा प्रदान करता है?

(अ) स्वयात्ता (ब) समानता (स) दोनों (द) इनमें से कोई नहीं

24. संविधान की धारा 356 किस राज्य पर लागू नहीं होती?

(अ) असम (ब) सिक्किम (स) अरूणाचल (द) जम्मू–कश्मीर

25. जम्मू–कश्मीर के नागरिकों के पास किस प्रकार की नागरिकता होती है?

(अ) एकल (ब) दोहरी (स) दोनों (द) इनमें से कोई नहीं

26. जम्मू–कश्मीर विधान सभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?

(अ) 5 वर्ष (ब) 6 वर्ष (स) 4 वर्ष (द) इनमें से कोई नहीं

27. अनुच्छेद 370 की वजह से आर.टी.आई. लागू है या नहीं?

(अ) हाँ (ब) नहीं

28. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये किस अनुच्छेद में संशोधन करके आरक्षण की व्यवस्था भारत सरकार ने की है?

(अ) अनु0 15 और 18 (ब) अनु0 15 और 16 (स) दोनों (द) इनमें से कोई नहीं

29. सामान्य वर्ग के लिये हाल ही में आर्थिक आधार पर कितने प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया?

(अ) 12% (ब) 11% (स) 10% (द) 13%

30. आर्थिक आरक्षण का लाभ लेने के लिये परिवार की वार्षिक आय कितनी गयी है?

(अ) 9 लाख से कम (ब) 8 लाख से कम (स) 7 लाख से कम (द) इनमें से कोई नहीं

31. वर्तमान कानून के तहत कुल कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति को आरक्षण व्यवस्था है?

(अ) 10% (ब) 12% (स) 15% (द) इनमें से कोई नहीं

32. समलैंगिकों को किस वर्ग में रखा गया है?

(अ) सामान्य (ब) अन्य पिछड़ा वर्ग (स) अनुसूचित जाति (द) इनमें से कोई नहीं

33. भारत में समलैंगिकों का प्रतिशत कितना है?

(अ) 7–8 प्रतिशत (ब) 7–9 प्रतिशत (स) 8–11 प्रतिशत (द) इनमें से कोई नहीं

34. समलैंगिकता के लिये कौन–सा अनुच्छेद लागू होता है?

(अ) अनु0 376 (ब) अनु0 377 (स) अनु. 370 (द) इनमें से कोई नहीं

35. आपदा प्रबन्धन का नियम कब लागू हुआ?

(अ) 2005 (ब) 2009 (स) 2010 (द) इनमें से कोई नहीं

36. आपदा प्रबन्धन की कितने स्तरों पर व्यवस्था की गई है ?

(अ) एक स्तर (ब) दो स्तर (स) तीन स्तर (द) इनमें से कोई नहीं

37. आपदा प्रबन्धन से निपटने के लिये किस सेना का गठन किया गया है?

(अ) बी.एस.एफ. (ब) सी.आई.एस.एफ. (स) एन.डी.आर.एफ. (द) आई.टी.बी.पी.

38. भारत का राज्य चिन्ह क्या है?

(अ) धनुष और मछली (ब) बारह सिंहा (स) अशोक चिन्ह (द) इनमें से कोई नहीं

39. राष्ट्रीय ध्वज का लम्बाई चौड़ाई का अनुपात कितना है?

(अ) 4:2 (ब) 3:2 (स) 2:3 (द) 5:2

40. राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था?

(अ) बकिंग चन्द्र चटर्जी (ब) पिंगली वंकैया (स) रविन्द्र नाथ टैगोर (द) इनमें से कोई नहीं

41. भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा की लम्बाई कुल कितनी है?

(अ) 2515किमी. (ब) 2520किमी. (स) 2510किमी. (द) इनमें से कोई नहीं

42. हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर में गंगा को किस नाम से जाना जाता?

(अ) अलकनन्दा (ब) देवनदी (स) भागीरथी (द) इनमें से कोई नहीं

43. भारत के राष्ट्रगान को कुल कितने अवधी में पूरा किया जाता है?

(अ) 60 मिनट (ब) 52 सेकेण्ड (स) 60 सेकेण्ड (द) इनमें से कोई नहीं

44. भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन–सी नदी में पाया जाता है?

(अ) गंगा (ब) यमुना (स) गोदावरी (द) इनमें से कोई नहीं

45. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में किस संकटापन्न प्रजाती को सामिल किया है?

(अ) डायनाशोर (ब) घड़ियाल (स) डालफिन (द) इनमें से कोई नहीं

46.राष्ट्रीय पंचाग शक संवत किस माह से शुरू होता है?

(अ) सावन (ब) जेष्ठ (स) चैत्र (द) बैशाख

47. बंकिग चन्द्र चटर्जी द्वारा रचित वन्दे मातरम् गीत किस भाषा में लिखा गया?

(अ) हिन्दी (ब) मराठी (स) बाग्ला (द) संस्कृत

48. वन्दे मातरम् गीत को पहली बार किस वर्ष गया?

(अ) 1847 (ब) 1957 (स) 1896 (द) 1947

49.भारतीय हॉकी का स्वर्णिम् युग कब से कब तक था?

(अ) 1928–1956 (ब) 1928–1958 (स) दोनों (द) इनमें से कोई नहीं

50. भारतीय हॉकी दल ने किस वर्ष विश्व कप प्रतियोगिता जीती?

(अ) 1976 (ब) 1980 (स) 1975 (द) 1947

51.भारत सरकार ने भारतीय मुद्रा चिह्न को किसने डिजाइन किया था?

(अ) श्री प्रमोद कुमार (ब) श्री डी उदय कुमार (स) रामकृष्ण (द) इनमें से कोई नहीं

52. भारतीय मुद्रा चिह्न को भारत सरकार ने कब स्वीकार किया ?

(अ) 15 जुलाई 2010 (ब) 15 अगस्त 2010 (स) 15 अगस्त 1990 (द) 5 सितम्बर 2009

53.उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है?

(अ) शेर (ब) गाय (स) बारह सिंहा (द) इनमें से कोई नहीं

54. उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है?

(अ) आम (ब) इमली (स) केला (द) अशोक

55.उत्तर प्रदेश का लोकनृत्य क्या है?

(अ) नौटंकी (ब) भागडा (स) दिवारी (द) रामलीला

56. उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ?

(अ) 14 नवम्बर 1834 (ब) 15 नवम्बर 1835 (स) 16 नवम्बर 1835 (द) 17 नवम्बर 1835

57. उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में विधान सभा की सीटों की संख्या कितनी है?

(अ) 405 (ब) 403 (स) 404 (द) 407

58.उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है?

(अ) 88 (ब) 98 (स) 100 (द) 76

59. उत्तर प्रदेश के वर्तमान उपशिक्षा मंत्री कौन हैं?

(अ) नन्द गोपाल नन्दी (ब) केसव प्रसाद मौर्य (स) दिनेश शर्मा (द) चेतन चौहान

60. राजनाथ सिंह किस वर्ष में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं?

(अ) 2007 (ब) 2009 (स) 2002 (द) 2005

61.वर्तमान में बाँदा के नगर पालिका अध्यक्ष कौन हैं?

(अ) राम मोहन सिंह (ब) मोहन साहू (स) सुरेश खन्ना (द) राकेश कुमार

62. बाँदा का नाम किस ऋषि के नाम पर पड़ा?

(अ) तुलसी दास (ब) बामदेव (स) दोनों (द) इनमें से कोई नहीं

63.बाँदा जनपद में कितनी विधान सभा सीटें हैं?

(अ) 1 (ब) 2 (स) 3 (द) 4

64. बाँदा किस पत्थर के लिये प्रसिद्ध है?

(अ) हीरा (ब) पन्ना (स) सजर (द) इनमें से कोई नहीं

परिशिष्ट.4 राजनीतिक जागरूकता प्रश्नावली (द्वितीय प्रारूप)

महाविद्यालयीन स्तर के विद्यार्थियों में राजनैतिक जागरूकता का अध्ययन

निर्देशक	शोधार्थी
डॉ०राजीव अग्रवाल	अनिल कुमार

निम्न सूचनायें भरिए–

नाम...

लिंग...

कक्षा...

कॉलेज का नाम.....................................

दिनांक...

निर्देश

प्रस्तुत प्रश्नावली विद्यार्थियों में महाविद्यालयीन स्तर के विद्यार्थियों में राजनैतिक जागरूकता के अध्ययन से सम्बन्धित है इसमें राजनैतिक जागरूकता सम्बन्धी प्रश्न/कथन हैं। दिये गये विकल्पों में से किसी एक पर सही [✓] का चिह्न लगायें अथवा उनसे सम्बन्धित उत्तर को लिखे । इस प्रश्नावली में कुल चार खण्ड हैं सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। आपके द्वारा दी गयी जानकारी केवल लघु शोधकार्य में प्रयुक्त की जायेगी, अतः आप निष्पक्ष रूप से अपने विचार प्रकट करें।

1. डोकलाम कैसा पठार है–

(अ) सकरा (ब) चौड़ा (स) दोनों नहीं

2. डोकलाम किन तीन देशों की सीमा छूता है?

(अ) भारत, पाकिस्तान, नेपाल (ब) भारत, भूटान, चीन (स) इनमें से कोई नहीं

3. डोकलाम विवाद किस वर्ष प्रकाश में आया?

(अ) 2017 (ब) 2016 (स) इनमें से कोई नहीं

4. डोकलाम विवाद का कारण क्या था?

(अ) सड़क निर्माण को लेकर (ब) रेल निर्माण को लेकर (स) इनमें दोनों

5. वर्तमान में डोकलाम में कब्जा है..................

(अ) चीन (ब) भूटान (स) भारत (द) इनमें से तीनों

6. भारत और चीन ने कब डोकलाम से अपनी सेनाएं पीछे हटाने का निर्णय लिया –

(अ) 28 जुलाई 2018 (ब) 27 अगस्त 2017 (स) इनमें से कोई नहीं

7. सियाचिन/सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है?

(अ) भारत चीन नियंत्रण रेखा के पास (ब) भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास

8. सियाचिन हिमनद विश्व का ....सबसे बड़ा ग्लेशियर है?

(अ) दूसरा (ब) पहला (स) तीसरा (द) इनमें से कोई नहीं

9. समुद्र तल से सियाचिन हिमनद से इन्दिरा कोल पर इसकी ऊँचाई लगभग.....मीटर है?

(अ) 6750मी. (ब) 7550मी (स) 5753मी. (द) इनमें से कोई नहीं

10. सियाचिन ग्लेशियर की लम्बाई लगभग है.........?

(अ) 60किमी. (ब) 65किमी. (स) 76किमी. (द) निश्चित नहीं

11. सियाचिन का शाब्दिक अर्थ है?

(अ) लालगुलाब (ब) सफेद गुलाब (स) पीला गुलाब (द) जंगली गुलाब

12. सियाचिन विश्व का युद्ध क्षेत्र है.......?

(अ) सबसे गहरा (ब) सबसे ऊँचा (स) निश्चित नहीं (द) इनमें से कोई नहीं

13. सियाचिन में भारत सरकार प्रतिदिन रखरखाव हेतु कितने रुपये खर्च करती है?

(अ) लाख रुपये (ब) 5करोड़ रुपये (स) 23करोड़ रुपये (द) इनमें से कोई नहीं

14. चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा कैसी परियोजना है?

(अ) वाणिज्यिक (ब) सामरिक (स) दोनों (द) इनमें से कोई नहीं

15. चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की घोषणा किस वर्ष की गई?

(अ) 2015 (ब) 2017 (स) 2014 (द) इनमें से कोई नहीं

18. भारत इस गलियारे को किस कानून के तहत अवैध मानता है?

(अ) भारतीय कानून (ब) पाक कानून (स) अन्तर्राष्ट्रीय कानून (द) इनमें से कोई नहीं

19. अक्साई चिन ऐतिहासिक रूप से भारत के किस मार्ग को जोड़ने का जरिया था?

(अ) व्यापारिक मार्ग (ब) रेशम मार्ग (स) दोनों (द) इनमें से कोई नहीं

20. भारत अक्साई चिन को किस राज्य का हिस्सा मानता है?

(अ) सिक्किम (ब) जम्मू–कश्मीर (द) इनमें से कोई नहीं

21. चीन और भारत के मध्य कौन–सी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है?

(अ) डूरण्ड रेखा (ब) रेड क्लिफ रेखा (स) मैकमोहन (द) इनमें से कोई नहीं

22. चीन अरूणाचल प्रदेश को अपना कौन–सा हिस्सा बताता है?

(अ) उत्तरी तिब्बत (ब) दक्षिणी तिब्बत (स) दोनों (द) इनमें से कोई नहीं

23. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू–कश्मीर को किस प्रकार का दर्जा प्रदान करता है?

(अ) स्वायत्तता (ब) समानता (स) दोनों (द) इनमें से कोई नहीं

24. संविधान की धारा 356 किस राज्य पर लागू नहीं होती?

(अ) असम (ब) सिक्किम (स) अरुणाचल (द) जम्मू–कश्मीर

25. जम्मू–कश्मीर के नागरिकों के पास किस प्रकार की नागरिकता होती है?

(अ) एकल (ब) दोहरी (स) दोनों (द) इनमें से कोई नहीं

26. जम्मू–कश्मीर विधान सभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?

(अ) 5 वर्ष (ब) 6 वर्ष (स) 4 वर्ष (द) इनमें से कोई नहीं

27. अनुच्छेद 370 की वजह से आर.टी.आई. लागू है या नहीं?

(अ) हाँ (ब) नहीं

28. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये किस अनुच्छेद में संशोधन करके आरक्षण की व्यवस्था भारत सरकार ने की है?

(अ) अनु. 15 और 16 (ब) अनु. 15 और 16 (स) दोनों (द) इनमें से कोई नहीं

29. सामान्य वर्ग के लिये हाल ही में आर्थिक आधार पर कितने प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया?

(अ) 12% (ब) 11% (स) 10% (द) 13%

30. आर्थिक आरक्षण का लाभ लेने के लिये परिवार की वार्षिक आय कितनी रखी गयी है?

(अ) 9 लाख से कम (ब) 8 लाख से कम (स) 7 लाख से कम (द) इनमें से कोई नहीं

31. वर्तमान कानून के तहत कुल कितने प्रतिशत अनुसूचित जाति को आरक्षण व्यवस्था है?

(अ) 10% (ब) 12% (स) 15% (द) इनमें से कोई नहीं

32. समलैंगिकों को किस वर्ग में रखा गया है?

(अ) सामान्य (ब) अन्य पिछड़ा वर्ग (स) अनुसूचित जाति (द) इनमें से कोई नहीं

33. भारत में समलैंगिकों का प्रतिशत कितना है?

(अ) 7–8 प्रतिशत (ब) 7–9 प्रतिशत (स) 8–11 प्रतिशत (द) इनमें से कोई नहीं

34. समलैंगिकता के लिये कौन-सा अनुच्छेद लागू होता है?

(अ) अनु. 376 (ब) अनु. 377 (स) अनु. 378 (द) इनमें से कोई नहीं

35. आपदा प्रबन्धन का नियम कब लागू हुआ?

(अ) 2005 (ब) 2008 (स) 2010 (द) इनमें से कोई नहीं

36. आपदा प्रबन्धन की कितने स्तरों पर व्यवस्था की गई है ?

(अ) एक स्तर (ब) दो स्तर (स) तीन स्तर (द) इनमें से कोई नहीं

37. आपदा प्रबन्धन से निपटने के लिये किस सेना का गठन किया गया है?

(अ) बी.एस.एफ. (ब) सी.आई.एस.एफ. (स) एन.डी.आर.एफ. (द) आई.टी.बी.पी.

38. भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है?

(अ) [illegible] (ब) [illegible] (स) अशोक चिन्ह (द) इनमें से कोई नहीं

39. [illegible]

(क) [illegible] (ख) [illegible] (ग) [illegible] (घ) [illegible]

40. [illegible]

(क) [illegible] (ख) [illegible] (ग) [illegible] (घ) [illegible]

41. [illegible]

(क) [illegible] (ख) [illegible] (ग) [illegible] (घ) [illegible]

42. [illegible]

(क) [illegible] (ख) [illegible] (ग) [illegible] (घ) [illegible]

43. [illegible]

(क) [illegible] (ख) [illegible] (ग) [illegible] (घ) [illegible]

44. [illegible]

(क) [illegible] (ख) [illegible] (ग) [illegible] (घ) [illegible]

45. [illegible]

(क) [illegible] (ख) [illegible] (ग) [illegible] (घ) [illegible]

46. [illegible]

(क) [illegible] (ख) [illegible] (ग) [illegible] (घ) [illegible]

47. [illegible]

(क) [illegible] (ख) [illegible] (ग) [illegible] (घ) [illegible]

48. [illegible]

(क) [illegible] (ख) [illegible] (ग) [illegible] (घ) [illegible]

49. [illegible]

(क) [illegible] (ख) [illegible] (ग) [illegible] (घ) [illegible]

50. [illegible]

(क) [illegible] (ख) [illegible] (ग) [illegible] (घ) [illegible]

51. [illegible]

(क) [illegible] (ख) [illegible] (ग) [illegible] (घ) [illegible]

52. भारतीय मुद्रा चिह्न को भारत सरकार ने कब स्वीकार किया ?

(अ) 15 जुलाई 2010 (ब) 15 अगस्त 2010 (स) 15 अगस्त 1990 (द) 5 सितम्बर 2009

53.उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है?

(अ) शेर (ब) गाय (स) बारह सिंहा (द) इनमें से कोई नही

54. उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है?

(अ) आम (ब) इमली (स) केला (द) अशोक

55.उत्तर प्रदेश का लोकनृत्य क्या है?

(अ) नौटंकी (ब) भांगड़ा (स) दिवारी (द) रामलीला

56. उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ?

(अ) 14 नवम्बर 1834 (ब) 15 नवम्बर 1835 (स) 16 नवम्बर 1835 (द) 17 नवम्बर 1835

57. उत्तर प्रदेश मे वर्तमान समय मे विधान सभा की सीटों की संख्या कितनी है?

(अ) 405 (ब) 403 (स) 404 (द) 407

58.उत्तर प्रदेश मे विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है?

(अ) 88 (ब) 98 (स) 100 (द) 76

59. उत्तर प्रदेश के वर्तमान (उच्च)शिक्षा मंत्री कौन हैं?

(अ) नन्द गोपाल नन्दी (ब) केशव प्रसाद मौर्य (स) दिनेश शर्मा (द) चेतन चौहान

60. राजनाथ सिंह किस वर्ष मे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके है?

(अ) 2007 (ब) 2009 (स) 2002 (द) 2005

61.वर्तमान मे बाँदा के नगर पालिका अध्यक्ष कौन है?

(अ) राम मोहन सिंह (ब) मोहन साहू (स) सुरेश खन्ना (द) राकेश कुमार

62. बाँदा का नाम किस ऋषि के नाम पर पड़ा?

(अ) तुलसी दास (ब) वामदेव (स) दोनो (द) इनमे से कोई नही

63.बाँदा जनपद में कितनी विधान सभा सीटें है?

(अ) 1 (ब) 2 (स) 3 (द) 4

64. बाँदा किस पत्थर के लिये प्रसिद्ध है?

(अ) हीरा (ब) पन्ना (स) शजर (द) इनमे से कोई नही

65. कौन नदी किस नदी से मिलती है?

(अ) गंगा (ब) यमुना (स) बेतवा (द) इनमें से कोई नहीं

नोट– राजनैतिक जागरूकता के सम्बन्ध में आपके सुझाव.......................................

....

....

....

....

....

....

....

इस प्रश्नावली को पूरा करने एवं अपना बहुमूल्य समय देने के लिये आपका धन्यवाद।

परिशिष्ट.5 प्रदत्त संकलन चित्रावली







महाविद्यालयी विद्यार्थियों में राजनीतिक जागरूकता का अध्ययन



मूल्य- ₹99

ISBN 978-93-341-2387-6
9 789334 123876 >